लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र]

Tenth Session

सत्यमेव जयते

[खण्ड 38 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXXVIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 29, गुरुवार, 2 अप्रैल, 1970/12 चैत्र, 1892 (शक)
No. 29, Thursday, April 2, 1970/Chaitra 12, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
751. वर्ष 1968 में हुई हड़ताल में भाग लेने के कारण मध्य प्रदेश के डाक तथा तार विभाग के निलम्बित कर्मचारियों की बहाली	Reinstatement of P & T Employees of Madhya Pradesh Suspended due to their participation in 1968 strike ..	2
752. दूर संचार सेवा का जापान के सहयोग से विस्तार	Expansion of Tele-Communication Service in Collaboration with Japan ..	9—12
753. सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण उत्तर प्रदेश में निलम्बित किये गये डाक तार कर्मचारियों की बहाली	Reinstatement of P & T Employees of Uttar Pradesh Suspended due to their Participation in September, 1968 Strike ..	2—9
754. 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान फीरोजपुर जिले और तरनतारण सीमा क्षेत्र से विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of persons displaced in 1965 Indo Pak Conflict from Taran Taren Border and Ferozepur District ..	12—16
758. रेचाक, पश्चिमी बंगाल, में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी परियोजना स्थापित करना	Setting up of deep sea fishing project at Raychak, West Bengal ..	16—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
755. दिल्ली में वनस्पति की कमी	Scarcity of Vanaspati Ghee in Delhi ..	18

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
756. आसाम में धान के लिये शिशुओं को गिरवी रखना	Mortgage of Children for Paddy in Assam ..	18—19
757. होशंगाबाद तथा पूर्वी निमाड़ (मध्य प्रदेश) में सिंचाई सुविधाओं की कमी तथा सूखे के कारण फसल को हानि	Dmage to crops due to lack of Irrigation afacilities and drought in Hoshangabad and East Nimad (M.P.) ..	19
759. रूस तथा अमेरिका द्वारा भारतीय दैनिक समाचार पत्रों तथा साप्ताहिकों को प्रचार सामग्री का वितरण	Propaganda Materials Circulated by USSR and USA to Indian Dailies and Weeklies ..	19
760. छोटे पैमाने पर खेती को सफल बनाने के प्रयत्नों के बारे में ब्रिटिश अर्थशास्त्री के सुझाव	Suggestion by British Economist on Effort to make small Farming Successful ..	20
761. केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम हावड़ा का बन्द किया जाना	Winding up of Central Fisheries Corporation, Howrah ..	20—21
762. विशाखापत्तनम में मत्स्य पालन घाट का निर्माण	Construction of Fisheries berth at Vishakhapatnam ..	21—22
763. सम्पत्ति के निपटारे के बारे में समाचार भारती और सरकार के बीच करार	Contract between Samachar Bharti and Government regarding disposal of property ..	22
764. प्रबन्धक श्रमिक सम्बन्धों में सुधार लाने के लिये शक्तिशाली मजदूर संघों सम्बन्धी योजना	Plan for strong Trade unions to Improve Management Labour Relations ..	22—23
765. खाद्य तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये संयुक्त राज्य अमरीका से सहायता	Assistance from USA for Improving Production of Edible oilseeds ..	23
766. सड़क परिवहन उद्योग के बारे में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के विचार	AITUC views on Recommendations of Central Wage Board for Road Transport Industry ..	23
767. पंजाब के लिये टेलीविजन व्यवस्था	T. V. for Punjab ..	24

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
768. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा टेलीफोन सामग्री की कम सप्लाई और मेरठ डिवीजन के विकास पर इसका प्रभाव	Short supply of telephone material by Indian Telephone Industries and its effect on Development of Meerut Division	..	24
769. पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक मजदूरों में बढ़ती हुई अनुशासन हीनता	Growing Indiscipline among industrial workers in West Bengal	..	24—25
770. उर्वरक के उपयोग में गति रोध को दूर करने हेतु उर्वरक ऋण गारंटी निगम की स्थापना	Setting up of Fertilizer credit Guarantee corporation to remove bottleneck in fertilizer consumption.	..	25
771. अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ को भारत द्वारा चन्दा	Indian subscription towards internations Telecommunications Union	..	25—26
772. मध्य प्रदेश में पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये रोजगार की व्यवस्था	Employment of East Pakistan Refugees in M. P.		27
773. दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिये कार्यालय भवन तथा रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण	Construction of office building and residential quarters for Employees Provident Fund Organisation at Delhi	..	27—28
774. विश्व के मामलों में आकाशवाणी का योगदान	Role of AIR in World Affairs	..	28
775. अभ्रक का निर्यात और अभ्रक उद्योग में कर्मचारियों को मजूरी	Mica Exports and Wages of Workers in Mica Industry	..	28—29
776. आसनसोल कोयला खानों में साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) द्वारा उत्पन्न स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये सरकारी दल का भेजा जाना	Official team to Asansol Collieries to assess situation created there by C. P. M.	..	29
777. चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry	..	30
778. बारानी खेती के विकास के लिये फ्रांस के साथ करार	Agreement with France for Development of Dry Farming	..	30—31
779. वनस्पति घी के उत्पादन तथा मूल्य का पुनर्विलोकन	Review of production and price of Vanaspati Ghee	..	31

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
780. कृषि उत्पादन, छोटी सिंचाई तथा भूमि विकास के लिये उत्तर प्रदेश को सहायता	Aid to U. P. for Agricultural production, minor irrigation and land development ..	31—32
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4801. ग्रामीण ऋणग्रस्तता तथा इसको दूर करने के उपाय	Rural indebtedness and steps for its removal ..	32—33
4802. विभिन्न राज्यों में गेहूं के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of wheat in different states	33—34
4803. पालाना कोयला खान में श्रमिकों की छंटनी	Retrenchment of labour in Palana Colliery ..	34
4804. 1973-74 तक ह्वील ट्रैक्टरों, शक्ति चालित हलों और करालर ट्रैक्टरों की मांग	Demand of wheel tractors, Power Tillers and crawler Tractors till 1973-74	34—35
4805. प्रोटीन खाद्य के रूप में लेवीरस सतीदा (तिवदा दाल) का प्रयोग	Use of Lathyrus Satiya (Tivda Daal) as Protein Food	35—36
4806. भारत के खाद्य निगम द्वारा बीज साफ करने का संयंत्र स्थापित किया जाना	Setting up of Seed processing plants by Food Corporation of India ..	36—37
4807. उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग और उसके बुरे प्रभाव	Excessive use of Fertiliser and its ill effects ..	37—38
4808. मनोरंजन कर से मुक्त फिल्में	Films exempted from entertainment tax	38
4809. ट्रैक्टरों के बारे में गुजरात की आवश्यकता	Requirement of Gujarat for Tractors ..	38—39
4810. दिल्ली के सिनेमा गृहों में नियुक्त कर्मचारी	Workers employed in Delhi Cinemas ..	39
4811. आसनसोल रानीगंज कोयला क्षेत्र में स्थित कोयला खानों में कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of workers in Coal Mines in Asansol Raniganj Coal Belt ..	40
4812. निर्माताओं तथा कलाकारों को सरकारी पुरस्कार	State Awards to producers and Artistes	40
4813. मनीपुर के वन विभाग में कर्मचारियों को बाल भत्ता न दिया जाना	Denial of children allowance to Employees in Forest Department, Manipur ..	40—41

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4814. गैर सरकारी क्षेत्र के उर्वरक समवायों द्वारा उर्वरक के व्यवसाय में तथाकथित चोर बाजारी तथा मुनाफाखोरी	Alleged Indulgence in Black marketing and profiteering in Fertiliser Business by Fertilizer Companies in Private Sector ..	41—42
4815. चौथी योजना के दौरान भारतीय प्रेस का आयोजन	Formulation of principles for planning Indian press during Fourth Plan ..	42
4816. सत्तारूढ़ कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा राज्यों का दौरा	Ruling congress president's Tours of States ..	42—43
4817. देश में खाद्य की कमी को पूरा करने के लिये प्रति सप्ताह में एक बार भोजन न करने की प्रेरणा	Call for Miss a Meal every Week to meet food shortage in the country ..	43
4818. कच्ची सुपारी का उत्पादन	Production of raw betel nut ..	43—44
4819. पेकिंग रेडियो द्वारा भारत के प्रतिक्रियावादी व्यक्तियों को उत्तेजित करना	Peking Radio incitement to Indian Reactionaries ..	44
4820. हरिजनों के लिये शिक्षा की समान सुविधाओं की मांग	Demand for Uniform Educational Facilities for Harijans ..	44
4821. कोटा के लिये आकाशवाणी केन्द्र	AIR Station for Kota ..	45
4823. बिना लाइसेंस वाले रेडियो सेट	Unlicensed Radio Sets ..	45
4824. औद्योगिक कर्मचारियों के लिये सरकारी प्रयोजनाओं में मकानों की व्यवस्था	Houses for Industrial Workers in Public Sector Projects ..	45—46
4825. घेराव की घटनाओं के कारण सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों को हानि	Loss incurred by Public and Private Undertakings on account of Gheraos ..	46
4826. भोजन सम्बन्धी आदतों में परिवर्तन	Change in Food Habits ..	46—47
4827. भरतपुर के डाक तथा तार डिवीजनल कार्यालय में अत्यधिक काम होने के कारण सवाई माधोपुर के लिये अलग डाक डिवीजन	Separate Postal Division for Sawai Madhopur due to heavy work load in Bharatpur P & T Divisional Office ..	47

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4828.	इण्डियन शुगर इण्डस्ट्री कारपोरेशन, दिल्ली द्वारा चीनी का निर्यात	Export of Sugar by Indian Sugar Industry Corporation, Delhi ..	47—48
4829.	मालविया नगर, नई दिल्ली में गाय को मार-मार कर उसकी हत्या कर देना	Cow beaten to death in Malaviya Nagar, New Delhi ..	48—49
4831.	उत्तर प्रदेश में डाकघर	Post Office in Uttar Pradesh ..	49—50
4832.	रबी फसल के लिये गेहूं का मूल्य	Price of wheat for Rabi Crop ..	50—51
4833.	संचार विभाग में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया जाना	Promotion of the use of Hindi in Department of Communication ..	51
4834.	ग्रामीण क्षेत्रों में डाक व तार सुविधाओं का विस्तार	Expansion of P & T facilities in Rural Areas ..	51—52
4835.	मछली का निर्यात	Export of Fish ..	52—53
4836.	वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध में जम्मू और काश्मीर की सीमाओं के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of persons dispalced in 1965 Indo Pak. conflict from Jammu and Kashmir borders ..	53—54
4837.	पंजाब और हरियाणा में रबी की फसल की सम्भावनायें	Prospects of Rabi Crops in Punjab and Haryana ..	54
4838.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये गये दूध की किस्म तथा उसके तत्व	Quality and content of milk supplied by DMS ..	54—55
4839.	खाद्य तथा कृषि मंत्री का उड़ीसा का दौरा	Visit by Minister of Food and Agriculture to Orissa ..	55—56
4840.	कृषि उत्पादन में नये विचारों तथा तरीकों का आदान प्रदान तथा प्रयोग	Exchange and application of new ideas techniques in agricultural production ..	56
4841.	राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार करने के लिये भारतीय श्रम सम्मेलन या स्थायी श्रम समिति की बैठक	Meeting of Indian labour conference or standing labour committee to consider recommendations of National Labour Commission ..	57
4842.	वर्तमान खाद्य स्थिति	Present Food situation ..	57
4843.	आकाशवाणी के भोपाल तथा इन्दौर केन्द्रों से फिल्मी संगीत के प्रसारण की अवधि	Duration of Film Music Broadcast over Bhopal and Indore Stations ..	58

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
4844. मध्य प्रदेश होशंगाबाद तथा ईस्ट नीमाड़ में सब ब्रांच डाकघर	Sub-branch Post office in Hoshangabad and East Nimad in Madhya Pradesh ..	58—59
4845. मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तथा ईस्ट नीमाड़ जिलों में डाक का बांटा जाना	Delivery of mails in Hoshangabad and East Nimad of M. P. ..	59—60
4846. सरकारी समितियों के कार्यकरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of committee on the working of Co-operatives ..	60
4847. जम्मू और काश्मीर राज्य के लिये आवंटित ट्रैक्टरों का पंजाब में चोर बाजार में बेचा जाना	Tractors allotted to J & K State and sold in Punjab in black market ..	60
4848. राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्रसारणों के लिये आचार संहिता	Code of conduct for Broadcast by State Authorities ..	61
4849. चार नगरों में सप्लाई किये गये दूध की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत करार	Agreement under world food programme to augment supply of processed milk in four cities ..	61—62
4850. ओलावृष्टि से प्रभावित देश के भागों में खड़ी फसल की हुई हानि	Parts of the country affected by hail storm and damage to standing crop ..	62—63
4851. जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में खाद्य उत्पादन में वृद्धि	Increase in Food production in Proportion to increase in population ..	63—64
4852. मध्य प्रदेश में डाकघर	Post Offices in Madhya Pradesh	64—65
4854. फिल्म सेंसर व्यवस्था के बारे में खोसला समिति का प्रतिवेदन	Khosla Committee Report on Film Censorship ..	65—66
4855. राजस्थान सरकार द्वारा अन्य राज्यों से मोटे अनाजों के उत्पादन के लिये अनुरोध	Request of Rajasthan Government to other States for production of Coarse Grains ..	66
4856. आकाशवाणी, दिल्ली से प्रेस संवाददाताओं द्वारा वार्ता	Talks by Press Correspondents over AIR Delhi ..	66—67
4857. तेल कम्पनियों में सेवा की सुरक्षा सम्बन्धी जांच आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति	Implementation of Recommendations of commission of Enquiry on Job Security in Oil Companies ..	67—68

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4858. राजस्थान के शुष्क जिलों में सिंचाई की व्यवस्था	Irrigation Arrangement in Arid Districts of Rajasthan ..	68—69
4859. विदेशों की तुलना में भारत में प्रतिवर्ष प्रति एकड़ रासायनिक उर्वरकों की औसतन खपत	Average consumption of Chemical Fertiliser per acre and per year in India as compared to foreign countries ..	69
4860. डाकघर की नई शाखाएं खोलने के लिये उद्घाटन समारोह करने की नीति	Policy evolved for opening ceremonies for New Branch Post Offices ..	69—70
4861. गुजरात में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना	Establishment of an Agricultural University in Gujarat ..	70
4862. बीजों की आवश्यकता का अनुमान	Assessment of needs of seeds ..	70—71
4863. वर्ष 1969 में मध्य प्रदेश में गेहूं तथा चावल का उत्पादन	Production of wheat and rice in M. P. in 1969 ..	71
4864. मध्य प्रदेश में गेहूं और चावल के अन्तर्गत कुल क्षेत्र	Total areas under wheat and rice in M.P. ..	71
4865. बारानी खेती योजना का आरम्भ किया जाना	Introduction of Dry Farming Scheme ..	71—72
4866. बिहार में दरभंगा में गांगुली तथा दामोदरपुर में शाखा डाक घर	Branch Post Offices in Ganguli and Damodarpur in Darbhanga, Bihar ..	72
4867. मेरठ में टेलीफोन एक्सचेंज भवन का प्रयोग	Use of Telephone Exchange building at Meerut ..	73
4868. मेरठ रोहटा बिनौली के बीच सीधी टेलोफोन लाइन का निर्माण	Construction of Meerut Rohta Binauli District Telephone line ..	73
4869. चम्बल घाटी क्षेत्र के समतलन तथा भूमि सुधार पर व्यय	Expenditure on levelling and reclamation of Chambal Valley Area ..	73—74
4870. चम्बल घाटी विकास निगम की स्थापना	Setting up of Chambal Valley Development Corporation ..	74
4871. डाक तथा तार विभाग के सेवा निवृत्त अधिकारियों की गैर-सरकारी फर्मों में नियुक्ति	Employment of retired P & T Officers in Private Firms ..	74

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4872. हिन्दी में तारों को स्वीकार न करने के कारण सरोजनी नगर, नई दिल्ली के तारघर अधिकारियों के विरुद्ध जांच	Enquiry against officers of Telegraph offices Sarojini Nagar, New Delhi for non-acceptance of Telegrams in Hindi ..	74—75
4873. हिन्दी भाषा भाषी और पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के डाक और तार घरों और बचत बैंकों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Post and Telegraph Offices and Savings Banks in Hindi Speaking Areas and Punjab, Gujarat and Maharashtra ..	75
4874. भिण्ड जिले (मध्य प्रदेश) में कृषक उत्पादक सहकारी क्षेत्र में चीनी फैक्टरी की स्थापना	Setting up of Sugar Factory in Farmers producers cooperative Sector in Bhind District (Madhya Pradesh) ..	75
4875. मध्य प्रदेश के मोरेना जिले में चीनी मिल की स्थापना	Setting up of Sugar Mill in Morena District, Madhya Pradesh ..	75—76
4876. भिंड, मध्य प्रदेश में डाकघर की इमारत और टेलीफोन एक्सचेंज के निर्माण में विलम्ब	Delay in construction of Post Office Building and Telephone Exchange in Bhind, Madhya Pradesh ..	76
4877. भिंड और इटावा के बीच सीधी टेलीफोन लाइन की व्यवस्था करने में विलम्ब	Delay in Installation of Direct Telephone Line between Bhind and Etawah ..	76—77
4878. खंड विकास अधिकारियों के पदों की समाप्ति	Abolition of posts of Block Development Officers ..	77
4879. आकाशवाणी में खेलकक्ष का निर्माण	Creation of Sports Cell in AIR ..	77
4880. छोटे तथा मझले भाषाई समाचारपत्रों के सम्पादकों के साथ विचार विमर्श	Discussions with editors of Small and Medium Language Newspapers ..	78
4881. चन्द्र शेखर आजाद और आचार्य नरेन्द्र देव की स्मृति में डाक टिकट	Commemorative Stamps on Chandra Shekhar Azad and Acharya Narendra Dev ..	78
4882. ट्रैक्टरों तथा उनके विक्रय के लिये बिहार कृषि उद्योग निगम को प्राप्त हुए आवेदन पत्र	Application received by Bihar Agro-industries Corporation for tractors and their disposal ..	78—79
4883. पंचायत स्तरों पर कृषकों को सुविधाएं	Facilities to farmers at Panchayat levels ..	79—80

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
4884. विभिन्न जोनों में चीनी के भिन्न-भिन्न मूल्य	Different price of sugar in different zones ..	80
4885. गांवों में पीने के जल की सप्लाई	Drinking water supply to villages ..	80
4886. दिल्ली दुग्ध योजना केन्द्रों पर दूध की बोतलों की सीलें बदलने से रोकने के उपाय	Steps to check replacing of seals of milk bottles supplied at DMS	80—81
4887. गोआ में डाकतार विभाग के सभी कार्यालयों को पानी की सप्लाई में कटौती	Cut in water supply to all establishments of posts and telegraphs department in Goa ..	81
4888. बेरोजगार युवकों को कार्मिक संघों का कार्य अपनाने का परामर्श	Advice to unemployed youth to take up trade union work ..	82
4889. 1969-70 में राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गला सड़ा खाद्यान्न	Rotten Foodgrains in the Godowns of FCI in Rajasthan during 1969-70 ..	82
4890. दिल्ली में राशन की दुकानों पर भ्रष्टाचार	Malpractices of Ration Shops in Delhi ..	82—83
4891. जमशेदपुर में डाक तार कर्मचारियों के रहने की समस्या	Problem of residential accommodation for P & T Staff at Jamshedpur ..	83—84
4892. आकाशवाणी के चौकीदारों के लिये काम के समान घंटे	Uniform duty hours for chowkidars of AIR ..	84
4893. बिहार में फर्मों/व्यक्तियों पर टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	Telephone Bills outstanding against firms/ persons in Bihar ..	84—85
4894. वायस आफ अमेरिका का तमिल भाषा में प्रसारण	Voice of America Broadcast in Tamil Language ..	85
4895. चीनी मिलों को अधिकार में लेने के लिये उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to U. P. for taking over Sugar Mills ..	85
4896. संगजार्मर तथा इम्फाल बाजार डाकघरों में मनी-आर्डरों का न लिया जाना	Non acceptance of Money orders at Sang-jarmar and Imphal Bazar Post Offices ..	86
4897. मनीपुर में ठेकेदार तथा श्रमिकों के बीच विवाद	Contractor Labour dispute in Manipur ..	87—87

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4898. 1969-70 में मनीपुर में खोले गये डाकघर	Post Offices opened in Manipur during 1969-70 ..	87
4899. मनीपुर के किसानों को उर्वरकों का वितरण	Distribution of Fertilizer to farmers in Manipur ..	87—88
4900. उड़ीसा के कृषि तथा टेक्नालोजी विश्वविद्यालय के कृषि इंजीनियरिंग विभाग में साज सामान की कमी के विरुद्ध छात्रों में रोष	Resentment of students against ill equipped department of Agricultural Engineering of Orissa University of Agriculture and Technology ..	89
4901. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की विभिन्न समस्याओं सम्बन्धी उप-समितियों की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of recommendations of sub-committee of EPF Organisation on various problems ..	89—90
4902. कर्मचारी भविष्य निधि न्यासधारियों के केन्द्रीय बोर्ड के सदस्यों द्वारा भविष्य निधि की देय राशि की वसूली से बचने में अपने पद का दुरुपयोग	Misuse of position by Members of Central Board of Trustees of EPF to evade recovery of PF Dues ..	90—91
4903. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को राज़सहायता प्राप्त आवास स्थान देना और उनके आवंटन में कथित भेद-भाव	Subsidised accommodation to EPF, Organisation employees and alleged discrimination in allotment ..	91
4905. बम्बई के बड़े डाकघर के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दियों और सैंडलों की सप्लाई	Supply of uniforms and sandals to class IV Employees of Bombay General Post Office ..	92
4906. आकाशवाणी के श्रोताओं का सांस्कृतिक दायरा सीमित करना	Restrictions of cultural Horizon of AIR Listeners ..	92—93
4907. बम्बई बड़ा डाकघर की नई इमारत की योजना	Plan for new Building of Bombay General Post Office ..	93—94
4908. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किए जाने वाले दूध तथा नई दिल्ली में और डिपुओं की स्थापना	Milk supplied by Delhi Milk Scheme and establishment of more booths in New Delhi ..	94

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

4909. कार्मिक संघों को मान्यता देने के लिये ग्राम पंचायतों के लिये कानूनी शक्ति	Legal Power to Village for Panchayat recognising Trade Unions	94
4910. सहकारी समितियों के सम्बन्ध में नई नीति	New Policy for Cooperatives ..	95—96
4911. भारतीय पत्रकारिता सेवा आरम्भ करना	Introduction of Indian Journalist Service ..	97
4913. सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण के पास अनिर्णीत मामले	Cases pending with Tribunals appointed by Government ..	97—98
4914. डाकपत्थर, उत्तर प्रदेश में डाक तार कर्मचारियों को दिये जाने वाले परियोजना भत्ते आदि में असमानता	Disparity in the project allowance etc. paid to P and T Staff at Dakpathar in U. P. ..	98
4915. घरेलू रेडियो के लिये रेडियो लाइसेंस शुल्क में कमी	Reduction in Licence Fee for Domestic Radios ..	99
4916. ग्वालियर में टेलीफोन के लिये विचाराधीन आवेदन पत्र	Applications pending for Telephone connection in Gwalior ..	99—100
4917. अभ्रक उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Mica Industry ..	100
4918. आकाशवाणी मद्रास से हिन्दी में कार्यक्रम	Hindi Programmes over AIR Madras ..	100—101
4919. एन्ड्रूजगंज, नई दिल्ली में उचित मूल्य की दुकान का बन्द किया जाना	Closure of Fair price shop in Andrews Ganj, New Delhi ..	101
4920. उत्तर भारत में उपग्रह के लिये भू केन्द्र स्थापित करना	Establishment of ground station for satellite in North India ..	101
4921. डा० भगवान दास स्मारक श्रद्धांजलि समारोह समिति नई दिल्ली को राशन की सप्लाई	Supply of ration to Dr. Bhagwan Dass Smarak Shradhanjali Samaroh Samiti, New Delhi	102
4922. डाक तथा तार विभाग में टेलीग्राफिस्टों की वरीयता में परिवर्तन	Change in the Seniority of Telegraphists in the Post and Telegraph Department ..	102

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4923. खाद्यान्नों की कमी के कारण हानि	Loss due to shortage of food grains ..	102—103
4924. महाराष्ट्र में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Minor irrigation schemes in Maharashtra ..	104
4925. महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये निलम्बित पड़े आवेदन पत्र	Applications pending for Telephone Connections in Maharashtra ..	104
4926. महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के गांव में डाकखानों और टेलीफोन एक्सचेंजों की व्यवस्था	Villages provided with Post Offices and Telephone Exchanges in Yeotmal District, Maharashtra ..	105
4927. हरियाणा में नीलोखेरी बस्ती पर खर्च तथा जीविका कमाने के लिये शरणार्थियों की सहायता	Expenditure on Nilokheri Colony in Haryana and Assistance to Refugees to earn Livelihood ..	105—106
4928. हरियाणा स्थित नीलोखेड़ी बस्ती में बसे लोगों से प्लाटों के किराये तथा बिक्री के रूप से वसूल की गई धन राशि	Amount recovered as Rent and Sale Proceeds of Plots from Settlers in Nilokheri Colony in Haryana ..	106
4929. राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बेचे गये बीजों के प्रमाणीकरण के लिये स्वतंत्र निकाय की स्थापना	Setting up of an independent body for certification of seeds sold by National Seeds Corporation ..	107
4930. मध्य प्रदेश में गहन कृषि विकास कार्यक्रम	Participation by U. K. and Canada in intensive Agriculture development Programme in M. P.	107—108
4931. इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों की श्रेणी 2 के पदों पर पदोन्नति	Promotion of Engineering Supervisors to Class II Post ..	108
4932. आदमी द्वारा चलाये जाने वाले रिक्शाओं को बन्द करना	Abolition of Manually Driven Rickshaws ..	108—109
4933. बिहार की कोयला खानों में तालाबन्दी	Lock outs in Coal Mines in Bihar ..	109
4934. बिहार में कोयले की खानों में घेराव	Gheraos in Coal Mines in Bihar ..	110

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
4935. वनस्पति उद्योग का राष्ट्रीय-करण	Nationalisation of Vanaspati Industry ..	110—111
4936. डाक तथा तार विभाग, पालघाट (केरल) में वरिष्ठ क्लर्कों के विरुद्ध अस्थाई क्लर्कों का स्थायीकरण	Confirmation of Temporary clerks against Senior clerks in P and T Department Palghat (Kerala) ..	111
4937. केरल में राशन की मात्रा में कमी	Reduction in Ration quota in Kerala ..	111—112
4938. दिल्ली में कुतुब रोड स्थित ख्वाजा बकी बिल्लाह आर० ए० की दरगाह पर शरणार्थियों द्वारा कब्जा किया जाना	Occupation of Shrine of Khawaja Baqi Billah R. A. at Qutab Road, Delhi by Refugees ..	112
4940. आन्ध्र प्रदेश में अदिलाबाद जिले की ईसगांव पुनर्वास परियोजना से शरणार्थियों का प्रव्रजन	Migration of Refugees from Easgaon Rehabilitation Project, Adilabad district Andhra Pradesh ..	112—113
4941. उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ड्रिलिंग मशीनों की सहायता से नल कूप लगाना	Installation of Tube wells with the help of drilling Machines in certain districts of U. P. ..	113
4942. भूतपूर्व वित्त मंत्री श्रीमोरारजी देसाई पर टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	Telephone Bills outstanding against the former Finance Minister Shri Morarji Desai ..	113
4943. केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम के कर्मचारियों से ज्ञापन	Memorandum from employees of Central Fisheries Corporation ..	114—115
4944. दिल्ली में अनुसूचित जाति / अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों की महिला टेलीफोन आपरेटरों के रूप में भर्ती	Recruitment of Scheduled Caste/Tribe candidates as female telephone operators in Delhi ..	115—116
4945. महाराष्ट्र में ओला वृष्टि के कारण फसलों आदि को क्षति	Damage to crops etc. in Maharashtra due to Hailstorm ..	116
4946. रोजिन (सूखी) का उत्पादन और खपत	Production and consumption of Rosin (Dry) ..	116
4947. आकाशवाणी के मद्रास, तिरुचि स्टेशनों के लिये वाणिज्यिक प्रसारणों के समय में वृद्धि	Increase in Commercial Broadcasting time for Madras Triuchi Stations of AIR ..	116—117

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4948.	तमिल फिल्म के लिये हिन्दी में सेंसर प्रमाण पत्र	Censor certificate in Hindi for Tamil films	.. 117
4949.	वनस्पति बनाने वाले कारखानों का बन्द होना	Closure of Vanaspati Manufacturing Units	.. 117—118
4950.	कपड़ा, पटसन, चाय तथा कोयला खान उद्योगों में हड़ताल और उनका निबटारा	Strikes in Textiles, Jute, Tea and Coal Mines Industries and their Settlement	.. 118
4951.	बुन्देल खंड के लिये आकाशवाणी केन्द्र	AIR Station for Bundelkhand	.. 118
4952.	जबलपुर के लिये आकाशवाणी केन्द्र	AIR Station for Jabalpur	.. 119
4953.	आन्ध्र प्रदेश द्वारा कार्मिक संघों से बाहर के लोगों का हटाया जाना	Move to Eliminate outsiders from Trade Unions by Andhra Pradesh	.. 119
4954.	आकाशवाणी के कलाकारों के बारे में चन्दा समिति की सिफारिश	Chanda Committee recommendation on AIR Artistes	.. 119
4955.	महाराष्ट्र के चांदा जिले में पूर्वी पाकिस्तान के अनुसूचित आदिम जातियों के शरणार्थी परिवारों का पुनर्वास	Rehabilitation of Scheduled Tribes families of East Pakistan Refugees in Chanda District, Maharashtra	.. 119—120
4956.	संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय वन सेवा संवर्ग का गठन	Constitution of Indian Forest Service Cadre in Union Territories	.. 120—121
4957.	केन्द्रीय ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के प्रति भेदभाव	Discrimination against Scheduled Caste employees of Central Tractor Organisation	.. 121
4958.	डाक और तार विभाग के अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की श्रेणी के पदों पर पदोन्नति	Promotion of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees of P and T Department to Class II Posts	.. 122—123
4959.	केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम के निर्देशक बोर्ड का विघटन	Dissolution of Board of Directors of Central Fisheries Corporation	.. 123
4960.	केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम के प्रबन्धक निदेशक द्वारा पद मुक्त होना	Relinquishing of charge by Managing Director of Central Fisheries Corporation	.. 124

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4961. दिल्ली और कलकत्ता में केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम के स्टालों का बन्द किया जाना	Closure of Stalls of Central Fisheries Corporation at Delhi and Calcutta ..	124
4962. बम्बई के हाजी मस्तान मिर्जा को छूट वाले वर्ग के अन्तर्गत टेलीफोन की मंजूरी	Telephone connection to Haji Mastan Mirza of Bombay under exempted category ..	124—125
4963. कोल्हापुर नगर में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये आवास स्थान	Accommodation for P and T staff in Kolhapur City ..	125—126
4964. खानों में मृत्यु दर में वृद्धि	Increase in death rate in Mines ..	126
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना-	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
चीनी का कम मूल्य निर्धारित करने के सरकार के निर्णय पर कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा रोकादेश जारी किया जाना	Stay order by Certain High Courts on Government decision for fixing low price of Sugar ..	126—131
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	131—133
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
112वां, 117वां और 118वां प्रतिवेदन	Hundred and Twelfth, Hundred and Seventeenth and Hundred and Eighteenth Reports ..	133
नियम 377 के अन्तर्गत मामला—	Matter Under Rule 377—	
लोक-सभा में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों के वृत्तान्त का आकाशवाणी द्वारा प्रसारण	Air Coverage of CPI (M) Members speeches in Lok Sabha ..	133—335
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti ..	133—135
श्री सत्य नारायण सिंह	Shri Satya Narayan Sinha ..	134
अनुदानों की मांगें 1970-71—	Demands for Grants, 1970-71—	
गृह-कार्य मंत्रालय	Ministry of Home Affairs ..	135—161
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji ..	135—137
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta ..	137—139

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	..	139—144
श्री बदरुद्दुजा	Shri Badrudduja	..	144—147
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	..	147—148
श्री प० गोपालन	Shri P. Gopalan	..	148—150
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi	..	150
श्री गयूर अली खां	Shri Ghayoor Ali Khan	..	150—151
श्री कुशोक बाकुला	Shri Kushok Bakula	..	151—153
श्री प्रकाश वीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	..	153—155
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	..	155—156
श्री जे० मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohammad Imam	..	156—159
श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai	..	159
श्री राम गोपाल शालवाले	Shri Ram Gopal Shalwale	..	159—161
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	..	161
जम्मू तथा लद्दाख के बारे में गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित न किये जाने के बारे में चर्चा	Discussion Re. Non Implementation of Gajendra Gadkar Commission's Recommendations in Regard to Jammu and Ladakh	..	161—170
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	..	161—162
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	..	163—164
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	..	164—165
श्री अहमद आगा	Shri Ahmed Aga	..	165—167
श्री प्रकाश वीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	..	167
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	..	167—168
श्री कुशोक बाकुला	Shri Kushok Bakula	..	168
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad	..	168—169
श्री यशवन्त राव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	..	169—170

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 2 अप्रैल, 1970/12 चैत्र, 1892 (शक)
Thursday, April 2, 1970/Chaitra 12, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय : श्री ओंकार लाल बेरवा ।

Shri Onkar Lal Berwa : Question No. 751.

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न संख्या 753 का उत्तर भी इसके साथ ही दिया जाये । यह उसी प्रकार का प्रश्न है, केवल राज्य अलग है ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है.....

Shri Onkar Lal Berwa : When question has be en put up in Hindi reply should also be given in Hindi.

श्री एस० कन्डप्पन : मैं इस रवैये का विरोध करता हूं । यह अनुचित है । अहिन्दी भाषी लोगों के प्रति यह बड़ी अनुचित बात है । जब माननीय सदस्य को अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद साथ-साथ मिलता है, तो वह हिन्दी में उत्तर सुनने के लिये आग्रह क्यों कर रहे हैं ? मैं प्रार्थना करता हूं कि हिन्दी भाषी सदस्यों को गैर-हिन्दी भाषी सदस्यों के साथ उदारता बरतनी चाहिये । मेरे राज्य से कुछ ऐसे सदस्य हैं जो तमिल के सिवा अन्य कोई भाषा नहीं जानते । मैं इस परेशानी वाली बात को सहन नहीं कर सकता । अगर वे इसे प्रतिष्ठा का विषय मानते हैं तो हम भी चाहेंगे कि अंग्रेजी के साथ-साथ हमें अपनी भाषा में भी अनुवाद दिया जाए । क्या लोक सभा सचिवालय तमिल-भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराने के लिये तैयार है ? मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं । स्थिति यह है कि जब उत्तर अंग्रेजी में दिया जाता है, उसका

अनुवाद साथ-साथ हिन्दी में भी हो जाता है और जब उत्तर हिन्दी में दिया जाता है, उसका अनुवाद साथ-साथ अंग्रेजी में हो जाता है। सदस्यों ने यह अनुभव कर लिया होगा कि हम लोगों की तामिल भाषा को संविधान में पूरा स्थान दिया गया है परन्तु प्रश्न-काल में उसे कोई स्थान नहीं दिया गया। इन सदस्यों का हिन्दी के लिये आग्रह करने का क्या अर्थ है ? यह बहुत बुरी बात है। मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : दोनों भाषाओं में साथ-साथ अनुवाद करने की यहां व्यवस्था की गई है। इसमें विवाद की क्या बात है ? · · (**व्यवधान**)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Re-Instatement of P and T Employees of Madhya Pradesh Suspended due to their Participation in 1968 Strike

*751. **Shri** +**Onkar Lal Berwa :**
Shri T. P. Shah :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of Posts and Telegraphs employees suspended and victimised due to their participation in September, 1968 strike in the various districts of Madhya Pradesh, district-wise, and

(b) whether Government propose to consider the cases of the said employees again and remit their punishment according to the assurance given by Government ?

The Minister of the State in Ministry of the Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is ready.

(b) Yes, Sir. It has been decided and orders have been issued that all employees whether permanent or temporary who have not so far been reinstated because of complaints against them of violence, intimidation or active instigation in connection with the last strike should now be taken back in service without prejudice to the court/departmental proceedings pending against them or to their liability for appropriate disciplinary action under the rules.

Re-Instatement of P and T Employees of Uttar Pradesh Suspended due to their Participation in September, 1968 Strike

*753. **Shri Sharda Nand :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Shri Gopal Saboo :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the district-wise number of postal employees of Uttar Pradesh who were suspended and victimised after September, 1968 strike ; and

(b) whether Government would reconsider the cases of suspended postal employees of the State and remit their punishments in view of the assurance given by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The total number of officials in Uttar Pradesh who were suspended on account of the strike was 118 and the number of temporary employees whose services were terminated was 33. The division-wise break-up of this number has been furnished in the attached statement.

(b) Yes, Sir. It has been decided and orders have been issued that all employees whether permanent or temporary who have not so far been reinstated because of complaints against them of violence, intimidation or active instigation in connection with the last strike should now be taken back in service without prejudice to the court/departmental proceedings pending against them or to their liability for appropriate disciplinary action under the rules.

Statement

Information Regarding Strike of 19th September, 1968. (DGP and T Case Mark No. 48/4/70-Disc. II)

Sl. No.	Name of the Division.	No. of permanent or Quasi-permanent officials suspended	No. of Pmtt. and Quasi-Pmtt. officials punished with details of punishment	No. of Tempy. employees discharged from service
	Postal			
1.	Lucknow	1	—	—
2.	Kanpur	21	—	1
3.	Allahabad	—	—	1
4.	Gorakhpur	1	—	—
5.	Bareilly	1	—	—
6.	Nainital	37	—	9
	RMS			
7.	'A' Divn., Allahabad	1	—	1
8.	'O' Divn. Lucknow	4	—	1
9.	'X' Divn. Jhansi	7	—	—
	Engineering Telegraphs			
10.	Meeut	5	—	—
11.	Bareilly	11	—	13
12.	Gorakhpur	4	—	—
13.	Kanpur	1	—	—
	Engineering Phones			
14.	Kanpur	6	—	—
15.	Lucknow	—	—	2
	Telegraph Traffic			
16.	Varanasi	3	—	1
17.	Bareilly	10	—	4
	Total	113	—	33

Shri N. K. P. Salve : Mr. Speaker, Sir. Is it not the responsibility of the Minister to reply in the language in which the question was put up ? Kindly give your ruling on this point. It is not proper to raise this matter here again and again.

Mr. Speaker : It is becoming difficult for me. In this House, there is provision of simultaneous translation from Hindi to English and **vice versa**. If Hon'ble Minister speaks in English, a simultaneous Hindi translation is furnished and if he speaks in Hindi, similarly an English translation is also furnished simultaneously. Therefore, this matter should not be raised in the House unnecessarily.

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री कंवर लाल गुप्त : उस प्रश्न के पश्चात ही इसे उठाया जा सकता है । अगर आप एक को अनुमति देंगे, तो फिर यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं तो यह समर्थन करने का प्रयास कर रहा हूं··· **(व्यवधान)**

श्री कंवर लाल गुप्त : आप एक गलत परम्परा स्थापित कर रहे हैं । मैं इसका सख्त विरोध करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह कहा गया है कि सूचना इकट्ठी की जा रही है । 21 दिन पहले नोटिस दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

Shri Onkar Lal Berwa : There is no point of order during Question hour. I should be allowed to ask supplementary question.

Shri Kanwar Lal Gupta : He should raise his point of order after Question hour. Shri Onkar Lal Berwa should be allowed to ask his question.

Mr. Speaker : Hon'ble Minister may also reply to Question No. 753 along with this question.

श्री वी० कृष्ण मूर्ति : उत्तर सारे सदन को दिया जाता है, किसी सदस्य विशेष को नहीं । उत्तर पूरा होना चाहिये । उत्तर सभी सदस्यों को दिया जाता है, केवल उसी सदस्य को नहीं जिसने प्रश्न किया था । उन्हें 21 दिन का नोटिस दिया गया था । उन्हें सूचना इकट्ठी कर लेनी चाहिये थी ।

Shri Sher Singh : Mr. Speaker, Sir, Information has been asked district-wise and therefore it is taking so much time. I can furnish the information for the whole state if so desired. I have figures for the whole State, but, as I have already said, it would take time to collect the information district-wise.

Shri Onkar Lal Berwa : Hon'ble Minister has said that information is being collected, we give a 21 days Notice and if information is not collected even in 21 days, it may be concluded that the Ministers believe in delaying tactics, otherwise there is no reason that they could not collect the requisite information in so much time.

I want to know the number of employees whose services have been terminated. Secondly, when the orders to reinstate them were issued and what are the reasons for not reinstating them so far ? Would you enquire into the matter ? I understand that they have not been reinstated so far.

Shri Sher Singh : I have already stated that district-wise collection of information takes time and it would be furnished to the Hon'ble Members as soon as collected. I have figures for the whole State with me. In Madhya Pradesh, there were only 23 employees who were not reinstated. Now we have issued the orders. One Hon'ble Member asked just now about the date on which it was issued. It was issued on 6th of March. The copy of Home Ministry's letter was also issued to all concerned and thereafter on 9th March, amplificatory instruction was also issued so as to make the whole position clear to them and to enable them to take suitable action on it. I understand that action has been taken at all places and if it is not done in some stray-cases it would be done very soon.

Shri Onkar Lal Berwa : The employees, whose services were terminated for participating in 19th September-Strike, should be paid salaries for full period and promotion and all other facilities should also be allowed to them. Would they get them ? If not, what the reasons for not doing so ? By what time you would allow them all the facilities ?

Shri Sher Singh : The break in the service of the employees, who participated in the strike, has now been condoned. But the period which has passed, would certainly effect their seniority. These were the instructions of the Ministry of Home Affairs and we have acted upon them.

Shri Onkar Lal Berwa : Why should it be there ? It was not their mistake. This all resulted due to the lapse on your part.

Shri Ram Gopal Shalwale : Government has done a right thing by admitting its mistake. By reinstating them it has done a right thing. Government should be congratulated for that, but the period of six months which has since passed, has created many difficulties for them. Would the Government take any action in this regard ?

Government employees go on strike daily and communist Party incite them for that purpose. Would the Government put certain restriction on these strikes—(**Interruptions**). They are agents of Pakistan and China. They should be ashamed of it. Pakistan and China are their masters. Sometimes Government employees go on strike, sometimes Bank employees and the other day postal employees had gone on strike. This not only weakens the Government, but it also goes against the employees' interest and they have to experience difficulties. Would the Government make any such restriction, so that in future Government employees may not go on strike and agents of foreign countries could not incite them.

Shri Sher Singh : Government made no mistake. Therefore, there is no question of admitting it. The employees made the mistake, even then we have treated them sympathetically.

Another thing which he said is a suggestion for action..

Shri Hukam Chand Kachwai : The 19th September strike was neither incited by communist Party nor by any foreign agent. The strike took place due to the difficulties faced by employees. There were certain demands and hence strike took place. So far as Madhya Pradesh is concerned, I remember that in reply to one of my questions, the Hon'ble Minister had stated that services of 36 persons including 26 persons from Ratlam proper, had been terminated. They had not participated in the strike on that day, but had gone to the jungle and had taken food there after cooking. The orders given by the officer were not complied with,

hence he took the vengeance. Would the Government take any action against the officer who thus took the revenge against the staff ?

Some of the innocent employee have been removed from service due to some personal reasons. Would the Government punish those guilty officers after scrutiny of the cases and re-instate such employees ?

Shri Sher Singh : There is no such information that any officer terminated the services for taking revenge or for troubling the employees. I have asked for the information regarding terminated employees in Madhya Pradesh and I have come to know that there is only one unsettled case. For that also, we have issued instructions. He would also be reinstated and thus there would be no unsettled case.

Shri Hukam Chand Kachwai : There were 26 persons only from Ratlam district out of 36 persons in whole Madhya Pradesh. Would the Hon'ble Minister enquire into the matter and take suitable action ?

Shri Kanwar Lal Gupta : Would he take any action against that officer ?

Shri Sher Singh : If Hon'ble Member gives his allegations in writing to me, I will find out the facts and take action against the officer.

Shri Sharda Nand : Mr. Speaker, Sir, I should be allowed to ask two supplementaries. The Hon'ble Minister has stated in the reply that 113 and 33 persons have been punished. How many cases were there involving violence and how many employees were charged with active instigation ?

Shri Sher Singh : A separate notice should be given for the question asking this information. I have furnished the information regarding terminated employees division-wise.

Shri Sharda Nand : The information furnished does not contain the replies to points raised by me.

Shri Sher Singh : The information asked was regarding the number of temporary employees who were terminated and also the number of permanent employees who were suspended. Both the informations have been furnished. Now a fresh Notice should be given for seeking information regarding the nature of cases.

Shri Sharda Nand : It is good that you have reinstated them, but suits filed against them have not been withdrawn. Would you withdraw the cases against them as early as possible ? The employees, who do not work according to the sweet will of the officers, are harassed on such occasions by charging them with active instigation. Would you issue the orders that employees should not be harassed in this manner in future ?

Shri Sher Singh : From time to time, we have been reviewing the cases brought forward before us. That is why we have reinstated them and we have been reinstating them. Now we have issued a general order. We have been examining all these things from time to time.

The people who were wrongly involved and in cases, where there was no valid reason have been withdrawn. The cases of violence and of instigation are pending in the court and would be decided by the courts, but we have also reinstated all of them.

Shri Bharat Singh Chauhan : When a decision has been taken that these employees should be reinstated, why there is so much delay in its implementation ? Government orders should be put into practice urgently. Has the Government taken steps in this regard also ? It has been noted very often that Government's instructions are implemented in so many months, that is why all these difficulties crop up. Would the Government ensure that its orders are implemented urgently ?

Shri Sher Singh : As I have already stated that instructions issued on 9th March, were acted upon urgently. When any stray-cases have been brought to our notice, we have issued orders in that regard. Now there are four or five unsettled cases all over the country and we are taking action in those cases also. **(Interruptions).**

Shri Shri Gopal Saboo : How many undecided cases are there in Uttar Pradesh and when a decision would be taken in that regard ?

Shri Sher Singh : Decision from which point of view ? All of them have been reinstated. There is no such employee who has not been reinstated.

श्री स० मो० बनर्जी : 2 मार्च, 1970 को इस सभा में गृह मंत्री ने यह घोषणा की थी कि 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश अथवा अन्य जगहों के कर्मचारियों की सेवा में जो व्यवधान आ गया था, उसे समाप्त कर दिया जायेगा तथा माननीय मंत्री श्री सत्यनारायण सिन्हा ने भी इस सभा को यह आश्वासन दिया था कि इस व्यवधान के कारण किसी प्रकार की पदोन्नति में रोक नहीं लगेगी, पर हमें ऐसी सूचना मिली है कि 2 मार्च, 1970 को की गई इस घोषणा के बाद 3 मार्च, 1970 को विभिन्न स्थानों पर कुछ पदोन्नतियां की गयीं पर कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों की उनके 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण उपेक्षा की गई । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा हड़ताल में भाग लेने वालों के दावों की उपेक्षा करके किये गये निर्णयों पर पुनः विचार किया जायेगा और क्या इस प्रकार की गई सब पदोन्नतियों को रद्द समझा जायेगा और फिर से नई नाम सूची बनाई जायेगी । मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री से, जो मामले से पूरी तरह अवगत हैं, आश्वासन चाहता हूं ।

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : एकाधिक बार माननीय मित्र को इस सम्बन्ध में बताया जा चुका है और मैंने उन्हें बताया था कि जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैंने आदेश जारी कर दिये थे, पर इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय से कुछ स्पष्टीकरण अपेक्षित था तथा उनसे इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : कुछ स्थायी पदोन्नतियां कर दी गई हैं, जिनके सम्बन्ध में मंत्री महोदय की सहमति अभी लेनी है । क्या उन पदों को खाली रखा जायेगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई जगह खाली नहीं है ?

श्री सत्यनारायण सिंह : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे कुछ समय और इन्तजार करें और निर्णय लेने के बाद गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण आने दें ।

Shri Shashi Bhushan : I congratulate the Hon. Minister for the decision taken to take back all the employees who took part in strike. In Madhya Pradesh the persons who did not take part in strike but it is sure that they were leaders—even the postmen were transferred to far off places. If the big officers come to Delhi, they do not go out of Delhi for 15 years. But the employees of lower catagories are transferred to far off places. I wish that they should be called back and they should be posted at places where they were working prior to the strike.

Shri Sher Singh : If the Hon. member points out some specific cases, we will surely consider them.

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, Sir, just now one member has asked about Madhya Pradesh and the other about Uttar Pradesh. The 19th September strike was all India strike. As such I want to ask about the whole of the country. This Government is not making any body their welwisher.They are dealing in the same way with everybody. The persons sitting before me had also remained Styagrahis and they had also taken part in movements. In that very way these employees started movement. This Government claim to have faith in socialism and give the slogan of socialism. I want to ask whether this minority Government will take those employees back after giving warning and will watch their activities.

Shri Sher Singh : Shri Sheo Narain has put a strange question.

Shri S. M. Joshi : To say again and again that members were at fault comes in the way of amicable relations between officers and workers. Therefore, I will request that this should not be said again and again, because it is a disputed point. In our opinion Government is cent per cent wrong. It has been stated in the statement that in U. P. in Nainital 37 permanent or quasi permanent employees were suspended and 9 temporary employees were discharged. All these cases belong to Haldwani. This statement does not show that these persons not any goondaism, on account of which they were discharged, or the officers did that due to some other reasons. Whether Government will instruct their officers that we are going to start a naw era in which there should be good relations between officers and members and therefore nothing should be done which may create misunderstanding among them ? Just now the Hon. members mentioned about the transfers of employees. I have received a telegram from Indore that many transfers has been done without any justification. Whether Government will make some satisfactory arrangement so as to have a amicable relations like past ?

Shri Sher Singh : This decision was taken with the view to have amicable and good relations, so that work may go on smoothly. Perhaps the Hon. Member does not know the details. After seeing the figure of 37 he understood that injustice has been done by some officer, but it can also happen that there the employees might have voilated the law in large number.

Shri Madhu Limaye : Long time back I wrote to Shri Satya Narayan Singh about Haldwani.

श्री नम्बियार : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल सर्किल में डाकतार विभाग के बहुत से कर्मचारियों का बर्खास्तगी और निलम्बन के बाद पुनः सेवा में लेने के तुरन्त बाद विभिन्न जगहों पर स्थानान्तरण कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिया था, तथा क्या सरकार इस तरह की प्रतिशोधात्मक कार्यवाही को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

श्री शेर सिंह : आपने प्रतिशोधात्मक कार्यवाही का जिक्र किया है । स्थानान्तरण, हो सकता है साधारण ढंग से ही किए गये हों । एक कर्मचारी के किसी जगह पर एक निश्चित समय तक काम करने के बाद उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है । परन्तु मैं इस बात का पता लगाने का प्रयत्न करूंगा कि क्या कोई ऐसे मामले हैं जिनमें प्रतिशोध की भावना से कोई कार्यवाही की गई ।

श्री एस० कन्डप्पन : मैं नहीं समझता की कोई अधिकारी अपनी प्रतिशोधात्मक कार्यवाही के बारे में मंत्री महोदय को कोई वक्तव्य देगा । उन्हें स्वयं ही इसका पता लगा कर हमें बताना होगा ।

श्री नम्बियार : मेरा कहना यह है कि समझौते के बाद एक बड़े समय तक बर्खास्त और निलम्बित रहने के पश्चात उन्हें पुनः सेवा में लिया गया, पर सेवा में आने के तुरन्त बाद उन्हें अविवेकपूर्ण ढंग से स्थानान्तरित कर दिया गया, विशेषतः उन लोगों को जो संघ के पदाधिकारी थे । यदि ऐसा हुआ है तो हम उससे क्या अर्थ निकालें ?

क्या मंत्री महोदय ऐसे मामलों की छानबीन करेंगे जिनमें संघ के पदाधिकारी फंसे हैं और ऐसे मामले फिर नहीं होंगे ?

श्री शेर सिंह : मैं इस सम्बन्ध में कार्यवाही करूंगा ।

Expansion of Tele-Communication Service in Collaboration with Japan

*752. **Shri Raghubir Singh Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Japanese delegation had visited India to study the development works in respect of tele-communication services in the country and whether the said delegation had also visited the factories, where tele-communication equipments are being manufactured in the country ;

(b) whether it is also a fact that the said delegation had talks with him regarding the expansion of tele-communication services in the country in collaboration with Japan ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The delegation paid a courtesy visit on the 5th March, 1970.

(c) The Head of the Japanese Tele-communication Team said that their country would be interested in collaborating with Indian Projects connected with the development of tele-communication services. No specific proposal as such was discussed.

Shri Raghubir Singh Shastri : I would like to ask the hon. Minister whether this delegation besides India, visited certain other countries of Asia and whether they had been there with the same objectives. The Hon. Minister has said that there was no specific discussion made with Government of India, even then, did they put fourth any positive proposal before the Government of India regarding Japanese assistance.

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : They did not put fourth any specific proposal before us. They had been to Pakistan before they came here. This was their courtesy visit. We had a discussion with them and they said that Japanese may assist us on telecommunication matters. There was no discussion on other matters with the delegation. This was a good will mission on tour.

Shri Raghubir Singh Shastri : Had they been to some other places besides Pakistan ?

Shri Satya Narayan Sinha : Probably to Thailand or they might have gone some where else but they did mention only about Pakistan.

Shri Raghubir Singh Shastri : Whether this delegation visited our telecommunication industries and after the visit, did the Government of India make any discussion with them ?

Shri Satya Narayan Sinha : They desired to visit our industries and we provided facilities therefor. They visited these industries but did not discuss any specific matter.

श्री एस० कन्डप्पन : मंत्री महोदय ने बताया है कि वे शिष्टाचार के कारण यहां आये । मैं यह जानना चाहता हूं कि इनके दौरे से पहले अथवा बाद में, क्या दूर संचार विभाग ने जापान के सहयोग से लाभ होने वाले तरीकों का मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया है ? यदि मूल्यांकन किया गया है तो यह बताया जाय कि किन तरीकों से जापानी सहयोग से लाभ प्राप्त किया जा सकता है ।

श्री सत्यनारायण सिंह : जैसाकि मैं कह चुका हूं किसी खास मामले पर विचार-विमर्श नहीं हुआ । एक सामान्य चर्चा हुई थी । अतः उन्होंने क्या मूल्यांकन किया, यह मैं नहीं कह सकता । उन्होंने जो कुछ भी कहा वह यह है कि भविष्य में यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो वे हमारी सहायता करेंगे । वे हमारी सहायता के योग्य हैं तथा सहायता देने के लिये तत्पर हैं । हमने भी कहा कि यदि ऐसा अवसर आता है तो हम उनकी सहायता का सम्मान करेंगे ।

श्री एस० कन्डप्पन : क्या हमने निश्चय किया है कि किन क्षेत्रों में सहायता की आवश्यकता है जिससे लाभ हो सके ।

श्री सत्यनारायण सिंह : ना तो उन्होंने कोई विशेष प्रस्ताव रखा और ना तो हमने पूछा । यह एक सामान्य चर्चा थी । यह मैं किस प्रकार कह सकता हूँ कि उन्होंने कुछ बातें हमारे सामने रखीं और उनका मूल्यांकन किया गया ।

Shri Amar Singh Sehgal : Did you keep any report with you regarding the discussion made with the delegation ? If so, the points of the report you kept or the points of the report furnished to you by them ?

Shri Satya Narayan Singh : Neither did they furnish nor we kept any report. No report of courtesry call is preserved.

Shri Amar Singh Sehgal : The minutes of discussions are preserved.

श्री क० लक्कप्पा : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ विभागीय अधिकारियों की सांठ-गांठ से एक जापानी फर्म की निम्नतम दर सूची की उपेक्षा कर सीधी टेलीफोन व्यवस्था के लिये निश्चित परिष्कृत दूरसंचार यंत्रों के आदेश बेल्जियम को दिये गये । इसका परिणाम यह हुआ कि ये यंत्र इस देश में ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं और दूरसंचार व्यवस्था में हमारे सम्मुख अनेकों कठिनाइयां आ रही हैं । मैं यह जानता हूं कि क्या इस व्यवस्था में कोई सुधार किया गया है । जापान वाले आदेश प्राप्त करने के लिये सरकार पर दबाव डाल रहे थे क्योंकि ये बेल्जियम की अपेक्षा परिष्कृत यंत्रों की सप्लाई अधिक सस्ते मूल्य पर कर रहे थे । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने उनसे इस विषय पर कोई चर्चा की और क्या जापान वालों ने भी यहां के दौरे की अवधि में मंत्री महोदय से बात-चीत की । क्या सरकार ने इस स्थिति का पुनरीक्षण किया है कि देश की दूर संचार व्यवस्था बेल्जियम को परिष्कृत दूर संचार

यंत्रों के लिये दिये गये आदेशों के कारण दोषपूर्ण है, और जो सामान वहां से आया है, सब बेकार है। इसका परिणाम यह हुआ है कि दूर संचार व्यवस्था बहुत बिगड़ गयी है।

श्री सत्यनारायण सिंह : प्रश्न का प्रथम भाग प्रश्न से असम्बद्ध है।

श्री क० लकप्पा : बेल्जियम तथा जापान वालों में सम्बन्ध है।

श्री सत्यनारायण सिंह : जहां तक मेरा सम्बन्ध है जो सज्जन मुझसे मिलने आये थे, उन्होंने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की।

श्री क० लकप्पा : मेरा तात्पर्य यह है कि जापान वालों ने कुछ निश्चित दरें दी हैं। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य इस मंत्रालय से वार्ता करना था। वार्ता हुई है। मंत्री महोदय सूचना को छपा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका तात्पर्य यह है कि क्या इस शिष्ट-भेंट की अवधि में गम्भीर विषयों पर चर्चा की गयी -

श्री क० लकप्पा : उनके विभाग में काम करने वाले कुछ अधिकारियों की सांठ-गांठ से यह हुआ है···(**व्यवधान**)

श्री सत्य नारायण सिंह : मुझे ज्ञात नहीं है, मैं सचिव से मालूम करूंगा कि क्या उन्होंने ऐसी कोई वार्ता की है। मुझसे उन्होंने इस सम्बन्ध में कभी कोई चर्चा नहीं की।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि जापानी शिष्ट मंडल ने हमारे देश की दूर संचार व्यवस्था की पृष्ठभूमि का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया और वे आवश्यकता पड़ने पर सहायता देने को तत्पर हैं। इस सम्बन्ध में यह बताया जाय कि क्या मंत्री महोदय के पास यह सूचना है अथवा सूचना प्राप्त की है कि संसार में दूर संचार सेवा में कौन से देश प्रगतिशील हैं, जहां इस प्रकार के परिष्कृत यंत्रों का निर्माण किया जाता है। जापानी फर्म से वार्ता समाप्त करने से पहले क्या मंत्री महोदय उन देशों से सम्पर्क करेंगे।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं माननीय सदस्य का तात्पर्य नहीं समझ पाया। यदि इस विषय में और कोई वार्ता की जायेगी तब हम समस्त संसार से दर सूची मंगायेंगे और उसके आधार पर निश्चय करेंगे।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि दूर संचार सेवा में कौन से देश प्रगतिशील हैं।

श्री सत्य नारायण सिंह : सभी को ज्ञात है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं यह नहीं मानता कि यह शिष्ट मंडल यहां केवल खान पान के लिये ही आया। यदि यह मान भी लिया जाय कि शिष्ट मंडल केवल आनन्द उपलब्धि के लिये ही आया तो मैं जानना चाहता हूं·····

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : कृपया मुझे इसको प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाय। जापान की दूर संचार व्यवस्था आधुनिक तकनीकी का चमत्कार है। मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि क्या हमने उनके दौरे से लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न किया और क्या हमने अपनी दोषपूर्ण दूर संचार व्यवस्था को सुधारने के उपाय जानने का प्रयत्न किया।

श्री सत्य नारायण सिंह : हमने इस विषय में कोई चर्चा नहीं की।

श्री ए० श्री धरन : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं। मंत्री महोदय ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। माननीय सदस्य ने बहुत संगत प्रश्न पूछा था कि उनके दौरे तथा वार्ता से सरकार किस प्रकार लाभ उठा सकती है। यदि सरकार ने कोई लाभ नहीं उठाया है तो मंत्री महोदय ने चर्चा पर क्यों समय नष्ट किया।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : सदन को बताया जाय कि क्या उन्होंने पारिवारिक विषयों पर चर्चा की···(**व्यवधान**) मंत्री महोदय इसे एक शिष्ट-भेंट बताते हैं। हमें, वार्ता के बारे में जानने का अधिकार है। (**व्यवधान**)

Shri Hukam Chand Kachwai : The Minister should reply to that.

अध्यक्ष महोदय : यह उचित ढंग नहीं है।

श्री ए० श्रीधरन : मंत्री द्वारा उत्तर न देना कोई उचित ढंग है। यदि आपने इस दृष्टांत को ऐसे ही चलने दिया तो सभी मंत्री इस मार्ग को अपनायेंगे।

श्री नम्बियार : वह उत्तर दे रहे हैं, हमें सुनना चाहिये।

श्री सत्यनारायण सिंह : श्रीमान्, क्या आपने मुझे उत्तर देने के लिये बुलाया? (**व्यवधान**) मुझे वास्तव में खेद है तथा मैं यह भी नहीं समझा कि माननीय सदस्य क्यों उत्तेजित हुये क्योंकि मैंने तो यह कहा है कि कोई वार्ता नहीं हुई।

जहां तक सामान्य लाभ का प्रश्न है जब इस प्रकार के शिष्ट मंडल विभिन्न देशों में जाते हैं तब कुछ न कुछ लाभ अवश्य होता है। (**व्यवधान**)

श्री वी० कृष्णामूर्ति : मंत्री महोदय बतायें कि किस प्रकार के लाभ हैं। क्या ये लाभ धन सम्बन्धी हैं अथवा व्यक्तिगत?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह बहुत ही अनुचित है। पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की। परन्तु जब उन्होंने कहा कि सामान्य लाभ होते हैं, तो क्या हम किसी परोक्ष और व्यक्तिवादी लाभ की बात कर रहे हैं? हमें व्यवस्था के सम्बन्ध में यह बताया जाय कि इसमें किस प्रकार का लाभ हो सकता है।

श्री सत्यनारायण सिंह : मैंने कहा है किसी विशेष प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई।

1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान फिरोजपुर जिले और तरनतारण सीमा क्षेत्र से विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास

*754. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 के पाकिस्तानी युद्ध में तरनतारण तथा फिरोजपुर जिले के सीमा क्षेत्रों से विस्थापित हुये सभी व्यक्तियों को बसा दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कुछ व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) जी, हां । तथापि यह उल्लेख करना उचित होगा कि पाकिस्तान के साथ 1965 में हुए संघर्ष के फलस्वरूप तरनतारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विभिन्न अभ्यावेदनों में की गई मांगों की विस्तृत परीक्षा की गई है और गुणावगुण के आधार पर उनका निपटारा कर दिया गया है । एक विषय पर राज्य सरकार के विचार पूछे गये हैं । राज्य सरकार के विचारों की प्राप्ति पर निर्णय लिया जायेगा ।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जानकारी को छिपाकर अपनी चतुरता दिखा रहे हैं और जो जानकारी उन्होंने दी है वह अस्पष्ट, संदिग्ध एवं महत्वहीन है । उन्होंने कहा है कि विभिन्न अभ्यावेदनों में दी गई मांगों का विस्तारपूर्वक परीक्षण किया गया है और उन्हें गुणदोष के आधार पर निपटाया गया है । हमें ज्ञात नहीं कि वे मांगें क्या थीं, उनका निपटान कब हुआ और वे गुणदोष क्या थे जिनके आधार पर उन्हें निपटाया गया । उन्होंने आगे कहा है कि एक बात पर राज्य-सरकार से राय मांगी गई है । मैं जानना चाहूंगा कि इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि खेमकरण एवं फिरोजपुर सीमा की वस्तुएं नष्ट की जा रही हैं, लूटी एवं जलाई जा रही हैं, उन वस्तुओं में मालिकों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है । जब फसलों एवं अन्य वस्तुओं के लिए मुआवजा दिया गया है तो इन व्यक्तियों को मुआवजे देने के लिए मना क्यों किया गया है और क्या सरकार उन्हें मुआवजा देने की आवश्यकता पर विचार करेगी ?

श्रम-रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : इस संघर्ष में पंजाब में लगभग 52,000 व्यक्ति बे घर हो गए थे । उन्हें विभिन्न तरीकों से सहायता दी गई । उन्हें अनुदान दिया गया तथा घर एवं दुकानें बनाने, व्यापार करने एवं कृषि के कार्य करने के लिए ऋण दिया गया । सार्वजनिक स्थानों एवं उपासना-गृहों तथा अन्य स्थानों की मरम्मत के लिए राज्य-सरकार को पैसा दिया है । दूसरी बात उन्होंने फसलों एवं पशुओं की क्षति के लिए मुआवजा न देने के बारे में पूछी है । सरकार सिद्धान्ततः युद्ध में हुई क्षति के बदले मुआवजा देने को स्वीकार नहीं करती, अतः युद्ध के समय फसलों की जो क्षति हुई, उसके लिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता, परन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा कि सरकार ने उन्हें सहायता एवं अनुग्रहपूर्वक अनुदान दिए हैं ।

Shri Randhir Singh : Why compensation should not be given to them ? How far it is justifiable that when houses collapse, compensation is given but when crops are ruined, compensation is not given.

Shri Yajna Datt Sharma : Sir, it is your constituency, you know better.

श्री श्रीचन्द गोयल : मैंने कभी नहीं सोचा था कि माननीय मंत्री इतने अनभिज्ञ होंगे। उन्हें यह पता होना चाहिए कि फसलों की क्षति के बदले मुआवजा दिया जाता है जब कि उनका कहना है कि सरकार मुआवजा देने के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करती। महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार पंजाब एवं हरियाणा से सम्बन्धित पुनर्वास विभाग को समाप्त करेगी ? वे लोग जो पश्चिमी पंजाब और विशेषतः पश्चिमी जोन से आए थे, उन्हें मकानों के बदले इस आधार पर मुआवजा नहीं दिया गया कि उनके मकान की कीमत दस हजार रुपये से कम थी और जो कोई भी भू-खण्ड उन्हें दिए गए तो उन्हें इस आधार पर मुआवजा नहीं दिया गया कि वे भू-खण्ड उनके कब्जे में नहीं थे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार पुनर्वास विभाग को समाप्त करने का विचार कर रही है और क्या सरकार उन्हें कुछ हद तक मकानों और भू-खण्डों के बदले में मुआवजा देगी ?

श्री भागवत झा आजाद : जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह स्थिति है। माननीय सदस्य मुझसे अधिक जानते हैं और इसीलिए उन्होंने सब कुछ बताया है। उन्हें स्थिति का ज्ञान है, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं। मैंने यह कहा था कि सरकार ने गृह-निर्माण के लिए अनुदान एवं ऋण दिए हैं। सरकार ने व्यापारिक कार्यों के लिए भी अनुदान एवं ऋण दिया है। सरकार ने उपासना-गृहों के निर्माण के लिए एवं अन्य ऐसे कार्यों के लिए राज्य-सरकार को अनुदान दिया है। जहां तक पशुओं के गुम हो जाने या क्षति होने तथा फसलों की क्षति होने का सम्बन्ध है, सरकार उन्हें मुआवजा देने की बात को स्वीकार नहीं कर सकती। इसका पहला कारण तो यह है कि इतने समय के बाद वस्तु-स्थिति का पता लगाना कठिन है और दूसरे यह कि इस पर बहुत व्यय होगा। अतः मुआवजा देने की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री रंगा : उन्होंने दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री श्रीचन्द गोयल : उन्होंने दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। पश्चिमी पंजाब के लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बताया कि उन्हें कुछ मुआवजा दिया गया और खेमकरण में जो वस्तुएं लूटी गईं, उसके बारे में उन्होंने बताया और पुनर्वास के लिए जो ऋण दिया गया, उसका भी हवाला दिया। अतः उसका भी अंशतः उत्तर दे दिया गया है।

श्री श्रीचन्द गोयल : मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार ऐसे लोगों को मुआवजा देने का विचार कर रही है जो पश्चिमी पाकिस्तान से हरियाणा पंजाब में आये और उन्हें इस आधार पर मुआवजा नहीं दिया गया कि उनके मकान की कीमत दस हजार रुपये से कम है। जो प्लाट उन्हें दिये गए हैं उन्हें बिना मुआवजा दिए इस आधार पर वापिस ले लिया गया है कि वे उनके कब्जे में नहीं थे।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पुनर्वास विभाग समाप्त करने से पहले उन्हें मुआवजा देगी।

श्री भागवत झा आजाद : वस्तुतः ये दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो युद्ध में हुई क्षति के सम्बन्ध में है और दूसरा प्रश्न पुनर्वास विभाग को समाप्त करने और सरकार द्वारा मुआवजे की रकम देने के सम्बन्ध में है। इसके लिए पृथक नोटिस दिया जाए।

श्री रंगा : माननीय मंत्री ने क्या उत्तर दिया है ? उन्होंने प्रश्न को समझा नहीं है। सदस्य महोदय ने कई बार प्रश्न दोहराया परन्तु माननीय मंत्री ने प्रश्न को नहीं समझा। इस प्रकार कितनी बार प्रश्न को दोहराया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें प्रश्न का उत्तर देने के लिये कहा है ।

श्री भागवत झा आजाद : शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। मैंने प्रश्न समझ लिया है।

श्री रंगा : माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या इन लोगों को, जिनके मकानों की क्षति दस हजार रुपयों की हुई थी, मुआवजा दिया जाएगा ? क्या उन लोगों को कुछ मुआवजा दिया जायगा जिनको भू-खंड दिये गये थे परन्तु वे लोग पुनर्वास विभाग समाप्त होने से पहले उस पर कब्जा नहीं कर सके थे ? क्या इन लोगों के बारे में कुछ विचार किया जाएगा ? मंत्री महोदय को इस का उत्तर देना चाहिए।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : मुझे खेद है कि प्रश्न का ठीक प्रकार से उत्तर नहीं दिया गया। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों के घरों का सम्बन्ध है, अगर कोई शरणार्थी या प्रवासी कच्चा घर बनाना चाहे तो उसे 1000 रुपये का अनुदान तथा 2000 रुपये का ऋण दिया गया। इसी प्रकार पक्के घर के लिये 2000 रुपये का अनुदान तथा 3000 रुपये का ऋण दिया गया था।

शहरी क्षेत्रों में, कच्चे घर के लिए 1000 रुपये का अनुदान तथा 2000 रुपये का ऋण दिया गया और पक्के घर के लिये 4000 रुपये का अनुदान एवं 6000 रुपये का ऋण दिया गया था। किसानों को बैलों की जोड़ी के लिये 1200 रुपये तथा बीजों एवं उर्वरकों के लिये 175 रुपये दिए गए। व्यापारियों के लिये भी ऐसा ही किया गया है। लेकिन पुनर्वास विभाग के समाप्त होने से पहले जहां भी कोई कठिनाई होगी, सरकार का कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को इसका प्रबन्ध करने के लिए कहे। जहां तक पुनर्वास पर व्यय होने का प्रश्न है, इसका भार केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

Shri Randhir Singh : Mr. Speaker, Sir, through you, I want to ask from the Hon. Minister as to whether Government considers a farmer a human being or an animal. It is evident from the reply that Government gives compensation for houses. Similarly the amount which is paid as a compensation for cattles is only one hundred or one hundred and fifty rupees when the cattle costs two thousand rupees. What it means after all? Further, one farmer was having crops worth 20 thousand rupees and other worth 50 thousand rupees, but nothing has been mentioned about this. The Jawan, who belongs to family of agriculturist gives his life for the sake of country and on other side his land is forcibly acquired by the capitalist. I want to ask what are the reasons for not giving compensation to such person? Why you ask him to give vote for you ?

श्री भागवत झा आजाद : जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रश्न का उत्तर मैं स्पष्ट नहीं कर सका । दो प्रश्न हैं, जिसमें से पहला प्रश्न युद्ध में हुई क्षति के बारे में है। मैंने कहा था उन्हें घर बनाने के लिए अनुदान या ऋण दिया गया था। मैंने यह भी कहा था कि उन्हें अनुग्रहात नकद अनुदान दिया गया था। मैंने यह भी कहा था कि फसलों की क्षति के बदले में

मुआवजा देना सरकार सिद्धान्ततः स्वीकार नहीं कर सकती । लेकिन सरकार ने फसलों के लिये अनुग्रहात नकद अनुदान दिया है । युद्ध में हुई क्षति के बदले में कोई मुआवजा नहीं दिया गया ।

Shri Randhir Singh : War damages are not required, give compensation. When compensation for houses is given then why not compensation for crops is given ? We do not want your mercy.

श्री भागवत झा आजाद : जैसाकि मैंने पहले कहा कि पशुओं की क्षति के बदले मुआवजा देना सम्भव नहीं । फसलों के लिये सरकार ने अनुग्रहात अनुदान दिया है । युद्ध में हुई क्षति के बदले में मुआवजा देना सम्भव नहीं ।

Shri Yajna Datt Sharma : Will the Hon. Minister state the number of persons who were displaced from Jammu-Kashmir and Pakistan during Indo-Pak war in 1965 and extent to which suffered loss of property in the war and whether Government have given any compensation for the war damages such as for the construction of houses which were destroyed during war and what is the residuary work to be done ? .....**(Interruption)**.

Second portion of my question is that how many public Institutions—Schools, Colleges, Haspitals, Temples etc.—were destroyed ? When Government are prepared to wind up the Rehabilitation Department, the construction of those establishments will not be possible. I want to know as to how this work will be completed by the Central Government with the collaboration of State Government ?

Shri Bhagwat Jha Azad : As I said in this conflict about 52 thousand persons were displaced in Amritsar, Jullunder, Ferozepur, Ludhiana, Gurdaspur, Kapurthalla and other places. At present every person has gone back. As I said, they have been given loans and grants to compensate them against their houses etc. which were destroyed. I will place on the Table a list showing item wise expenditure incurred.

रेचाक, पश्चिमी बंगाल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी परियोजना स्थापित करना

\+

*758. **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री दण्डपाणि :
श्री सामिनाथन् :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रेचाक में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी परियोजना स्थापित करने के पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, उक्त परियोजना पर कुल कितना खर्च होगा ;

(ग) इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार कितनी धनराशि देने के लिये सहमत हो गई है ; और

(घ) उक्त परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) प्रमुख पत्तनों पर मत्स्य बन्दरगाहों की स्थापना की योजना के अन्तर्गत, जिसके लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में प्रावधान कर लिया गया है, राय चौक में एक मत्स्य बन्दरगाह की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) इस प्रस्ताव पर खर्च होने वाली रकम का पता परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाने के उपरान्त ही लग सकेगा।

(ग) रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही परियोजना की सस्वीकृति के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत बन्दरगाह निर्माण की सम्पूर्ण लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(घ) निर्माण के सम्भावित अवधि का निर्धारण परियोजना रिपोर्ट की उपलब्धि के उपरान्त ही किया जा सकता है।

श्री चेंगलराया नायडू : मंत्री महोदय ने अपने विवरण में यह तो बता दिया है कि कलकत्ता पत्तन आयुक्त द्वारा एक विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है परन्तु यह नहीं बताया है कि कब तक तैयार हो जायेगी। सरकार मछली पकड़ने सम्बन्धी इस परियोजना में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। क्या यह परियोजना-रिपोर्ट एक, दो महीनों में तैयार हो जायेगी तथा इसके पश्चात् इसकी स्वीकृति देने में और इस परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कलकत्ता के पत्तन न्यास अधिकारियों ने यह प्राक्कलन तैयार करना है और जैसे ही प्राक्कलन तैयार हो जायेगा, इसकी मंजूरी दे दी जायेगी। मेरे विचार में इस परियोजना की मंजूरी देने में विलम्ब नहीं होगा, क्योंकि हम स्वयं ही यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी तट पर मत्स्य बन्दरगाहों का विकास हो।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या सरकार नेल्लौर जिले के निकट श्री हरिकोट के स्थान पर कोई ऐसी परियोजना स्थापित करने जा रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मुझे उनसे सहानुभूति है परन्तु मैं केवल यह बता सकता हूं कि यदि आन्ध्र प्रदेश सरकार छोटे बन्दरगाह सम्बन्धी परियोजनाएं प्रस्तुत करेगी, तो हम उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे क्योंकि छोटे पत्तनों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार शत प्रतिशत सहायता देती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में वनस्पति घी की कमी

*755. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री बाल्मीकी चौधरी :**
श्री देविन्दर सिंह गारचा : **श्री न० रा० देवघरे :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में वनस्पति घी की कमी के बारे में स्थिति का पता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके कारणों का पता लगाया है ; और

(ग) क्या सरकार ने राजधानी में वनस्पति घी की सप्लाई की स्थिति को सुधारने के लिये इस मामले को वनस्पति बनाने वाले मामलों के साथ उठाया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) यह कमी तेल के मूल्य चढ़ने के कारण कुछ फैक्ट्रियों द्वारा मार्च के दौरान विभिन्न अवधियों के लिये अपने उत्पादन में कटौती करने के कारण हुई है ।

(ग) इस मामले पर उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है और यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में सप्लाई स्थिति सामान्य हो जाएगी ।

आसाम में धान के लिये शिशुओं को गिरवी रखना

*756. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के कुछ भागों में खाद्यान्न की भारी कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विपदग्रस्त व्यक्तियों ने इस वर्ष के फरवरी मास में थोड़े से धान के लिये या तो अपने बच्चों को बेच दिया है या उनको गिरवी रख दिया है ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन महीनों में ऐसे मामलों की संख्या क्या है ; और

(घ) उस राज्य में खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जहां तक सरकार को ज्ञात है, असम में खाद्य स्थिति खासी सन्तोषजनक है ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें किसी ऐसी घटना के बारे में ज्ञान नहीं है ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Damage to Crops due to Lack of Irrigation Facilities and Drought in Hoshangabad and East Nimad, (M. P.)

*757. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that crops have been damaged due to drought and lack of irrigation facilities in Hoshangabad and East Nimad districts of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the details of the damage done ;

(c) whether it is also a fact that the said Districts or certain parts thereof have been declared as famine affected areas ; and

(d) if so, the names of the said areas ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). Information called for from the State Government is still awaited.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

रूस तथा अमेरिका द्वारा भारतीय दैनिक समाचारपत्रों तथा साप्ताहिकों को प्रचार सामग्री का वितरण

*759. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस तथा अमेरिका विभिन्न दैनिक और साप्ताहिक समाचार-पत्रों में नियमित रूप से प्रचार सामग्री प्रचारित करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रिकाओं के क्या नाम हैं जिन्होंने इस प्रकार की सामग्री प्राप्त की और उसे छापा ; और

(ग) इस प्रकार की प्रचार सामग्री छापने के लिये उनको कितना धन दिया गया ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) विदेशी दूतावासों के लिये यह जरूरी नहीं है कि वे भारत सरकार को उन समाचारपत्रों के नाम बतायें जिनको वे अपनी प्रचार सामग्री भेजते हैं ।

(ग) विदेशी दूतावासों ने प्रचार सामग्री छापने के लिये भारतीय समाचारपत्र को कितना धन दिया, इस बारे में मंत्रालय को जानकारी नहीं है । परन्तु विदेशी दूतावास भारतीय समाचार पत्रों से प्रचार अभियान के लिये विज्ञापन स्थान जरूर खरीदते हैं ।

छोटे पैमाने पर खेती को सफल बनाने के प्रयत्नों के बारे में ब्रिटिश अर्थशास्त्री के सुझाव

*760. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के प्रख्यात अर्थशास्त्री, सर जान हिक्स ने देश में छोटे पैमाने पर खेती को सफल बनाने के लिये भारी संगठनात्मक प्रयत्नों की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो त्रिदिवसीय विचार गोष्ठी में अपने अभिभाषण में उन्होंने अन्य क्या सुझाव दिये ;

(ग) क्या उन्होंने कहा है कि भूमि सुधार कार्य सम्पन्न हो जाने के पश्चात् भी केवल इसी से ही समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने उनके सुझावों पर विचार किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). "भारत में दरिद्रता की चुनौती" के सम्बन्ध में एक गैर-सरकारी संगठन, भारतीय सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित गोष्ठी की सिफारिशें अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं । अतः गोष्ठी में दिये गये विशेष सुझावों और उनके विषय में सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में बताना सम्भव नहीं है ।

केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम हावड़ा का बन्द किया जाना

*761. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम लिमिटेड, हावड़ा को घाटे में चलने के कारण बन्द करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि निगम ने विभिन्न कार्यकलापों को जैसे गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, शीतागार के लिये संयंत्र लगाना, मछलियों को मसाला लगाकर डिब्बों में बन्द करना आदि जो संस्था के ज्ञापन पत्र में उसके उद्देश्य घोषित किये गये थे, वस्तुतः कभी आरम्भ नहीं किया ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार की सहायता से निगम के कार्यकलापों को जारी रखने तथा उनका विस्तार करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये थे ; और

(घ) निगम के बन्द होने पर, फालतू कर्मचारियों को खपाने के लिये अन्य क्या व्यवस्था की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम को बन्द करने का कोई निर्णय नहीं किया गया है । परन्तु निगम के भविष्य के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) निगम के संस्था के ज्ञापन-पत्र में अनेक उद्देश्य दिये गये हैं। इनमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, शीतागारों के लिये संयंत्र लगाना तथा मछलियों का परिसंस्करण करके डिब्बों में बन्द करना शामिल है। ज्ञापन पत्र में दिया गया कम्पनी का पहला उद्देश्य "भारत और उसके निकटवर्ती तथा अन्य देशों में विभिन्न स्रोतों से मछली तथा जलीय उत्पादों का आसादन करना, उनके परिरक्षण, परिवहन तथा भण्डारण के लिए प्रबन्ध करना और उनकी प्रत्यक्ष या एजेन्टों के माध्यम से भारत के किसी स्थान पर और विशेषकर कलकत्ता में, थोक या खुदरा बिक्रय करना, जिससे कि भारत में उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करने और इसे उपभोक्ताओं को उचित दर पर उपलब्ध करने को सुनिश्चित किया जा सके।" निगम ने मुख्य रूप से कलकत्ता में सप्लाई के लिये विभिन्न स्रोतों से मछली प्राप्ति के पहले उद्देश्य को अपनाया। इसने अनेक जलाशयों के विकास का कार्य भी आरम्भ किया था। इसने अपने कार्यकलापों को मत्स्य विकास के अन्य क्षेत्रों तक नहीं बढ़ाया है।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार निगम की हिस्सेदार है और इसे निदेशकों के मण्डल में प्रतिनिधित्व दिया गया है। निगम का कार्य पश्चिम बंगाल और अन्य हिस्सेदार राज्यों के भी सहयोग से किया गया है। निगम के कार्यकलापों का आगे और विस्तार करना ठीक नहीं समझा गया है।

(घ) अधिशेष कर्मचारियों को समाहृत करने हेतु विशेष प्रबन्ध केवल तभी किए जा सकते हैं जबकि निगम को समाप्त करने का निर्णय किया जाए। परन्तु, निगम के बन्द होने पर प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को उनके मूल संगठनों में वापिस भेज दिया जाएगा और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को नियमानुसार वैकल्पिक नौकरियां प्राप्त करने में उच्च प्राथमिकता दी जायगी।

विशाखापत्तनम में मत्स्यपालन घाट का निर्माण

*762. **श्री अदिचन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित वाह्य विशाखापत्तनम पत्तन में मत्स्यपालन घाट के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत तथा उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) मुख्य पत्तनों पर मत्स्य बन्दरगाहें बनाने के बारे में, जिसके लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में एक मुश्त व्यवस्था की गई है, विशाखापटनम सहित कई बन्दरगाहों पर अन्वेषण किये जा रहे हैं।

(ख) विशाखापटनम की वाह्य बन्दरगाह पर प्रस्तावित मत्स्य बन्दरगाह बनाने के लिये बन्दरगाह के अधिकारी परिवहन मन्त्रालय और राज्य सरकार की सलाह से एक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। भारत सरकार ने परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और उसकी जांच

करने के लिये 1.50 लाख रुपये की राशि मंजूर की है। मत्स्य बन्दरगाह के लिये अनुमानतः लागत और ब्यौरा, रिपोर्ट के पूछे जाने पर उपलब्ध होंगे।

(ग) सरकार परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध होने के पश्चात् योजना के अधीन विशाखापटनम में एक मत्स्य बन्दरगाह मंजूर करने की सम्भावना पर विचार करेगी।

सम्पत्ति के निपटारे के बारे में समाचार भारती और सरकार के बीच करार

*763. **श्री शिव चन्द्र झा :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार भारती समाचार एजेन्सी तथा सरकार के बीच कोई करार हुआ था कि समाचार एजेन्सी सरकार की विशिष्ट अनुमति के बिना अपनी किसी सम्पत्ति को न तो गिरवी रखेगी, न बेचेगी और न ही बन्धक रखेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रावधान का बहुत मामलों में उल्लंघन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं (समाचार एजेन्सी के सचिव द्वारा इस मामले में मन्त्रालय को भेजे गये 28 मार्च, 1970 के पत्र के विषय के अनुसार)।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

प्रबन्धक-श्रमिक सम्बन्धों में सुधार लाने के लिये शक्तिशाली मजदूर संघों सम्बन्धी योजना

*764. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगपति और भारतीय कर्मचारी फेडरेशन के प्रधान श्री नवल एच० टाटा ने 17 जनवरी, 1970 को प्रबन्धक श्रमिक सम्बन्धों में सुधार लाने हेतु शक्तिशाली मजदूर संघ तथा संगठन और कर्ममारी निकाय बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि मजदूर संघों को एक उच्च-स्तरीय निकाय स्थापित करना चाहिये लेकिन यह संगठन केवल श्रमिकों का होना चाहिए और उसमें राजनीतिज्ञ नहीं होने चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में विशेषकर देश में स्थित सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). कतिपय समाचार-पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उसके अतिरिक्त, सरकार के पास इस विषय में और कोई सूचना नहीं है ।

खाद्य तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका से सहायता

*765. **श्री रा० की० अमीन :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने कृषि क्रान्ति के समान भारत में खाद्य तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहायता की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1970 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जब भी अमेरिकन सरकार की ओर से ऐसा प्रस्ताव आयेगा उस पर विचार किया जायेगा ।

सड़क परिवहन उद्योग के बारे में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के विचार

*766. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस ने केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा सड़क परिवहन उद्योग के बारे में की गई मजूरी सम्बन्धी सिफारिशों का पुनर्वलोकन करने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) इस बारे में कुछ समय पहले समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए थे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । मजूरी बोर्ड की सिफारिशें सर्व-सम्मत थीं और सरकार द्वारा 2 फरवरी, 1970 को स्वीकार कर ली गई हैं ।

पंजाब के लिये टेलीविजन व्यवस्था

*767. **श्री यशपाल सिंह : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंजाब में एक टेलीविजन केन्द्र की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक किया जायगा ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजरात) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Short Supply of Telephone Material by Indian Telephone Industries and its Effect on Development of Meerut Division

*768. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Telephones Industries Ltd., Bangalore is not able to meet the increasing demand of telephones in the country and that further development thereof has been blocked ;

(b) if so, the steps being taken to remove the said bottleneck ; and

(c) if not, the reasons for which the material is not being supplied to Meerut Division for development ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha): (a) and (b). Yes. It would, however, not be correct to say that further development of the capacity of the Indian Telephone Industries Limited has been blocked. The Indian Telephone Industries Ltd., are progressively increasing their production capacity of telephone instruments and other telecommunication equipment. It has also been decided to set up a new factory for the manufacture of long distance transmission equipment at Naini near Allahabad. The question whether additional factories for the manufacture of telephone instruments and exchange equipment are to be set up is under the consideration of Government.

(c) Further expansion of exchange capacities in Meerut Division as elsewhere in India will depend on the over-all position of financial and material resources available for such expansion in the country as a whole.

पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक मजदूरों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता

*769. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्रों में इस बात

पर मतभेद उत्पन्न हो गया है कि मजदूरों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता तथा बिगड़ती हुई विधि तथा व्यवस्था की स्थिति से उत्पन्न अनिश्चितता को देखते हुए उन्हें क्या रवैया अपनाना चाहिए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार को इन भावनाओं से अवगत करा दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). पश्चिमी बंगाल की सरकार ने, यह सूचित किया है कि ऐसे मत-भेदों के सम्बन्ध में उनके पास कोई सूचना नहीं है । लेकिन, श्रमिकों की बेचैनी और राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति के बारे में रिपोर्टें मिली हैं । इस सम्बन्ध में राज्य अधिकारियों ने कार्यवाही करनी है ।

उर्वरक के उपयोग में गतिरोध को दूर करने हेतु उर्वरक ऋण गारंटी निगम की स्थापना

*770. **श्री रवि राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक विशेषज्ञ समिति ने देश में उर्वरक के उपयोग में गतिरोध के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस समस्या को हल करने के लिये उक्त समिति ने उर्वरक ऋण गारंटी निगम की स्थापना की सिफारिश की है ; और

(ग) सरकार ने विशेषज्ञ समिति के निर्णय को क्रियान्वित करने हेतु क्या कार्य-वाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) देश में उर्वरक उत्पादकों के एक संगठन 'भारतीय उर्वरक संघ' द्वारा नियुक्त उर्वरक ऋण समिति ने उर्वरक विपणन के लिए ऋण की आवश्यकताओं, प्रबन्ध तथा संसाधनों आदि के विभिन्न पक्षों पर विचार किया था ।

(ख) कथित समिति ने उर्वरक ऋण प्रत्याभूति निगम की स्थापना की सिफारिश की है, ताकि उर्वरक व्यापारियों को ऋण सरलता और सुगमता से प्राप्त हो सके ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ को भारत द्वारा चन्दा

*771. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ को अब तक कितना चन्दा दिया है ; और

(ख) इस संगठन से भारत को पिछले तीन वर्षों में क्या लाभ प्राप्त हुए हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) भारत ने पिछले आठ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ को 4,37,872-4-4 पौण्ड का अंशदान दिया है।

(ख) अपेक्षित सूचना प्रदान करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान इस संघठन द्वारा भारत को प्रदान किये गये लाभ

अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ से अपने सम्बन्ध के कारण गत तीन वर्षों में भारत को जो लाभ प्राप्त हुए हैं, वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

(1) भारत के 3710 आवृत्ति-उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के पास पंजीयित कराये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की सदस्यता से, अन्य सदस्य देशों के परिचालनों से होने वाले हानिप्रद अन्तरायों के विरुद्ध, हमारे बेतार-उपयोगों को अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्राप्त हो जाती है।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से अहमदाबाद में एक प्रायोगिक उपग्रह-संचार भू-केन्द्र की स्थापना। 6,17,000 डालर की सहायता प्राप्त हुई है ; साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने इस केन्द्र की स्थापना तथा हमारे इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिये विशेषज्ञ भी उपलब्ध किये हैं। यह केन्द्र अब भारत तथा अन्य देशों जैसे अफगानिस्तान, कुवैत, कोरिया गणराज्य, नाइजीरिया, मलयेशिया, सिंगापुर, जेकोस्लोवाकिया आदि के इंजीनियरों तथा प्रविधिज्ञों को प्रशिक्षण देने में निरत है। यह केन्द्र 1972 में उस समय भी काम में लाया जायेगा जब कि अणु-ऊर्जा विभाग द्वारा अमरीका के "नासा" के सहयोग से, उपग्रह से प्रसारणों के प्रयोग किये जायेंगे।

(3) दूरसंचार सम्बन्धी विभिन्न सामयिक विषयों पर संगोष्ठियां आयोजित करने के अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ हमारे इंजीनियरों को, अधिक उन्नत देशों जैसे अमरीका, ब्रिटेन, जर्मन संघीय गणराज्य आदि में, विभिन्न आधुनिक दूरसंचार प्रविधियों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के वास्ते शिक्षावृत्तियों के रूप में सुविधाएं उपलब्ध करता है।

(4) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित सम्मेलनों में भारत के भाग-ग्रहण ने भारत को यह लाभ प्रदान किया है कि उसके विचार रेडियो विनियमों और टेलीफोन तथा तार विनियमों में समाविष्ट हो सके हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हमारे दूरसंचार उद्योगों के विकास में यह बहुत सहायक रहा है। इसके परिणामस्वरूप दूसरे देशों को बेतार-संचार-उपस्करों के निर्यात की दिशा में भी शुभारम्भ हो सका है।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की पत्रिका तथा अन्य प्रकाशनों द्वारा अधुनातन दूरसंचार विकासों के विषय में सूचना की प्राप्ति।

(6) "इकाफे" क्षेत्र में, जिसमें भारत शामिल है, नये दूरसंचार सम्पर्कों के विषय में पूर्व-निवेश सर्वेक्षणों तथा संभाव्यता-अध्ययनों के कार्य में सहायता।

मध्य प्रदेश में पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये रोजगार की व्यवस्था

*772. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विभिन्न शिविरों में रहने वाले पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये पूरे रोजगार की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). स्थानों को समतल करने, सड़कों के निर्माण, भवनों के निर्माण इत्यादि जैसे अस्थाई रोजगार के अतिरिक्त, सरकार की सामान्यतः यह नीति नहीं है कि शरणार्थियों को उनके शिविरों में आवास की अवधि में पूरा रोजगार प्रदान किया जाये। शरणार्थी केवल अस्थाई उपाय के रूप में शिविरों में तब तक रखे जाते हैं, जब तक कि उन्हें उनकी व्यवसायिक श्रेणी के अनुसार आवश्यक पुनर्वास सहायता प्रदान नहीं की जाती—जैसे कि कृषि परिवारों को भूमि पर बसाया जाता है और गैर-कृषि परिवारों को छोटे-मोटे व्यापारियों, जुलाहों इत्यादि के रूप में बसाया जाता है।

दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिये कार्यालय भवन तथा रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण

*773. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्यालय की इमारत तथा कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि 19 लाख से भी अधिक रुपया प्लाटों के अर्जन में फंसा हुआ है और उस धन पर ब्याज की बड़ी हानि हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो ब्याज के रूप में कितनी वास्तविक हानि हुई तथा इस गम्भीर अनियमितता के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). कर्मचारी भविष्य निधि का प्रशासन केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय की इमारत तथा कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिये दिल्ली में भू-खण्ड अलाट किये हैं। दोनों प्लाटों के बारे में सम्बन्धित प्राधिकरणों को उनके नियमानुसार अग्रिम अदायगी की जा चुकी है। चूंकि अभी कुछ औपचारिकताओं की पूर्ति की जानी है, इसलिए संगठन ने प्लाटों का कब्जा नहीं लिया है।

यद्यपि जो देरी हुई है वह बदकिस्मती से है, तो भी सरकार को इस बात की तसल्ली है कि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता था। संगठन को प्लाटों का यथाशीघ्र कब्जा दिलाने के लिये आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

विश्व के मामलों में आकाशवाणी का योगदान

*774. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और विश्व के मामलों के बारे में आकाशवाणी द्वारा किये जाने वाले कार्य का अध्ययन किया गया है या करने का विचार है ;

(ख) गत वर्ष से और उससे पहले वर्ष में इन विषयों पर देशवार कितनी वार्ताएं प्रसारित की गई थीं ;

(ग) वार्ता कार्यक्रम में कुछ देशों की उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस क्षेत्र में आकाशवाणी के कार्य में सुधार करने के लिये कार्यवाही करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा विश्व के मामलों पर वार्ताएं महत्वपूर्ण घटनाओं पर भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने तथा अन्य देशों से सम्बन्ध बढ़ाने के लिये प्रसारित की जाती हैं, इस कारण किसी देश की उपेक्षा करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विश्व मामलों में बदलती हुई परिस्थितियों की पूर्ति के लिये वैदेशिक तथा घरेलू सेवाओं में सुधार तथा परिवर्तन करने पर बराबर पुनर्विलोकन किया जाता है।

अभ्रक का निर्यात और अभ्रक उद्योग में कर्मचारियों की मजूरी

*775. **श्री मधु लिमये** : क्या **श्रम, तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक के निर्यातकों को अभ्रक का निर्यात बढ़ाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या खान के मालिकों ने खान के मजदूरों की मजूरी न बढ़ाये जाने का कारण यह बताया है कि निर्यात से होने वाली आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या श्रम मंत्रालय ने मजूरी बढ़ाने के विचार से अभ्रक निर्यातकों को उत्पादन शुल्क में कमी करने अथवा नकद प्रोत्साहन आदि जैसे प्रोत्साहन दिये जाने की सिफारिश की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो मजदूरों के हितों का ध्यान रखते हुए इस प्रकार की कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) कई एक कारणों से अभ्रक निर्यातों के रुख में ह्रास होने की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) ये बातें न्यूनतम मजूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनयम मजूरी की अदायगी से सम्बन्धित नहीं हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

आसनसोल कोयला खानों में साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) द्वारा उत्पन्न स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये एक सरकारी दल का भेजा जाना

*776. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल कोयला खानों में साम्ययादी दल (मार्क्सवादी) द्वारा मजदूर संघ को अपने पक्ष में कर लिये जाने से उत्पन्न स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये सरकार ने एक अधिकारी भेजने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या उपर्युक्त निर्णय के अनुसार किसी अधिकारी को आसनसोल भेजा गया है ;

(ग) यदि हां, तो सरकारी दल को क्या निर्देश पद दिये गये हैं ; और

(घ) क्या उपर्युक्त दल ने इस बीच कोई प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो दल को भेजने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). कार्य-कारी मुख्य श्रमायुक्त को 3 मार्च, 1970 को आसनसोल कोयला खनन क्षेत्र में वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने विशेषत: बेनालीकोयला खान के श्रमिकों के विरोधी-दलों में हाल ही में हुई टक्कर के सम्बन्ध में जांच करने और 26 जनवरी से बन्द हुई इस कोयला खान में पुन: कार्य शुरू करवाने के लिये भेजा गया।

(घ) इस अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारियों से कई बार विचार-विमर्श किया और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि कानून व व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। उन्होंने बेनाली कोयलाखान के प्रबन्धकों व श्रमिक प्रतिनिधियों से भी विचार-विमर्श किया। प्रबन्धकों ने तालाबन्दी उठा दी और 9 मार्च, 1970 से कोयलाखान पुन: चालू हो गई।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

*777. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विधि विशेषज्ञों ने मंत्रालय को हाल ही में सलाह दी है कि केवल केन्द्रीय सरकार ही संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर सकती है ;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञों की सलाह की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का अब चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है ; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के अपने वैधानिक अधिकार के अतिरिक्त क्या सरकार ने राष्ट्रीय दृष्टि से राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता के औचित्य को सिद्ध करने के लिये उद्योग के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो अविलम्ब राष्ट्रीयकरण के औचित्य के सिद्ध करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) से (ङ). सरकार ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में उसके कार्यचालन का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है । समिति अन्य बातों के साथ-साथ चीनी उद्योग के लाभालाभ की जांच भी करेगी । समिति के गठन और उसके विचारार्थ विषयों को अन्तिम रूप देने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

बारानी खेती के विकास के लिये फ्रांस के साथ करार

*778. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारानी खेती के विकास के लिये फ्रांस सरकार के साथ कोई करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये राजस्थान को जिसको बारानी खेती के विकास की सबसे अधिक आवश्यकता है, चुना गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) फ्रांस की सरकार ने विशेष कर आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में शुष्क खेती विषयक भारत-फ्रांस सहयोग परियोजना के लिये सहायता देने की पेशकश की थी । यह पेशकश एक विशेष क्षेत्र के सम्बन्ध में थी । अत: भारत सरकार ने राज्य सरकार के परामर्श से इस पर विचार किया था । एक संयुक्त परियोजना के लिये 11 मार्च, 1970 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि फ्रांस की सरकार की पेशकश एक विशेष क्षेत्र के सम्बन्ध में थी, जहां उनके विशेषज्ञों ने पहले कुछ अनुसंधान तथा समन्वेषण के कार्य किये थे और इसलिए भी कि 1969-70 तथा 1970-71 के वर्षों के लिए पहले दोनों सरकारों द्वारा हस्ताक्षर किये गये भारत-फ्रांस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम में अनन्तपुर जिले में सहयोग के लिये उल्लेख किया गया था।

वनस्पति घी के उत्पादन तथा मूल्य का पुनर्विलोकन

*779. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1970 से वनस्पति के मूल्यों के पाक्षिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था को बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि तेलों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं जिसके परिणाम-स्वरूप निर्माताओं का लाभ बहुत कम रह गया है ;

(ग) क्या तेलों के अधिक मूल्यों के कारण निर्माताओं ने वनस्पति का उत्पादन कम कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो वनस्पति का उत्पादन बढ़ाने और तेलों की कीमतें कम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) अब दो महीने के अन्तराल में मूल्य में परिशोधन करने का विचार है बशर्ते कि किसी पखवाड़े में कच्चे माल के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती है।

(ख) मार्च के प्रारम्भ में मूंगफली तेल के मूल्य में कुछ वृद्धि हुई थी लेकिन मूल्यों में गिरावट का रुख आने लगा है। निर्माताओं का लाभ तेल के मूल्यों में बढ़ोत्तरी या गिरावट के साथ सीधे सम्बद्ध नहीं हैं।

(ग) जी हां। पता चला है कि विभिन्न अवधियों के लिए कुछ फैक्ट्रियों ने उत्पादन में कटौती की है।

(घ) इस मामले पर उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गयी है और यह आशा की जाती है कि बहुत निकट भविष्य में उत्पादन सामान्य-स्तर पर होने लगेगा। कड़े उधार नियन्त्रण के माध्यम से तेलों के मूल्यों में सट्टे बाजी की प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिये पग उठाये गये हैं।

कृषि उत्पादन, छोटी सिंचाई तथा भूमि-विकास के लिये उत्तर प्रदेश को सहायता

*780. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में छोटी सिंचाई तथा भूमि-विकास सहित कृषि उत्पादन के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई सहायता का ब्योरा क्या है ;

(ख) इस प्रयोजना हेतु उक्त अवधि तथा 1970-71 के लिए इस सरकार ने वास्तव में कितनी सहायता मांगी थी ; और

(ग) 1969-70 के लिये उक्त मांग पर केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं के लिये सहायता के रूप में कितनी धनराशि मंजूर की ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य सरकारों को उनकी प्लान स्कीमों के लिये केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त करने की प्रक्रिया में 1969-70 से संशोधन कर दिया गया है। अब राज्य सरकारों को सफल रूप से वार्षिक योजना के लिये ब्लाक ऋण तथा अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है और इसका किसी अलग योजना अथवा कार्यक्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की 1969-70 की वार्षिक योजना के लिए 94.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता निर्धारित की गई है। इसमें से राज्य को उनके व्यय के आंकड़ों के आधार पर 90.88 करोड़ रुपये की सहायता निर्मुक्त की गई है। वर्ष 1970-71 के लिये सहायता की मात्रा को अभी अन्तिमरूप दिया जाना है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता तथा इसको दूर करने के उपाय

4801. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को दी गई वित्तीय सहायता के बावजूद ये लोग अभी भी बड़े पैमाने पर ऋणग्रस्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये कि छोटे किसान तथा खेतिहर मजदूर किस हद तक ऋणग्रस्त हैं ; राज्य सरकारों के परामर्श से अथवा अपनी ओर से कोई अध्ययन कार्य आरम्भ किया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस राज्य का नाम क्या है जिसमें सबसे अधिक लोग ऋणग्रस्त हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना में इस ऋणग्रस्तता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) देश में खेतिहर मजदूर की औसतन प्रति व्यक्ति आय कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। यह ठीक है।

(ख) ग्रामीण ऋण संवीक्षा समिति ने हाल में ही ग्रामीण ऋण की पूर्ण स्थिति का अध्ययन शुरू किया है। फिर भी छोटे कृषकों और कृषि श्रमिकों की ऋणग्रस्तता के बारे में विशिष्ट पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सन् 1961-62 में सबसे अधिक प्रति परिवार ऋणग्रस्तता (रु० 800.4) राजस्थान में थी तत्पश्चात पंजाब (रु० 797.8), मैसूर (686.8), मद्रास (रु० 628.8), गुजरात

(रु० 542.6) और आंध्र प्रदेश (रु० 525.8) की बारी आती है। अन्य राज्यों में प्रति परिवार की ऋणग्रस्तता उस वर्ष में प्रति परिवार औसत 406.3 रुपये से कम थी । सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों आदि विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से कृषि के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ कदम उठाये गये हैं और कुछ इस समय उठाये जा रहे हैं। छोटे कृषकों, तथा उप सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों की सहायता के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में एक विशेष योजना शामिल की गई है ताकि मिश्रित फार्मिंग और अन्य धंधों के माध्यम से ऐसे लोगों की आय में वृद्धि की जा सके ; और

(घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 18 वें दौर से पता चला कि थोक मूल्यों के आधार पर प्रति कृषि श्रमिक परिवार की वार्षिक औसत आय 1963-64 में 660.19 रु० थी जबकि 1956-57 में यह आय 385.38 रुपये थी।

विभिन्न राज्यों में गेहूं के मूल्य में वृद्धि

4802. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री मयाबन :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ राज्यों में हाल ही में गेहूं के मूल्यों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां मूल्यों में वृद्धि हुई है और वर्ष 1969 के पिछले 6 महीनों की तुलना में इस वर्ष जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने मूल्य कम करने के लिये इन राज्यों को बड़ी मात्रा में गेहूं भेजी है ; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त राज्यों में मूल्यों में कितनी कमी हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। गेहूं पैदा करने वाले राज्य बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जनवरी से मार्च, 1970 के मध्य की अवधि में गेहूं के मूल्यों में बढ़ोत्तरी देखी गयी थी।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3061/70]**

(ग) जी हां।

(घ) मार्च, 1970 के दूसरे पखवाड़े के दौरान इन राज्यों में मूल्यों में आमतौर पर गिरावट आयी अथवा स्थिर हो गए जैसा कि भाग (ख) में दिये गये विवरण से विदित होगा।

पालाना कोयला खान में श्रमिकों की छंटनी

4803. **श्री प० ला० बारुपाल :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालाना कोयला खान में श्रमिकों की बड़े पैमाने पर छंटनी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) पालाना कोयला खान के कार्यालय द्वारा नोटिस किस तारीख को जारी किये गये थे ; और

(घ) क्या प्रबन्धकों द्वारा ऐसी कार्यवाही किये जाने से पूर्व श्रमिकों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया था ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) स्वतः गर्म होकर बार-बार आग लग जाने के कारण यह खान अलाभकारी सिद्ध हुई और इसलिए बन्द कर दी गई।

(ग) 20 नवम्बर, 1969।

(घ) जी, नहीं।

1973-74 तक ह्वील ट्रैक्टरों, शक्तिचालित हलों और करालर ट्रैक्टरों की मांग

4804. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973-74 तक ह्वील ट्रैक्टरों, शक्ति चालित हलों तथा करालर ट्रैक्टरों की वर्षवार अनुमानतः कितनी मांग होगी ; और

(ख) इस मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सन् 1973-74 तक ह्वील-ट्रैक्टरों, शक्ति चालित हलों तथा करालर ट्रैक्टरों की वर्षवार अनुमानित मांग नीचे दी गई है :—

(i) **ह्वील-ट्रैक्टर तथा शक्ति चालित हल**

	कुल मांग	
वर्ष	ह्वील-ट्रैक्टर	शक्ति चालित हल
1969-70	70,000	20,000

1970-71	70,000	30,000
1971-72	75,000	40,000
1972-73	80,000	60,000
1973-74	90,000	80,000
योग	3,85,000	2,30,000

(ii) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान करालर ट्रैक्टरों की प्रतिवर्ष औसत मांग 1,000 होगी तथा 1973-74 में 1,400 ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी ।

(ख) (i) **ह्वील-ट्रैक्टर**

प्रतिवर्ष 30,000 ह्वील-ट्रैक्टरों के लिये औद्योगिक लाइसेंस पहले ही जारी किये जा चुके हैं । प्रतिवर्ष 68,000 ह्वील ट्रैक्टरों के लिये आठ नई योजनायें सिद्धांत रूप से स्वीकृत की जा चुकी हैं और इस समय प्रतिवर्ष 43,000 ह्वील ट्रैक्टरों के लिये पांच अतिरिक्त योजनायें विभिन्न अवस्थाओं में विचाराधीन है ।

(ii) **शक्ति चालित हल**

प्रतिवर्ष 3,000 शक्ति चालित हलों की एक योजना के लिये पहले ही लाइसेंस दिया जा चुका है । यह एकक 1965 से उत्पादन कार्य कर रहा है । 23,000 शक्ति चालित हलों के सम्बन्ध में तीन नई योजनायें भी स्वीकृत की जा चुकी हैं और उनमें से एक एकक ने प्रतिवर्ष 12,000 शक्ति चालित हलों की अपनी योजना को वापस ले लिया है अतः इस योजना को निर्मुक्त किया गया एकस्व-पत्र रद्द किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, प्रतिवर्ष 25,000 शक्ति चालित हलों के लिये दो और योजनायें सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई हैं और प्रतिवर्ष 15,000 शक्ति चालित हलों के लिये दो अन्य योजनायें विभिन्न अवस्थाओं में विचाराधीन हैं ।

(iii) **करालर-ट्रैक्टर**

प्रतिवर्ष 1,000 करालर ट्रैक्टरों की क्षमता के लिये चार फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं ।

मांग की तुलना में आपूर्ति में होने वाली कमी को पूरा करने के लिये विदेशी मुद्रा की उपलब्ध सीमा तक आयात किया जायेगा ।

प्रोटीन खाद्य के रूप में लेथीरस सतीवा (तिवदा दाल) का प्रयोग

4805. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिवदा दाल के नाम से प्रसिद्ध लेथीरस सतीवा को जिससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों को लकवा हुआ है, उबालने तथा उचित ढंग से सुखाने के पश्चात् उसका आटा बनाकर उसको प्रोटीन खाद्य के रूप में उपयोग किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) उन वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं जिन्होंने "दाल" का इस प्रकार उपयोग करने की सरकार को सलाह दी है; और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये कि 'दाल' अच्छी है, किये गये तजुर्बों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस बात को जानते हुए कि इसके प्रभाव खतरनाक हैं, क्या इस प्रकार का 'प्रोटीन' खाद्य उपभोग योग्य है; और

(घ) बड़े पैमाने पर इस 'दाल' की खेती को जारी रखने हेतु अस्पष्ट, असंतोषजनक तथा कूट वैज्ञानिक बहाने ढूंढने की बजाय इस जहरीलो 'तिवदा दाल' के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने में सरकार द्वारा विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) भारतीय औषधि अनुसन्धान परिषद की पोषक अनुसन्धान प्रयोगशाला ने पता लगाया है कि तिवदा दाल (लेथीरस सतीवुस) में विद्यमान न्यूरोटौक्सिक रासायनिक तत्व जल में घुलनशील है । अतः यदि थिवदा की फलियों को उबाल कर रात भर भीगा रहने दिया जाय और तरल पदार्थ को फेंक दिया जाये, तो दाल को हानिकारक रसायन से मुक्त किया जा सकता है ।

(ख) यह अनुसन्धान कार्य भारतीय औषधि अनुसन्धान परिषद् की पोषक अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद में, संस्थान के निदेशक डा० सी० गोपालन और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

(घ) यद्यपि यह ज्ञात है कि थिवदा दाल की अधिक मात्रा में निरन्तर खपत से मनुष्यों को चटरी-मटरी रोग (लैथीरिजम) हो जाता है, किन्तु इस फसल की कृषि पर प्रतिबन्ध लगाने में काफी कठिनाइयां हैं । प्रथम समस्या थिवदा दाल के स्थान पर किसी उपयुक्त वैकल्पिक फसलों का निर्धारण है । लैथेरस का पौधा बड़ा सख्त होता है और चावलों की फसल के अन्त के समय में जब इसे चावलों के खेत में बोया जाता है यह बड़ी सुन्दरता से बढ़ता है । दाल के अतिरिक्त, इससे चारे का भी काफी उत्पादन होता है । लैथेरस के समान ही कुछ और उपयुक्त पौधों का ऐसी परिस्थितियों में उत्पादन करने के लिये पता लगाया गया है । यहां यह भी उल्लेख कर दिया जाये कि भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में लैथेरस की ऐसी किस्में विकसित करने के लिये कुछ अनुसन्धान कार्य किया गया है, जिनमें न्यूरोटौक्सिक रसायन तत्व पूर्णतः अनुपस्थित हैं । अथवा बहुत ही अल्प मात्रा में हैं । जो भी आशाप्रद परिणाम विकसित किए गये हैं अभी परीक्षाधीन हैं । आशा है कि निकट भविष्य में ऐसी किस्में प्राप्त हो जायेंगी जिन की कृषि सुरक्षा-पूर्वक की जा सकेगी ।

भारत के खाद्य निगम द्वारा बीज साफ करने का संयंत्र स्थापित किया जाना

4806. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के खाद्य निगम द्वारा दौराला में स्थापित किये गये संयंत्र पर कितनी लागत आई है ;

(ख) उक्त संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या भारत के खाद्य निगम का विचार अन्य राज्यों में भी ऐसे ही संयंत्र स्थापित करने का है और यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने दौराला में बीज साफ करने का कोई भी संयंत्र स्थापित नहीं किया है ।

(ख) से (ग) . प्रश्न नहीं उठते ।

उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग और उसके बुरे प्रभाव

4807. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "ब्रिटिश बर्डस्" नामक पत्रिका में राबर्ट हडसन द्वारा प्रकाशित इस चुनौती की ओर दिलाया गया है कि कृषि में विषाक्त रसायनों के प्रयोग पर अनिवार्य जल सप्लाई को गन्दा करने के व्यापक संदर्भ में विचार करना चाहिये ;

(ख) रासायनिक उर्वरकों के नाम क्या हैं और विभिन्न फसलों के लिये फसलवार उनका और खाद का अनुपात कितना होता है ;

(ग) क्या उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग करने के बारे में किसानों को सतर्क किया गया है और उन्हें प्रशिक्षित किया गया है ; यदि हां, तो किस प्रकार और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उर्वरकों के बुरे प्रभावों के सम्बन्ध में किसानों से कितनी तथा किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) उल्लिखित विशिष्ट लेख तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं और उपलब्ध किया जा रहा है । हां, रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के बारे में समय-समय पर विभिन्न विचार प्रकट किये गये हैं ।

(ख) भारत में बड़ी संख्या में रासायनिक उर्वरक जसे यूरिया, अमोनियम सलफेट, नाइट्रेट, कैलसियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड डायामोनियम फासफेट, अमोनियम फासफेट, कम्पलैक्स (एन० पी० के०) उर्वरक, नाइट्रोफासफेट, सुपरफासफेट म्युरियेट आफ पोटाश, सलफेट आप पोटाश आदि, प्रयोग में लाये जाते हैं । कृषकों को सलाह दी जाती है कि वे रासायनिक उर्वरक के साथ गोबर की खाद या कम्पोस्ट का भी प्रयोग करें । क्रमशः यह सिफारिश की जाती है कि गोबर की खाद के 40 मीटरी टन का प्रयोग अमोनिया के सलफेट के प्रति मीटरी टन के लिये होना चाहिये, जो नाइट्रोजन के आधार पर 1 : 1 का

अनुपात देते हैं। धान के लिये यह सिफारिश की गई है कि प्रति एकड़ भूमि में 6 मीटरी टन गोबर की खाद या कम्पोस्ट का प्रयोग करना चाहिये।

(ग) कृषकों को सलाह दी जाती है कि वह यह सुनिश्चित करलें कि वे सब तत्व जो उर्वरता को सीमित करते हैं दूर कर दिये गये हैं और उर्वरक भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। और भूमि का परीक्षण कराने के बाद ही उर्वरकों को उचित रूप से प्रयोग करें।

(घ) कोई भी शिकायत नहीं मिली है। यहां यह अवश्य कहना होगा कि भारत में उर्वरकों का प्रयोग विश्व में कृषि की दृष्टि से विकसित देशों की अपेक्षा कम होता है। भारत में प्रति हैक्टर में लगभग 10.96 किलोग्राम पोषक तत्वों का प्रयोग हो रहा है जब कि इसकी तुलना में नीदरलैण्डस में प्रति हैक्टार 615.25 किलोग्राम, जापान में, प्रति हैक्टार 371.25 किलोग्राम और अमरीका में प्रति हैक्टार 75.74 किलोग्राम का। भारत में प्रयोग किये जाने वाले उर्वरकों की मात्रा कम ही नहीं है अपितु फसलों के सामान्य उत्पादन के लिये अपेक्षित अनुकूलतम स्तर का एक भाग मात्र है। अतः उरर्वकों के अत्यधिक प्रयोग से किसी कुप्रभाव का प्रश्न ही नहीं होता।

मनोरंजन कर से मुक्त फिल्में

4808. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में देश में कौन-कौन सी फिल्में मनोरंजन-कर से मुक्त की गई थीं ; और

(ख) प्रत्येक फिल्म में मनोरंजन कर मुक्त करने के क्या कारण थे ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

ट्रैक्टरों के बारे में गुजरात की आवश्यकता

4809. **श्री नरेन्द्र सिंह महोडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में ट्रैक्टरों की अपनी आवश्यकता के बारे में विवरण भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार ने उनकी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य की ट्रैक्टरों की मांग का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

पहला वर्ष	2,000
दूसरा वर्ष	2,150
तीसरा वर्ष	2,300
चौथा वर्ष	2,450
पांचवां वर्ष	2,600
	कुल 11,500

(ग) सरकार ने मांग को नोट कर लिया है और आयातित ट्रैक्टरों का आवंटन करते समय इस पर विचार किया जाएगा।

(घ) ट्रैक्टरों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देशीय उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ, यथा सम्भव, बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों का आयात करने का निर्णय किया गया है।

दिल्ली के सिनेमा-गृहों में नियुक्त कर्मचारी

4810. **श्री जुगल मंडल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के रिट्ज सिनेमा, विवेक सिनेमा, रीगल सिनेमा और अम्बा सिनेमा नामक सिनेमा गृहों में कितने कर्मचारी नियुक्त हैं ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी स्थायी हैं और कितने अस्थायी हैं और उनमें से कितने कर्मचारियों की सेवाएं हर तीन महीने के बाद समाप्त कर दी जाती हैं ; और

(ग) तीन महीने की सेवा के बाद कितने कर्मचारी पुनः नियुक्त किये जाते हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). चार सिनेमा गृहों में नियोजित स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :

सिनेमा गृहों के नाम	स्थायी कर्मचारी	अस्थायी कर्मचारी	कुल	उन कर्मचारियों की संख्या जिनकी सेवायें प्रति तीन महीने के बाद समाप्त की जाती हैं।
रिट्ज	54	4	58	किसी की सूचना नहीं मिली
विवेक	कुछ नहीं	31	31	
रीगल	57	2	59	
अम्बा	58	—	58	

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आसनसोल रानीगंज कोयला क्षेत्र में स्थित कोयला खानों में कर्मचारियों की छंटनी

4811. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1970 तक गत तीन वर्षों में आसनसोल रानीगंज कोयला क्षेत्र में स्थित कोयला खानों में कितने मजदूरों की छंटनी की गई है ;

(ख) उन खानों के नाम तथा पते क्या हैं और उनमें मजदूरों की छंटनी किस-किस तारीख को की गई थी ; और

(ग) क्या इस छंटनी के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद निर्णयाधीन है और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

निर्माताओं तथा कलाकारों को सरकारी पुरस्कार

4812. **श्री जुगल मंडल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में फिल्मों के लिये कितने व्यक्तियों को सरकारी पुरस्कार दिये गये थे ; और

(ख) क्या यह सच है कि उस अवधि से कुल फिल्म निर्माताओं तथा कलाकारों को नकद पुरस्कार दिये गये थे और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और नकद पुरस्कार दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) उन फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जाते जो किसी विशेष कलेन्डर वर्ष में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा पास की हुई हो । 1967 तथा 1968 में पास की गई फिल्मों के लिए 86 पुरस्कार दिये गये ।

(ख) जी, हां । निर्माताओं, निर्देशकों तथा कुछ श्रेणियों के तकनीशियनों को नकद पुरस्कार दिये गये । एक विवरण सदन की मेज पर दिया गया है जिसमें अपेक्षित ब्यौरा दिया हुआ है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 3062/70]** इन पुरस्कारों का उद्देश्य उच्चकलात्मक तथा तकनीकी स्तर को तथा सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक महत्व की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देना है तथा सृजनात्मक फिल्मों के बनाने में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना है ।

मनीपुर के वन विभाग में कर्मचारियों को बाल भत्ता न दिया जाना

4813. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार के अधीन वन-विभाग में कर्मचारियों को बाल भत्ता नहीं दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'नहीं' में है, तो कितने कर्मचारियों को यह भत्ता दिया गया है और उन्हें कितनी राशि दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) उन पदधारियों की संख्या 107 है जिन्हें यह भत्ता दिया गया । जनवरी 1970 के अन्त तक उन्हें 37,824.00 रुपये की राशि अदा की गई है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक समवायों द्वारा उर्वरक के व्यवसाय में तथाकथित चोर बाजारी तथा मुनाफाखोरी

4814. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक समवाय देश में चोर बाजारी तथा मुनाफाखोरी कर रहे हैं ;

(ख) क्या उर्वरकों के सम्बन्ध में चोर बाजारी तथा मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सरकार का विभिन्न तरीके अपनाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) गत तीन वर्षों में उनके द्वारा कितनी मात्रा तथा कितने मूल्य के उर्वरकों का आयात किया गया तथा उसे बेचकर कितना मूल्य प्राप्त किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). इस मंत्रालय ने ऐसी कोई सामान्य शिकायत प्राप्त नहीं की है। अमोनिया के सल्फेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, यूरिया तथा कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट (20.5 प्रतिशत एन०) के अलावा उर्वरकों के मूल्यों पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। ज्यों ही इन चार उर्वरकों के सम्बन्ध में ऐसी शिकायत प्राप्त होती है, उसे यथा आवश्यकता जांच तथा वैधानिक कार्यवाही के लिये सम्बन्धित राज्य सरकार को भेज दिया जाता है। उपरोक्त लिखित चार उर्वरकों के लिये अधिसूचित कीमतों से अधिक कीमत लेना उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 का उल्लंघन करना है और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त, उर्वरकों की भाग की तुलना में सप्लाई की स्थिति काफी सुलभ है और उर्वरक में चोर-बाजारी की सम्भावना बहुत कम है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 की, 'लाइसेंसिंग' प्रणाली को पंजीकरण प्रणाली से प्रतिस्थापित कर हाल ही में संशोधन किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति उर्वरक व्यापार शुरू करने के लिये स्वतंत्र है यदि वह ऐसा व्यापार शुरू करने से 14 दिन के भीतर निर्धारित फार्म में पंजीकरण के लिये अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है। इसके फलस्वरूप, फुटकर बिक्री स्थलों की संख्या में बढ़ोत्तरी की सम्भावना है और प्रतियोगिता होने से चोर- बाजारी की सम्भावनायें कम होंगी ।

(घ) इस समय गैर-सरकारी कम्पनियों को उर्वरकों का आयात करने की अनुमति नहीं है। उर्वरकों का आयात राजकीय व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है अथवा सरकारी रूप से कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। गत तीन वर्षों की अवधि में केवल लाइसेंस-अवधि 1967-68 के लिये सुविख्यात आयात-कर्ताओं को 100 प्रतिशत कोटा के आधार पर केवल सल्फेट आफ पोटास के आयात के लिये अनुमति दी गई थी, जिसका मूल्य उस वर्ष के दौरान उर्वरकों के लगभग 200 करोड़ रुपये के कुल आयात के मुकाबले में केवल कुछ लाख रुपये ही होता है।

गैर-सरकार उर्वरक कम्पनियों द्वारा, जिन्हें कि वर्ष 1967-68 के दौरान ख्याति प्राप्त आयात-कर्ताओं की श्रेणी के अन्तर्गत आयात करने के लिये लाइसेंस दिये गये थे, आयात किये गये सल्फेट आफ पोटाश के मूल्य का ब्यौरा देना सम्भव नहीं है क्योंकि वास्तविक आयात से सम्बन्धित आंकड़े समूचे देश के लिये रखे जाते हैं न कि अलग-अलग आयात-कर्ताओं के आधार पर। गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा बेची गई आयातित सल्फेट आफ पोटाश की कीमतों के ब्यौरों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

चौथी योजना के दौरान भारतीय प्रेस का आयोजन

4815. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना की अवधि में भारतीय प्रेस सम्बन्धी योजना के बारे में कोई सिद्धान्त बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). जनतांत्रिक देश में, जहां प्रेस को स्वतन्त्रता संविधान द्वारा सुनिश्चित हो (जैसा कि भारत में) प्रेस की योजना बनाने के लिए सरकार का कोई भी प्रयत्न जनतन्त्र प्रणाली के उच्च सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चौथी योजना की अवधि में भारतीय प्रेस सम्बन्धी योजना के बारे में कोई सिद्धान्त नहीं बनाये हैं ?

Ruling Congress President's Tours of States

4816. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the tours of various States undertaken recently by the President of the ruling Congress were in his capacity as the President of the Congress or as a Minister ; and

(b) if the said tours were in his capacity as a Minister, the expenses incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). All the tours of various States by the Union Minister of Food and Agriculture after he assumed office as President of the Indian

National Congress, whether for official work or otherwise, have been treated as "Not Official." No T. A./D. A. has been charged by him in respect of all tours undertaken by him after 24th December, 1969.

देश में खाद्य की कमी को पूरा करने के लिये प्रति सप्ताह में एक बार भोजन न करने की प्रेरणा

4817. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके पूर्वाधिकारी, स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने प्रति सप्ताह एक बार भोजन न करने के लिये देश को प्रेरित किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस अभियान को जारी रखने का सरकार का विचार है ताकि विदेशों से अनाज का आयात बन्द किया जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) देश में खाद्य की स्थिति में सामान्य सुधार होने से विदेशों से खाद्यान्नों के आयात में उत्तरोत्तर कमी की जा रही है और बहुत ही शीघ्र इसे पूर्णतया बन्द करने की आशा है । इन परिस्थितियों में अभियान चलाते रहना आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

Production of Raw Betel Nut

4818. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total requirements of raw betel nut of the country at present ;

(b) the extent to which the said requirements are met from the indigenous production thereof ;

(c) the value of betel nut imported during the last three years ;

(d) whether any scheme for increasing the production of raw betel nut is under consideration ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) About 1.45 lakh tonnes annually.

(b) About 95% of the requirement is met from indigenous production.

(c) No imports are allowed. However, during the last three years the following quantities were confiscated :

Year	Value in lakhs of Rs.
1966-67	4.11
1967-68	1.05
1968-69	Nil

(d) Yes.

(e) The required information is given in the statement.

Statement

The requirement of betel nut by the end of the Fourth Plan period has been estimated at 1,50,000 tonnes over the existing production of 1,26,000 tonnes. The additional 24,000 tonnes of production has been targeted by the end of the Fourth Plan. This is sought to be achieved through intensive cultivation measures by organising package programme in the three major betelnut producing States of Kerala, Mysore and Assam. Under this programme loans will be advanced to the cultivators for purchase of fertilisers, plant protection equipments and chemicals required for spraying against the attack of mites and insects for adopting improved agricultural practices. The cost on staff required for this scheme will be met by the Central Government which will be as follows :

(i) Kerala	Rs. 2.05 lakhs
(ii) Mysore	Rs. 1.40 lakhs
(iii) Assam	Rs. 0.67 lakhs
TOTAL :	Rs. 4.12 lakhs

In the other Central sector programmes, emphasis will be laid on organising demonstration plots to popularise scientific cultivation of this crop in the States of Assam and Goa where the yields are comparatively low. 25 such plots will be established in Assam at a total outlay of Rs. 0.625 lakhs and a 5 acre demonstration will be organised in Goa at a cost of Rs. 0.250 lakh in the Fourth Plan.

Peking Radio Incitement to Indian Reactionaries

4819. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have adopted some proper method to give reply to Peking Broadcasts inciting the Indian reactionaries to take to guns for victory in their broadcasts ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). Chinese propaganda is countered in news, news commentaries and talks put out in the External and Home Services from different stations of All India Radio. In news bulletins misrepresentation of facts and events indulged in by China are countered by giving the correct facts and by reporting speeches and statements made by leaders of Government and others.

Demand for Uniform Educational Facilities for Harijans

4820. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether his attention has been invited to his statement published at page 4 of the Daily Hindustan, dated the 21st May, 1969 under the heading "Demand for uniform educational facilities for Harijans" ; and

(b) if so, whether the said statement has correctly been published ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

A. I. R. Station for Kota

4821. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the people of Kota Rajasthan had made a demand to Shrimati Indira Gandhi to open a Radio Station there ;

(b) if so, the decision taken by Government in this regard ; and

(c) if no decision has so far been taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) It is quite possible that such a request was made but no record to this effect is traceable.

(b) and (c). Requests for establishment of radio stations at various places are received from different quarters. Location of radio stations is decided having regard to considerations of public policy such as area, population, language and culture of the region concerned, its seat of administration, availability of talent and technical feasibility. It may be added the district of Kota gets a fair reception of the programmes broadcast from the Ajmer and Indore stations of All India Radio.

Unlicensed Radio Sets

4823. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of licensed radio sets in the country at present ;

(b) the estimated number of such radio sets as are being used without licences ; and

(c) the total amount of income accrued to Government from radio licences during the years 1967-68 and 1968-69 ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 1,05,00,578 (As on 31. 12. 1969).

(b) It is not possible to estimate the number of radio sets which are being used without licences.

(c) 1967 — Rs. 9,76,92,635
1968 — Rs. 12,06,59,164.50
1969 — Rs. 12,53,52,476

The license revenue is reckoned in terms of calendar years.

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये सरकारी प्रयोजनाओं में मकानों की व्यवस्था

4824. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा

नगरीय विकास मंत्री श्री के० के० शाह ने परामर्शदात्री समिति को बताया था कि वह एक कानून बनायेंगे जिसके द्वारा वह औद्योगिक नियोजनों को अपने कर्मचारियों के लिये मकान बनाने पर मजबूर करेंगे ;

(ख) कितनी सरकारी परियोजनाओं में उनके कर्मचारियों के लिये मकान बनाये गये हैं, तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) यदि कोई मकान नहीं बनाया गया है तो सरकारी परियोजनाओं को मजबूर करके अपने कर्मचारियों के लिये मकान बनाने का कार्य आरम्भ न किये जाने और गैर-सरकारी क्षेत्र के सामने उदाहरण प्रस्तुत न करने के क्या कारण थे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). 104 कम्पनियों / निगमों तथा 205 इकाइयों वाले विभागीय उप-क्रमों की प्राप्त सूचना के अनुसार, लगभग 70 प्रतिशत ने अपने श्रमिकों के लिये आवास सुविधाओं की व्यवस्था की है ।

घेराव की घटनाओं के कारण सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों को हानि

4825. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काम के घण्टों की हानि अथवा घेराव की घटनाओं के कारण सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में उत्पादन के रूप में तथा धन के रूप में हुई क्षति का मूल्यांकन किया है ;

(ख) गत तीन वर्षों में काम के कुल कितने घण्टों की हानि हुई ; और

(ग) किन उद्योगों पर इसका सबसे अधिक विपरीत प्रभाव पड़ा है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रखे गये I, II और III विवरणों में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 3063/70]**

Change in Food Habits

4826. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government feel that the food habits of the people in the country and the food consumed by them are not nourishing ;

(b) if so, the steps taken by Government to change the food habits of the people in the country ;

(c) whether any efforts have been made to change the food habits through the scheme of supplying free meals to the young children ;

(d) if so, the number of children of vegetarian families converted into non-vegetarian by Government ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) There is a need to promote suitable dietary habits so as to reduce the consumption of cereals and diversify the dietary to improve nutrition.

(b) Government have undertaken a number of programmes for promoting a change in the food habits of the people in the country. A fleet of 17 Mobile Food & Nutrition Extension Units are functioning in the various States for the popularisation of subsidiary and low-cost protein foods, dissemination of information on food preservation, scientific techniques of cookery and utilisation of food. Information concerning subsidiary foods, balanced diet and food preservation is also being disseminated through participation of Fairs and Exhibitions and through normal channels of publicity, cooperation of voluntary agencies, publication of pamphlets containing recipes of non-cereal food preparation etc. Four Institutes of Catering Technology and Applied Nutrition have already been established and five Food Polytechniques have been developed. Eight Modern Automatic Bakeries are also functioning in the major cities, set up in the Public Sector which popularise nutritionally fortified bread.

(c) A free feeding programme sponsored by CARE is in operation in some of the States. Government are producing Bal-Ahar and indigenously prepared blend of food fortified with essential vitamins and minerals for this programme.

(d) The programme for a changes of food habits is not specifically concerned with converting vegetarian families into non vegetarian.

(e) Does not arise.

Separate Postal Division for Swai Madhopur due to Heavy Work Load in Bharatpur P & T Divisional Office

4827. **Shri Meetha Lal Meena:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is such a heavy work in respect of Posts and Telegraphs in the Bharatpur Posts and Telegraphs Divisional office of Rajasthan that the concerned officers find it difficult to carry on the work efficiently;

(b) if so, whether Government propose to form a separate Division of Swai Madhopur; and

(c) if so, by when and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) No.

(b) and (c). Do not arise, there is no justification at present for the bifurcation of Bharatpur Postal Division and formation of a new Postal Division for Swai Madhopur.

इण्डियन शूगर इण्डस्ट्री कारपोरेशन, दिल्ली द्वारा चीनी का निर्यात

4828. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी के निर्यात का कार्य करने के लिये इंडियन शूगर इण्डस्ट्री

कार्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली को निर्यात एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके स्वरूप और गठन का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस कार्पोरेशन पर सरकार का कोई नियंत्रण है ;

(घ) यदि हां, तो वह नियंत्रण किस रूप में है ; और

(ङ) निर्यात या आयात का काम करने के लिये स्थापित किसी सरकारी उपक्रम द्वारा चीनी के निर्यात का काम सीधे अपने नियंत्रण में रखना क्यों नहीं वांछनीय समझा गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 के प्रयोजन के लिये भारतीय चीनी उद्योग निर्यात निगम लिमिटेड, दिल्ली को निर्यात एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है ।

(ख) निगम की सदस्यता लाइसेन्सशुदा चीनी कारखानों के मालिकों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों तक सीमित है । इसके क्रिया-कलापों का प्रबन्ध 20 व्यक्तियों की एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें सहकारी चीनी कारखानों और अन्य चीनी कारखानों के प्रतिनिधि होते हैं । समिति का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है जोकि निगम का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी होता है । अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर सहकारी चीनी कारखानों के प्रतिनिधियों और अन्य चीनी कारखानों के प्रतिनिधियों की बारी-बारी नियुक्ति की जाती है ।

(ग) और (घ). चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 के उपबंधों के अधीन नियुक्त निर्यात एजेन्सी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे सामान्य अथवा विशेष निदेशों से बद्ध है जोकि केन्द्रीय सरकार उसे लिखित रूप में देती है ।

(ङ) मौजूदा एजेन्सी ने विशेषित योग्यता और कुछ परिमाण में निपुणता प्राप्त कर ली है और "बिना लाभ और हानि" के आधार पर कार्य करती है । इसके अलावा, 1968-69 में सारा निर्यात चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 के उपबन्धों के अधीन किया गया था और सारी हानि चीनी उद्योग द्वारा वहन की गई थी जोकि इस निर्यात एजेन्सी के प्रतिनिधि हैं । 1970 में भी चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम के अधीन 95,000 मीटरी टन के एक अधिमान्य कोटे का निर्यात किया जा रहा है और इस पर होने वाली हानि चीनी उद्योग द्वारा वहन की जायेगी ।

Cow Beaten to Death in Malviya Nagar, New Delhi

4829. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri P. L. Barupal :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the incident in which a cow was brutally beaten to death in Malviya Nagar, New Delhi ; and

(b) if so, the action taken by Government against the person found guilty ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Information has been received from Delhi Administration to the effect that the complaint was investigated and it was found that the cow was neither beaten nor injured but died of natural death.

(b) does not arise.

Post Offices in Uttar Pradesh

4831. **Shri Onkar Lal Berwa** : **Shri Sharda Nand** :
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Hukam Chand Kachwai** :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the district-wise number of the post offices set up in Uttar Pradesh during 1969-70 ;

(b) the district-wise number of the post offices to be set up during the year 1970-71 ; and

(c) the number of post offices in Uttar Pradesh where telegraph facilities exist at present and the number of those where facilities for sending telegrams in Hindi and English both exist ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Number of post offices opened in Uttar Pradesh during 1969-70, district-wise :

1. Saharanpur	..	7
2. Muzaffarnagar	..	1
3. Agra	..	15
4. Meerut	..	8
5. Gorakhpur	..	18
6. Deoria	..	12
7. Farrukhabad	..	5
8. Etawah	..	7
9. Mainpuri	..	5
10. Allahabad	..	Nil
11. Mirzapur	..	4
12. Azamgarh	..	7
13. Ballia	..	10
14. Faizabad	..	14
15. Jaunpur	..	9
16. Kanpur	..	19
17. Unnao	..	2
18. Fatehpur	..	5
19. Lucknow	..	Nil
20. Barabanki	..	14
21. Gonda	..	5
22. Bahraich	..	10
23. Basti	..	6
24. Sitapur	..	18
25. Hardoi	..	4
26. Kheri	..	4

27.	Varanasi	.. 3
28.	Ghazipur	.. 4
29.	Aligarh	.. 12
30.	Bullandshahr	.. 11
31.	Almora	.. 16
32.	Pithoragarh	.. 9
33.	Bareilly	.. 2
34.	Badaun	.. 6
35.	Shahjahanpur	.. 4
36.	Dehradun	.. 4
37.	Tehri	.. 3
38.	Uttarkashi	.. 1
39.	Jhansi	.. 8
40.	Hamirpur	.. 1
41.	Jalaun	.. 7
42.	Banda	.. 1
43.	Mathura	.. 4
44.	Etah	.. 8
45.	Moradabad	.. 7
46.	Rampur	.. 4
47.	Bijnor	.. 11
48.	Nainital	.. 4
49.	Pilibhit	.. 2
50.	Pauri	.. 12
51.	Chamoli	.. 6
52.	Pratapgarh	.. 6
53.	Rae Bareli	.. 10
54.	Sultanpur	.. 6

(b) Number of post offices to be opened in Uttar Pradesh during 1970-71, district-wise, has not yet been finalised.

(c) Number of post offices to be opened in Uttar Pradesh where telegraph facilities exist as on 1.2.1970.....1,146. Number of post offices in Uttar Pradesh where facilities for sending telegrams both in Hindi and English exist.....595.

Price of Wheat for Rabi Crop

4832. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have fixed the price of wheat for the next rabi crop and if not, the date by which an announcement would be made in this regard ;

(b) whether the representatives of the farmers have also been consulted while fixing the said price ; and

(c) whether the comparative market rates of other commodities are also being kept in view for this purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) Procurement prices of wheat for 1970-71 marketing season are under consideration of Government and will be fixed shortly.

(b) and (c). The agricultural Prices Commission while recommending the prices takes into consideration all relevant factors including the prices of other foodgrains. The Commission also has a Panel of Farmers to advise it.

Promotion of the use of Hindi in Department of Communications

4833. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the Department of Communications has taken some special steps for the promotion of the use of Hindi in respect of services under it ;

(b) the steps taken for inclusion of Hindi in the Departmental tests ; and

(c) the progress made in the publication of the Hindi version of books required for the Departmental test ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Shingh) : (a) Provisions of the Official Language Act and the instructions of the Ministry of Home Affairs are being implemented in the Department. Officials have also been requested to work in Hindi to as large an extent as possible.

(b) The question is under examination of the Ministry of Home Affairs. The instructions received from the Ministry of Home Affairs will be implemented in the P&T Department.

(c) Action has been taken to expedite the publication of Hindi version of manuals required for departmental tests. Three volumes have already been published, four are in the press and the rest are at various stages of translation and vetting.

Expansion of P&T facilities in Rural Areas

5834. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme has been formulated for the expansion of post, telegragh and telephone services in rural areas and if so, the outline thereof ;

(b) whether it is also a fact that the officers and staff of the Department shown indifference towards the expansion of these facilities in villages and give adverse reports in the cases of big villages and thus create difficulties ; and

(c) if so, the action taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) **Postal Services :** The expansion of Postal Services in rural areas is at present governed by certain standards as at Annexure. **[Placed in Library. See No. LT 3064/70].** Post Offices opened as per these standards will in future also be required to have an income of at least 25% of their cost at the time of opening. The accent will be on the opening of post offices in villages which are headquarters of gram panchayats.

The Minister of State has addressed the Chief Ministers of States suggesting that village panchayats should be authorised to incur expenditure towards opening of experimental post offices in their jurisdiction. The Government of Maharashtra have accepted the suggestion and have suitably amended the Bombay Village Panchayat Act 1958 and the Maharashtra Zila

Parishad and Samities Act 1961 to enable them to contribute towards the opening of rural post offices.

Telegraph and Telephone Services : Normally Telegraph and Telephone facilities are provided at places having Postal facilities if the scheme works out to be remunerative. These facilities are provided if some interested party is willing to make good the loss to the Department, in respect of schemes which are unremunerative. However, in order to extend the Telegraph and Telephone facilities to under developed areas (including rural areas), a policy has been evolved according to which these facilities can be provided even at a loss at certain categories of stations based on their administrative importance, population and remoteness from the general telecommunication network. Limited number of tourist centres, pilgrim centres and agriculture and irrigation project sites and tonships are also considered for provision of these facilities on limited loss basis.

(b) No such complaints have been received. Postal telegraph and telephone facilities are being provided in the country subject to fulfilment of departmental standards and availability of funds and stores.

(c) Does not arise.

मछली का निर्यात

4835. **श्री शारदा चन्द :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री सूरज भान :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितनी मछली का निर्यात किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का मछली का व्यापार करने वाली गैर-सरकारी कम्पनियों को सुविधा देने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(घ) विदेशों को अधिक मछलियों के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने तथा देश के सभी राज्यों में मछली सप्लाई करने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से मछली तथा मछली उत्पादों सहित समुद्री उत्पादों का निम्न प्रकार निर्यात हुआ है :—

वर्ष	मात्रा	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1967	21764	19.93
1968	24810	22.08
1969	30584	33.10

(ख) और (ग). सरकार के सर्वेक्षण तथा समन्वेषण सम्बन्धी जलपोतों द्वारा नये मीन उद्योग संसाधनों के विषय में एकत्रित की गई जानकारी मीन उद्योग को उपलब्ध की जाती है। मीन उद्योग के लिये इस सहायता के क्षेत्र को सुधारने तथा विस्तृत करने के लिये सर्वेक्षण बेड़ा सुदृढ़ किया जा रहा है। अब बैंक तथा ऋण देने वाली संस्थाएं उचित मीन-उद्योग प्रोजेक्टों के लिये ऋण देने की स्थिति में हैं। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये मछली पकड़ने तथा मीन एवं मीन उद्योग उत्पादों के लिये अपेक्षित सामग्री व उपकरण आयात हेतु निर्यातकर्ताओं को सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसे आयातों में टिन-प्लेट, प्रशीतकों, समुद्री डीजल इन्जनों तथा प्रशीतन उपकरण आदि के लिये अतिरिक्त कल-पुर्जे शामिल हैं।

(घ) मछली पकड़ने के उद्योग के विकास के लिये जो उपाय किये जा रहे हैं, उनमें निर्यात के लिये उचित किस्मों की उपलब्धि के साथ-साथ आंतरिक बाजार के लिये मछली की आपूर्ति को बढ़ाने का विचार भी है। केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न बन्दरगाहों में मछली पकड़ने के पत्तनों की व्यवस्था की जा रही है। मीन संसाधनों का सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य को गतिमान किया जा रहा है तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। व्यापारिक तौर पर मछली पकड़ने के लिये गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 30 जलपोतों को आयात करने की एक योजना क्रियान्वित की जा रही है। देश में मछली पकड़ने के जलपोतों का निर्माण करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। देश में निर्माण किये हुये गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलपोतों को आर्थिक सहायता देने की भी एक योजना तैयार की जा रही है। केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्टेट प्लान स्कीमों के अन्तर्गत सबसे मुख्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 5000 नावों द्वारा कार्य शुरू होने की संभावना है। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा भारत के समुद्री उत्पादों की निर्यात क्षमता का एक सर्वेक्षण किया गया है। उस रिपोर्ट को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है। अन्तर्देशस्य मीन-उद्योग विकास कार्यक्रम को डिमपोना मछली का उत्पादन बढ़ाने, मत्स्यपालन के लिये समुद्रत्यक्त पानी क्षेत्रों के सुधार करने तथा जलाशय मीन-उद्योगों का विकास करने के लिये अनुदेश दे दिये गये हैं। सघन मत्स्यपालन के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाने तथा खारा पानी मीन-उद्योग के विकास के लिये एक मार्गदर्शी योजना को शुरू करने का भी विचार है।

वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध में जम्मू और काश्मीर की सीमाओं के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

4836. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध में जम्मू और कश्मीर राज्य की सीमाओं से हुये विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास हो गया है ;

(ख) क्या अभी कुछ व्यक्तियों का पुनर्वास किया जाना शेष है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका कब तक पुनर्वास कर दिया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ; सभी प्रभावित परिवारों को अनुमोदित पैमाने के अनुसार सहायता दे दी गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब और हरियाणा में रबी की फसल की सम्भावनायें

4837. **श्री चन्द गोयल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा में रबी की फसल की क्या सम्भावनाएं हैं ;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे ; और

(ग) उक्त राज्यों के लिये वसूली के लक्ष्य क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). वर्तमान संकेतों के अनुसार पंजाब और हरियाणा में 1969-70 की रबी की फसलों की अच्छी सम्भावनाएं हैं। फिर भी, 1969-70 की रबी की फसलों के उत्पादन के निश्चित अनुमान अखिल भारतीय और राज्यवार कृषि वर्ष की समाप्ति पर अर्थात जुलाई-अगस्त, 1970 में उपलब्ध होंगे ।

(ग) सन 1970-71 के विपणन मौसम में गेहूं की अधिप्राप्ति के लक्ष्य निम्न प्रकार है :

पंजाब	..	25 लाख मीटरी टन
हरियाणा	...	3.5 लाख मीटरी टन

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये गये दूध की किस्म तथा उसके तत्व

4838. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :
श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किया जाने वाला सारा स्टैण्डर्ड, टोन्ड और डबल टोन्ड दूध भैंस के दूध से तैयार किया जाता है और यदि नहीं, तो क्या इस उद्देश्य हेतु दुग्ध चूर्ण का प्रयोग किया जाता है ;

(ख) यदि इस प्रयोजन हेतु दुग्ध चूर्ण का भी प्रयोग किया जाता है तो दूध तथा दूध चूर्ण से अलग-अलग स्टैण्डर्ड, टोन्ड और डबल टोन्ड की कितनी-कितनी मात्रा तैयार की जाती है ; और

(ग) एक लिटर "स्टैण्डर्ड" "टोन्ड" तथा "डबल टोन्ड" अलग-अलग दूध तैयार करने हेतु कितने तथा कितने मूल्य के दुग्ध चूर्ण का प्रयोग किया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मानकीकृत, टोन्ड या डबल टोन्ड दूध प्रायः ताजे दूध से तैयार किया जाता है । ऐसी किस्मों के दूध को तैयार करने में सप्रेटा दुग्ध चूर्ण उसी समय प्रयोग में लाया जाता है जब कि विशेषतः गर्मी के महीनों में ताजे दूध की कमी होती है ।

(ख) 1969-70 के दौरान (23-3-70 तक) ताजे दूध के प्रयोग से और सप्रेटा दुग्ध चूर्ण मिला कर तैयार किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के दूध की अनुमानित मात्रा निम्न प्रकार है :

दूध की किस्म	केवल ताजे दूध से तैयार की गई मात्रा	ताजा दूध में सप्रेटा दुग्ध चूर्ण के मिश्रण से तैयार की गई मात्रा
मानकीकृत	2,89,88,236	4,07,87,813
टोन्ड	60,21,045	1,23,92,739
डबल टोन्ड	5,46,298	46,23,980

(ग)

दूध की किस्म	सप्रेटा दुग्ध चूर्ण को ताजे दूध में मिला कर तैयार किया गया दूध		केवल सप्रेटा दुग्ध चूर्ण से तैयार किया गया दूध	
	एक लिटर तैयार करने के लिये प्रयोग में लाई गई सप्रेटा दुग्ध चूर्ण की मात्रा	प्रयोग में लाए गये सप्रेटा दुग्ध चूर्ण का प्रति लिटर मूल्य	एक लिटर तैयार करने के लिये प्रयोग में लाई गई सप्रेटा दुग्ध चूर्ण की मात्रा	प्रयोग में लाए गए सप्रेटा दुग्ध चूर्ण का प्रति लिटर मूल्य
मानकीकृत	20 ग्राम	पैसे 5.6	91 ग्राम	पैसे 25.48
टोन्ड	46.5 ,,	,, 13.02	91 ,,	,, 25.48
डबल टोन्ड	70.0 ,,	,, 19.60	95 ,,	,, 26.60

खाद्य तथा कृषि मन्त्री का उड़ीसा का दौरा

4839. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्त्री महोदय ने इस वर्ष मार्च मास के पूर्वार्ध में उड़ीसा का दौरा किया था ;

(ख) क्या उसी समय रूस के राजदूत भी उड़ीसा के दौरे पर गये थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस दौरे का रूसी राजदूत के दौरे के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध था ; और

(घ) उनके दौरे का स्पष्ट उद्देश्य क्या था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। उन्होंने 6 मार्च, 1970 को भुवनेश्वर और कटक का दौरा किया था।

(ख) उस दिन रूस के राजदूत भी कटक में थे।

(ग) मन्त्री (खाद्य और कृषि) के दौरे का रूस के राजदूत के दौरे से सम्बन्ध नहीं था।

(घ) लेनिन की जन्म शताब्दी उत्सव के लिए कटक में भारत-सोवियत सांस्कृतिक समिति के नौवें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने हेतु।

कृषि उत्पादन में नये विचारों तथा तरीकों का आदान प्रदान तथा प्रयोग

4840. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गारचा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुपालन तथा पशु पोषण के अमरीकी विशेषज्ञ डा० डी० आर० बी० बन्का ने हाल ही में भारत का दौरा किया था ;

(ख) क्या उन्हें सरकार को कृषि उत्पादन के क्षेत्र में नये विचारों तथा तरीकों का पूर्ण आदान प्रदान करने तथा उनका तुरन्त प्रयोग करने के महत्व के बारे में कोई सुझाव दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। डा० बैक्स भारत आये। वे इग्लैण्ड के निवासी हैं।

(ख) उन्होंने देश में पशुपालन विकास तथा रोग नियन्त्रण के कुछ कार्यक्रमों पर विचार विनिमय किया, जिसमें मेसर्ज सियानामिड द्वारा, जिस फर्म के वे प्रतिनिधि थे, बेची जाने वाली प्रतिजैविक औषधियों के बड़े पैमाने पर प्रयोग के बारे में बल दिया गया था। जिन विचारों या तकनीकों पर उन्होंने विचार किया, वे हमारे वैज्ञानिकों को पहले से ही विदित हैं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार करने के लिये भारतीय श्रम सम्मेलन या स्थायी श्रम समिति की बैठक

4841. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गारचा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार करने के लिये भारतीय श्रम सम्मेलन अथवा स्थायी श्रम समिति की बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों और अन्य विषयों पर विचार करने के लिये स्थायी श्रम समिति का अधिवेशन जुलाई, 1970 के अन्त तक बुलाने का विचार है।

(ख) बैठक की कार्यसूची को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

वर्तमान खाद्य स्थिति

4842. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री जगेश्वर यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष की तुलना में इस समय देश की खाद्य स्थिति कैसी है ; और

(ख) क्या देश के कुछ भागों में हाल में हुई वर्षा से रबी फसल अच्छी होने की सम्भावना हो गई है और यदि हां, तो किस हद तक ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस समय देश में खाद्य स्थिति काफी सन्तोषजनक है और गत वर्ष से बेहतर है। मंडियों में खाद्यान्नों की उपलब्धि आमतौर से सुगम है।

(ख) जनवरी, 1970 के मध्य के बाद हुई वर्षा सामान्यतया खड़ी फसलों के लिए लाभकारी रही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और दिल्ली के कुछ भागों में वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का समाचार मिला है। मौसम तथा फसल स्थिति के बारे में गुणात्मक रिपोर्टों के आधार पर यह आशा की जाती है कि 1969-70 के दौरान रबी खाद्यान्नों की पैदावार पिछले वर्ष से अधिक होगी।

Duration of Film Music Broadcast over Bhopal and Indore Stations

4843. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of hours allotted for the broadcast of film music in each recognised Indian language from Bhopal and Indore Stations of the All India Radio ;

(b) whether it is a fact that there is a great disparity in the time allotted for the broadcast of film music in the said language ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Bhopal and Indore stations of AIR broadcast only Hindi film music for approximately 19 hours and 19 hours 46 minutes per month respectively.

(b) and (c). The apparent demand from listeners is for Hindi film music. Demands for film music in other languages will be considered when received.

Sub-branch Post Office in Hoshangabad and East Nimad in Madhya Pradesh

4844. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the names of the places in Hoshangabad and East Nimad Districts in Madhya Pradesh where Sub Post offices are working at present ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Shri Singh) : Names of places in Hoshangabad and East Nimad (Khandeva) Districts in Madhya Pradesh where Sub Post Offices are working :

Hoshangabad District
Departmental Sub Post Offices

1. Babai
2. Banapura
3. Bankheri
4. Harda
5. Harda R. S.
6. Hoshangabad City
7. Hoshangabad R. S.
8. Itarsi
9. Kheripura
10. Khirkian R. S.
11. Mangalwara-Piparia
12. Pachmarhi
13. Pachmarhi Bazar
14. Pachmarhi Cantt.
15. Piparia
16. Powarkheda
17. Purani Basti, Itarsi
18. Security Paper Mills, Hoshangabad
19. Seoni-Malwa
20. Sohagpur
21. Tawanagar

22. Sohagpur R. S.
23. Timarni
24. Timarni R. S.
25. Poly. Tech. Harda
26. New Yard Colony Itarsi

Extra Departmental Sub Post Offices

1. Gandhinagar
2. Makrai
3. Sewari Harchand

East Nimar (Khandwa) District

Departmental Sub Post Offices

1. Anandnagar Khandwa
2. Bir
3. Burhanpur
4. Burhanpur City
5. Burhan-Rajpura
6. Burhanpur R. S.
7. Chhegaon Makhan
8. Ghaspura-Khandwa
9. Harsud P. C. O.
10. Ichhapur
11. Khandwa-Ratagarh
12. Mundi C. O.
13. Nepanagar P. C. O.
14. Nepanagar Labour Camp.
15. Nimarkheri
16. Pandhana
17. Shahbazar Burhanpur
18. Shahpur (Nimar)
19. Tagore Colony, Khandwa
20. Itwara Burhanpur
21. Mahajanpeth Burhanpur
22. Ganesh Talai Khandwa
23. Jaswadi

Extra Departmental Sub Post Offices

1. Padawa Khandwa

Delivery of Mails in Hoshangabad and East Nimad of M. P.

4845. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the names of the towns in Hoshangabad and East Nimad Districts, where arrangements for delivery of mail more than once in a day exist ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : The name of the towns in

Hoshangabad and East Nimad Districts of Madhya Pradesh having more than one delivery are as follows :

Hoshangabad (13 Towns) :

Hoshangabad/Babai/Banapur/Bankheri/Harda/Itarsi/Khirkian RS / Makari / Pachmarhi/ Piparia/Seoni Malwa/Sohagpur/Timarni

East Nimad (7 Towns) :

Bir/Burhanpur/Harsud/Ichhapur/Khandwa/Nepanagar/Shahpur (Nimar).

सहकारी समितियों के कार्यकरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

4846. **श्री दण्डपाणि :** **श्री सामिनाथन :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की सहकारी समितियों के कार्य की जांच करने के लिये सरकार ने श्री एस० के० डे की अध्यक्षता में एक छः सदस्यीय समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रतिवेदन की जांच कर ली है ;

(ग) कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ; और

(घ) इन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० एरिंग) : (क) भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई समिति नियुक्त नहीं की गई थी ।

(ख) से (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

जम्मू और काश्मीर राज्य के लिये आवंटित ट्रैक्टरों का पंजाब में चोर बाजार में बेचा जाना

4847. **श्री दण्डपाणि :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर : **डा० सुशीला नैयर :**
श्री सामिनाथन : **श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जम्मू और काश्मीर राज्य के लिये आवंटित ट्रैक्टरों को पंजाब में चोर बाजार में बेच दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आरोपों की जांच की है ; और

(ग) जिम्मेदार ठहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार को ऐसी शिकायत की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होते ।

राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्रसारणों के लिये आचार संहिता

4848. **श्री दण्डपाणि :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सामिनाथन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रवि राय :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री देवेन सेन :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य प्राधिकारियों द्वारा पाण्डुलिपियों के उपकरणों के मामले में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक सम्बन्धों को व्यवस्थित करने वाली आचार संहिता का अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने भी इस योजना को अनुमोदित कर लिया है ; और

(ग) इस आचार संहिता की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं । तथापि, आकाशवाणी के प्रसारणों के लिये राज्यों की सलाह से एक 'आचार संहिता' बनाई गई है ।

(ख) और (ग). संहिता आकाशवाणी से व्यक्तियों के प्रसारणों के स्तर को विनियमित करने के लिये है तथा इसमें इसकी व्याख्या के बारे में हुए मतभेद को दूर करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में बताया गया है ।

चार नगरों में सप्लाई किये गये दूध की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये विश्व खाद्य कार्य-क्रम के अन्तर्गत करार

4849. **श्री दण्डपाणि :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सामिनाथन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने भारत के चार नगरों में तैयार किये गये दूध की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए 560 लाख डालर के मूल्य की डेरी परियोजना के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस परियोजना से चार नगरों में दूध की सप्लाई में कितनी वृद्धि होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भारत की परियोजना सम्बन्धी प्रार्थना पर विश्व खाद्य कार्यक्रम प्राधिकारियों ने आगामी पांच वर्षों की अवधि में, एक क्रमबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत, बिना किसी लागत में 42 करोड़ रुपये के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का 1,26,000 मीटरी टन सपरेटा दुग्ध चूर्ण और 42,000 मीटरी टन घी संभरण करना स्वीकार कर लिया है। इन जिन्सों को तरल दूध में परिवर्तित करने पर इनसे लगभग 95.40 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इस प्रकार प्राप्त हुई राशि का उपयोग बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के चार सार्वजनिक क्षेत्र की डेरियों की दुग्ध परिसंस्करण सुविधाओं का विस्तार करने और चार महानगरों के दस राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्थित देहाती दुग्ध एकत्रिकरण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन तथा अधिप्राप्ति में वृद्धि के लिए किया जायगा, इस कार्य को दुधारू पशुओं के उन्नत प्रजनन, आहार और प्रबन्ध द्वारा किया जायेगा। इसके परिणामस्वरूप इन नगरों के दुग्ध एकत्रण क्षेत्रों में दूध के स्थानीय उत्पादन में वृद्धि की जायेगी ताकि आयातित सपरेटा दुग्ध चूर्ण की आपूर्ति की समाप्ति पर स्थानीय दूध की वृद्धि द्वारा डेरियों से दूध की आपूर्ति को यथावत् बनाये रखा जा सके। इस परियोजना से शहरों में लाये जाने वाले 1 लाख अत्यधिक दुधारू पशुओं (और उनके बछरों) की रक्षा करने में भी सहायता मिलेगी जिन्हें कि दूध सूख जाने पर अवश्य ही मार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त परियोजना छोटे कृषकों तथा उप-सीमान्त कृषकों को पशु पालन सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ करने में भी सहायता देगी। जिससे कि दूध के अधिक उत्पादन द्वारा वे अपनी आय को बढ़ा सकें।

(ग) परियोजना की अवधि के अन्त तक चार नगरों की दूध की वर्तमान दैनिक आपूर्ति दस लाख लिटर प्रति दिन से बढ़कर 27.50 लाख लिटर हो जाने की सम्भावना है।

Parts of the Country Affected by Hailstorm and Damage to Standing Crop

4850. **Shri Jageshwar Yadav :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Yashwant Singh Kushwah :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the parts of country wherefrom information regarding the recent hailstorm has since been received ;

(b) the estimated loss to the standing crop in the country due to the said hailstorm ;

(c) the details of the report received from Uttar Pradesh in this regard and the estimated loss to the standing crops there ;

(d) whether it is a fact that the said hailstorm lashed only those parts of Uttar Pradesh which have been affected by drought for several years ; and

(e) whether it is also a fact that the hailstorm heavily lashed Jhansi Division in Uttar Pradesh and if so, the details of the reports received from the various districts in this regard, and the relief measures Government propose to take in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) According to available reports,

there has been some damage to standing rabi crops by hailstorm during February-March, 1970 in parts of Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar and Delhi.

(b) Reports giving exact quantitative damage have not been received from all the States.

(c) to (e). A statement indicating the report received from the Government of Uttar Pradesh is enclosed. Details of the estimated loss to the standing crops in that State as well as the reports received from the various districts of the Jhansi Division and relief measures Government propose to take in this regard will be placed on the Table of the Sabha as soon as received from the State Government.

Statement

The State Government of Uttar Pradesh has reported that rains accompanied by hailstorm occurred in the State on 18th, 19th and 24th February, 1970 and again on 9th, 10th and 11th March, 1970 affecting 32 districts in March and 25 districts in February.

Districts affected in February, 1970 were Agra, Budaun, Farrukhabad, Etawah, Kanpur, Fathehpur, Allahabad, Banda, Hamirpur, Jhansi, Jalaun, Varanasi, Jaunpur, Ghazipur, Balia, Gorakhpur, Basti, Azamgarh, Nainital, Unnao, Raebareli, Hardoi, Faizabad, Gonda and Sultanpur.

Districts affected in March, 1970 were Bulandshahr, Aligarh, Mathura, Agra, Mainpuri, Etah, Bareilly, Budaun, Moradabad, Shahjahanpur, Pilibhit, Farrukhabad, Etawah, Kanpur, Fatehpur, Allahabad, Banda, Hamirpur, Jhansi, Jalaun, Mirzapur, Gorakhpur, Deoria, Almora, Lucknow, Raebareli, Sitapur, Hardoi, Kheri, Faizabad, Bahraich and Barabanki.

The hailstorm affected not only drought affected districts but others also.

Jhansi Division was heavily affected. Details of damage in districts of this Division and of relief measures are still awaited from the State Government. Gratuitous relief and distress takavi are being distributed. Recovery of Government dues has been postponed in areas where damage to crops is heavy.

Increase in Food Production in proportion to increase in Population

4851. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating some programme to increase the food production in proportion to the increasing population of the country ; if so, the details thereof ; and

(b) whether Government have taken any steps for bringing fresh agricultural land under cultivation ; if so, the area of new land brought under cultivation during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Under the Fourth Five Year Plan it is envisaged to achieve a growth rate of about 6 per cent per annum in the production of foodgrains and this rate will be more than double the estimated rate of growth of population during this period. To achieve this objective, it is envisaged to intensify the various development efforts under the New Strategy for Agricultural Development viz. cultivation of high yielding varieties of foodgrains, multiple cropping, development of minor irrigation for intensive cultivation, better water management practices, organised provision of inputs like fertilizers, improved seeds and pesticides, timely and liberal credit facilities including institutional finance,

assuring incentive prices, farmers' education and training and intensification of research and extension. It is also proposed to give special attention to the needs of small farmers, dry farming areas and submarginal farms and landless labourers, for whom schemes totalling Rs. 135 crores have been provided for in the 4th Plan. The targets for some of the principal programmes include : extension of cultivation of high yielding varieties of foodgrains to cover an area of 25 million hectares, extension of minor irrigation facilities to an additional area of 7.20 million hectares, raising fertilizer consumption to the level of 5.5 million tonnes of nutrients and increasing the coverage under plant protection measures to the level of 80 million hectares.

(b) In order to bring more land under cultivation to increase the food production in the country during Third Five Year Plan, a scheme of Reclamation of Wasteland and Resettlement of Landless Agricultural Labourers was sanctioned under a Centrally Sponsored Scheme. After the Third Plan, this scheme was continued on year to year basis only to the extent of 'spillover'. The position obtained up till 31-3-69. In accordance with the decision taken by the National Development Council, this scheme now stands transferred to the State Sector with effect from 1st April, 1969.

As "Land" is a State Subject under the Constitution of India, up-to-date information about the area reclaimed is not readily available. However, according to the available information the area reclaimed with Central Assistance during the years 1966-67 to 1968-69 is as follows :

1966-67	0.14 million hectares
1967-68	0.09 million hectares
1968-69	0.08 million hectares

Post Offices in Madhya Pradesh

4852. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri T. P. Shah :**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of new Post Offices opened in Madhya Pradesh during 1969-70, district-wise ;

(b) the number of new Post Offices proposed to be opened in Madhya Pradesh during 1970-71, district-wise ; and

(c) the number out of them of those proposed to be opened in the rural and urban areas, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Number of new post offices opened in Madhya Pradesh during 1969-70, district-wise :

1. Damoh	..	Nil
2. Raisen	..	1
3. Saugar	..	4
4. Sehore		1
5. Vidisha	..	4
6. Jabalpur	..	9
7. Mandla	..	2

8.	Balaghat	.. 7
9.	Raipur	.. 17
10.	Durg	.. 9
11.	Bastar	.. 5
12.	Indore	.. 15
13.	Dhar	.. 1
14.	Dewas	.. 2
15.	Khargone	.. 7
16.	Bilaspur	.. 9
17.	Raigarh	.. 7
18.	Sarguja	.. 8
19.	Chhindwara	.. 2
20.	Seoni	.. –
21.	Betul	.. 4
22.	Chattarpur	.. 6
23.	Rewa	.. 5
24.	Panna	.. 6
25.	Satna	.. 4
26.	Sidhi	.. 1
27.	Tikamgarh	.. 7
28.	Shahdol	.. 2
29.	Hoshangabad	.. 6
30.	Khandwa	.. 4
31.	Narsinghpur	.. 9
32.	Bhind	.. 12
33.	Morena	.. 1
34.	Gwalior	.. 2
35.	Datia	.. 4
36.	Guna	.. –
37.	Shivpuri	.. 3
38.	Ujjain	.. 6
39.	Shajapur	.. 3
40.	Rajgarh	.. 5
41.	Jhabua	.. 6
42.	Mansaur	.. 9
43.	Ratlam	.. 9

(b) Number of new post offices to be opened in Madhya Pradesh during 1970-71, district-wise, has not yet been finalised.

(c) Does not arise in view of (b) above.

फिल्म सेंसर व्यवस्था के बारे में खोसला समिति का प्रतिवेदन

4854. **श्री मुहम्मद शरीफ :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फिल्म सेंसर व्यवस्था के बारे में खोसला समिति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों के विचार मिल गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि नहीं, तो इनके कब तक मिलने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या फिल्म-चुम्बन के मामले में विचार विमर्श किया गया है और यदि हां तो, क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) अभी तक उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मैसूर, हरियाणा तथा जम्मू और काश्मीर की 6 राज्य सरकारों से उत्तर मिले हैं। उनके विचारों का सारांश विवरण में दिया हुआ है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3065/70]**

(ख) राज्य सरकारों को कहा गया था कि वे खोसला समिति की रिपोर्ट पर अपने विचार 7 जनवरी, 1970 तक भेज दें। बाद में यह तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी, 1970 कर दी गई थी। जिन राज्यों से उत्तर नहीं मिले उनकी 13 मार्च, 1970 को स्मरण पत्र भेजा गया था।

(ग) राज्य सरकारों से फिल्म सेंसर सम्बन्धी जांच समिति की समूची रिपोर्ट पर विचार मांगे गये थे। समिति की रिपोर्ट अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

राजस्थान सरकार द्वारा अन्य राज्यों से मोटे अनाजों के उत्पादन के लिये अनुरोध

4855. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विरोध प्रकट किया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ राज्यों को राजस्थान की सप्लाई करने के हेतु मोटे अनाज का उत्पादन करने के बारे में निदेश देने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं। केन्द्र द्वारा ऐसे कोई निदेश नहीं भेजे जाते।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

Talks by Press Correspondents Over A. I. R., Delhi

4856. **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the topics in which talks were broadcast from the Delhi Station of All India Radio during the last three months after the news in English were broadcast ;

(b) the names of the newspapers along with the names of the correspondents who supplied the said talks ;

(c) the officer who decides as to which of the names of the correspondents talk should be broadcast ;

(d) whether it is a fact that there is political interference in respect of the said decision ;

(e) whether Government propose to appoint an impartial Committee which should take a decision in this regard ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b). Presumably the Hon. Member is referring to the daily news talk entitled 'Spotlight' which follows the 21.00 hr. English news bulletin. A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-3066/70]**

(c) The Deputy Director of News who is the charge of the programme selects the subject and the talker in consultation with the Director of News Services.

(d) and (e). No, Sir.

(f) 'Spotlight' is one of the programmes which come within the purview of the day-to-day working of All India Radio.

तेल कम्पनियों में सेवा की सुरक्षा सम्बन्धी जांच आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति

4857. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** **श्री धीरेश्वर कलिता :**
डा० रानेन सेन : **श्री समर गुह :**
श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा तेल कम्पनियों तथा तेल शोधक कारखानों में सेवा की सुरक्षा के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये जांच आयोग ने अप्रैल, 1969 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिश क्या हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) आयोग ने मुख्य रूप से यह सिफारिश की कि सरकार को इन बातों पर विचार करना चाहिए—(1) क्या सन 1957 के भारतीय श्रम-सम्मेलन द्वारा अभिनवीकरण के बारे में किया गया आदर्श समझौता जिसे उत्तरवर्ती टेकनालोजीकल परिवर्तनों के अनुसार एक आवश्यकीय रूप में परिवर्तित किया गया, अखिल भारतीय आधार पर एक कानून के रूप में समाविष्ट किया जाना चाहिए या नहीं ; (2) तेल-कम्पनियों के ऐसे प्रबन्धकों/पर्यवेक्षी कर्मचारियों के

सुरक्षण के लिये, जिन्हें 1500 रु० प्रतिमास तक वेतन मिलता है ; उन्हें या तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिभाषा की परिधि में लाकर या एक अलग कानून द्वारा, आवश्यक कार्यवाही करना ; (3) स्वचालन के प्रश्न की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ निकाय की नियुक्ति और स्वचालन की अहित-कारी प्रभाव को रोकने के लिये यथोचित सुरक्षण की व्यवस्था निकालना ; (4) 'फालतू व्यक्ति पुनर्वास निधि' की स्थापना करना, जो यूनियनों और कम्पनियों के परामर्श से तेल उद्योग के लिये ही हो ; (5) कम्पनी कानून अथवा एक विशेष कानून के अन्तर्गत प्रत्येक तेल कम्पनी में एक ऐसे नौकरी सुरक्षा निर्देशक की नियुक्ति करना जिसे समय पूर्व ऐच्छिक सेवा-निवृत्ति के प्रत्येक मामले पर निर्णय देने का सर्वोच्च अधिकार हो और जिसके द्वारा दिया गया निर्णय कम्पनियों और यूनियनों के लिये बंधनकारी तथा अन्तिम हो।

(ग) गोखले आयोग की रिपोर्ट से उत्पन्न प्रश्नों पर विचार करने के लिये 15 अक्तूबर, 1969 को एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई। इनमें विचारों के आदान प्रदान के पश्चात् श्रमिकों और नियोजकों के प्रतिनिधि इस बारे में सहमत हो गए कि वे सभी विषयों पर एक महीने के अन्दर सौहार्दपूर्ण समझौता करने के लिये द्विपक्षीय विचार विमर्श करेंगे और यदि उसमें सफल न हों तो वे अपने मतभेदों को और आगे की बैठक के लिए श्रम मंत्रालय को भेजेंगे। बातचीत की समयावधि और आगामी बैठक तक के लिए नियोजकों ने भी यथापूर्व स्थिति बनाये रखने की स्वीकृति दे दी। सम्बन्धित पक्षों ने द्विपक्षीय विचार-विमर्श कर लिया है और असफलता की सूचना भेज दी है। आगे की जाने वाली कार्यवाही के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

राजस्थान के शुष्क जिलों में सिंचाई की व्यवस्था

4858. **श्री जे० के० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के चार पश्चिमी और शुष्क जिलों में सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) राजस्थान के जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर और जालौर नामक चार शुष्कतम जिलों में सिंचाई के लिए लगभग 50 सरकारी नलकूप लगाये गये हैं। समन्वेषी एवं उत्पादन ड्रिलिंग कार्यों के फलस्वरूप भूमिगत जल की क्षमता वाले क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है और जहां संभव होगा सिंचाई के लिए और नलकूप लगाने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

जालौर जिले में पहले ही लगभग 3100 एकड़ भूमि में तालाबों और बाडमेर जिले में लगभग 2520 एकड़ भूमि में खुड्डियों से सिंचाई करने की सुविधायें उपलब्ध हैं। जालौर जिले में 6823 एकड़ सिंचाई क्षमता वाली योजनाओं की जांच पड़ताल की गई है। इनमें से 5 योजनायें अकाल कार्यों के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई हैं। जिले में 13 और योजनाओं की जांच पड़ताल की जा रही है।

राजस्थान नहर निर्माणाधीन हैं। उसके पूर्ण होने पर यह नहर बीकानेर जिले में 11.71 लाख एकड़ और जैसलमेर जिले में 6.92 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करेगी।

विदेशों की तुलना में भारत में प्रतिवर्ष प्रति एकड़ रासायनिक उर्वरकों की औसतन खपत

4859. **श्री अदिचन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में समूचे तौर पर तथा प्रत्येक राज्य में, अलग-अलग, अधिक उपज देने वाली अनाज की किस्मों तथा अन्य सामान्य किस्मों की खेती के अन्तर्गत आने वाली भूमि में प्रति एकड़ प्रतिवर्ष रासायनिक उर्वरकों की औसतन कितनी खपत होती है ; और

(ख) भारत में रासायनिक उर्वरकों की प्रति एकड़ प्रतिवर्ष औसतन खपत पाकिस्तान, जापान, बर्मा, चीन यूनाइटिड किंगडम, संयुक्त राज्य अमरीका तथा आस्ट्रेलिया की तुलना में कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). दो विवरण, जिनमें अखिल भारतीय तथा राज्यवार आधार पर भूमि के प्रति हैक्टार में उर्वरकों (एन पी के) की औसत खपत तथा 1967-68 में विभिन्न देशों में कृष्य भूमि के प्रति हैक्टार में उर्वरक की खपत प्रदर्शित की गई है, सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 3067/70]**

डाकघर की नई शाखाएं खोलने के लिए उद्घाटन समारोह करने की नीति

4860. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद डाकघर की एक शाखा दिनांक 27 फरवरी, 1970 को खोली गई थी और उसका उद्घाटन समारोह अहमदाबाद नगर कांग्रेस के प्रधान ने किया था;

(ख) क्या हर शाखा कार्यालय खोलने के लिये किसी राजनैतिक व्यक्ति द्वारा उद्घाटन की आवश्यकता होती है ; और

(ग) सरकार द्वारा डाकघरों की शाखाओं को खोलने के लिये निर्धारित उद्घाटन समारोहों सम्बन्धी नीति का ब्योरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) अहमदाबाद में भैरवनाथ रोड के नगर उप-डाकघर का उद्घाटन अहमदाबाद के पोस्टमास्टर जनरल ने किया था। इसमें केवल एक कर्मचारी काम करता है। इस समारोह की अध्यक्षता श्री रमणलाल माथुरभाई, जस्टिस आफ पीस ने की थी। इसमें नगर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जमुनाशंकर पांडेय ने भी, जो इसी क्षेत्र के निवासी हैं, भाषण दिया था। इस समारोह का प्रबंध मकान मालिक ने किया था और इस पर विभाग ने कोई खर्च नहीं किया।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस तरह के औपचारिक समारोहों पर खर्च की प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जाता है ।

गुजरात में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना

4861. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के किसी उत्तरी जिले में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय के स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उक्त विश्वविद्यालय को पी० एल०-480 निधि से सहायता दे रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि गुजरात में एक कृषि विश्वविद्यालय (जिसका मुख्य कैम्पस मेहसाना, साबरकांथा या वनसकांथा जिले में स्थित होगा) स्थापित करने के लिए एक अधिनियम (1999 की संख्या 13) पास कर दिया गया है ।

(ख) स्थान के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय किया जाना है ।

(ग) जी नहीं ।

बीजों की आवश्यकता का अनुमान

4862. **श्री वि० नरसिम्हाराव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नत बीजों के उपकरणों सम्बन्धी हल में हुई अखिल भारतीय विचार गोष्ठी में यह सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय बीज निगम को उद्योग द्वारा बाजार का अध्ययन करने के लिये किये गये प्रयासों के अतिरिक्त बीजों के व्यापार की आवश्यकताओं सम्बन्धी अनुमान भी लगाया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की रूपरेखा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) देश में बीज प्रक्रिया उपकरणों की जरूरतों का हिसाब लगाने और देश में इनके निर्माताओं को बताने के लिये, राष्ट्रीय बीज निगम में एक उद्योग सेवा कक्ष बनाया गया है। यह कक्ष देश में बीज प्रक्रिया के विभिन्न उपकरणों के निर्माताओं के साथ भी संपर्क बनाये रखेगा।

Production of Wheat and Rice in M. P. in 1969

4863. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total production of wheat and rice in Madhya Pradesh in 1969 ; and

(b) the quantity thereof likely to be produced in the State in 1970 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) According to the All-India Final Estimates, the procuction of wheat in Madhya Pradesh during 1968-69 was 2007.5 thousand tonnes and that of rice 3004.6 thousand tonnes.

(b) Final Estimates of production of foodgrains for 1969-70, All-India and Statewise, will become available after the close of the current agricultural year, i. e. sometime in July-August, 1970.

Total Area under Wheat and Rice in M. P.

4864. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total area in Madhya Pradesh where wheat and rice are cultivated ; and

(b) the area of land in acreage in Madhya Pradesh which is lying uncultivated and which can be reclaimed as per the date collected by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) According to the All-India Final Estimates, the area under wheat in Madhya Pradesh during 1968-69 was 3055.6 thousand hectares and that there under rice was 4391.2 thousand hectares.

(b) The Waste lands Survey and Reclamation Committee, appointed by the Government of India in 1959, had located an area of 1.03 lakh hectares for reclamation in blocks of 101 hectares (i. e. 250 acres) or more in the State of Madhya Pradesh. The Committee, however, felt that of this area, only 0.82 lakh hectares could be brought under cultivation at an economic cost. Further, under the Centrally-sponsored Scheme of Survey and Categorisation of Waste lands, an area of 9.38 lakh hectares of waste lands, in blocks of less than 101 hectares, was identified as cultivable up to the end of 1968-69.

बारानी खेती योजना का आरम्भ किया जाना

4865. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में आरम्भ की जाने वाली बारानी खेती योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ख) उक्त योजना को क्रियान्वित करने के लिये विभिन्न राज्यों में किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) योजना अभी बनायी जा रही है। फिर भी चालू वर्ष के लिए बजट में 2.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और योजना को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ख) योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही क्षेत्रों का चयन किया जायगा।

बिहार में दरभंगा में गांगुली तथा दामोदरपुर में शाखा डाकघर

4866. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में समूचे दरभंगा जिले में बेइम पट्टी के बलिया-गांगुली तथा दामोदरपुर ग्राम पंचायतों में एक भी शाखा डाक घर नहीं है ;

(ख) क्या इनमें से प्रत्येक पंचायत की आबादी लगभग 5,000 है और वहां डाक सम्बन्धी काम को देखकर एक पृथक शाखा डाक घर खोलना उचित है ;

(ग) यदि हां, तो क्या गांगुली तथा दामोदरपुर गांवों में बिना विलम्ब एक पृथक शाखा डाकघर खोलने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) बलिया-गांगुली ग्राम पंचायत के गांव बलिया में तीसीनरसम नाम का एक शाखा डाकघर है। दामोदरपुर ग्राम पंचायत में कोई डाकघर नहीं है।

(ख) से (ग). बलिया-गांगुली ग्राम पंचायत की जनसंख्या 4324 है और दामोदरपुर ग्राम पंचायत की जनसंख्या 3611 है। परन्तु ऐसे डाकघर खोलने के लिए, जो लाभकारी नहीं हैं, जनसंख्या की वही कसौटी लागू होती है जो 2 मील के भीतर आने वाले ग्रामों के ग्रुप पर लागू होती है। बलिया-गांगुली में एक डाकघर खोलने के प्रस्ताव पर पहले भी विचार किया गया था और ऐसा पाया गया था कि प्रस्तावित डाकघर चलाने पर घाटे की 1000 रुपये की स्वीकृत सीमा से अधिक का घाटा होगा। यह डाकघर तभी खोला जा सकता है जब कोई इच्छुक पार्टी प्रस्तावित डाकघर में अतिरिक्त घाटे की रकम को गैर-अदायगी अंशदान के रूप में अदा कर दे। पहले साल के लिए यह रकम 720 रुपये होगी। चूंकि इस रकम की अदायगी नहीं की गई, डाकघर नहीं खोला गया। दामोदरपुर में डाकघर खोलने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

Use of Telephone Exchange Building at Meerut

4867. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some rooms are going to be vacated in the near future in the present Telephone Exchange building at Meerut, where the work in respect of providing thousands of new telephone connections could be performed and it would take several years to set up another Telephone Exchange because no land has so far been acquired ; and

(b) if so, the efforts being made by Government to solve the present problem of expansion by making use of the said rooms ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b). Arrangements are being made to spare two rooms in the existing telephone exchange building at Meerut in the course of next two years. It may be possible to add about 1,000 lines of exchange equipment in these two rooms. Installation of exchange equipment will be planned suitably in these two rooms keeping in view the demands of other stations and over all availability of material and financial resources. The average waiting period at Meerut is of the order of 2 years for getting a new connection compared with the overall figure of 4 years in the the country as a whole.

The additional capacity that can be installed in the rooms being made available would not be adequate to meet the long-term requirements of Meerut. It is therefore proposed to acquire another plot of land for a second Main Automatic Telephone exchange building suitable to accommodate up to about 20,000 lines eventually.

Construction of the Meerut-Rohta-Binauli Direct Telephone Line

4868. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the time by which construction work is likely to be undertaken on the Meerut-Rohta-Binauli direct telephone line which has already been sanctioned ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : The scheme of construction of Meerut-Rohta-Binauli direct telephone line has just been sanctioned. The Estimate for the work will be sanctioned in 1970-71 and the work taken up on receipt of stores.

Expenditure on Levelling and Reclamation of Chambal Valley Area

4869. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an estimated outlay of about Rs. 5.25 crores will be required for levelling and reclamation of Chambal Valley area at the rate of about Rs. 320/- per acre ;

(b) if so, whether the entire valley can be levelled with the expenditure incurred in about two years by Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Central Government on the maintenance of the police in the area after which the dacoit gangs would not be able to hide there ; and

(c) if so, whether Government propose to level these valleys at an early date ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The wholesale levelling of Chambal Valley ravines is neither economically feasible for warranted by considerations of land use capacity. Shallow and medium ravines can be reclaimed for agriculture while deep ravines have to be put under afforestation and grassland development. The exact cost of ravine reclamation in the Chambal Valley will depend upon the local ravine parameters of depth, width and slope etc.

(b) and (c). Since considerations of cost as well as land use capability will not permit the wholesale levelling of ravines, the question of eliminating the hideouts of dacoit gangs has got to be tackled in other ways ; the Ministry of Home Affairs are seized of this law and order problem.

Setting up of Chambal Valley Development Corporation

4870. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a "Chambal Valley Development Corporation" and to prepare a crash programme for the reclamation of the entire valley so as to end the dacoit menace in the valley ; and

(b) if so, the time by which the said Corporation is likely to be set up, and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise in view of (a) above.

Employment of Retired P & T Officers in Private Firms

4871. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri P. M. Sayeed :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 690 on the 20th November, 1969 regarding the employment of retired officers of the P & T Department in Private firms and state whether the required information has sinee been collected ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : Yes. Requisite information in respect of Unstarred Question No. 690 answered in the Lok Sabha on 20-11-69 has since been collected and is given below :—

(a) Nil in Tata and Birla concerns.

(b) to (d). Do not arise.

Enquiry against Offices of Telegraph Offices Sarojini Nagar, New Delhi for Non-Acceptance of Telegrams in Hindi

4872. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state whether Government propose to conduct

an enquiry into the fact that the officials of the Telegraph Offices in Hindi-speaking areas and particularly in the Government Colonies like Sarojini Nagar, New Delhi neither accept telegrams in Hindi nor give in writing their refusal to accept them ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : No fruitful inquiry about the non-acceptance of Hindi telegrams in Hindi-speaking areas and particularly in Government Colonies in New Delhi is possible in the absence of specific instances about the refusal to book Hindi-telegrams by any office. Instructions will, however, be issued once again to all P and T offices in Hindi-speaking areas that Hindi telegrams offered for booking at offices notified for the purpose should on no account be refused.

Use of Hindi in Post and Telegraph Offices and Savings Banks in Hindi Speaking areas and Punjab, Gujarat and Maharashtra

4873. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to carry on all the work in Hindi of the post and telegraph offices and savings banks located in Hindi speaking areas and Punjab, Gujarat and Maharashtra ; and

(b) if so, from which date and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The Government work in P and T Offices in these areas can be transacted in both the languages namely Hindi and English. Complete switch-over to Hindi is not possible as the official language Act does not provide for Hindi alone.

(b) The Officical Language Act permits the use of both the languages.

Setting up of Sugar Factory in 'Farmers-Producers-Cooperative' Sector in Bhind District (Madhya Pradesh)

4874. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Madhya Pradesh have sent a scheme in respect of setting up of a Sugar Factory in the "Farmers-producers-cooperative" sector in Soni Mehgaon, Bhind District ; and

(b) if so, the action taken thereon by Central Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community, Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

Setting up of Sugar Mill in Morena District, Madhya Pradesh

4875. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that steps are being taken in respect of setting up a Cooperative

Sugar Mill in Morena District of Madhya Pradesh after approval of Central Government and the Madhya Pradesh Government ;

(b) if so, the progress made in this regard ; and

(c) the reasons for delay in the said work ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D. Ering) : (a) Yes, Sir.

(b) The society has already obtained a licence for setting up the Sugar Factory. Block capital loans of the order of Rs. 80 lakhs and Rs. 40 lakhs have been sanctioned to the society by the Industrial Finance Corporation and the Life Insurance Corporation of India respectively. Machinery worth Rs. 70 lakhs has already arrived at the factory site. It is expected that construction of civil works will commence shortly and that the factory may go into production by April '71.

(c) Inadequate share capital contribution by the cane growers, the project being the first of its kind in the State, delay in the placing of orders for plant and machinery and frequent changes in the Board of Management of the soeiety are the main reasons for delay.

Delay in Construction of Post Office Building and Telephone Exchange in Bhind, Madhya Pradesh

4876. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme for the construction of Post Office building and a Telephone Exchange in Bhind District in Madhya Pradesh has been sanctioned ; and

(b) if so, the reasons for the delay and in difference towards starting construction work on the said project ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes. The project for the construction of Post Office building was sanctioned on 6-3-69 and the telephone exchange building was sanctioned on 18-2-69.

(b) The telephone exchange building is now nearing completion.

Tenders for the post office building were called four times, but no response was received from any contractor. Only after the call of tenders for the fifth time on 30-12-69, was one tender received, but the amount qouted was higher than the amount sanctioned. Necessary sanction for incurring additional expenditure was given on 5-3-1970. Meanwhile the contractor, who had tendered for the work, had expired. Fresh tenders have been invited and the work will be awarded immediately after the receipt of fresh tenders.

भिंड और इटावा के बीच सीधी टेलीफोन लाइन की व्यवस्था करने में विलम्ब

4877. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिण्ड और इटावा के बीच एक सीधे टेलीफोन लाइन की व्यवस्था करने के लिये एक योजना मंजूर की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के अन्तर्गत लाइन की व्यवस्था का कार्य आरम्भ करने में विलम्ब तथा इसके प्रति उदासीनता दिखाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सामग्री की सभी मदों के लिये मांग-पत्र भेजे गए हैं, जिनकी अभी प्रतीक्षा है । इसके प्राप्त होने पर यह कार्य हाथ में लिया जायेगा ।

Abolition of Posts of Block Development Officers

4878. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the posts of Block Development Officers had been abolished in certain States in the country and if so, the reasons as also details thereof ;

(b) whether the said posts have been revived or are being revived in some States and if so, the reasons and details thereof ; and

(c) the nature of effect of the abolition of those posts on the development work ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D. Ering) : (a) to (c). The post of Block Development Officer was abolished in the State of Madhya Pradesh only with effect from 1st January 1966. The State Government took this decision, it is understood, mainly on the ground that since bulk of the work in the blocks concerns the agriculture sector, the Department of Agriculture could attend to it, directly through its own hierarchy. The State Government of Madhya Pradesh has since then created gazetted posts of Development Assistants with a nucleus staff for each block from 2. 10. 69 to strengthen the Community Development Administration in the State.

Further information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आकाशवाणी में खेलकक्ष का निर्माण

4879. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेल कूद पत्रकारों तथा प्रसारकों ने आकाशवाणी के विभिन्न एककों में एक खेलकूद कक्ष के निर्माण के लिए कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) दिल्ली में 9 मार्च, 1970 को हुई एक बैठक में राष्ट्रीय खेल-कूद एसोसिएशनों के स्थानीय प्रतिनिधि तथा खेल-कूद सम्पादक ने आकाशवाणी महानिदेशालय में एक खेल-कूद कक्ष बनाने का सुझाव दिया था ।

(ख) सुझाव पर विचार किया जा रहा है ।

छोटे तथा मझोले भाषाई समाचार-पत्रों के सम्पादकों के साथ विचार विमर्श

4880. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च, 1970 में देश के समस्त भागों के छोटे और मध्यम श्रेणी के भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों के सम्पादकों से वार्ता श्रृंखला की व्यवस्था थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विचार-विमर्श का क्या उद्देश्य था ; और

(ग) उसमें क्या निर्णय किये गये ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). प्रेस तथा जनता को राष्ट्रीय योजनाओं, नीतियों तथा कार्यक्रमों से अवगत कराने के लिये पत्र सूचना कार्यालय समय-समय पर सम्पादकों आदि की बैठकें आयोजित करता है । ऐसी बैठकें बड़ी उपयोगी होती हैं क्योंकि अनौपचारिक चर्चा से प्रेस को सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों को उचित रूप से समझने में सहायता मिलती है ।

Commemorative Stamps on Chandra Shekhar Azad and Acharya Narendra Dev

4881. **Shri Janeshwar Mishra :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to issue commemorative postal stamps in the memory of Chandra Shekhar Azad, Acharya Narendra Dev and other freedom-fighters ; and

(b) if so, when it is proposed to be done ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b). In 1970 we have issued a stamp in memory of Swami Shraddhanand on the 30th March, 1970 and two more are to be issued in memory of freedom fighters, viz—

1. V. D. Savarkar	..	28. 5. 70
2. Jatindra Nath Mukherjee	.. ..	9. 9. 70

No proposal was received for the issue of a stamp in honour of Acharya Narendra Dev. However, this will now be put up before the Philatelic Advisory Committee. The proposal for the issue of a stamp in memory of Chandra Shekhar Azad was considered by the Philatelic Advisory Committee but could not be accommodated.

Applications received by Bihar Agro-Industries Corporation for Tractors and their Disposal

4882. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of farmers in the various States of India particularly in Bihar have submitted applications for permits for purchasing tractors since a very long period but they have not been able to get the tractors ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the details of the applications for tractors received by the Agro-Industries Corporation, Bihar during the last two years and the number of the applicants out of them who have been supplied tractors ;

(d) whether it is a fact that the persons who apply early have to wait and the persons applying late are given preference in the supply thereof ; and

(e) if not, the details for the last two years in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). Yes, Sir. The applications are pending on account of non-availability of tractors. Formerly the farmers were not tractor-minded. With the great emphasis now being laid on rapid farm mechanisation, the demand for tractors from farmers has increased enormously. With a view to meeting the increased demand of tractors as far as practicable, it has been decided to import a substantially large number of tractors besides stepping up the indigenous production.

(c) The total number of applications pending upto February, 1970 is 2,076. There are 80 applications pending for Kubota power tillers. Number of tractors supplied so far is 1,436.

(d) and (e). The Bihar State Agro-Industries Corporation has informed that it is not a fact that priorities have been changed. The allottee cultivators are given sufficient time to lift the tractors and if they do not do so within the stipulated time for want of funds or otherwise, other farmers below them in the list are offered these tractors.

Facilities to Farmers at Panchayat Levels

4883. **Shri K.M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a comprehensive scheme also forms part of the several announcements made by Government for providing incentive to small farmers according to which the facilities in regard to increasing the produce, fixing price thereof and providing market therefor, providing loan irrigation facilities and fertilizer should be made available to the farmers at the same place simultaneously at the Panchayat level ;

(b) if so, the details of the said comprehensive scheme and the progress made in this regard ; and

(c) the names of the places in Bihar where such scheme has been or is likely to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir. A pilot scheme comprising of 40/45 projects to be implemented during the IV Plan period envisaged, to provide credit, assistance with improved inputs techniques and marketing etc, to the small potentially viable farmers.

(b) Small farmers Development Agencies are proposed to be set up in 40/45 districts to give exclusive attention to the problems of small farmers. This Agency would provide subsidy and other assistance to small farmers to enable them to obtain adequate facilities in the shape of loans and improved inputs and techniques to increase their output and income. The Agency would also help strengthening marketing and processing organisation to cater to such farmers. The Central Government will provide financial assistance direct to the Agencies which will

consist largely of the representatives of the beneficiaries, cooperative credit institutions of the area and the State Governments. A provision of Rs. 67.5 crores has been made in the Fourth Plan for 45 such Agencies. So far the schemes of Darjeeling (West Bengal), Purnia (Bihar) and Chhindwara (Madhya Pradesh) have been approved. Schemes in respect of other States are being formulated by the State Governments. The Agencies will function in close collaboration with the State administration at the district level.

(c) The Bihar State Government has suggested implementation of the scheme in Purnia and Patna districts. The scheme of Purnea has approved and the scheme of Patna is being formulated by the State Government. Schemes in respect of other districts are still to be formulated.

Different Price of Sugar in Different Zones

4884. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the people of Madhya Pradesh would have to pay the highest price of sugar because the price of sugar has been fixed at Rs. 196 per quintal for Madhya Pradesh while for Maharashtra and Andhra Pradesh it has been fixed at Rs. 135 per quintal ; and

(b) if so, the reasons for such discrimination ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No Sir. Although the ex-factory price of levy sugar of Madhya Pradesh factories is the highest, the Madhya Pradesh sugar factories meet only a small part of the levy sugar requirements of the State, the balance requirements being met from factories in the surplus lower price areas. The State Government have arranged distribution of sugar in the State at a pooled price.

(b) Does not arise.

गांवों में पीने के जल की सप्लाई

4885. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार ऐसे गांवों की संख्या कितनी है, जहां पीने के योग्य साफ जल उपलब्ध है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यवार कितने गांवों में इसकी व्यवस्था की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) तथा (ख). राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली दुग्ध योजना केन्द्रों पर दूध की बोतलों की सीलें बदलने से रोकने के उपाय

4886. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना केन्द्रों पर दूध वितरण करने वालों द्वारा

बोतलों की सीलें बदलने की बहुत सी घटनाओं का पता चला है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन सीलों को सुगमतापूर्वक हटाया जा सकता है और उनके स्थान पर दूसरी सीलें लगायी जा सकती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस दुराचार को रोकने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । किन्तु इस प्रकार के बदलने का आसानी से पता लगाया जा सकता है ।

(ग) निरीक्षण करने वाले स्टाफ द्वारा दुग्ध डिपो की आकस्मिक जांच की जाती है और जिन बोतलों पर सन्देह होता है उन्हें योजना की कोटि नियंत्रण प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए ले जाया जाता है । दूध की बोतलों की सील बदलने या उनमें मिलावट का पता लगने पर डिपो एजेन्टों की एजेन्सियों को समाप्त कर दिया जाता है ।

गोआ में डाक-तार विभाग के सभी कार्यालयों को पानी की सप्लाई में कटौती

4887. **श्री रवि राय** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ के लोक निर्माण विभाग ने पानी के बिलों का भुगतान न किये जाने के कारण सभी डाक-तार कार्यालयों को पानी की सप्लाई बन्द कर दी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ऐसा सरकारी संस्थानों के टेलीफोन काट दिये जाने के बदले में किया गया है ; और

(ग) इसका ब्योरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) बेम्बोलियम के बेतार कर्मचारियों के क्वार्टरों में पानी की सप्लाई अचानक 5 मार्च, 1970 को काट दी गई थी । इसी प्रकार 6 मार्च, 1970 की पन्ना जी प्रधान डाकघर तथा डाक डिवीजन कार्यालय की पानी की सप्लाई काट दी गई । सप्लाई क्रमश: 7 तथा 10 मार्च, 1970 को पुन: चालू कर दी गई । पानी के बिलों का कोई भुगतान बकाया नहीं था ।

(ख) गोआ के लोक निर्माण विभाग द्वारा टेलीफोन बिलों की गैर-अदायगी के कारण टेलीफोन काटे जाने के बदले में शायद यह कार्रवाई की गई हो ।

(ग) यह मामला गोआ असेम्बली में पेश हुआ जहां कि लोक-निर्माण विभाग के मंत्री ने ऐसा बताया कि कुल पानी के बिलों की गैर-अदायगी के कारण पानी की सप्लाई काटी गई थी । इस बारे में राज्य सरकार से पूरे ब्योरे प्राप्त होने बाकी हैं ।

बेरोजगार युवकों को कार्मिक संघों का कार्य अपनाने का परामर्श

4888. **श्री रवि राय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 7 मार्च 1970 को हैदराबाद में एक पत्रकार सम्मेलन में भाषण करते समय बेरोजगार युवकों को कार्मिक संघों का कार्य करने का परामर्श दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे लोगों को सहायता देने के लिये उन्होंने योजना आयोग से विचार-विमर्श किया है ; और

(ग) सरकार ने अपनी योजना को क्रियात्मक रूप देने के लिये क्या उपाय किये हैं और उनका विवरण क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) श्रम नीति तथा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए मैंने कहा था कि यदि कुछ उच्च योग्यता-प्राप्त बेरोजगार नवयुवक जैसे कि इंजीनियर तथा कृषि स्नातक श्रमिकों में ट्रेड यूनियन कार्य संभाल लें तो अच्छी बात होगी ।

(ख) और (ग). इस मामले पर अभी तक योजना आयोग से विचार-विमर्श नहीं हुआ है और इस समय इस सम्बन्ध में कोई विशेष योजना नहीं है ।

Rotten Food-grain in the Godowns of F. C. I. in Rajasthan during 1969-70

4889. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of various foodgrains out of the stock under Food Corporation of India, in Rajasthan, which got rotten and unfit for human consumption during the year 1969-70 ;

(b) the reasons for getting rotten ; and

(c) the action Government propose to take to save the foodgrains from getting rotten ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) About 12 tonnes of gram and 190 Kilograms of gram dal were damaged.

(b) Due to seepage and rise of underground water in hired godowns in spite of adequate dunnage being provided.

(c) Steps have been taken by the Food Corporation of India to ensure stricter precautionary measures in hired godowns to avoid such damage to foodgrains.

दिल्ली में राशन की दुकानों पर भ्रष्टाचार

4890. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली में राशन के बहुत से दुकानदार भ्रष्टाचार

कर रहे हैं और कार्डधारियों को उनके हिस्से का बहुत-सा बढ़िया गेहूं तथा चावल नहीं देते और उन्हें इसे खुले बाजार में ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ता है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि लगभग 2,00,000 कार्डधारियों ने अपने कार्ड का नवीकरण नहीं कराया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) दिल्ली प्रशासन को उचित मूल्य की दुकानों के दुकानदारों द्वारा भ्रष्टाचार करने से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । उचित मूल्य की दुकानों की व्यापक जांच का कार्य शुरू किया गया था और यह सुनिश्चित करने के लिये कि भ्रष्टाचार के ऐसे मामले फिर न होने पाएं, कार्यवाही की गयी थी ।

(ख) जी नहीं । केवल 68,000 कार्डों को नवीकरण के लिये पेश नहीं किया गया था ।

जमशेदपुर में डाक-तार कर्मचारियों के रहने की समस्या

4891. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना, प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमशेदपुर में डाक-तार विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) जमशेदपुर में डाक-तार विभाग के ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें क्वार्टर अथवा रहने की अन्य सुविधायें प्रदान की गई हैं ;

(ग) 1970-72 में बनाये जाने वाले क्वार्टरों की कुल संख्या कितनी है ;

(घ) क्या यह सच है कि डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को किराये पर भी रहने की जगह नहीं मिलती क्योंकि जमशेदपुर में सभी मकान टाटाओं के हैं और वे डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को किराये पर मकान नहीं देते ; और

(ङ) वहां की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को रहने के स्थान उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का विचार है ; उदाहरण के लिये टाटाओं पर दबाव डाला जा सकता है कि वह कर्मचारियों के लिये खाना बनाने के स्थान की व्यवस्था करें ताकि उन्हें गलियों में न रहना पड़े ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 594

(ख) 110

(ग) 12 टाइप II (क) क्वार्टरों और

12 टाइप I क्वार्टरों के लिये हाल में ही प्राक्कलन मंजूर कर दिये गए हैं । आगे प्रावधानों के लिये मामले की जांच की जा रही है ।

(घ) जी नहीं । यह सत्य नहीं है कि सभी मकान टाटा के हैं । इस कस्बे में दूसरे व्यक्तियों के भी निजी मकान हैं ।

(ङ) विभाग ने अभी तक अपनी ओर से 75 रिहायशी क्वार्टर दिये हैं । बाकी जो क्वार्टर अलाट किये गए हैं वे इस इलाके के विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं से किराये पर लिए गए हैं । टाटा प्राधिकारियों से भी समय-समय पर निवेदन किया गया है कि वे डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकानों की व्यवस्था करें । उन्होंने भी कुछ क्वार्टर दिये हैं । दो क्वार्टरों का इस्तेमाल कर्मचारियों के लिये बतौर मेस के लिये किया जा रहा है । टाटा प्राधिकारियों ने तुरन्त और अधिक क्वार्टर देने के लिये अपनी असमर्थता प्रकट की है ।

Uniform Duty Hours for Chowkidars of A. I. R.

4892. **Shri Ram Avtar Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of chowkidars at various stations of the All India Radio ;

(b) the number of hours for which they are asked to perform duty daily as against the duty-hours prescribed for them under the rules ;

(c) whether it is a fact that chowkidars at Patna and some other stations are required to perform 12-hour duty while in some other stations they perform only 8-hour duty ;

(d) if so, the reasons for this discrimination ; and

(e) whether Government propose to fix uniform duty hours for Chowkidars for all the stations ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 319

(b) The normal daily working hours of the chowkidars vary from eight to twelve hours according to the requirements of each local office.

(c) and (d). Yes, Sir. The requirements vary from station to station and the chowkidars concerned are required to put in duties according to necessity.

(e) The matter is under consideration of Government.

बिहार में फर्मों/व्यक्तियों पर टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

4893. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों/फर्मों के नाम क्या हैं जिन पर टेलीफोन बिलों की 1000 रुपये या इससे अधिक राशि बकाया है और उन व्यक्तियों/फर्मों से टेलीफोन बिलों की बकाया राशि वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है; और

(ख) जिन व्यक्तियों/फर्मों पर 1 जनवरी, 1970 को टेलीफोन बिलों की 1000 रुपये से अधिक राशि बकाया थी, उनके नाम में काम कर रहे टेलीफोन नम्बर क्या हैं और ऐसे टेलीफोनों को चालू रहने देने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). जिन व्यक्तियों/फर्मों पर टेलीफोन बिलों की 1000 रुपये या इससे अधिक की राशि बकाया है, उनके नामों के सम्बन्ध में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। यह एकत्रित करके सभा-पटल पर रख दी जाएगी। फिर भी जिन उपभोक्ताओं ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, उनके टेलीफोन शीघ्र काटने के लिये अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। जिन पार्टियों के बिल बकाया हैं, उनसे भगतान करने के लिये कहा जाता है और जहां आवश्यक हो, कानूनी कार्रवाई की जाती है।

वायस आफ अमेरिका का तमिल भाषा में प्रसारण

4894. **डा० सुशीला नैयर :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायस आफ अमेरिका ने मई, 1970 से तमिल भाषा में भी कार्यक्रम प्रसारित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) पता लगा है कि निर्णय बजट आधार पर लिया गया है।

(ग) सरकार के पास इस मामले में कहने के लिये कुछ नहीं है।

चीनी मिलों को अधिकार में लेने के लिये उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

4895. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में कुछ चीनी मिलों को अपने हाथों में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी धनराशि की मांग की थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने उन कुछ चीनी मिलों की कुर्की की है जिनके जिम्मे पिछले वर्षों के गन्ने के मूल्य; उपकर/क्रयकर, कमीशन और ब्याज के बकाये की पर्याप्त राशि थी और उनके प्रबन्ध के लिये सरकारी रिसीवर नियुक्त किया है।

(ख) और (ग) . उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी थी और न ही उन्हें दी गयी थी।

संगजार्मर तथा इम्फाल बाजार डाकघरों में मनीआर्डरों का न लिया जाना

4896. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगजार्मर तथा इम्फाल बाजार के दो डाकघरों ने हाल ही में मनीआर्डर लेना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ;

(ग) इम्फाल बाजार डाकघर तो पुलिस स्टेशन के बिलकुल निकट स्थित है, वहां मनीआर्डर लेना क्यों बन्द कर दिया गया है ; और

(घ) उपरोक्त दो डाकघरों में ऐसी स्थिति कब से है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, 20 फरवरी, 1969 से दो डाकघरों में मनीआर्डर बुक करने का काम रोक दिया गया था, किंतु इम्फाल बाजार प्रधान डाकघर में 27 फरवरी, 1969 से इस काम को फिर से चालू कर दिया गया है ।

(ख) नवम्बर, 1968 में इम्फाल में सशस्त्र डकैती पड़ी जिसमें स्थानीय खजाने को ले जाते समय डाकघर रोकड़ लूटी गई तथा इम्फाल बाजार डाकघर में दूसरी डकैती 18 फरवरी, 1969 को पड़ी । परिणामस्वरूप सारे इम्फाल नगर में बड़ी विषम स्थिति पैदा हो गई । अतः मणिपुर प्रशासन के परामर्श से इम्फाल बाजार तथा संगजार्मर नगर उप डाकघरों में मनीआर्डर बुक किये जाने का काम सुरक्षा की दृष्टि से स्थगित कर दिया गया था ।

(ग) 18 फरवरी, 1969 को इम्फाल बाजार डाकघर में डकैती की घटना की दृष्टि से स्थिति को सुरक्षित नहीं समझा गया था ।

(घ) सशस्त्र पुलिस गार्ड के पोस्ट किये जाने पर जल्दी ही इम्फाल बाजार डाकघर में मनीआर्डर बुक करने का काम फिर से चालू कर दिया गया था किन्तु अभी तक संगजार्मर बाजार डाकघर में मनीआर्डर बुक करने का काम फिर से चालू नहीं किया जा सका है, क्योंकि मणिपुर प्रशासन इस डाकघर में सशस्त्र पुलिस गार्ड की व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाया है । फिर भी असम सर्कल के पोस्टमास्टर जनरल को निदेश दिया गया है कि वह मणिपुर प्रशासन के परामर्श से एक बार पुनः स्थिति की पुनरीक्षा करे ।

मनीपुर में ठेकेदार तथा श्रमिकों के बीच विवाद

4897. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी इम्फाल के लिये मयांग इम्फाल में ट्रांसमीटर स्टेशन हेतु निर्माण-कार्य में लगे स्थानीय श्रमिकों के एक दल ने मनीपुर के श्रम आयुक्त को आवेदन किया था कि ठेकेदार ने उनके द्वारा किये गये मिट्टी सम्बन्धी कार्य की मजूरी का उन्हें भुगतान नहीं किया गया है ;

(ख) क्या श्रम आयुक्त ने श्रमिकों को एक सहमत राशि के भुगतान हेतु एक मान्य निर्णय दिया है और मनीपुर के लोक निर्माण विभाग अधिकारियों से श्रमिकों को आवश्यक भुगतान करने हेतु ठेकेदार के बिल से 5000 रुपये की उक्त राशि काट लेने के लिए भी कहा है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(घ) क्या निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) सम्बन्धित श्रमिकों को ठेकेदारों से अदायगी की राशि प्राप्त हो गई है और इसलिए सरकार ने ठेकेदारों के बिलों की अदायगी नहीं रोकी है ।

(घ) निर्माण कार्य जारी है।

1969-70 में मनीपुर में खोले गये डाकघर

4898. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्यक्षेत्र मनीपुर में 1969-70 में कितने डाकघर खोले गये ;

(ख) मनीपुर में आज तक कुल कितने डाकघर कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या लीलांग और सार्जिंग गांवों के लिये डाकघर खोलने के स्थान के बारे में विवाद हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त दोनों बाजारों में दो डाकघर खोले जा रहे हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 10.

(ख) 26-3-70 की तारीख को 235 ।

(ग) और (घ). लिलांग डाकघर का दर्जा बढ़ाकर इसे विभागीय उप डाकघर बनाने के बाद नये भवन में ले जाया गया था। यह नया भवन अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर की पहली वाली जगह से एक फर्लांग की दूरी पर है। कुछ पार्टियों ने ऐसा अभ्यावेदन दिया है कि डाकघर की नई जगह चार्जिंग में है, लिलांग खास में नहीं है। फिर भी, मणिपुर के डिप्टी कमिश्नर का विचार है कि विभागीय उप डाकघर लिलांग खास में ही स्थित है। जिला प्राधिकारियों के विचार को और इस बात को दृष्टि में रखकर कि नया स्थान और पुराना स्थान सिर्फ एक फर्लांग की दूरी पर है, डाकघर की पहली जगह पर एक दूसरा डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मनीपुर के किसानों को उर्वरकों का वितरण

4899. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 के दौरान मनीपुर के किसानों को कितनी मात्रा में उर्वरकों का वितरण किया गया ;

(ख) जनवरी, 1970 में वितरित न किये गये उर्वरकों के स्टाक के अन्तिम आंकड़े क्या थे और इसका स्टाक रखने वाली एजेंसियों के नाम क्या थे ;

(ग) वर्ष 1970 में कितने उर्वरकों के वितरण का प्रस्ताव है ; और

(घ) वर्ष 1969 और चालू वर्ष 1970 में वितरित उर्वरक की प्रति किलोग्राम तुलनात्मक दर क्या है ; और चालू वर्ष में किन-किन एजेंसियों को वितरण या उर्वरकों की बिक्री का काम सौंपा गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एन० पी० और के० के रूप में उर्वरकों की निम्न मात्रायें वितरित की गई हैं :

नाइट्रोजन	459 मीटरी टन
$पी_2ओ_5$	57 ,, ,,
$के_2ओ$	5 ,, ,,

(ख) सहकारी विपणन समिति लिमिटेड तथा उसके उप-एजेन्टों के पास एन० पी० और के० के रूप में उर्वरकों का निम्न स्टाक मौजूद था :

नाइट्रोजन	1089 मीटरी टन
$पी_2ओ_5$	230 ,, ,,
$के_2ओ$	14 ,, ,,

(ग) वर्ष 1970 के दौरान एन० पी० और के० के रूप में उर्वरकों की निम्न मात्रा वितरित की जानी है :

नाइट्रोजन	708 मीटरी टन
$पी_2ओ_5$	110 ,, ,,
$के_2ओ$	24 ,, ,,

(घ) वर्ष 1969 और 1970 में वितरित किये गये उर्वरक की तुलनात्मक दरें निम्न प्रकार हैं :

	1969	1970
	रुपये	रुपये
यूरिया	0.86 प्रति किलो	0.83 प्रति किलो
सुपरफास्फेट	0.32 ,,	0.40 ,,
डाई-अमोनियम फास्फेट	1.09 ,,	0.93 ,,
म्यूरेट आफ पोटाश	0.48 ,,	0.53 ,,

चालू वर्ष में 33 उप-एजेन्टों द्वारा उर्वरक वितरित किया जा रहा है।

उड़ीसा के कृषि तथा टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय के कृषि इन्जीनियरिंग विभाग में साज सामान की कमी के विरुद्ध छात्रों में रोष

4900. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 22 जनवरी, 1970 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में समय नष्ट करना (Waste of time) शीर्षक से देश के कृषि विश्वविद्यालयों के दर्जे के सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा कृषि तथा टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय, विशेषतः कृषि इंजीनियरिंग विभाग में प्रयोगशालाओं तथा कर्मचारी सम्बन्धी सुविधाओं आदि की व्यवस्था बड़ी ही असन्तोषजनक है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ छात्राओं ने विश्वविद्यालय में नष्ट हुए अपने वर्षों का मुआवजा देने के लिये उक्त विश्वविद्यालय के उपकुलपति को पत्र लिखा है ; और

(घ) क्या ऐसे मामलों में सरकार का समवर्ती उत्तरदायित्व होता है ; और यदि हां, तो उस दायित्व को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्ययाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह मंत्रालय कृषि विज्ञान और तकनोलोजी के उड़ीसा विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, के बारे में टिप्पणी से अवगत है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा हाल में ही स्थापित एक विशेषज्ञ दल को कृषि इन्जीनियरिंग महाविद्यालय की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने को कहा गया है। ठीक उत्तर इस रिपोर्ट के आधार पर ही दिया जा सकता है।

(ग) जी हां।

(घ) कृषि विश्वविद्यालय एक स्वायत्त निकाय है और वह कृषि और तकनोलोजी उड़ीसा विश्वविद्यालय अधिनियम 1965 के उपबन्धों के अनुसार कार्य करता है। विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में सरकार का साझा उत्तरदायित्व नहीं है। प्रबन्धक-बोर्ड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि है और भारत सरकार इस कार्य के लिये बनाये गये विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर कुछ सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की विभिन्न समस्याओं सम्बन्धी उप-समितियों की सिफारिशों की क्रियान्विति

4901. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं अर्थात् भविष्य निधि

के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की संख्या, भरती और भवन सम्बन्धी समस्याओं की जांच करने के लिये कितनी उप-समितियां गठित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उप-समितियों की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन समितियों पर कुल कितना खर्च हुआ ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : कर्मचारी भविष्य निधि का प्रशासन केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है। भविष्य निधि प्राधिकारियो नें इस प्रकार सूचित किया है :

(क) से (ग). केन्द्रीय न्यासी बोर्ड को सलाह देने के लिये तीन उप-समितियां अर्थात् भर्ती उप-समिति, सीमा-क्षेत्र उप-समिति, और भवन उप-समिति नियुक्त कर दी गई थीं। भर्ती उप-समिति और सीमा-क्षेत्र उप-समिति ने अपनी-अपनी रिपोर्टें भेज दी हैं और ये उप-समितियां अब विद्यमान नहीं हैं। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड/केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित इन उप-समितियों की सिफारिशें क्रियान्वित की जा रही हैं। भवन-उप-समिति स्थायी समिति के रूप में है जोकि संगठन में निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रस्तावों की जांच करती है। जैसे ही भवन उप-समिति की सिफारिशें बोर्ड/केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं वैसे ही उन्हें क्रियान्वित किया जाता है।

(घ) 5,835 रुपये।

कर्मचारी भविष्य निधि न्यासधारियों के केन्द्रीय बोर्ड के सदस्यों द्वारा भविष्य निधि की देय राशि की वसूली से बचने में अपने पद का दुरुपयोग

4902. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि न्यासधारियों के केन्द्रीय बोर्ड में नियोजकों के कुछ प्रतिनिधि प्रमुख संस्थाओं के, जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिकारियों द्वारा भविष्य निधि की देय राशि के वसूल किये जाने से साफ बचते रहे हैं, के सभापति या निदेशक हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे यह प्रकट नहीं होता कि देय राशि की वसूली के लिये कानून के क्रूर हाथों से बचने में न्यासधारी बोर्ड के सदस्यों के रूप में उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों का ब्योरा क्या है, इस प्रकार कितनी भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया है और वे कितने समय से इस भुगतान से बचने में सफल हुए हैं ; और

(घ) उन्हें बोर्ड के सदस्यों के रूप में बने रहने देने के क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ). कर्मचारी

भविष्य निधि योजना, 1952 के प्रशासन का सम्बन्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन गठित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है और भारत सरकार का इससे ताल्लुक नहीं है। एक विवरण जिसमें भविष्य निधि प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना दी गई है, सभापटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3068/70]**

(घ) न्यासी बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य नियोजकों और श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे उनकी व्यक्तिगत अथवा अलग-अलग हैसियत पर नियुक्त नहीं किये जाते। इसलिये, जब तक वे कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 8 के अन्तर्गत अयोग्य घोषित नहीं किये जाते अथवा जब तक वे सम्बन्धित संगठनों का प्रतिनिधित्व बन्द नहीं करते, उनके हटाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को राजसहायता प्राप्त आवास स्थान देना और उनके आवंटन में कथित भेद-भाव

4903. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए क्वार्टरों का निर्माण होने तक इस विभाग के पात्र अनुसचिवीय कर्मचारियों को राज सहायता प्राप्त आवास स्थान देने की सुविधायें नहीं दी गई हैं, यद्यपि संगठन के कार्यकारी प्राधिकारी कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यास बोर्ड ने 1963 ही में ऐसा निर्णय लिया था ;

(ख) क्या बोर्ड का 1963 में लिया गया यह निश्चय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के राजपत्रित तथा अराजपत्रित दोनों अधिकारियों पर समान रूप से लागू होता है ; और

(ग) यदि हां, तो राज सहायता प्राप्त आवास की सुविधा मंत्रालय के कर्मचारियों को न देकर केवल राजपत्रित अधिकारियों को देने की भेद-भाव पूर्ण नीति के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : कर्मचारी भविष्य निधि का प्रशासन केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है ;

(क) बोर्ड के निर्णयानुसार रिहायशी आवास-स्थान वास्तव में केवल असाधारण परिस्थितियों में और कुछ ऐसे प्रमुख कर्मचारियों (अराजपत्रित कर्मचारियों समेत) के लिए किराए पर लिए गए जो प्रतिनियुक्ति पर हैं या जो सामान्यरूप से स्थानांतरित हो सकते हैं। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में स्थित संगठन के कर्मचारियों को बाद में दिए गए 5 प्रतिशत अतिरिक्त मकान किराया भत्ते के संदर्भ में इस मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई के बड़े डाकघर के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दियों और सैंडलों की सप्लाई

4905. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा बम्बई में बड़े डाकघर के चौथी श्रेणी के लगभग 100 कर्मचारियों को वर्दियां और सैंडलें सप्लाई की जा रही थीं लेकिन उनकी सप्लाई वर्ष 1965 में किसी कारण बन्द कर दी गई थी ;

(ख) क्या इस बारे में 'मजदूर' कहे जाने वाले बम्बई के बड़े डाकघरों के कम आय वाले कर्मचारियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इस बारे में बड़ा डाकघर, बम्बई और डाक-तार महानिदेशालय, नई दिल्ली के बीच दीर्घकालिक पत्र-व्यवहार हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार 'मजदूरों' की वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने और उन्हें बिना विलम्ब वर्दियों और सैंडिलों की सप्लाई की मंजूरी देने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, विभागीय नियमों के अन्तर्गत डाक शाखा के मजदूर वर्दियां प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं; किन्तु बम्बई के बड़े डाकघर में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से सप्लाई की गई थी। इसे बन्द कर दिया गया है।

(ख) और (ग). यह सत्य है कि इस बारे में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वास्तव में मजदूरों को वर्दियां सप्लाई करने का प्रश्न गैर-हकदार श्रेणियों के कर्मचारियों के अर्थात् जो कर्मचारीवर्ग फिलहाल वर्दियां प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं, उन्हें वर्दियां सप्लाई किये जाने के सामान्य प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है तथा यह प्रश्न संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद् की एक समिति के विचाराधीन है।

आकाशवाणी के श्रोताओं का सांस्कृतिक दायरा सीमित करना

4906. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को साहित्यिक उपलब्धियां अनेक मामलों में बहुत उच्च कोटि की हैं ;

(ख) क्या विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय मूल के व्यक्तियों, जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, द्वारा लिखित साहित्य को आकाशवाणी से प्रसारित करने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ;

(ग) क्या विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय मूल के व्यक्तियों को उच्चकोटि की साहित्यिक सामग्री का परित्याग करके सरकार आकाशवाणी के श्रोताओं के सांस्कृतिक दायरे को सीमित नहीं कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग को यह निदेश देगी कि अन्तर्सांस्कृतिक तथा अन्तर्जातीय आदान-प्रदान के सम्बन्ध में यूनेस्को दर्शन के अनुसार

विदेशों में, विशेषकर अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मूल के योग्य लेखकों की साहित्यिक रचनाओं के सम्बन्ध में विचार करते समय वह उदार दृष्टि अपनायें ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई बड़ा डाकघर की नई इमारत की योजना

4907. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई बड़ा डाकघर की इमारत उसकी जीर्ण अवस्था तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए फरवरी 1970 में उसका एक हिस्सा गिर गया था, सुरक्षित नहीं है ;

(ख) इस स्पष्ट तकनीकी सलाह के बावजूद कि वर्तमान अवस्था में बड़ा डाकघर उपयोग के योग्य नहीं है, सरकार इस डाकघर में काम कर रहे 3000 कर्मचारियों के जीवन खतरे में क्यों डाल रही है ;

(ग) बम्बई बड़ा डाकघर में काम कर रहे पुरुषों तथा महिलाओं और आम जनता की सुरक्षा हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) सरकार का बड़े डाकघर के लिये नई इमारत का निर्माण कार्य कब शुरू करने का इरादा है और नई इमारत के लिये योजना कब स्वीकार की गई थी और निर्माण कार्य आरम्भ करने में देरी के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). बड़े डाकघर की इमारत के पश्चिमी भाग की दूसरी मंजिल के बरामदे की लगभग 200 वर्ग फुट की छत 22-1-70 को गिर पड़ी। उस समय छत के गनाइटीकरण का काम चल रहा था। हाल ही में जिन छतों के भागों का गनाइटीकरण किया गया था, उनके बारे में भारवहन परीक्षण करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि ऐसी छतें सुरक्षित हैं कि नहीं। फिर भी, ऐसा पता लगा है कि छत और फर्श के स्लेबों को तुरंत बदलने की जरूरत है। समूचे रूप से इमारत को गिरा कर फिर से नई इमारत तामीर कराने के बदले उपर्युक्त कार्रवाई को उचित समझा गया। इसके निम्नलिखित कारण हैं—

(1) चूंकि इमारत की दीवारें मजबूत हैं, फर्श और छत के स्लेबों को बदल देने पर इमारत लम्बे अर्से तक बनी रहेगी।

(2) एक उचित इमारत किराये पर लेने में होने वाली कठिनाइयों से बचा जा सकता और कार्यालय के अनुभागों को कुछ समय के लिए दूसरे स्थान पर ले जा कर इमारत के छोटे हिस्सों को बदल दिया जाएगा।

(3) इमारत को समूचे तौर पर नये सिरे से बनाने से कार्यालय के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि फर्शी क्षेत्रफल को ढकने के बारे में प्रतिबन्ध हैं। पोस्टमास्टर जनरल ने ऐसे फर्शों पर भार कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर ली है ताकि वे फर्श सुरक्षा की सीमाओं में रहें।

यदि बड़े डाकघर के किसी अनुभाग को पुनर्निर्माण कार्य के दौरान किसी दूसरी जगह पर ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई चल रही है।

(घ) बम्बई के बड़े डाकघर के अहाते की नई इमारत की योजना पर बम्बई नगर निगम ने दिसम्बर 1969 में ही स्वीकृति दी है। तत्पश्चात् आगे ब्योरेवार ड्राइंग तैयार करने का काम चल रहा है और आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में काम शुरू कर दिया जाएगा।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध तथा नई दिल्ली में और डिपुओं की स्थापना

4908. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना डिपुओं से दूध लेने वालों की संख्या कितनी है ; और

(ख) सरकार नई दिल्ली में और कितने डिपुओं की स्थापना कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा 15-3-1970 तक 3,52,650 दुग्ध टोकन जारी किये गये हैं।

(ख) पहले ही स्थापित 514 दुग्ध वितरण केन्द्रों में से 161 केन्द्र नई दिल्ली क्षेत्र में स्थित हैं। दिल्ली दुग्ध योजना ने दुग्ध वितरण केन्द्रों के लिए 62 अतिरिक्त स्थल चुने हैं, जिनमें से 40 स्थल नई दिल्ली में है।

कार्मिक संघों को मान्यता देने के लिए ग्राम पंचायतों के लिए कानूनी शक्ति

4909. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायतों को कृषि कार्मिक संघों को मान्यता प्रदान करने की कानूनी शक्ति प्रदान की जायेगी, जैसा कि श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) (क) नहीं, श्रीमान्जी। श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सहकारी समितियों के सम्बन्ध में नई नीति

4910. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी समितियों की असफलता को देखते हुए सरकार सहकारी समितियों के सम्बन्ध में कोई नीति बनाने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

यह कहना सही नहीं है कि सहकारी आन्दोलन असफल रहा है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्री बी० वैंकटाप्पया की अध्यक्षता में स्थापित की गई अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति, जिसने ग्रामीण ऋण सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार किया था, की हाल की रिपोर्ट में सहकारी ऋण के विस्तार में हुई प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख किया गया है । 1960-61 में सहकारी समितियों द्वारा 202 करोड़ रुपया के अल्प तथा मध्य-कालीन ऋण दिये गये थे, जो 1968-69 में बढ़कर 486 करोड़ रुपया के हो गये हैं । 1960-61 में भूमि विकास बैंक द्वारा 11.62 करोड़ रु० के दीर्घकालीन ऋण दिये गये थे, जो 1968-69 में बढ़कर 129 करोड़ रुपये के हो गये हैं । तथापि, आन्दोलन का असमान विकास, कमजोर यूनिटों का होना तथा ऋण का अपर्याप्त प्रवाह जैसी कुछ कमियां हैं । इनमें से कुछेक सहकारी आन्दोलन की संगठनात्मक तथा ढांचे सम्बन्धी कमजोरियों और कुछेक क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन जैसे बाह्य कारणों से सम्बन्धित हैं ।

सहकारी आन्दोलन के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में समय-समय पर समितियों का गठन तथा अध्ययन किये गये हैं । ढांचे सम्बन्धी असंतुलनों तथा संगठनात्मक कमियों को दूर करने के लिये राज्य सरकारों को सुझाव दिये गये हैं तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त सूचित किये हैं । ये इनसे सम्बन्धित हैं—नीचे के स्तर पर जीवक्षम यूनिटें बनाने के लिये प्राथमिक ऋण समितियों को पुनर्गठित करना, कमजोर केन्द्रीय बैंकों की पुनः स्थापना करना, ऋण नीतियों तथा प्रक्रियाओं में सुधार करना और संस्थाओं में काम करने के लिये योग्य तथा प्रशिक्षित कार्मिक तैयार करना । राज्यों तथा सहकारी समितियों ने इन उपायों पर कार्यवाही करनी शुरू कर दी है, यद्यपि प्रगति धीमी है । ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति ने यह भी कहा है कि "नई नीतियों को बनाने तथा उन्हें अपनाने की अपेक्षा उन नीतियों को, पूर्णरूपेण क्रियान्वित करने की अत्यधिक आवश्यकता है जो सिद्धान्त रूप में पहले ही स्वीकार की जा चुकी हैं ।"

एक केन्द्रीय अधिनियम पारित किया गया है, ताकि उन राज्यों में कृषि ऋण निगम

स्थापित किये जा सकें जिसमें सहकारी आन्दोलन कमजोर है ? ये निगम सहकारी ऋण की अनुपूर्ति करने के लिये हैं । जहां केन्द्रीय बैंक कमजोर हैं, वहां वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिक ऋण समितियों को सीधे धन सुलभ करने की एक योजना भी पांच राज्यों में परीक्षण के आधार पर चलाई जा रही है । नए संस्थागत अभिकरण, जैसे छोटे किसानों का विकास अभिकरण, और उप-सीमान्त तथा भूमिहीन मजदूरों के लिये इसी प्रकार का एक अभिकरण, भी गठित किये जा रहे हैं । ये अभिकरण अपने कार्य क्षेत्र के वर्तमान सहकारी ढांचे का उपयोग करेंगे ।

सहकारी समितियों द्वारा गतिविधि के अन्य क्षेत्रों, जैसे विपणन, विधायन, कृषि सम्भरण तथा उपभोक्ता व्यापार में भी प्रशंसनीय प्रगति की गई थी । सहकारी विपणन तथा विधायन समितियों द्वारा 1960-61 में 179 करोड़ रु० के मूल्य की कृषि उपज का व्यापार किया गया था जो 1968-69 में बढ़कर 583 करोड़ रु० का हो गया । सहकारी चीनी कारखानों ने देश के कुल चीनी उत्पादन का एक तिहाई से अधिक भाग तैयार किया है, जब कि 1960-61 में 14.8 प्रतिशत भाग तैयार किया गया था । कपास विधायन यूनिटों और चावल मिलों ने भी देश में पैदा होने वाली कपास तथा धान की होने वाली प्रचुर भाग का कारोबार किया । सहकारी समितियों ने 1960-61 में लगभग 34 करोड़ रु० के मूल्य के कृषि निवेशों का वितरण किया था, जब कि 1968-69 में यह राशि बढ़कर 250 करोड़ रु० से अधिक तक पहुंच गई । देश में वितरित किये जाने वाले उर्वरकों के कुल मूल्य में लगभग 60 प्रतिशत भाग अब सहकारी समितियों का है । 1960-61 में सहकारी समितियों का संचयन धारिता 8 लाख मीटरिक थी, जो 1968-69 में बढ़कर 26 लाख मीटरी टन हो गई । इसी अवधि में सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किये गये खुदरा उपभोक्ता व्यापार का मूल्य 17 करोड़ रु० से बढ़कर 226 करोड़ रु० हो गया । शहरी क्षेत्रों के बारे में 1960-61 तथा 1968-69 के तदनुरूपी आंकड़े क्रमश: 40 करोड़ रु० तथा 280 करोड़ रु० थे । सहकारी गतिविधि के इन क्षेत्रों में भी नई यूनिटें तथा समितियां गठित करने की अपेक्षा वर्तमान ढांचे को सुदृढ़ तथा मजबूत बनाने पर बल दिया गया है । एक ठोस ढांचे का निर्माण करने के लिये इन्हें मूलभूत मानदण्ड के रूप में स्वीकार करने पर बल दिया गया है । व्यापारिक पद्धतियां अपनाना, प्रशिक्षित तथा योग्य कार्मिक नियुक्त करना, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करना और आर्थिक जीव्यता पर ध्यान देना ।

जून, 1968 में मुख्य मंत्रियों और सहकारिता के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन ने सहकारी समितियों में निहित स्वार्थों के विकास को रोकने के लिए कुछेक उपायों की सिफारिश की थी, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इन सिफारिशों के अनुसरण में राज्यों के सहकारी कानूनों में कुछ आशोधन कर दिये हैं । कुछेक अन्य राज्यों ने राज्य सरकारी कानूनों में किये जाने वाले व्यापक संशोधनों का अध्ययन करने के लिये समितियां नियुक्त की हैं, जब कि कुछ दूसरे राज्यों में संशोधन विचाराधीन हैं ।

भारतीय पत्रकारिता सेवा आरम्भ करना

4911. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता कार्य के लिये भारतीय पत्रकारिता सेवा 'आई० जेड० एस०' आरम्भ करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) समाचारपत्रों के गैर सरकारी क्षेत्र में होने के कारण, समाचारपत्र संस्थानों में पदों को भरने के लिये किसी सेवा का चालू करना सरकार के लिए न तो आवश्यक है और न उचित है ।

सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण के पास अनिर्णीत मामले

4913. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरणों के पास 31 जनवरी, 1970 तक कितने मामले पड़े हुये थे ; और

(ख) 1969 में उनमें से प्रत्येक ने कितने मामले निपटाये ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) 301 न्याय-निर्णय के मामले और 2069 प्रार्थना-पत्र ।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया है ।

विवरण

क्रमांक	न्यायाधिकरण का नाम	निपटाए गए मामलों/प्रार्थना पत्रों की संख्या	
		मामले	प्रार्थना-पत्र
1.	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-व-श्रम न्यायालय नं० 1, बम्बई	19	437
2.	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-व-श्रम न्यायालय नं० 2, बम्बई	23	265

3.	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-व-श्रम न्यायालय नं० 1, धनबाद	16	58
4.	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-व-श्रम न्यायालय नं० 2, धनबाद	50	560
5.	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-व-श्रम न्यायालय नं० 3, धनबाद	81	1
6.	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-व-श्रम न्यायालय, कलकत्ता	98	135
7.	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-व-श्रम न्यायालय, जबलपुर	47	896
8.	राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद	9	52
9.	राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता	2	36
10.	राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली	—	—
	योग	345	2440

डाकपत्थर, उत्तर प्रदेश में डाक-तार कर्मचारियों को दिये जाने वाले परियोजना भत्ते आदि में असमानता

4914. **श्री देव राव पाटिल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश खण्ड के डाक पत्थर में काम कर रहे डाक-तार कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों से काफी कम परियोजना भत्ता दिया जाता है ; यदि हां, तो इस विभिन्नता के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक-तार कर्मचारियों को वेतन का दस प्रतिशत प्रतिमास मकान किराए के रूप में देना पड़ता है, यदि हां, तो इस असमानता का क्या कारण है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि डाक-तार कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल जाने के लिये प्रति बच्चा प्रतिमास दस रुपये देने पड़ते हैं जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को कुछ भी नहीं देना पड़ता, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार का इस असमानता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

घरेलू रेडियो के लिये रेडियो लाइसेन्स शुल्क में कमी

4915. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेडियो सेटों की संख्या में भारी वृद्धि और विविध भारती की वाणिज्यिक सेवाओं से होने वाली भारी आय को ध्यान में रखते हुये घरेलू रेडियो पर लाइसेन्स शुल्क में कमी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) आकाशवाणी का आय का मुख्य स्रोत रेडियो लाइसेन्स शुल्क है । इस समय इससे केवल आवर्ती व्यय ही पूरा होता है । घरेलू सेटों के लाइसेन्स शुल्क में कमी करने से इसकी आय काफी कम हो जायेगी ।

ग्वालियर टेलीफोन के लिये विचाराधीन आवेदन-पत्र

4916. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ग्वालियर में कुल कितने टेलीफोन संबंध कार्य कर रहे हैं ;

(ख) नये टेलीफोनों के लिये कितने आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं ;

(ग) प्रतिमास टेलीफोनों के लिए कितने आवेदन-पत्र आते हैं और कितने टेलीफोन दिये जाते हैं ; और

(घ) विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या को कम करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 2,447

(ख) 93

(ग) प्रति महीने औसतन मांग-33

प्रति महीने लगाए गए टेलीफोनों की औसतन संख्या-30

(घ) देश के अन्य स्थानों की तुलना में ग्वालियर में टेलीफोनों की स्थिति काफी अच्छी

है। फिर भी, मौजूदा क्षमता में 200 लाइनें और बढ़ाकर विस्तार करने और बाद में समूची एक्सचेंज प्रणाली को 4000 लाइनों के क्रासबार एक्सचेंज में बदलने की योजना है।

Wage Board for Mica Industry

4917. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to constitute a Wage Board for mica industry, as has been done in the case of other industries, to fix the wages of mica-workers ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) the minimum and maximum wages of mica-workers in the State of Bihar, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh separately ;

(d) whether these are not very low as compared to other mining industries ; and

(e) if so, the steps being taken by Government to raise them ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya : (a) and (b). No, it is not proposed to set up new wage boards pending decisions on recommendations of the National Commission on Labour.

(c) Available information is given in table No. 4.10 (pages 88-89) of the publication Indian Labour Statistics, 1969.

(d) and (e). The employment in Mica works is covered by the Minimum Wages Act, 1948, and it is open to the "appropriate Governments" to review and revise the wage rates, wherever necessary.

आकाशवाणी मद्रास से हिन्दी में कार्यक्रम

4918. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**

श्री जय सिंह :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के मद्रास केन्द्र से हिन्दी कार्यक्रमों के प्रसारण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) ऐसी व्यवस्था करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो हिन्दी कार्यक्रमों के लिये कितना समय निर्धारित किया गया है; और

(ङ) सरकार कौन से मूलभूत अधिकारों को अनुचित समझती है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हिन्दी के मुख्य समाचार बुलेटिनों के प्रतिदिन प्रसारण के अतिरिक्त मद्रास केन्द्र से

इसकी मुख्य सेवा से महीने में दो बार अर्थात एक सोमवार को छोड़कर दूसरे सोमवार को पन्द्रह पन्द्रह मिनट के लिये हिन्दी कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। मद्रास से विविध भारती के प्रसारित होने वाले अधिकांश कार्यक्रम भी हिन्दी में ही होते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एन्ड्रूजगंज, नई दिल्ली में उचित मूल्य की दुकान का बन्द किया जाना

4919. **श्री बाल्मीकी चौधरी :**

श्री शारदा नन्द :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन्ड्रूजगंज, नई दिल्ली में दो में से एक उचित मूल्य की दुकान को बन्द कर दिया गया है, जहां पर वहां के निवासियों को राशन की वस्तुएं बेची जाती थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उचित मूल्य की इस दुकान को बन्द करने से लगभग 1500 कार्डधारियों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है जो कि इस दुकान से राशन ले रहे थे ; और

(ग) यदि हां, तो एन्ड्रूजगंज कालोनी में एक दूसरी उचित मूल्य की दुकान पुनः खोलने के बारे में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, हाल ही में एक दुकानदार ने उचित मूल्य की दुकान छोड़ दी है।

(ख) और (ग). कार्डधारियों को कोई असुविधा न हो, उन्हें पड़ोस में उचित मूल्य की दुकान पर नये सिरे से अपने कार्ड पंजीकृत कराने की सुविधा प्रदान की गयी है। दूसरी दुकान खुलवाने के प्रयत्न भी किए जा रहे हैं।

उत्तर भारत में उपग्रह के लिये भू-केन्द्र स्थापित करना

4920. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपग्रह के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिये उत्तर भारत में भू-केन्द्र स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भू-केन्द्र के स्थान के बारे में भी कोई निर्णय किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) हिन्द महासागर उपग्रह के साथ संचालन के लिए उत्तरी क्षेत्र में एक भूमि केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) अभी नहीं।

Supply of Ration to Dr. Bhagwan Dass Smarak Shradhanjali Samaroh Samiti, New Delhi

4921. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he is the Vice-President of Dr. Bhagwan Dass Smarak Shradhanjali Samaroh Samiti, 2-F, Lajpat Nagar, New Delhi-24 ; and

(b) the reasons for not taking any legal action against the said Trust for irregularity in the use of ration permit which has been cancelled ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir. Minister (Food and Agriculture) is not a Member of any such Committee. He is, however, one of the 7 Vice-Presidents of the Central Executive Council of Dr. Bhagwan Dass Birth Centenary Celebrations sponsoring Committee.

(b) The details of the charges against the Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust were examined by the Delhi Administration. The nature of the findings did not establish a case for prosecution against the Trust.

Change in the Seniority of Telegraphists in the Post and Telegraph Department

4922. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4486 on the 18th December, 1969 and state :

(a) whether it is a fact that seniority of the Telegraphists had been changed five times since the issue of D. G.'s letters Nos. 253-1/57, S. T. V. dated the 19th September, 1957 and No. 253/9/64, S. T. V. dated the 22nd April, 1965 and their seniority has been fixed falsely ;

(b) whether it is also a fact that making changes again and again in the seniority list once fixed is against the judgement of the Supreme Court ;

(c) if so, the names and the addresses of the Telegraphists, who have been affected by the said rules ; and

(d) the justification for making changes again and again in their seniority list ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No. After issue of orders on the subject of seniority of telegraphists vide DG and T letter No. 253/1/57-STB dated 19th September, 1957, subsequent orders only clarified the position existing before 19-9-57. An order under No. 1-28/60-NCG dated 23-2-1963 clarified the manner in which Ministry of Home Affairs O. M. No. 9/11/55-RPS dated 22-12-1959 (which laid down the general principles regulating seniority in services) should be applied to the telegraphists recruited after 22-12-59.

(b) No.

(c) Information will be collected and laid on the Table of the Lok Sabha.

(d) The general principles of seniority laid down by Government had to be applied to those recruited to all cadres after 22-12-59.

खाद्यान्नों की कमी के कारण हानि

4923. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में

कुल कितनी मात्रा में गेहूं तथा चावल का भंडार जमा किया गया ;

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान गोदामों में रखने के कारण गेहूं तथा चावल की कितने प्रतिशत हानि हुई ; और

(ग) इन वर्षों के दौरान गेहूं तथा चावल को गोदामों में रखने पर गोदामों के किराये के रूप में कितनी धनराशि अदा की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) देश में विभिन्न राज्यों के केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अथवा उनकी ओर से गेहूं तथा चावल की भंडार की गई कुल मात्राएं इस प्रकार थीं—

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

	गेहूं	चावल
31-3-1967 को	6.74	8.41
31-3-1968 को	7.61	14.31
31-3-1969 को	18.97	20.66

(ख) खाद्य विभाग के केन्द्रीय भण्डार डिपों में, उनके भारतीय खाद्य निगम को हस्तांतरण से पहले निम्न प्रकार क्षति हुई थी—

(क्षति की प्रतिशतता)

	गेहूं	चावल
1966-67	0.12	0.69
1967-68	0.067	0.36
1968-69	0.07	0.204

(ग) खाद्य विभाग ने अपने सभी गोदाम भारतीय खाद्य निगम को समय-समय पर हस्तांतरित कर दिये हैं और हस्तांतरण कार्य पहली मार्च, 1969 को पूरा हो गया था। केवल गेहूं और चावल के भंडारण के लिये दिये गये किराये के आंकड़े बताना सम्भव नहीं है क्योंकि उन गोदामों का समय-समय पर अन्य जिन्सों के भण्डारण के लिए भी प्रयोग किया गया था। तथापि, खाद्य विभाग तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराये पर लिये गये सभी गोदामों के लिये तीन वर्षों में दिये गये किराये का ब्यौरा इस प्रकार है—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	खाद्य विभाग द्वारा दिया गया	भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया गया	जोड़
1966-67	92.05	73.11	165.16
1967-68	70.02	170.36	240.38
1968-69	65.60	257.44*	323.04

*अस्थायी

महाराष्ट्र में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

4924. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने 1969-70 में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये कितनी वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उस वर्ष में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये महाराष्ट्र को कितना धन दिया है ; और

(ग) क्या महाराष्ट्र के पानी रहित तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये इस वित्तीय वर्ष में सरकार राशि बढ़ायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). प्रचालित पद्धति के अनुसार केन्द्रीय सहायता किसी विशेष कार्यक्रम/योजना के सम्बन्धित नहीं है, परन्तु यह केन्द्र द्वारा समस्त वार्षिक योजना के लिए ब्लाक ऋण तथा अनुदान के आधार पर प्रदान की जाती है । 1969-70 के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए न तो अलग से वित्तीय सहायता मांगी थी, और न ही भारत सरकार द्वारा वर्ष के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के लिये किसी विशेष केन्द्रीय सहायता का आवंटन ही किया गया ।

(ग) चिरकालीन सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास की योजना वित्तीय वर्ष 1969-70 से राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आ गई है । फिर भी चौथी योजना अवधि में राज्यों को कुछ विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिये, जिनमें चिरकालीन सूखाग्रस्त क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्यायें भी सम्मिलित हैं, केन्द्र से 10 प्रतिशत सहायता दी जायेगी ।

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये निलम्बित पड़े आवेदन-पत्र

4925. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में जिलेवार टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूची में इस समय कुल कितने व्यक्ति हैं ; और

(ख) वर्ष 1969 में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जिलेवार कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह): (क) और (ख). सभा पटल पर रखे गये विवरण-पत्र में अपेक्षित सूचना जिलावार दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-3069/70]** प्रतीक्षा सूचियों पर जिन व्यक्तियों के नाम हैं, उन्हें उत्तरोत्तर टेलीफोन दिए जा रहे हैं । 1969 में प्राप्त आवेदनों पर भी तदनुसार कार्रवाई की जा रही है ।

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के गांवों में डाकखानों और टेलीफोन एक्सचेंजों की व्यवस्था

4926. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में कुल कितने गांव हैं और कितने गांव ऐसे हैं जहां इस समय डाकघर अथवा छोटे डाकघर हैं और टेलीफोन एक्सचेंज हैं ;

(ख) कितने गांवों ने उक्त सुविधाओं की मांग की है ; और

(ग) उक्त क्षेत्र में वर्ष 1970-71 के दौरान कितने कस्बों तथा गांवों में नये डाकघर, शाखा डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाएंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में कुल गांवों की संख्या—1924.

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के उन गांवों की संख्या जहां 28 मार्च, 70 को डाकघर मौजूद थे—258.

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के उन गांवों की संख्या जहां 26 मार्च 1970 को टेलीफोन एक्सचेंज मौजूद थे—8.

(ख) उन गांवों की संख्या जिन्होंने 1969-70 के दौरान डाकघर सुविधा की मांग की है—9.

उन गांवों की संख्या जिन्होंने 1969-70 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंज सुविधा की मांग की है—2.

(ग) **डाकघर**

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में किन कस्बों तथा गांवों में 1970-71 के दौरान नये डाकघर खोले जाएंगे उनकी संख्या अन्तिम रूप से अभी तक निश्चित नहीं की गई है ।

टेलीफोन एक्सचेंज

कस्बों में	—	कोई नहीं
गांवों में	—	2.

हरियाणा में नीलोखेरी बस्ती पर खर्च तथा जीविका कमाने के लिये शरणार्थियों को सहायता

4927. **श्री सूरज भान :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीलोखेड़ी बस्ती (हरियाणा) के निर्माण तथा आयोजन पर सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है तथा मूलरूप से सरकार द्वारा इसके लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी ;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र में यह बड़ा तजुर्बा सरकार की आशा के अनुरूप सिद्ध हुआ है तथा क्या सरकार इसमें हुई प्रगति से संतुष्ट है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास वहां के शरणार्थियों को जीविका कमाने में सहायता देने के लिये उक्त बस्ती में नये उद्योग स्थापित करने हेतु और अधिक धन लगाने अथवा पूंजी आवंटित करने की कोई योजना है क्योंकि इस अनुभव की असफलता के बाद सरकार ने उन्हें मुसीबत में ही छोड़ दिया है और अधिक बेरोजगारी हो गयी है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) नीलोखेड़ी बस्ती के निर्माण तथा अभिन्यास के सम्बन्ध में कुल 126.68 लाख रुपये खर्च किये गए हैं। टाऊनशिप की योजना में वहां की जनसंख्या के लिये प्रतिव्यक्ति 1,000 रुपये का खर्च रखा गया था और उसकी अधिकतम सीमा थी 75 लाख रुपये जिसमें व्यवसायिक तथा अन्य प्रशिक्षणों पर किया जाने वाला खर्च शामिल नहीं था।

(ख) नीलोखेड़ी में सहकारी क्षेत्र का यह अनुभव उत्साहवर्धक नहीं रहा।

(ग) इस बस्ती में नये उद्योग स्थापित करने के लिए और धनराशि निर्धारित करने या लगाने की कोई योजना नहीं है। नीलोखेड़ी में बसाये गये विस्थापित व्यक्ति देश के जीवन के मुख्य स्रोत में विलय हो गये हैं और इसलिये उनकी आर्थिक तथा अन्य समस्याओं को अब विशेष समस्याओं के रूप में नहीं निपटाया जा रहा जैसा कि प्रारंभिक अवस्था में किया गया था।

हरियाणा स्थित नीलोखेड़ी बस्ती में बसे लोगों से प्लाटों के किराये तथा बिक्री के रूप में वसूल की गई धनराशि

4928. **श्री सूरज भान :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नीलोखेड़ी (हरियाणा) में बसे लोगों से वहां प्लाटों तथा अन्य भूमि आदि के किराये तथा बिक्री के रूप में कुल कितनी धनराशि वसूल की है ;

(ख) क्या वसूल की गई यह धनराशि सरकार द्वारा लगाई गई धनराशि से ज्यादा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सहकारी क्षेत्र के नाम में किये जा रहे इस अन्याय को समाप्त करने के लिये कोई उपयुक्त कार्यवाही करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) नीलोखेड़ी में प्लाटों, अन्य भूमियों, निर्मित सम्पत्तियों इत्यादि के किराये तथा बिक्री के रूप में वसूल हुई राशि 82,56,835/- रुपये है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बेचे गये बीजों के प्रमाणीकरण के लिये स्वतंत्र निकाय की स्थापना

4929. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों के प्रमाणीकरण तथा बिक्री की जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक विशेषज्ञ समिति ने बीजों के प्रमाणीकरण के लिये एक स्वतंत्र निकाय स्थापित करने की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या ऐसा निकाय बना दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं होते ।

मध्य प्रदेश में गहन कृषि विकास कार्य-क्रम

4930. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला स्तर पर भारत के गहन कृषि विकास कार्य-क्रम में भाग लेने का ब्रिटेन और कनाडा का विचार है ;

(ख) क्या ब्रिटेन की सहायता से कुछ पोषाहार तथा अनुसंधान परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में भी कोई ऐसी परियोजना स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो वह किस स्थान पर होगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार वहां पर ऐसी परियोजना आरम्भ करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ). अन्य देशों के सहयोग से सघन कृषि विकास, पोषाहार और अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने का प्रश्न, उन देशों द्वारा की जाने वाली पेशकश पर निर्भर है ।

भारत में कनाडा के विशेषज्ञों के आगमन के बाद कनाडा सरकार ने निम्न क्षेत्रों में सहयोग कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखा (1) सख्त चट्टान वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल की खोज, (2) बारानी कृषि अनुसंधान, (3) बन्दरगाहों पर उर्वरकों के बल्क हैन्डलिंग का विकास ।

शुष्क भूमि में कृषि की समन्वित अनुसंधान परियोजना में जिसको अन्तिम रूप दिया

जा रहा है, यह प्रस्ताव किया गया है कि मध्य प्रदेश अर्थात् इन्दौर और जबलपुर में दो अनुसंधान केन्द्र रखे जायें।

जहां तक इंगलैण्ड का सम्बन्ध है, उनका विशेषज्ञ हाल ही में भारत आया था और क्योंकि उसकी रिपोर्ट अभी आनी है, यह कहना सम्भव नहीं है कि ब्रिटिश सरकार से किस क्षेत्र में सहयोग सम्भव होगा।

इंजीनियरी सुपरवाइजरों की श्रेणी–II के पदों पर पदोन्नति

4931. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रेणी दो के राजपत्रित सहायक इंजीनियरों के वर्तमान खाली पदों को, जिन्हें मूल रूप में इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों के लिये, जिनका चुनाव विभागीय पदोन्नति समिति ने किया था और जिन्हें 1968 में तालिका में सुरक्षित रखा गया था, श्रेणी एक के संवर्ग के कर्मचारियों को दे दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार के इस कदम से इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों के श्रेणी दो में पदोन्नति के अवसर अवरुद्ध हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी नहीं। 1968 में पेनल पर लाये गए इंजीनियरी पर्यवेक्षकों की पदोन्नति के लिए सहायक इंजीनियरों के पदों में खास तौर पर कोई भी रिक्त स्थान आरक्षित नहीं रखे गए थे। तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी-I (जूनियर) और तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी-II में परस्पर ड्यूटियों और जिम्मेदारियों की अदला बदली की जा सकती है। इन्हें इन दोनों में से किसी भी संवर्ग के मंजूरशुदा पदों पर नियुक्त किया जा सकता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आदमी द्वारा चलाये जाने वाले रिक्शाओं को बन्द करना

4932. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री काशीनाथ पाण्डेय :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आदमी द्वारा चलाये जाने वाले रिक्शाओं के बन्द करने सम्बन्धी नीति-निर्णय अभी बना हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस नीति को क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ; यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) इस समय प्रत्येक राज्य में लगभग कितने रिक्शा चल रहे हैं तथा उक्त कार्यक्रम के अधीन चौथी योजना के अन्त तक इनमें से कितने रिक्शा बन्द कर दिये जायेंगे ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि देश के कुछ भागों में महिलायें भी अपनी जीविका कमाने के लिये रिक्शा चला रही हैं ; यदि हां, तो कहां तथा इसे एकदम बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). इस विषय का राज्य सरकारों से सम्बन्ध है और इसलिये अभीष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है ।

बिहार की कोयला खानों में तालाबन्दी

4933. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की कोयला खानों में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने अवसरों पर तालाबन्दी करनी पड़ी ;

(ख) इन तालाबंदियों के क्या कारण थे; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). 1967 में लोदना कोयला खान में तालाबंदी की एक घटना हुई । यह तालाबंदी, कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति न किये जाने के कारण श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल के बाद प्रबन्धकों द्वारा की गई । इस मामले में औद्योगिक संबंध तंत्र हस्ताक्षेप नहीं कर सका, क्योंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय इस मामले में कार्यवाही कर रहा था । लेकिन आपसी समझ-बूझ के परिणाम-स्वरूप तथा उच्च न्यायालय की इजाजत से प्रबन्धकों ने 22-2-1968 को तालाबन्दी उठा दी ।

1968 में, उपर्युक्त तालाबन्दी के अतिरिक्त, जोकि उस समय चल रही थी, मैसर्स नेशनल कोल डिवलेपमेंट कारपोरेशन लि०, गिरिडीह (हजारी बाग) की कुढुबाड़ी कोयलाखान में तालाबन्दी की एक घटना हुई । यह श्रमिकों द्वारा अपनाई गई धीरे काम करने की कार्यवाही के परिणामस्वरूप हुई । सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), हजारीबाग ने मध्यस्थता की और उसके परिणामस्वरूप एक समझौता हुआ, जिससे यह तालाबंदी 17-1-1968 को उठा ली गई ।

1969 में भी तालाबंदी की केवल एक घटना मधुबंद कोयलाखान, नडखुरकी, धनबाद में हुई । यह तालाबंदी श्रमिकों द्वारा बिना किसी नोटिस या मांग के की गई हड़ताल के बाद घोषित की गई थी । उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने इस मामले में हस्ताक्षेप किया और उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रबन्धकों ने 26-11-1969 को तालाबंदी उठा ली ।

बिहार में कोयले की खानों में घेराव

4934. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बिहार में कोयले की खानों में अब तक कितने घेराव हुए हैं;

(ख) इन घेरावों से उत्पादन की कितनी हानि हुई ; और

(ग) इन घेरावों के क्या कारण थे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) बिहार में कोयला खानों में हुए घेरावों की संख्या नीचे दी गई हैं :—

1967	—	10
1968	—	2
1969 (अगस्त तक)	—	2

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) मुख्य कारण निम्नलिखित थे :—

(1) मजूरी, बोनस और जबरी-छुट्टी के मुआवजे की अदायगी का न किया जाना ।

(2) मजूरी बोर्डों की सिफारिशों की क्रियान्विति का न किया जाना ।

(3) अन्तर-यूनियन प्रतिद्वंद्विता ; और

(4) बर्खास्त श्रमिकों को बहाली, बन्द की गई खानों को पुनः चालू करने, जिन ग्राम निवासियों की जमीन ले ली गई है उनको निवास-स्थान दिलाने तथा स्थानीय लोगों के रोजगार सम्बन्धी मांगें ।

बनस्पति उद्योग का राष्ट्रीयकरण

4935. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बनस्पति उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव किसी राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या नीति है, और यदि कोई राज्य सरकार बनस्पति उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहे तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी क्योंकि देश के कुछ भागों में बनस्पति घी की कमी में वृद्धि होती जा रही है और उत्पादकों ने वनस्पति घी के मूल्यों में भारी वृद्धि कर दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) भारत सरकार का देश में बनस्पति उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई विचार नहीं है । तथापि, यदि कोई राज्य सरकार इसे अधिकार में लेना चाहती है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

डाक तथा तार विभाग, पालघाट (केरल) में वरिष्ठ क्लर्कों के विरुद्ध अस्थायी क्लर्कों का स्थायीकरण

4936. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग (केरल) में एस० एस० पी० (पालघाट) द्वारा वरिष्ठ क्लर्कों की अवहेलना करके अस्थायी क्लर्कों को स्थायी बनाने के आदेश जारी किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करेगी कि स्थायी किये जाने के पात्र कर्मचारियों के नाम सूची में सम्मिलित किये जाते हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में राशन की मात्रा में कमी

4937. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है उन्होंने 15 जनवरी को अथवा जनवरी के तीसरे सप्ताह में केरल के खाद्य मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें चावल के राशन की मात्रा 160 ग्राम से घटा कर 120 ग्राम करने का अनुदेश दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). केरल के खाद्य मंत्री को लिखे गए एक पत्र में यह सलाह दी गई थी कि मोटे अनाज के राशन में दिये जाने वाले चावल के भाग को 120 ग्राम प्रति वयस्क प्रति दिन के स्तर पर बहाल कर दिया जाय क्योंकि कमी का सीजन समाप्त हो गया है जिसके लिये यह मात्रा बढ़ाकर 160 ग्राम की गई थी । यह परामर्श इस तथ्य को ध्यान में रख कर दिया गया था कि केन्द्र के पास चावल की सप्लाई होने से राशन के चावल की मात्रा को 120 ग्राम प्रति वयस्क प्रतिदिन से अधिक रखना असंगत समझा गया था, अपितु वर्ष के कमी के महीनों

में इसे 160 ग्राम प्रति वयस्क प्रति दिन तक बढ़ाया जा सकता था । तथापि, मोटे अनाज के कुल राशन को 320 ग्राम प्रति वयस्क प्रति दिन के स्तर पर बनाये रखना था ।

दिल्ली में कुतुब रोड स्थित ख्वाजा बकी बिल्लाह आर० ए० की दरगाह पर शरणार्थियों द्वारा कब्जा किया जाना

4938. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुतुब रोड स्थित हजरत ख्वाजा बकी बिल्लाह आर० ए० की दरगाह जिसे अनेक देशों के मुसलमान देखने आते हैं अभी तक शरणार्थियों के कब्जे में है ;

(ख) क्या सरकार को श्री ख्वाजा एस० हसन बकी से अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें उन्होंने दरगाह की उचित रूप में वापसी का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). दरगाह निश्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में कभी भी नहीं ली गई थी और इसकी वापसी के सम्बन्ध में ख्वाजा एस० हसन बकी से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

आन्ध्र प्रदेश के अदिलाबाद जिले की ईसगांव पुनर्वास परियोजना से शरणार्थियों का प्रव्रजन

4940. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व बंगाल से आये अनेक शरणार्थी परिवार, जिन्हें आन्ध्र प्रदेश में अदिलाबाद स्थित ईसगांव पुनर्वास परियोजना भेजा गया था, अब महाराष्ट्र के चान्दा जिले में पटोरा पुल, अम्बेगांव में आ गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें चान्दा जिले में बसाने के लिए क्या कार्यवाई की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) चान्दा पुनर्वास परियोजना के निदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार, पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासियों के लगभग 685 कृषक परिवार आन्ध्र प्रदेश के जिला आदिलाबाद में ईसागांव के पुनर्वास स्थलों को छोड़कर 7 से 9 मार्च, 1970 के बीच चान्दा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे । 10 मार्च, 1970 को सभी परिवार चान्दा से लगभग डेढ़ मील दूर पदोली अम्बोरा गांव चले गये थे ।

(ख) चूंकि इन परिवारों को आन्ध्र प्रदेश में ईसागांव पुनर्वास परियोजना में बसाया गया था, इसलिये इनको महाराष्ट्र के जिला चान्दा में पुन: बसाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । उन्हें ईसागांव वापिस जाने के लिये मनाया जा रहा है । वास्तव में कुछ परिवार पहले ही

वापस जा चुके हैं। आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र की सरकारों के परामर्श से सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि शेष परिवार भी वापिस ईसागांव चले जायें।

Installation of Tube-Wells with the Help of Drilling Machines in certain Districts of U. P.

4941. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to instal tubewells with the help of drilling machines in Allahabad, Banda, Mirzapur, Jhansi and other Districts in order to save them from drought ;

(b) if so, the time by which they are expected to be installed ;

(c) whether it is a fact that there is no drilling machine available in Uttar Pradesh ; and

(d) the number of States where drilling machines are being utilised and the total number thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). Construction of Government tubewells has not been possible in Banda and Jhansi districts due to predominence of hard rock in the sub-strata and lack of enough granular water bearing zones. The State Government has been constructing Government tubewells in the areas, where they are feasible, of the other 19 drought districts including Allahabad and Mirzapur. These 19 districts had 330 additional tubewells are expected to be completed during 1969-70.

(c) No, Sir. There are about 4000 Hand boring sets and about 93 power rigs available with the Directorate of Tubewells and State Minor Irrigation Department.

(d) Drilling machines are being utilised in 14 States and their total number includes about 5400 Hand Boring sets and 685 power rigs.

भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई पर टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

4942. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई के निजी सहायक श्री कान्ति देसाई कई टेलीफोन बिल भुगतान किए बिना छोड़ गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी ओर कुल कितनी राशि बकाया है ;

(ग) क्या बकाया राशि वसूल कर ली गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो बकाया राशि की वसूली में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सरकार की ओर से श्री कान्ति देसाई को कोई टेलीफोन नहीं दिया गया था। न ही किसी ऐसे टेलीफोन का पता चला है, जो उन्होंने दिल्ली में अपनी निजी हैसियत से प्राप्त किया हो।

(ख) से (घ). ऊपर भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम के कर्मचारियों से ज्ञापन

4943. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मत्स्यपालन निगम कर्मचारी संघ हावड़ा से सरकार को कोई ज्ञापन मिला है जिसमें उन्होंने निगम को सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्योरा क्या है और कर्मचारियों ने अपने ज्ञापन में क्या मांगें रखी हैं ; और

(ग) कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार को दो ज्ञापन दिनांक 12-9-1969 और 21-1-1970 जिनमें कुछ प्रस्ताव तथा मांगें रखी गईं, मिले हैं :

(ख) उपस्थित प्रस्ताव और मांगें हैं :

(1) निगम को बन्द न किया जाये और कर्मचारियों को बेरोजगार न किया जाये। अगर निगम का बन्द होना अपरिहार्य है, तो बन्द करने से पहले कर्मचारियों को उन्हीं सेवा शर्तों के अधीन उसी पद पर वैकल्पिक रोजगार देना निश्चित किया जाये।

(2) असफलता के कारणों की पूर्णतः परीक्षा करना कि इसके प्रबन्ध की त्रुटि किस सीमा तक थी और संस्था के ज्ञापन पत्र के निहित उद्देश्यों के अनुरूप निगम की गतिविधियों की विविध सम्भावनाओं की जांच किये बिना निगम को बन्द न करना।

(3) जनता के कल्याण के लिये निगम की गतिविधियों को विशद बनाना।

(4) व्यापार की प्रबन्ध पद्धति के साथ ठीक बैठाने के लिए प्रबन्ध पद्धति को नया रूप देना।

(5) नियमित कीमतों पर केन्द्रीय मत्स्य निगम द्वारा समस्त भारत में भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पकड़ी गई समस्त मछली को विपणन के लिये सौंप देने के उपाय करना।

(6) खाद्य और कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत प्रबन्धक-बोर्ड की पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करना।

(ग) 1969 में प्रबन्धक बोर्ड द्वारा स्थापित की गई एक समिति ने केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम के कार्यकलापों की विस्तृत जांच की और समिति की रिपोर्ट की परीक्षा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में ध्यानपूर्वक की गई।

जैसाकि विस्तृत अध्ययनों से स्पष्ट है, निगम की मुख्य समस्या पर्याप्त मात्रा में मछली प्राप्त करने की कठिनाई है ताकि निगम कलकत्ता के बाजार पर अपना प्रभुत्व जमा सके। निगम किसी भी वर्ष कलकत्ता को 800 मीटरी टन से अधिक मछली सप्लाई नहीं कर सकी है। यह अनुमान लगाया गया है कि निगम 1974-75 तक भी कलकत्ता को प्रतिवर्ष 2000 मीटरी टन मछली सप्लाई करने के योग्य नहीं हो पायेगा चाहे समिति द्वारा सुझाये हुये विभिन्न प्रस्तावों को कार्यान्वित भी कर लिया जाये।

इस सन्दर्भ में की जाने वाली कार्यवाही पर ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है। निगम की गतिविधियों को फैलाने के प्रश्न की भी पूरी तरह से परीक्षा कर ली गई है और निगम के लिये यह सम्भव नहीं कि वह नई गतिविधियों को हाथ में ले।

एक प्रस्ताव रखा गया था कि निगम को पश्चिम बंगाल सरकार ले ले क्योंकि यह अनुभव किया गया था कि अन्य राज्य विकासीय संगठनों के सहयोग से कम खर्चे पर इसे राज्य स्तर पर चलाया जा सकेगा। यह प्रश्न विचाराधीन है।

यदि निगम को समाप्त करने का निर्णय ले लिया जाय तो साथ ही साथ कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने के प्रश्न पर भी नियमों के अधीन सहानुभूति से विचार किया जायेगा।

दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों की महिला टेलीफोन आपरेटरों के रूप में भर्ती

4944. **श्री सूरज भान** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महिला टेलीफोन आपरेटरों का चयन करने के लिये नवम्बर, 1969 में जनरल मैनेजर, टेलीफोन, नई दिल्ली ने अनुसूचित जाति के लिए 45 पदों और अनुसूचित आदिम जाति के लिए 18 पदों का विज्ञापन प्रकाशित करवाया था ;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के कितने उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र भेजे थे और कितने उम्मीदवार साक्षात्कार के लिये बुलाये गये थे ;

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया ; और

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के कम उम्मीदवार भर्ती करने के क्या कारण हैं ; और इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

	अनुसूचित जातियों के	अनुसूचित आदिम जातियों के
(ख)	(i) 84	1
	(ii) 69	1
(ग)	24	कोई नहीं

(घ) अन्य उम्मीदवार टेलीफोन आपरेटरों के लिये भर्ती के नियमों में निर्धारित आयु तथा अर्हता सम्बन्धी शर्तों पर पूरे नहीं उतरे। जो रिक्त स्थान नहीं भरे जा सके, उन्हें इस विषय पर नियमों के अनुसार अगली भर्ती में शामिल कर लिया जायगा।

महाराष्ट्र में ओला वृष्टि के कारण फसलों आदि को क्षति

4945. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1970 में भारी ओला-वृष्टि के कारण महाराष्ट्र में, विशेषकर विदर्भ और मराठवाड़ा प्रदेशों में, मनुष्यों, ढोरों और फसलों की काफी क्षति हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति हुई थी ; और

(ग) पीड़ित व्यक्तियों अर्थात् किसानों तथा भू-स्वामियों को अब तक कितनी राहत दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी के अनुसार 6 और 7 मार्च, 1970 को वर्धा जिले की हिंगनघाट और वर्धा तहसीलों, भण्डारा जिले की गोंडिया तहसील तथा योतमल तथा नागपुर जिले के कुछ भागों में वर्षा के साथ ओला-वृष्टि हुई थी। इससे नागपुर जिले की रामतक, नागपुर, उम्रेद तथा साओनेर तहसीलों के 321 गांवों में बाजरे, रबी की ज्वार, चने, सन्तरे और सिंचित गेहूं को काफी नुकसान पहुंचा।

(ग) पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

रोजिन (सूखी) का उत्पादन और खपत

4946. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कागज उद्योग में कागज में सरेस लगाने और साबुन तथा अन्य उद्योगों में काम में आने वाली रोजिन (सूखी) की वार्षिक खपत कितनी है ; और

(ख) देश में इस रसायन का कुल उत्पादन कितना है और इसका उत्पादन बढ़ाने की क्या सम्भावनायें हैं और कितने समय में उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आकाशवाणी के मद्रास, तिरुचि स्टेशनों के लिये वाणिज्यिक प्रसारणों के समय में वृद्धि

4947. **श्री चित्ति बाबू** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में आकाशवाणी के मद्रास तथा तिरुचि स्टेशनों

पर वाणिज्यिक प्रसारणों का समय बढ़ा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना समय बढ़ाया गया है ; और

(ग) इससे सरकार को कितनी अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

तमिल-फिल्म के लिये हिन्दी में सेंसर प्रमाण-पत्र

4948. **श्री चित्ति बाबू** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा स्थापित फिल्म परिषद् ने तमिल-फिल्मों के लिये सेंसर प्रमाण पत्र हिन्दी में देने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके कारण फिल्म जगत के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने परिषद से त्यागपत्र दे दिया है ; और

(घ) क्या सरकार को नीति का पुनर्विलोकन करके तमिल-फिल्मों के लिये पहले की भांति अंग्रेजी में प्रमाण-पत्र देने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (घ). सेंसर प्रमाणपत्र केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जारी किये जाते हैं, तमिल-फिल्मों के प्रमाणपत्र अंग्रेजी में जारी किये जाते हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एक सदस्य ने केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को त्यागपत्र दिया था जो बाद में वापिस ले लिया गया था ।

वनस्पति बनाने वाले कारखानों का बन्द होना

4949. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि देश में वनस्पति बनाने वाले कम से कम सात कारखाने हाल में बन्द हो गये हैं और कुछ अन्य कारखानों ने उत्पादन कम कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है ; और

(ग) इस उद्योग में पूर्ण क्षमता के अनुसार उत्पादन निश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी नहीं । कच्चे तेलों के मूल्यों में बढ़ोतरी होने के कारण केवल चार फैक्ट्रियों ने एक से दो सप्ताह और एक फैक्ट्री ने तीन सप्ताह तक उत्पादन स्थगित रखा था, जबकि कुछ अन्य फैक्ट्रियों ने कुछ हद तक अपने उत्पादन में कटौती की ।

(ग) इस मामले पर उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गयी है और यह आशा की जाती है कि उत्पादन जोकि बढ़ना शुरू हो गया है, अत्यधिक निकट भविष्य में उत्पादन सामान्य स्तर पर होने लगेगा ।

कपड़ा, पटसन, चाय तथा कोयला खान उद्योगों में हड़ताल और उनका निबटारा

4950. **श्री अदिचन :**
श्री दे० अमात :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में कपड़ा, पटसन, चाय उद्योगों और कोयला खान उद्योगों में उद्योगवार कितनी बार हड़तालें हुई जिनका निबटारा (1) सामूहिक बात-चीत, (2) मध्यस्थता, (3) न्याय-निर्णय और (4) सरकार की मध्यस्थता के माध्यम से हुआ ; और

(ख) उक्त अवधि में हड़ताल किये बिना उपर्युक्त तरीकों से प्रत्येक माध्यम से इन उद्योगों में कुल कितने फैसले हुए ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3070/70]**

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

बुन्देल-खण्ड के लिये आकाशवाणी केन्द्र

4951. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आकाशवाणी का एक केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसे कहां पर स्थापित किया जायेगा और कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां ।

(ख) छत्तरपुर, 1973 तक ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जबलपुर के लिये आकाशवाणी केन्द्र

4952. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : जबलपुर में आकाशवाणी का केन्द्र अन्य केन्द्रों की तरह पूर्ण रूप से स्वतन्त्र केन्द्र बन जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जबलपुर को पूरा रेडियो स्टेशन बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

आंध्र प्रदेश द्वारा कार्मिक संघों से बाहर के लोगों का हटाया जाना

4953. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि आंध्र प्रदेश सरकार कार्मिक संघों से बाहर के लोगों को हटाने के लिये विधान लाना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के क्या विचार हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी के कलाकारों के बारे में चन्दा समिति की सिफारिश

4954. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्दा समिति ने, आकाशवाणी के कलाकारों को सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता देने की सिफारिश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र के चांदा जिले में पूर्वी पाकिस्तान के अनुसूचित आदिम जातियों के शरणार्थी परिवारों का पुनर्वास

4955. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र ने चांदा जिले में पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रत्येक अनुसूचित आदिम

जातीय परिवार को व्यापार तथा कारोबार में लगाकर फिर से बसाने के लिये सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) क्या यह सहायता एक मुस्त न देकर एक लम्बे समय में छोटी-छोटी किस्तों में दी गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित आदिम जाति के परिवारों ने अभ्यावेदन दिया है कि उपरोक्त कारण से वे कोई स्थायी व्यापार या धन्धा नहीं कर पाये हैं और उनकी सारी पूंजी समाप्त हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासियों को छोटे-मोटे कार्य तथा व्यापार में पुनर्वास देने का स्वरूप सभी नये प्रवासियों के लिये सामान्य रूप से निर्धारित किया गया है न कि नये प्रवासियों के किसी विशिष्ट अनुभाग के संदर्भ में । एक विवरण, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासी "छोटे-मोटे व्यापारी" परिवारों को छोटे मोटे कार्य तथा व्यापार में पुनर्व्यवस्थापन के लिये दी गई पुनर्वास सहायता का ब्योरा दिया गया है, सभा-पटल पर रखा गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०3071/70]**

(ख) ऋण की राशि सामान्यतः दो किस्तों में दी गई थी— दूसरी किस्त प्रथम किस्त के उचित उपयोग के उपरान्त दी गई थी ।

(ग) "छोटे-मोटे व्यापारी" परिवारों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; यह जानकारी नहीं है कि उनमें से कितने अनुसूचित जनजातियों के हैं ।

(घ) सभी सम्बन्धित लोगों को पहले ही हिदायतें जारी की जा चुकी हैं कि किस्तों की संख्या, जिनमें ऋण वितरित किया जाता है, सामान्यतः दो से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय वन सेवा संवर्ग का गठन

4956. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वन सेवा संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग 1 अक्तूबर, 1966 को गठित किया गया था और क्या उस संवर्ग के पदों के लिये चुने गये अधिकारियों को, उन पदों पर नियुक्त कर दिया गया और भेज दिया गया है यदि नहीं, तो क्यों नहीं और विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार, राज्य क्षेत्रों में राज्य क्षेत्रीय और अन्य महत्वपूर्ण प्रभागों और सर्किलों के कार्यभारी अधिकारियों को, जो अयोग्य घोषित कर दिये गये थे, को उच्च अर्हता प्राप्त भारतीय वन सेवा अधिकारियों द्वारा तुरन्त बदलने के तरीकों का पता लगा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब

शिन्दे) : (क) जी हां। चुने गये अधिकारियों को नियुक्त करके सम्बन्धित पदों पर भेज दिया गया है।

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों के संवर्ग के सभी संवर्ग पद संवर्ग अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं। केवल अंदमान वन विभाग में दो गैर-संवर्ग अधिकारी उप-वनपाल के संवर्ग पदों पर कार्य कर रहे हैं और सरकार इन पदों को यथाशीघ्र उचित संवर्ग-अधिकारियों द्वारा पूरा करने के लिये विचार कर रही है।

केन्द्रीय ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के प्रति भेदभाव

4957. **श्री सूरज भान** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1969 के अन्त तक इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा विज्ञापित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित आदिम जाति के लिये रक्षित टेलीप्रिन्टर ओप्रेटर के पदों के लिये, सेंट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली से, अनुसूचित जाति के किसी भी उम्मीदवार का आवेदनपत्र सम्बन्धित अधिकारियों को नहीं भेजा गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले विज्ञापन के एक मास पश्चात् उसी संस्था द्वारा विज्ञापित टेलीप्रिन्टर आप्रेटर के सामान्य पदों के लिये, सेंट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के आवेदकों के आवेदनपत्र संबंधित अधिकारियों को भेजे गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के विरुद्ध इस भेद-भाव के लिये कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। इस विभाग को ऐसे किसी विज्ञापन की जानकारी नहीं है जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिये टेलीप्रिंटर आपरेटरों के पद आरक्षित किये गए हों। दिसम्बर 1969 में एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। इसके फलस्वरूप 49 अर्जियां आई थीं। इनमें 4 अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की अर्जियां थीं। ये सभी अर्जियां इंडियन एयर लाइन्ज को भेज दी गई थीं। इससे पहले भी, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की 10 अर्जियां आई थीं जिनमें किसी विज्ञापन का हवाला नहीं था। इनमें से नौ अर्जियां औपचारिकताएं पूरी न करने और प्रशासनिक कारणों से आगे नहीं भेजी जा सकी थीं।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर दिये गए उत्तर को दृष्टि में रख कर, प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक और तार विभाग के अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की श्रेणी II के पदों पर पदोन्नति

4958. **श्री सूरज भान :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार अलग-अलग डाक तथा रेलवे डाक सेवा के श्रेणी तीन के कितने कर्मचारियों को श्रेणी II पर पदोन्नत किया गया ;

(ख) इसी अवधि में, (वर्ष-वार अलग-अलग) डाक तथा रेलवे डाक सेवा के अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के कितने कर्मचारियों की श्रेणी II पर पदोन्नत करने के लिये विचार किया गया और जिन्हें वास्तव में श्रेणी II पर (वर्ष-वार अलग अलग) पदोन्नत किया गया था ; और

(ग) इन पदोन्नतियों के मामले में डाक तथा रेलवे डाक सेवा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इन समुदायों की इस कमी को दूर करने का है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है । दिनांक 11 जुलाई, 1968 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 1-12/67-ऐस्टस (सी) के जारी होने से पहले चूंकि पदोन्नति के मामलों में (प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम के अलावा) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के लिए किसी आरक्षण अथवा तरजीह दिये जाने की व्यवस्था नहीं थी, अत: पदोन्नति के लिए विचाराधीन उम्मीदवारों के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की जाति का पता लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं था । जुलाई, 1968 के बाद डाक अधीक्षक सेवा श्रेणी II तथा पोस्टमास्टर सेवा श्रेणी II में एक एक चुनाव हुआ है तथा ऐसे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को जो कि पदोन्नति के लिए विचाराधीन उम्मीदवारों के दायरे में आते थे, उन्हें जहां कहीं भी नियमों के अंतर्गत लाभ दिया जा सकता था, लाभ दिया गया था ।

(ग) दिनांक 11 जुलाई, 1968 के गृह मंत्रालय के सामान्य अनुदेशों को जारी किये जाने से पहले पदोन्नति के लिए विचाराधीन उम्मीदवारों के दायरे में आने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के लिए किसी आरक्षण अथवा रियायत अथवा तरजीह दिये जाने की व्यवस्था नहीं थी । अत: किसी कमी को पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

	वास्तव में पदोन्नति दी गई			अनुसूचित जाति के कर्मचारी जिनकी पदोन्नति पर विचार किया गया		
	1967	1968	1969	1967	1968	1969
डाक अधीक्षक सेवा श्रेणी II	7*	47*	33@	–*	कोई चुनाव नहीं	3£
पोस्टमास्टर सेवा श्रेणी II	15*	9*	6**	–*	–*	2££
उप अधीक्षक रेल डाक (छंटाई) सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी II	कोई चुनाव नहीं	4*	कोई चुनाव नहीं	कोई चुनाव नहीं	–*	कोई चुनाव नहीं

केन्द्रीय मत्स्यपालन निगम के निदेशक बोर्ड का विघटन

4959. **श्री जनार्दनन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मत्स्यपालन निगम के निदेशक बोर्ड को 31 दिसम्बर, 1969 से विघटित कर दिया गया था और निदेशकों के पदों पर अब तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

* दिनांक 11 जुलाई, 1968 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 1-12/67-ऐस्टस (सी) के जारी होने से पहले अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के लिए चूंकि किसी आरक्षण, रियायत अथवा तरजीह दिये जाने की व्यवस्था नहीं थी, अत: ऐसे कर्मचारियों के बारे में रिकार्ड उपलब्ध नहीं था।

गृह मंत्रालय के उक्त आदेशों के जारी किये जाने के बाद डाक अधीक्षक सेवा श्रेणी II तथा पोस्टमास्टर सेवा श्रेणी II में जून, 1969 में एक-एक चुनाव हुआ था तथा ऊपर दिये गए ब्योरे को नीचे स्पष्ट किया गया है।

@ 33 कर्मचारियों में 1 कर्मचारी अनुसूचित जाति का है।

£ विचाराधीन 3 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में केवल एक को पदोन्नति दी गई।

** 6 कर्मचारियों में एक कर्मचारी अनुसूचित जाति का है।

££ अनुसूचित जाति के दो उम्मीदवार पदोन्नति के लिए विचाराधीन उम्मीदवारों के दायरे में आते थे और उनमें से एक चुन लिया गया था।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). केन्द्रीय मात्स्यकी निगम की संगम नियमावली के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध निदेशक और अध्यक्ष के अतिरिक्त, निदेशक मंडल के सभी सदस्य कम्पनी की प्रत्येक वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर निवृत्त हो जाते हैं। 30 दिसम्बर, 1969 को हुई गत वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर भंग किये गये मंडल को 17 जनवरी, 1970 को पुनर्गठित किया गया था।

केन्द्रीय मत्स्यपालन निगम के महाप्रबन्धक निदेशक द्वारा पदमुक्त होना

4960. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मत्स्यपालन निगम के प्रबन्ध निदेशक 12 अगस्त, 1969 को सेवा मुक्त हो गये थे और अभी तक कोई नई नियुक्ति नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय मत्स्यपालन निगम की कार्य पद्धति का पुनरीक्षण किए जाने के आधार पर, निगम के भविष्य के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निगम को पश्चिम बंगाल सरकार को सौंप देने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया था। अतः ऐसी परिस्थिति में प्रबन्धक निदेशक की नियुक्ति को रोक दिया गया था। निदेशकों के मण्डल ने निदेशकों में से एक को अधिकार दिया है कि वह निगम के प्रभागीय प्रबन्धक तथा सचिव की सहायता से काम की देख-भाल करें।

दिल्ली और कलकत्ता में केन्द्रीय मत्स्यपालन निगम के स्टालों का बन्द किया जाना

4961. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता और दिल्ली में केन्द्रीय मत्स्यपालन निगम के कुछ स्टाल बन्द कर दिये गये हैं और उन स्टालों पर कार्य करने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें बन्द करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) निगम के कार्यों की जांच-पड़ताल करने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त की हुई एक पुनरीक्षण समिति ने मई, 1969 में यह सिफारिश की थी कि विभागीय स्टाल केवल ऐसे स्थानों में रखे जाएं, जहां उन्हें बिना किसी हानि के चलाया जा सके। प्रबन्धक इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए मछली की खुदरा बिक्री की पद्धति का समायोजन करते हुए हानि में चलने वाले स्टालें को समाप्त कर रहे हैं।

बम्बई के हाजी मस्तान मिर्जा को "छूट वाले वर्ग" के अन्तर्गत टेलीफोन की मंजूरी

4962. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के एक व्यक्ति हाजी मस्तान मिर्जा को, जो बैतूल सारूर, 61/1, वार्डन रोड, बम्बई-6, में रहते हैं, "छूट वाले वर्ग" के अन्तर्गत एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते टेलीफोन (संख्या 359358) दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ग में उनके आवेदन की सिफारिश किन व्यक्तियों ने की थी ;

(ग) क्या हाजी मस्तान मिर्जा द्वारा किये गये सामाजिक कार्य के स्वरूप के बारे में बम्बई टेलीफोन विभाग ने कोई जांच की थी ;

(घ) क्या यह सच है कि "छूट वाले वर्ग" के अन्तर्गत उन्हें एक बार पहले टेलीफोन देने से इन्कार कर दिया गया था ; और

(ङ) बम्बई टेलीफोन विभाग ने किन कारणों से अपना पुराना निर्णय बदला ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) (1) श्री आदम आदिल, विधान सभा सदस्य ।
(2) श्री बी० एम० याग्निक, मंत्री, मद्यनिषेध, बम्बई ।
(3) श्री भगवान दास के० आशार, अध्यक्ष, बी-बोर्ड, जिला कांग्रेस कमेटी ।
(4) श्री टी० पी० करीमशा, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र मजदूर सभा, बम्बई ।
(5) श्री एम० ए० खटल, नगर पालिका सदस्य, अवैतनिक महासचिव, क्षयरोगी कल्याण समिति, बम्बई ।
(6) श्री इस्माइल ख्वाजा हु सेन, जे० पी०, अवैतनिक महासचिव, राष्ट्रीय सेवा समिति, बम्बई ।
(7) श्री एस० के० पाटिल ।
(8) श्री बाबूराव एच० शेटे, जे० पी०, नगरपालिका सदस्य, बम्बई की टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्य ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) श्री मिर्जा को 'छूट वाले वर्ग' के अन्तर्गत टेलीफोन लेने के लिए तारीख 6-3-1968 की अर्जी उन्हें कुछ बातें स्पष्ट करने और कुछ खाली इंदराज भरने के लिए लौटा दी गई थीं । उन्होंने इसे 24-6-1968 को दोबारा भेजा । तत्पश्चात् उनका मामला टेलीफोन सलाहकार समिति के सम्मुख पेश किया गया । समिति ने इसे मंजूर कर दिया ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोल्हापुर नगर में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास स्थान

4963. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कोल्हापुर नगर की नगरीय सीमा के भीतर समस्त श्रेणियों में कार्य करने वाले डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है ;

(ख) उनमें से कुल कितने कर्मचारियों को मकान दिये गये हैं ;

(ग) क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के द्वारा मकानों की मांग की गई है ; और

(घ) उनकी मांगों को कब तक पूरा करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 701

(ख) 9

(ग) जी हां ।

(घ) और अधिक क्वार्टरों का निर्माण करने में लगभग तीन से चार वर्ष तक का समय लगेगा । राज्य सरकार से कर्मचारी क्वार्टरों के लिए भूमि अलाट करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

खानों में मृत्यु दर में वृद्धि

4964. **श्री काशी नाथ पांडेय :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः मास में कोई बड़ी दुर्घटना न होने पर भी इस अवधि में खानों में मृत्युओं की संख्या में बढोत्तरी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) मृत्यु दर में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व क विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर चीनी का कम मूल्य निर्धारित करने के सरकार के निर्णय पर कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा रोकादेश जारी

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : श्रीमान्, मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री का अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें ।

"प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर चीनी का कम मूल्य निर्धारित करने के सरकार के निर्णय पर कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा रोकादेश जारी किये जाने के समाचार।"

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : सात चीनी कारखानों के बारे में मैसूर उच्च न्यायालय और तीन चीनी कारखानों के बारे में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से नोटिस प्राप्त हुए हैं। इन कारखानों ने चीनी वर्ष 1969-70 में उत्पादित चीनी के लिये लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी चीनी (मूल्य निर्धारण) आदेश, 1970 के विरुद्ध रिट याचिका दायर की है। दोनों न्यायालयों द्वारा चीनी (मूल्य निर्धारण) आदेश, 1970 के परिचालन को रोकने के लिये एक तरफा अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैं। चार मामलों में (2 मैसूर में और 2 आन्ध्र प्रदेश में) न्यायालयों ने चीनी कारखानों को इस बात की इजाजत दी है कि वे 1969-70 के चालू मौसम में उत्पादित चीनी का मूल्य 1968-69 में उनके द्वारा उत्पादित चीनी के लिये निर्धारित मूल्य के अनुसार लेते रहें। एक अन्य मामले में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को निदेश दिया है कि वह चीनी कारखाने को चालू मौसम के लिये तमिलनाडु के चीनी कारखानों हेतु निर्धारित मूल्य पर चीनी बेचने दें। रिट याचिकाओं पर प्रतिरोध करने और रोक आदेश रद्द कराने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

2. पिछले बहुत से वर्षों से गन्ने से चीनी की औसत प्राप्ति और सम्बन्धित क्षेत्रों में चीनी कारखानों के पिराई मौसम की अवधि के आधार पर क्षेत्रवार चीनी के नियन्त्रित निकासी मूल्य निर्धारित करने की प्रणाली चलती रही है। टैरिफ आयोग (1959) ने चार लागत क्षेत्रों की सिफारिश की और चीनी जांच आयोग (1965) ने पांच लागत क्षेत्रों की सिफारिश की थी। तथापि, वास्तविक प्रचलन में 1966-67 तक मूल्य क्षेत्रों की संख्या बहुत अधिक थी जोकि 16 से 23 के बीच थी। बड़े क्षेत्र में पड़ने वाले चीनी कारखानों की गन्ने से चीनी की वसूली और पिराई अवधि में बहुत अधिक असमानता के कारण चीनी के क्षेत्रीय मूल्यों में व्यापक घट-बढ़ को कम करने की दृष्टि से ऐसा किया गया था।

3. 1967-68 के मौसम से चीनी की आंशिक विनियन्त्रण की नीति लागू करने के बाद सरकार ने चीनी कारखानों को खुले बाजार में बिक्री के लिये दी जाने वाली चीनी के मूल्यों में लचीलेपन को देखते हुए चीनी जांच आयोग द्वारा अभिस्तावित पांच क्षेत्रों के आधार पर लेवी-चीनी के मूल्य निर्धारित करने का निर्णय किया। तथापि, सरकार द्वारा 1967-68 से अपनाये गये पांच क्षेत्रों और 1967-68 से पूर्व अपनाये जा रहे बहुत बड़े क्षेत्रों को बहाल करने के बारे में अभ्यावेदन दिये गये थे। अतः भारत सरकार ने टैरिफ आयोग से यह अनुरोध किया कि वे चीनी उद्योग के लागत ढांचे की जांच करने के साथ-साथ इस मामले की जांच करें। टैरिफ आयोग ने अपनी हाल ही में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में 15 लागत क्षेत्रों की सिफारिश की है। बहुत बड़ी संख्या में क्षेत्र बनाने के बारे में आयोग ने जो मुख्य कारण दिया है, वह लागत ढांचे में परस्पर असंगतियों में, यद्यपि उसे दूर नहीं करना, कमी करना है। बड़े आकार के थोड़ी संख्या में क्षेत्रों की औचित्यता यह है कि इससे चीनी कारखानों में प्रतिस्पर्धा पैदा होती है और इससे लागत में कमी होती है। दूसरी तरफ छोटे आकार के बड़ी संख्या में क्षेत्रों के पक्ष में यह दलील दी जाती है कि

इससे चीनी कारखानों के कार्यचालन, उनकी गन्ने के चीनी की प्राप्ति और गन्ना पिराई की अवधि में अत्यधिक घट-बढ़ होती है और अपेक्षाकृत बड़े तथा अधिक कुशल और बेहतर कार्य करने वाले चीनी कारखानों के लिये उसी क्षेत्र में कम कुशल चीनी कारखानों की कीमत पर अधिक लाभ कमाने के अवसर में कमी होती है। टैरिफ आयोग जोकि इस सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ आयोग है, द्वारा दी गयी औचित्यता की दृष्टि में, सरकार ने मूल्य क्षेत्रों और लागत अनुसूचियों के बारे में उनकी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और तदनुसार वर्ष 1969-70 के लिए लेवी-चीनी के मूल्य निर्धारित किये हैं। इस निर्णय पर पहुंचने में सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखा था कि देश में चीनी की बेहतर सप्लाई स्थिति के कारण खुले बाजार की चीनी और लेवी-चीनी के मूल्यों के बीच व्यापक फर्क काफी कम हो गया है।

4. दक्षिण में चीनी कारखानों जोकि चीनी जांच आयोग के भूतपूर्व 1 और 2 क्षेत्र हैं, के बारे में उत्तरी मैसूर, उत्तरी आन्ध्र प्रदेश, तमिल नाडु, पांडिचेरी और गुजरात में चीनी कारखानों के लिए मूल्य वर्ष 1968-69 के लिए निर्धारित मूल्यों से अपेक्षाकृत अधिक हैं। लेकिन महाराष्ट्र, दक्षिण मैसूर, आन्ध्र प्रदेश के शेष भाग, केरल और उड़ीसा के चीनी कारखानों के लिये निर्धारित मूल्य अपेक्षाकृत कम हैं। यह उल्लेखनीय है कि गन्ने से चीनी की प्राप्ति और पिराई मौसम की अवधि प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न होती है। इसलिये उन्हीं क्षेत्रों में किसी वर्ष में निर्धारित मूल्य किसी अन्य वर्ष में निर्धारित मूल्यों के साथ तुलनात्मक नहीं होते हैं और मूल्यों को निर्धारित करने के लिए दो वर्षों में लागत अनुसूचियों को अपनाया जाता है। इसके अलावा, 1968-69 में बड़े आकार के अपेक्षाकृत थोड़ी संख्या में क्षेत्रों के कारण एक ही क्षेत्र में सम्मिलित चीनी कारखानों की गन्ने से चीनी-प्राप्ति और पिराई अवधि में भारी घट-बढ़ थी। इससे एक ही क्षेत्र में कम लागत के इलाकों में स्थित चीनी कारखानों को उसी क्षेत्र के ऊंची लागत के इलाकों में स्थित चीनी कारखानों की अपेक्षा लाभ हुआ। 1969-70 में बहुत बड़ी संख्या में अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र बनाने से ये असंगतियां कम हो गयी हैं। अतः यह द्रष्टव्य है कि 1968-69 और 1969-70 के मूल्यों के बीच घट-बढ़ अंशतः विभिन्न क्षेत्रों और लागत अनुसूचियों को अपनाने और अंशतः गन्ने से चीनी की प्राप्ति और पिराई अवधि में वार्षिक घट-बढ़ के कारण है।

श्री चेंगलराया नायडू: मंत्री महोदय ने बताया कि अन्याय और विषमता को दूर करने के लिए प्रशुल्क आयोग नियुक्त किया गया था। किन्तु प्रशुल्क आयोग ने न्याय नहीं किया बल्कि अन्याय किया है। यह आयोग इस उद्देश्य को लेकर नियुक्त किया गया था कि वह उत्पादन-लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप मूल्यों में वृद्धि करेगा, किन्तु यह उद्देश्य पूरा न हुआ। मुझे संदेह है कि उक्त आयोग ने अपना कार्य ठीक से किया है। उन्होंने ठीक आंकड़े एकत्र नहीं किये हैं। 1968-69 में मद्रास को हानि हुई थी। उस समय चित्तूर में 15 रुपये अधिक मिलते थे और मद्रास में 15 रुपये कम। अब उन्होंने मद्रास के लिए मूल्यराशि में वृद्धि कर दी है और आन्ध्र प्रदेश के लिये उसमें कमी कर दी है। क्या यही न्याय है? यहां तक कि उत्तर आन्ध्र प्रदेश और दक्षिण आन्ध्र प्रदेश में भी मूल्यों में अन्तर है। अब तो प्रत्येक राज्य का एक पृथक क्षेत्र बन गया है। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के अलग-अलग क्षेत्र हैं। अब आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र के साथ अन्याय हुआ है। अतः क्या सरकार अब भी

आंखे खोलेगी और उचित मूल्य निर्धारित करेगी ? यदि ऐसा न किया गया तो विभिन्न उच्च न्यायालय अलग-अलग निर्णय देंगी। इस स्थिति में क्या सरकार एक दूसरा प्रशुल्क आयोग नियुक्त करेगी, जिसमें भारतीय प्रशासन-सेवा के अधिकारियों के बजाय कृषि-विशेषज्ञ खेतिहर लोग, गन्ना उत्पादक और संसदीय सदस्य नियुक्त किये जायं और जो पुनः मूल्य निर्धारित करके विषमता और अन्याय को दूर करें।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : चीनी का मूल्य मुख्य रूप से इस बात पर आधारित होता है कि चीनी मिल कितने समय तक चलते हैं और उन्हें गन्ने से कितनी चीनी प्राप्त होती है। चूंकि गन्ने का मूल्य सदा से ही विवादग्रस्त रहा है इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार स्वेच्छा से निर्णय नहीं ले सकती। यह मामला पहली बार 1959 में प्रशुल्क आयोग को सौंपा गया था। उसके पश्चात् चीनी जांच आयोग नियुक्त किया गया था, जिसने पांच क्षेत्रों के आधार मूल्य निर्धारित करने की 1967 में सिफारिश की थी। इसके बाद पुनः यह मांग की गई थी कि चीनी उद्योग को प्रशुल्क-आयोग को सौंपा जाये। परिणामतः सरकार ने उक्त मामला प्रशुल्क आयोग को सौंपने का निर्णय किया था। उक्त प्रशुल्क आयोग ने यह सिफारिश की थी कि पूरे देश को 15 क्षेत्रों में विभक्त किया जाये। साथ ही उन्होंने मूल्य विशेष के बारे में भी सिफारिश की है। सरकार ने प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय किया है। अतः अब यह ठीक नहीं है कि उक्त सिफारिशों को न माना जाये।

श्री चेंगलराया नायडू : यदि सरकार या प्रशुल्क आयोग ने एक गलती कर दी है तो उसे पुनः ठीक किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में उत्पादन-लागत 89.49 रुपये है और वहां मूल्य 110.3 रुपये निर्धारित किया गया है। मैसूर राज्य में उत्पादन लागत 88.63 रुपये है, वहां गन्ने से कम चीनी निकलती है, फिर भी वहां मूल्य घटा दिया गया है। इस प्रकार प्रशुल्क आयोग ने अन्याय किया है। इस अन्याय को दूर कराने के लिए ही लोग उच्च न्यायालयों में जाते हैं। यदि उच्च न्यायालय सरकार के विरुद्ध निर्णय देता है, तो क्या सरकार त्यागपत्र दे देगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा, वह हमारे लिए मान्य होगा।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) जिन दो मामलों में रिट याचिकाएं दायर की गई हैं, अन्याय न केवल वहीं तक सीमित है, बल्कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ भी अन्याय हुआ है। तो क्या सरकार सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से इस सम्बन्ध में बातचीत करके कोई एकरूप निर्णय लेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: जहां प्रतिवर्ष किये जाने वाले मूल्य-निर्धारण का सम्बन्ध है, ऐसा निर्धारण करने से पूर्व मुख्य रूप से दो बातों पर विचार किया जाता है। पहली बात यह है कि चीनी मिलों के कितने दिन चलने की सम्भावना है—150, 160 या 180 दिन। पिराई अवधि के अन्त में यह देखा जाता है कि वास्तव में मिल कितने दिन चले और

आंकड़े उसी के अनुरूप संशोधित कर दिये जाते हैं। दूसरी बात है चीनी-प्राप्ति का अनुमान इसके लिए गत वर्ष चीनी-प्राप्ति का आधार बनाया जाता है। यदि उक्त अनुमानों को कोई सरकार गलत बताते हुए कुछ नये सुझाव देती है, तो सरकार वास्तविकता के आधार पर स्थिति पर पुनः विचार करेगी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Government are deliberately trying to increase the prices of free market sugar. It was decided by Government to procure 70 per cent sugar on controlled prices and 30 per cent will be allowed to be sold in open market. But in months of October, November and December the percentage of sugar released in open market was increased by 4.6, 5.6 and 8.6 respectively. I would like to know the reason why the percentage of 70 and 30 was not maintained during these months and also the names of the mills which were allowed to release more sugar in open market. I am of the opinion that there are some people in this Ministry who have been making money out of it. I would like that enquiry should be instituted into this affairs so that the people responsible for these underhand deals may be brought to book ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य ने जो बातें उठाई हैं, उनके बारे में स्थिति स्पष्ट करने से पूर्व मैं माननीय सदस्य के उस वक्तव्य पर आपत्ति करता हूं जो उन्होंने मंत्रालय में हेरा-फेरी के बारे में दिया है। या तो वे अपना आरोप वापस लें या उसे सिद्ध करें। सभा में इस प्रकार के निराधार आरोप न लगाये जायें।

Shri Madhu Limaye : I am not going to withdraw anything. I have quoted the figures for 3 months in which the percentage of 70 and 30 was disturbed.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह कहना गलत है कि बाजार में चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। यह कहना भी ठीक नहीं है कि सरकार की प्रेरणा से ही चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है। वस्तुस्थिति तो यह है कि 1967 में चीनी का भाव 400 रुपये से 500 रुपये प्रति क्विंटल था और चालू वर्ष में वह घटकर केवल 170 से 190 रुपये प्रति क्विंटल रह गया है। इससे स्पष्ट होता है कि मूल्य लगातार गिरते जा रहे हैं। खुली चीनी पर उत्पादन शुल्क 37.5 प्रतिशत है जबकि नियंत्रित चीनी पर 25 प्रतिशत है। किन्तु चीनी के मूल्यों में अब वृद्धि नहीं हो रही है।

जहां 30 और 70 प्रतिशत के अनुपात का सम्बन्ध है, सरकार इस अनुपात को बनाये रखना चाहती है। सरकार अनुमानित उत्पादन के आधार पर ये कोटे निर्धारित करती है। हां, कुछ चीनी मिलों में माल इकट्ठा होता जा रहा है क्योंकि कुछ राज्य, जहां पर नियंत्रित चीनी के मूल्य अधिक हैं, नियंत्रित चीनी नहीं उठा रहे हैं। सरकार अपनी ओर से 70 और 30 के अनुपात में ही चीनी छोड़ रही है।

Shri Madhu Limaye : Sir, my points have not been answered.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में नियंत्रित चीनी का मूल्य 194 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि महाराष्ट्र में 136-137 रुपये है। जहां पर नियंत्रित चीनी के मूल्य कम हैं, वहां पर चीनी मिल चीनी आसानी से बेच रहे हैं और जिन राज्यों में उसके मूल्य अधिक हैं, वहां मिलों में चीनी एकत्र होती जा रही है। यदि चीनी के छोड़े जाने के आदेश के बाद भी राज्य चीनी न उठायें तो इसके लिए केन्द्र को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है ?

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, there is a lot of bungling in the matter of sugar. Government have no long-term policy in respect of sugar. Sometimes there is surplus of sugar and at other times there is dearth of sugar. On account of this the sugarcane-producers as well as the consumers suffer. I also level allegetion against the Government that they indulge in corruption and decide the sugar policy under pressure. The Sugar Cooperative Societies of Maharashtra State financed the expenditure incurred on Bombay session. I want that enquiry should be instituted into this affair.

Secondly, the production of sugar this year is estimated at 42 lakh tonnes while the demand is for 28 lakh tonnes. I would like to know whether this surplus sugar will be exported to foreign countries in order to earn foreign exchange. Will the Minister assure the farmers that the whole of their sugarcane produce will be taken by the mills and they will be paid at the rate of Rs. 10 to 12 per quintal. Lastly I would like to know whether Government will formulate a long-term policy in respect of sugar which will help avoiding the sugar being in surplus or in dearth and making available the reasonable prices of sugarcane to the growers.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य सहकारी क्षेत्र के विरोधी हैं और उन्हें सहकारी क्षेत्र के चीनी मिलों के बारे में कई शिकायतें हैं।

श्री कंवर लाल गुप्ता : हम सहकारी क्षेत्र के विरुद्ध नहीं हैं, बल्कि सहकारी क्षेत्र में गड़बड़ और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र के चीनी मिल बहुत अच्छी प्रकार चल रहे हैं। प्रशुल्क आयोग ने महाराष्ट्र के लिए न्यूनतम मूल्यों की सिफारिश की थी और वहां न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। जहां तक निर्यात का प्रश्न है, सरकार इस बात की सम्भावनाओं का पता लगा रही है कि क्या कुछ अन्य वस्तुओं का भी निर्यात किया जा सकता है। यदि वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति दी तथा वैदेशिक व्यापार मंत्रालय से सहायता मिली तो कुछ अन्य वस्तुओं का निर्यात किये जाने की सम्भावना भी हो सकती है। सरकार की नीति के कारण चीनी का उत्पादन बढ़ा है तथा इस-समय चोर बाजारी की कोई शिकायत भी नहीं है। माननीय सदस्य ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो का उल्लेख किया है किन्तु मुझे नहीं मालूम वह इससे क्या जानना चाहते हैं। विचाराधीन मूल्य निर्धारण का स्वरूप प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है। आशा है इस वर्ष चीनी मिलों को अधिक गन्ना मिल सकेगा। सरकार ने गत वर्ष से अधिक उत्पादन करने के लिये 8 रुपयों की छूट के सम्बन्ध में घोषणा कर दी है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक लाइसेंस नीति के सम्बन्ध में प्रेस नोट

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से औद्योगिक लाइसेंस देने की

संशोधित नीति के स्पष्टीकरणों के बारे में दिनांक 13 मार्च, 1970 के प्रस नोट की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3055/70]**

आकाशवाणी पर प्रसारणों सम्बन्धी संहिता

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) मैं आकाशवाणी पर व्यक्तियों द्वारा प्रसारणों सम्बन्धी संहिता की एक प्रति, सभा-पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-3056/70]**

भाण्डागार निगम अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाएं सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागार निगम (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 438 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-3057/70]**

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) त्रिपुरा खाद्यान्न लाने ले जाने पर नियन्त्रण (संख्या 2) संशोधन आदेश, 1970, जो दिनांक 10 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 427 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) खाद्यान्न (मांड़ी के निर्माण में उपयोग पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 16 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 444 में प्रकाशित हुआ था ।
[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-3058/70]

भारतीय तार यंत्र अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं भारतीय तार यंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तारयंत्र, (चौथा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 302 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-3059/70]**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत, वर्ष 1968-69 के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-3060/70]**

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

एक सौ बारहवां, एक सौ सत्रहवां तथा एक सौ अठारहवां प्रतिवेदन

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) विदेश व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय—ऊनी कपड़ा उद्योग के लिये ऊन, नायलोन, सूती धागे और अन्य ऊनी उत्पादों के आयात और अक्टूबर, 1962 से विभिन्न एककों को उसके आवंटन—पर समिति की 87वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 112वां प्रतिवेदन।

(2) सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय—कोसी परियोजना—पर समिति के 68वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 117वां प्रतिवेदन।

(3) सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय—गण्डक परियोजना—पर समिति के 75वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 118 वां प्रतिवेदन।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I raise a point of order on item No. seven. The hon. Minister has laid on the Table of the House a Copy of the Annual Report of the Employee's State Insurance Corporation for the year 1968-69 under Section 36 of the Employee's State Insurance Corporation Act, 1948. He has delayed it for two years. Will you kindly ask him to submit a statement for delay along with the Report ?

Mr. Speaker : There is no question of delay.

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : Sir, we are not getting the Hindi version of the papers of the Estimates Committee.

Mr. Speaker : Arrangements are being made for that.

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
MATTER UNDER RULE 377

लोक सभा में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों का वृत्तांत का आकाशवाणी द्वारा प्रसारण

श्री प० राममूर्ति (मदुरै) : महोदय, संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुये वाद-विवाद को प्रतिदिन आकाशवाणी ने प्रसारित किया था।

आकाशवाणी के प्रसारणों में सत्ताधारी कांग्रेस के 14 माननीय सदस्यों के भाषणों को सम्मिलित किया गया था तथा अन्य दलों के माननीय सदस्यों के भाषण भी प्रसारित किये गये थे। महोदय, बड़े खेद की बात है कि केवल साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के माननीय सदस्य श्री उमानाथ के भाषण को आकाशवाणी से प्रसारित नहीं किया गया जिन्होंने 3 मार्च, 1970 को इस वाद-विवाद में भाग लिया था।

महोदय ! आकाशवाणी से हमारे दल के सदस्यों के भाषण भी प्रसारित किये जाने चाहिये थे क्योंकि आकाशवाणी द्वारा की गई इस उपेक्षा से यह भावना पैदा होती है कि सम्भवतः हमारे दल के सदस्यों को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ कहना ही नहीं था। (**व्यवधान**)

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लोक सभा में 20 फरवरी से वाद-विवाद होना आरम्भ हुआ था तथा यह वाद-विवाद 27 फरवरी, 2 मार्च तथा 3 मार्च तक चला था। प्रधान मंत्री ने इस वाद विवाद का उत्तर दिया था तथा इनके अतिरिक्त 47 माननीय सदस्यों ने इस वाद विवाद में भाग लिया था। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिनों में तथा 'टुडे इन पार्लियामेंट' और 'संसद समीक्षा' नामक समीक्षाओं में 39 माननीय सदस्यों के भाषणों का उल्लेख किया गया था। माननीय सदस्य श्री उमानाथ का उल्लेख 2 मार्च को 'टुडे इन पार्लियामेंट' के अन्तर्गत किया गया था। यह सच है कि उनका नाम उस दिन के समाचार बुलेटिन में सम्मिलित नहीं हो पाया था। वास्तव में समाचारों की अधिकता के कारण उस दिन किसी भी माननीय सदस्य का नाम समाचार बुलेटिन में सम्मिलित नहीं किया गया था। (**व्यवधान**) ऐसी स्थिति पहले भी कई बार आई है कि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों की बहुलता के कारण समाचार बुलेटिनों में संसद् सदस्यों के नाम सम्मिलित नहीं हो पाते। उस दिन भी यही स्थिति थी। मैंने सारी स्थिति की सावधानी से जांच की है। आकाशवाणी की ओर से संसद की कार्यवाही को प्रसारित न करने अथवा किसी माननीय सदस्य के भाषण को जानकर उपेक्षा करने की कोई चेष्टा नहीं की गई है। आकाशवाणी से श्री उमानाथ के विचारों को 'टुडे इन पार्लियामेंट' के अन्तर्गत प्रसारित किया गया था। श्री उमानाथ के नाम को समाचार बुलेटिन में सम्मिलित न करने का प्रश्न इस लिये नहीं उठता क्योंकि मुख्य समाचार बुलेटिन में उस दिन किसी भी माननीय सदस्य का नाम सम्मिलित नहीं किया गया था। फिर भी मैंने आकाशवाणी का ध्यान इस ओर दिलाया है जिससे भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। (**व्यवधान**)

श्री प० राममूर्ति : महोदय ! मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। आप स्वयं इस मामले को देखिये तथा निर्णय करिये कि क्या इसे विशेषाधिकार समिति को नहीं भेजना चाहिये ? माननीय मंत्री का कहना है कि श्री उमानाथ के भाषण का उल्लेख 'टुडे इन पार्लियामेंट' के अन्तर्गत किया गया था। किन्तु यदि सभी समाचार बुलेटिनों को सुना जाय तो अन्य सदस्यों के भाषण का उल्लेख समाचार बुलेटिनों में भी किया गया था तथा 'टुडे इन पार्लियामेंट' में भी किया गया था। समाचार बुलेटिन तथा 'टुडे इन पार्लियामेंट' दोनों ही चीजें भिन्न हैं। जब सम्पूर्ण वाद विवाद को आकाशवाणी से प्रसारित किया गया था तथा यह वाद विवाद भी चार दिन तक

चला था तो मार्क्सवादी दल के सदस्य के नाम का उल्लेख क्यों नहीं किया गया ? समाचार बुलेटिन में यदि इतना भी कह दिया गया होता कि एक मार्क्सवादी सदस्य ने भी राष्ट्रपति के भाषण पर बोलते हुए राष्ट्रीयकरण का उल्लेख किया तो बात मानी जा सकती थी। लगता है आकाशवाणी को मार्क्सवादी नाम से ही चिढ़ हो गई है। इतने पर भी माननीय मंत्री कोई खेद प्रकट नहीं करना चाहते। 'टुडे इन पार्लियामेंट' को बहुत से लोग नहीं सुनते किन्तु समाचार सभी सुनते हैं, अतः इन दोनों में बहुत अन्तर है।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैंने इस बात को तो स्वीकार कर ही लिया है।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : आकाशवाणी को श्री पी० थारन जैसे व्यक्तियों को प्रसारण देने के लिये नहीं बुलाया जाना चाहिये।

अनुदानों की मांगें (सामान्य)—जारी

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL)—Contd.

गृह-कार्य मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में गृह-कार्य मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी तथा उनको मतदान के लिये रखा जायेगा। मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर देना चाहता हूं कि अब 3 घण्टे तथा 40 मिनट शेष हैं।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण वाद-विवाद है, अतः समय बढ़ाना चाहिये तथा मंत्री महोदय कल उत्तर दें।

Shri Onkarlal Bohra (Chittorgarh) : Sir, the time should be extended. The decision of the Business Advisory Committee should be implemented

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : महोदय ! यदि इसी प्रकार समय बढ़ाया गया तो अन्य मंत्रालयों की मांगों को समय नहीं रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इस मांग के लिये समय नहीं बढ़ाना चाहते तो मेरा निवेदन है कि किसी भी दल का कोई माननीय सदस्य अधिक समय की मांग न करें।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Each party should be given its due time.

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Sir, it is very important Ministry and, therefore, its would require a lot of time. The Hon. Minister should reply tomorrow.

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मंत्री महोदय कल उत्तर देंगे।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपने भाषण के आरम्भ में यह उल्लेख किया था कि गृह-कार्य मंत्रालय के 1969-70 के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि मंत्रालय को देशव्यापी अशांति तथा अव्यवस्था का ज्ञान था। स्वयं श्री एस० के० पाटिल भी जानते थे कि शांति और व्यवस्था का प्रश्न राज्य का प्रश्न है तथा उसमें केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप करने से कई प्रकार के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं।

श्री एस० के० पाटिल ने जिस प्रकार दल-बदल की आलोचना की है वह उनके लिये उपयुक्त नहीं है। मेरे विचार से दल-बदल या फूट देश में विद्यमान राजनीतिक अस्तव्यस्तता का प्रतीक है। इससे अन्त में राजनीतिक क्षेत्र में स्थिरता आने की सम्भावना है तथा इससे आज देश के समक्ष विद्यमान संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली के खतरों को दूर किया जा सकता है।

देश में हिंसा तथा तनाव की भावना उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व सामाजिक-आर्थिक कारणों पर है। मंत्री महोदय इन कारणों को दूर करने के लिये दृढ़ संकल्प हैं। इसी सम्बन्ध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह चेतावनी दी थी कि अहिंसा पर आधारित स्वतंत्रता के लिये आर्थिक समानता अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने आर्थिक समानता लाने का अभिप्राय बताया था कि बड़े पूंजीपतियों तथा आधे भूखे और नंगे व्यक्तियों के स्तर को समान बनाया जाये। एक को उठाया जाय तथा दूसरे को नीचे लाया जाय। उनके अनुसार यदि पूंजीपतियों तथा भूखे नंगों के बीच इतना बड़ा अन्तर रहेगा तो सरकार समाज में कभी अहिंसा नहीं ला सकती। यदि धनवान स्वेच्छा से निर्धनों के लिये धन का त्याग नहीं करेंगे, समाज में हिंसा विद्यमान रहेगी।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at five minutes past fourteen of the Clock

[**श्रीमती सुशीला रोहतगी पीठासीन हुईं**
Shrimati Sushila Rohatgi in the Chair]

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी: भयानक सामाजिक तथा आर्थिक अन्याय, निर्धनता तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी ने देश में ऐसा असंतोष भर दिया है जिससे कभी भी विस्फोट हो सकता है। प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री कुछ उपायों के द्वारा इन बुराइयों को समाप्त करना चाहते हैं। यदि नक्सलवादी और साम्यवादी लोगों की इस दुर्दशा से समृद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। किन्तु इससे देश के मानव मूल्यों का हनन किया जा रहा है।

इस संदर्भ में, मैं निवेदन करता हूं कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लिये अधिक राशि नियत करनी चाहिये। वर्तमान राशि इस कार्य के लिये अपर्याप्त है। क्योंकि निकट भविष्य में इस पुलिस को देश में विद्यमान समाज-विरोधी तथा राष्ट्रविरोधी तत्वों का मुकाबला करना है तथा देश की सुरक्षा को सशक्त बनाना है। इस बात का कोई माननीय सदस्य विरोध नहीं कर सकता कि कटुता की स्थिति में देश किसी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकता।

प्रशासनिक व्यवस्था में विद्यमान भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मुझे केवल इतना कहना है कि प्राक्कलन समिति के 78वें प्रतिवेदन में कहा गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के बहुत से मामले मंत्रालयों तथा विभागों में लम्बी अवधि से अनिर्णीत पड़े हैं तथा उन पर कोई कार्यवाही नहीं

की गई। इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन के पृष्ठ 85 पर यह भी उल्लेख किया गया है कि अनुशासनिक कार्यवाही जैसे मामलों को जितनी देर लगाई जाती है, गवाहों तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को उतनी ही कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है।

समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ 11 पर यह भी लिखा है कि यद्यपि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कैसे मामलों का निपटारा करना है, इस सम्बन्ध में कुछ मार्गदर्शी नियम बनाये गये हैं और राज्य सरकारों को ये बता दिये हैं तथापि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था तथा कार्य करने के ढंग से सी० बी० आई० तथा राज्य की पुलिस में मतभेद हो सकता है। चूंकि अभी तक ऐसी कठिनाई उपस्थित नहीं हुई है तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में इसकी कोई आशंका भी नहीं है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा राज्य पुलिस में समन्वय स्थापित करने के लिये हमें एक मार्ग निकालना है। समन्वय स्थापित होने पर ही हमें इन सेवाओं का सहयोग प्राप्त हो सकेगा। पश्चिमी बंगाल में पाकिस्तान तथा चीन के एजेन्टों की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, इसका सामना करने के लिये हमें केन्द्रीय गुप्तचर सेवाओं की कार्यप्रणाली को विकसित करना होगा।

राष्ट्रविरोधी तथा समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये सीमा सुरक्षा आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सीमा सुरक्षा दलों को सशक्त बनाया जाय, इन्हें नवीनतम हथियार दिये जायं जिससे ये दल भलीभांति अपना कार्य सम्पन्न कर सकें।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में निर्देश किया गया है कि सरकारी उद्यम ब्यूरो ने उच्चतम कार्यपालकों की तालिका रखी हुई है परन्तु मध्य एवं कनिष्ट कार्यपालकों की कोई ऐसी तालिका नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर ऐसी तालिका बनाई जा सकती है। इस ओर हमें ध्यान देना चाहिये।

पश्चिमी बंगाल की स्थिति के विषय में हमें इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि राष्ट्रपति-शासन स्थायी हो सके। जब तक वहां पूर्ण शान्ति स्थापित न हो जाय, मध्यावधि चुनावों की बात नहीं उठायी जानी चाहिये। कृपया गृह-कार्य मंत्री इस ओर ध्यान दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इस सीमित समय पूरे कार्यक्षेत्र पर विचार करना सम्भव नहीं है। परन्तु इस सम्बन्ध में मुझे एकीकरण की समस्या के मूल्यांकन के विषय में बहुत अधिक निराशा है। गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। गत वर्ष राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करने वाली प्रवृत्तियां सशक्त रहीं अथवा इसके विरुद्ध कार्य करने वाली शक्तियों का पलड़ा भारी रहा, प्रतिवेदन में इस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं दिया गया है। यदि हम स्वयं इसका मूल्यांकन करें तो ज्ञात होता है कि विघटन करने वाली शक्तियां प्रबल रही हैं। अनेक लोगों ने बढ़ते हुए उत्पातों के विषय में चर्चा की है। मेरे विचार से इस प्रकार की गतिविधियां समस्या का मूल कारण नहीं हैं, ये तो स्थित समस्या के चिह्न मात्र हैं। समस्या का मूल कारण कुछ और ही है। कई सदस्यों द्वारा इन पहलुओं का संदर्भ प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के

लिये यदि हमें केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में तनावपूर्ण स्थिति दिखाई देती है तो सरकार को केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के ढांचे में नये परिवर्तम करने चाहिये जिससे तनावपूर्ण वातावरण से छुटकारा मिले। विकेन्द्रीयकरण आदि प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार किया जाय।

सीमा-विवाद को हल करने के लिये सरकार द्वारा किसी संगत सिद्धान्त अथवा लोकतांत्रिक हल का अनुसरण नहीं किया गया है। काफी समय पहले एक सिद्धांत बनाया गया था कि एक गांव को इकाई माना जाय। बहुसंख्यक लोगों की भाषा के आधार पर क्षेत्रों तथा भाषा में सान्निध्य स्थापित किया जाय। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। राजनैतिक इष्टसिद्धि के लिये सिद्धांतों को बदल दिया जाता है। आर्थिक असमानताओं के कारण क्षेत्रीय विभिन्नताओं का जन्म होता है और इस प्रकार प्रान्तीयता की संकुचित भावना पनप रही है। चारों ओर निराशा तथा बेरोजगारी बढ़ रही है। विद्यार्थी तथा युवकों के असन्तोष का कोई हल नहीं निकाला जाता है ? यहां तक कि गृह-कार्य मंत्रालय के किसी भी प्रतिवेदन में उन पर चर्चा तक नहीं की जाती है।

शिव सेना का आदर किया जा रहा है। प्रान्तीयता की संकुचित भावना को फैलाने के अतिरिक्त शिवसेना का क्या कोई अन्य आधार है। आज के समाचार पत्र में मैंने पढ़ा है कि महाराष्ट्र का सत्ताधारी दल स्थानीय प्रशासन के चुनावों में शिव सेना से समझौता करने के लिये हाईकमांड से परामर्श कर रहा है। इस प्रकार की गतिविधियां होने पर विघटनकारी प्रवृत्तियों को किस प्रकार रोका जा सकता है। गुजरात के साम्प्रदायिक दंगों के विषय में राष्ट्रीय एकता परिषद की आलोचना करना अथवा उसे दोषी ठहराना अनुचित है। जब तक सरकार के समर्थन से प्रशासनिक एवं कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक राष्ट्रीय एकता-परिषद कुछ नहीं कर सकती। लोगों से निवेदन करने के अतिरिक्त और यह कर भी क्या सकती है।

यदि विभिन्न क्षेत्रों में अवसरवादिता तथा राजनैतिक इष्टसिद्धि को प्रोत्साहन दिया जायगा। तो न्यायपालिका, प्रशासन और विधानसभाएं भी इस रोग से मुक्त नहीं रह सकेंगी।

कुछ न्यायाधीशों पर अभियोग लगाने की बात कही गई है जिसे सुनकर कुछ विधिवेत्ता आंतकित और भयभीत हैं। जब न्यायाधीश निर्धारित परम्पराओं तथा विधिशास्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध आचरण करते हैं, तब कोई भयभीत अथवा आंतकित नहीं होता है। मेरा तात्पर्य उस विवाद से है जो बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम को अवैध घोषित करते समय कुछ न्यायाधीशों के आचरण पर उत्पन्न हुआ। क्षतिपूर्ति के सिद्धांतों को अनुचित ठहराते हुए इस अधिनियम को अवैध घोषित किया गया था। यह सबको ज्ञात है कि सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंशधारी थे, अतः क्षतिपूर्ति के विषय में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अभिरुचि रखते थे। इन्होंने स्वेच्छा से अपने को मामले की सुनवाई से अलग नहीं हटाया बल्कि उस पीठ में भाग लेते रहे जिन्होंने मामले की सुनवाई की। आचरण औचित्य की दृष्टि से यह ठीक नहीं था। राजनैतिक इष्टसिद्धि तथा अवसरवाद के सामान्य वातावरण से प्रभावित

होने के लिये स्वयं न्यायाधीश ही जिम्मेदार हैं। सर्वोच्च न्यायालय में परोक्षरूप से राजनीति लाने के लिये न्यायाधीश ही उत्तरदायी हैं।

प्रिवीपर्स को समाप्त करने के विषय में प्रतिवेदन में कहा गया है कि भूतपूर्व नरेशों को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं का ब्योरा तैयार किया जा रहा है। क्या यह सच है कि मंत्रिमण्डल ने भूतपूर्व नरेशों के समस्त मकानों में से कम से कम एक मकान पर, जिसे सरकारी तौर पर उनका आवास माना गया है, सम्पत्ति कर लगाने के बारे में विचार किया है ? यह भी विचार किया गया है कि सम्पत्ति कर सरकारी तौर से मान्यता प्राप्त आवास पर तथा आयकर प्रिवीपर्स पर लगाया जाना चाहिये। इसके पश्चात सहायता के रूप में इनको कुछ और दिया जाना चाहिये। क्या यह सच है कि इन नरेशों को सम्पत्ति तथा आयकर से पूर्णतया मुक्त रखने के लिये दबाव डाला जा रहा है। मैंने यह भी सुना है कि इन नरेशों को क्षतिपूर्ति के रूप में 100 करोड़ की धनराशि के बोण्ड तथा उन पर ब्याज देने के बारे में कहा गया है। कृपया वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया जाय। क्या प्रिवीपर्स समाप्ति के नाम में देश के साधारण लोगों पर और बोझ लादा जायगा। इस सम्बन्ध में साधारण व्यक्ति कोई पैसा नहीं देने के।

बैंक वालों को क्षतिपूर्ति के रूप में पहले ही 80-85 करोड़ रुपये सरकार ने दिए हैं। अब अगर सरकार इन भूतपूर्व नरेशों को क्षतिपूर्ति के रूप में 100 करोड़ रुपए देती है तो इस देश की जनता उस बोझ को भी वहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर वे तत्संबंधी विधेयक के साथ ही साथ ऐसी योजना भी प्रस्तुत न करती है, जिससे भूतपूर्व नरेश अपने आप को बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल ढाल सकें, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे।

दूसरी बात जो मुझे मंत्री महोदय से कहनी है, यह है 19 सितम्बर, 1968 को जो हड़ताल हुई थी, उन हड़तालियों के विरुद्ध न्यायालय में अब भी मुकदमा चल रहा है। सरकार ने उनकी सेवा में हुए व्यवधान को तो माफ कर दिया। अतः मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि उन के नाम चल रहे मुकदमे भी वापस लिए जायं। वैसे ही वरिष्ठता के आधार पर उनकी पदोन्नति एवं स्थायित्व रोके हुए हैं। अतः मैं विनती करता हूं कि इनके मामले में पूर्व स्थिति को कायम करने का प्रयत्न किया जाय।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) सभापति महोदय, कल श्री स०का० पाटिल ने अपने भाषण में सीमा विवादों पर विचार किया। उन्होंने कहा कि मुझे भाषा के आधार पर किये गये राज्यों के पुनर्गठन में विश्वास नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को पूर्णरूप से अमल में लाया जाना चाहिये था। असल में उनकी बातों में कुछ अर्न्तविरोध है। वे शायद भूल गये होंगे कि उक्त आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश दी थी। अतः उन की बातें मेरी समझ में नहीं आतीं। उन्होंने आगे कहा कि इन बातों में राजनैतिक आधार पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिये था, बल्कि इन्हें उच्चतम न्यायालय के निर्णय को छोड़ देना चाहिये था।

जैसे हम सब जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय का काम विधि संबंधी बातों पर निर्णय करना, विधि की व्याख्या करना आदि होता है। राजनैतिक निर्णय करने का स्थल यही सदन होता है। सरकार का निर्णय जनता द्वारा अस्वीकृत किया जाता है तो यह अक्सर आवश्यक हो जाता है कि हम सदन के समक्ष उपस्थित होकर इस निर्णय को बदल दें। मैं श्री पाटिल को याद दिलाना चाहता हूँ कि सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को बिना किसी हेर-फेर के स्वीकार किया था, मगर इसको जैसी स्वीकृति मिलनी चाहिये थी, वैसी न मिलने के कारण संसद को उक्त निर्णय बदलना पड़ा। पंजाब के मामले में यही हुआ। आयोग ने पंजाब का विभाजन करना नहीं चाहा। मगर अंत में सरकार को विभाजन का निर्णय लेना पड़ा। बंबई के मामले में भी यह बात हुई। मैं ये सारे उदाहरण यह सिद्ध करने के लिये प्रस्तुत करता हूं कि किसी भी समस्या का हल किसी आयोग की सिफारिशों को चाहे वह कितनी ही उचित और उन्नत हो, वैसी ही स्वीकार करने में नहीं हैं, बल्कि उसके लिये राजनैतिक उत्तरदायित्व का भी ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिये।

अतः श्री पाटिल की यह बात कि इस सरकार ने सीमा-विवादों को खड़ा किया है और इसीलिये यही उसके लिये जिम्मेदार है, बिल्कुल गलत है।

हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने प्राशसनिक इकाई को किसी तार्किक आधार पर नहीं बनाया। स्वतंत्रता के पहले ही इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने जो कि सारी जनता की इच्छा-आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता था, एक संकल्प पारित किया था जिसमें कहा गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जायगा। इसका तार्किक आधार क्या था ? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमने जनता के लिये जो संविधन बनाया, उसके लिये यह आवश्यक था कि प्रशासन कार्य जनता की भाषा में ही चलाया जाय। अतः भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया।

हम जानते हैं कि भाषा की समस्या ने देश में तीव्र भावनाओं को जन्म दिया। उन्हें मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने भाषा के संबंध में कई विवेकपूर्ण निर्णय लिये थे और प्रशासनिक इकाइयों को भाषा के आधार पर बनाया था। हम प्रशासनिक कार्य जनता की भाषा में चलाने का सतत प्रयत्न करते आ रहे हैं। कई भागों में हमें सफलता प्राप्त हुई है और कई भागों में नहीं। मगर यह कहना कि उक्त निर्णय गलत था, सर्वथा अनुचित है। असल में, भाषावार प्रांत देश की एकता को बनाये रखेगा। जो यह कहता है कि अंग्रेजी भारत की संपर्क-भाषा है, उसे समझना चाहिये की अंग्रेजी समझने वाले केवल 2 प्रतिशत हैं। 200 वर्षों के शासन के बावजूद भी देश में, अंग्रजी की यह स्थिति है।

केन्द्र सरकार ने अंग्रेजी और हिन्दी दोनों को राजभाषा स्वीकार कर लिया है। ऐतिहासिक कारणों से हमें ऐसा करना पड़ा है। हमें यह बात भी ध्यान में रखनी होती है कि देश का एक विशाल जनसमुदाय हिन्दी नहीं जानता। अतः यह हमारा कर्तव्य है कि उन्हें देश के निर्माण-कार्य में अपनी भाषा के द्वारा जी जान से जुट जाने का अवसर दिया जाय। हमारी नीति हमेशा यही है कि प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से हिन्दी को थोप नहीं दिया

जायगा । इस संबंध में स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिये गये वचन का पालन किया जाता है ।

हमने अंग्रेजी को तब तक कायम रखने के लिये तत्संबंधी कानून में पर्याप्त प्रबंध किया है, जब तक अंतिम अहिन्दीभाषी राज्य विधान सभा में संकल्प पारित करके अंग्रेजी का उपयोग समाप्त न करता । उस समय तक अंग्रेजी का प्रयोग न चलता रहेगा ।

इसके अलावा हमने यह भी प्रबंध किया है कि हर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी स्वेच्छा से अंग्रेजी या हिन्दी में काम कर सकता है । किसी के भी ऊपर हिन्दी थोपी नहीं जायगी संसद में पारित कानून में इसका उपबन्ध है ।

सदन में एक संकल्प पारित हुआ था जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार की उच्चतम सेवाओं में नियुक्ति हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चलाई जाने वाली परीक्षाओं में संविधान की आठवीं अनुसूची में बताई गयी 14 या 15 राजभाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है । इस प्रकार पहली बार चलाई गयी परीक्षा में दो अनिवार्य प्रश्न-पत्रों का उत्तर इनमें से किसी भी भाषा में देने की छूट दी गयी थी । करीब 10 प्रतिशत परीक्षार्थियों ने इस का उपयोग किया । दो भाषाओं में उत्तर देने से भले ही विद्यार्थियों को कठिनाई महसूस हो, फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने प्राप्त सुविधाओं का सदुपयोग किया है । मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि पदोन्नति में, सेवा की सुविधाओं में या किसी भी अन्य बात में भाषा के कारण किसी भी कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं बरता जायगा ।

अन्य विषयों पर विचार करने से पहले मैं मैसूर-महाराष्ट्र सीमाविवादों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । यह बहुत अधिक संकीर्ण है । माननीय सदस्य इससे सुपरिचित हैं । इस विवाद को मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिये हमें उचित एवं बौद्धिक कदम उठना होता है । तमिलनाडु और आन्ध्र के सीमा-विवाद के निपटारे के लिये हमने कुछ ठोस सिद्धातों का उपयोग किया । वहां के दोनों मुख्यमंत्री इन सिद्धांतों से सहमत हुए थे । परन्तु मैसूर और महाराष्ट्र के दोनों मुख्यमंत्री किसी भी सिद्धांत से न सहमत होते हैं और न किसी आपसी समझौते पर पहुंचते । मगर इससे मेरा तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि दोनों राज्य विवाद का निपटारा करना नहीं चाहते । मुख्य कठिनाई यही है कि यह बहुत अधिक जटिल मामला है । जब हमने इस पर पुनर्विचार किया, तो मालूम हो गया कि न तो महाजन आयोग के प्रतिवेदन की पूर्ण रूप से उपेक्षा की जा सकती है और न पूर्ण रूप से उसे स्वीकार भी किया जा सकता है । अतः हमने चाहा कि इसके बारे में विचार विमर्श करें । माननीय प्रधानमत्री ने दोनों मुख्यमंत्रियों से संपर्क बनाये रखा और अपने अन्तःकालीन प्रस्तावों के आधार पर उनसे बातचीत की । यह वार्ता जारी है । हम इस विवाद के निपटारे के लिये सारे संभव प्रयास करेंगे जो दोनों राज्यों के लिये अधिकाधिक स्वीकार्य हों ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : मेरे विचार से मंत्री महोदय सही चित्र प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं । मैसूर का रवैया था कि महाजन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से अमल में लाया जाय ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इन सिद्धांतों के आधार पर हल निकालने में हमें बहुत ही खुशी है। मगर, मुख्य मंत्री इनसे सहमत नहीं तो इनका प्रयोग हम नहीं कर सकते।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगूसराय) : यही समस्या है। आपका मुख्य मंत्रियों से संबंध है, न कि सिद्धांतों से। आप इन सिद्धांतों से दूर चले जा रहे हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम सिद्धान्तों से दूर नहीं जा रहे हैं। हमारा संबंध समस्या और उसके हल से है। किसी भी तरीके से हम इसका हल खोज निकालने का प्रयत्न करेंगे।

अब मैं संघ राज्यों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। कल श्री चं० चु० देसाई ने अंदमान निकोबार द्वीप समूहों में तेल की संभावना के बारे में कहा। उन्होंने इन द्वीपसमूहों में पर्यटन एवं निर्बाध पत्तनों के विकास करने के बारे में भी कहा। ये सारी बातें सरकार के ध्यान के विषय रही हैं। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ने सर्वेक्षण भी आरम्भ किया है। सर्वेक्षण समाप्त नहीं हुआ और आशा है कि दो वर्षों में यह समाप्त हो जायगा। जहां तक निर्बाध पत्तन और पर्यटन के विकास के प्रश्नों का संबंध है, माननीय सदस्य जानते हैं कि यह द्वीप समूह बहुत अधिक सामरिक महत्व का है। जब इन प्रश्नों पर विचार किया जाता है, तो पहले सुरक्षा संबंधी प्रश्नों को ध्यान में रखना होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षण के संबंध में कहा। हमने सदन में कई बार कहा कि आरक्षण में वृद्धि करने और इसे अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिये कई कदम उठाये गये हैं। असल में आरक्षण में कोई भी कठिनाई पैदा नहीं होती है। इन रिक्तियों में योग्य प्रत्याशियों की नियुक्ति में कई कठिनाइयां पैदा हुई हैं। हमने इन रिक्त स्थानों को कुछ और समय तक रिक्त रखने का जो निर्णय किया है, इससे इन कठिनाइयों को दूर करने में सहायता मिलेगी।

प्रशिक्षण संस्थाओं का शुरू करना अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। पिछले कई वर्षों से अखिल भारतीय एवं केन्द्रीय सेवाओं की रिक्तियां जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित की गई थीं, भरी जा सकी हैं। हमने आरक्षण कोटा में संशोधन करने का भी निर्णय किया है। इस प्रकार आरक्षण में जो वृद्धि की जाती है, उसकी घोषणा शीघ्र ही की जायेगी।

कई माननीय सदस्यों ने अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में विचार किया। जैसा कि सबको ज्ञात है। 1961 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कुछ अखिल भारतीय सेवाओं की सृष्टि करने का निर्णय लिया गया था। श्री कन्डप्पन ने इस संबंध में निर्णय लेने के सरकार के अधिकार पर आपत्ति प्रकट की थी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि हमने जो कुछ किया है या कर रहे हैं, वह केवल मुख्य मंत्रियों की सिफारिशों के आधार पर ही नहीं है, संसद में भी इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय लिया गया था। इस संबंध में एक अधिनियम बनाया गया और राज्य सभा में एक संकल्प पारित किया गया। इनके आधार पर हमने उक्त सेवाओं की सृष्टि की है। भारतीय वन सेवा की सृष्टि की जा चुकी है। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के बारे में

शीघ्र घोषणा की जाने वाली है । नियम व विनियमों का प्रारूप अनुमोदन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है । उसके प्राप्त होते ही तत्संबंधी घोषणा की जायगी । भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा का गठन भी शीघ्र किया जायगा ।

राज्य सरकारों से हमें कुछ पत्र मिले थे जिनमें उन्होंने इसके बारे में अपनी अनिच्छा प्रकट की थी । इन पत्रों को ध्यान में रखते हुए हमें इसके बारे में निर्णय करना है कि इन अखिल भारतीय सेवाओं को बनाये रखना चाहिये या नहीं । जो भी हो, निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा ।

श्री चं० चु० देसाई ने आई० सी० एस० वालों के विशेषाधिकारों के बारे में, और इन विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 314 को हटाये जाने के प्रयत्न के संबंध में कहा । माननीय सदस्य श्री मधु लिमये ने इस सम्बन्ध में एक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया है । श्री चं० चु० देसाई की दलील यह है कि संसद को तत्संबंधी कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है । विधि मंत्रालय ने सलाह दी है कि संसद को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है ।

अन्त में मुझे सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल के बारे में कुछ कहना है । सरकार मामले को पूर्व स्थिति में लाने का भरसक प्रयत्न करती है और यह कहने में खुशी है कि यह मामला प्रायः साफ हुआ है । कुछ मुकदमें ऐसे हैं जो वापस नहीं लिये गये हैं । परन्तु जिन-जिन कर्मचारियों के नाम न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, उन्हें वापस काम पर लिया गया है । सरकार की नीति है कि किसी भी आदमी को अनावश्यकरूप से कठिनाई अनुभव करना न पड़े ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : क्या दिल्ली पुलिस वालों के बारे में पुनर्विचार किया जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जिन मुकदमों में साक्ष्य नहीं हैं, वे वापस लिये जायेंगे । कई मुकदमें वापस किये जा चुके हैं । मगर जिन में पर्याप्त साक्ष्य हैं, उन्हें वापस लेने में कठिनाई है । मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिये और उचित कार्रवाई के लिये प्रयत्न किया जा रहा है । तीन लाख कर्मचारियों में से बहुत कम लोगों पर ही मुकदमा चल रहा है । हम सम्पूर्ण मामले पर पुनर्विचार कर रहे हैं ।

श्री मधोक और अन्य कई माननीय सदस्यों ने दिल्ली पुलिस के बारे में प्रश्न किया । कुछ दिन पहले मैंने सदन में कहा था कि हम इस मामले पर नये सिरे से विचार कर रहे हैं । हम उनकी बाधाओं का निवारण करने का प्रयत्न करेंगे । अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस मामले पर जोर न दें । हम इस समस्या को सद्भावनापूर्ण ढंग से निपटा लेंगे ।

Shri S. M. Joshi (Poona) : I have one thing to ask. The honourable Minister has said that the two Chief Ministers should reach an agreement. My question is this. Are we not to

take the opinion of the 10 lakhs people there? Is the Government prepared to make a referendum in this case?

Shri Vidya Charan Shukla : We must handle this case on a practical basis. The principles to which Mr. Joshi refers, don't help to serve the purpose. We are making every effort to bring both parties together and reach asettlement through mutual negotiations.

श्री बदरुद्दुजा (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदया, मैं श्री ज्योतिबसु की हत्या को कायरतापूर्ण कोशिश एवं श्री अली इमाम की हत्या की कठोर निन्दा करता हूं। वर्षों से इस देश में हिंसा और विद्वेष की घृणित भावनाओं को उकसाने का जो सतत प्रयत्न किया जा रहा है, उसके परिणामस्वरूप आज देश के कोने-कोने में लोगों को व्यापक रूप से हत्या और लूटपाट, तोड़फोड़, आगजनी, आदि भयावह घटनायें घट रही हैं। इससे इस देश पर बड़ा कलंक लगा है। अगर प्रशासन ने पहले ही इन राष्ट्रविरोधी, विध्वंसक तत्वों का दमन किया होता, तो आज देश को ऐसा दृश्य देखना न पड़ता। ठीक समय पर उचित काम करने में प्रशासन यंत्र पूर्णतः नाकामयाब सिद्ध हुआ है। इसके परिणामस्वरूप देश भर में जान-माल खतरे में पड़ गयी है। देश भर में रक्तिम क्रांति के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं।

एक बात के लिये मैं केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हाल में जो स्थिति पैदा हो गयी है, उसका वस्तुगत विश्लेषण किया है और ठीक-ठीक समझने की कोशिश की है। पता नहीं, कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने स्वेच्छा से या दूसरों की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की थी। जैसे भी हो, इसके द्वारा उन्होंने पश्चिम बंगाल की उत्पीड़ित, संत्रस्त जनता का बड़ा उपकार किया है। वहां अब हर तबके के लोग, जिनमें अभागे मुसलमान लोग भी हैं, चैन की सांस ले रहे हैं। कई बम बरामद किये गये हैं और अपराधियों की व्यापक रूप से धर पकड़ की गयी। यह जनता के मनोबल को बढ़ाने में सहायक हुआ। जब राज्यपाल ने बर्दवान के अशांत दिल को सहलाने के लिये वहां का दौरा किया और उस अभागी माता का दर्शन किया जिनके दोनों प्यारे पुत्रों की अपने सामने नृशंस हत्या की गयी थी।

राज्यपाल ने हुगली जिले के नैहाटी, बानसविया आदि स्थानों में साम्प्रदायिक दंगे के दौरान की गयी हत्याओं की न्यायिक जांच का आदेश दिया। 24 परगनास में फसलों को लूटने वालों से, जिसके लिए एक स्थानीय विधायक ने प्रेरणा दी थी, हुए टकराव में फसल के स्वामियों की नृशंस हत्या की गयी थी। राज्यपाल ने उसकी भी न्यायिक जांच का आदेश दिया। वह घटना घटते समय पुलिस निष्क्रिय-सी यह सब देख रही थी, अपराधियों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। सारा मामला अत्यंत गोपनीय रखा गया था।

मैं अपने साम्यवादी (मार्क्सवादी) मित्रों को दिल से चाहता हूं। उन्होंने 1964-65 के नाजुक समय में तमाम मुसलमान समुदाय का साथ दिया था जो अन्य किसी भी दल ने नहीं किया। यह मुसलमानों के मनोबल को बनाये रखने में सहायक हुआ। मैंने संयुक्त मोर्चा सरकार को सत्तारूढ़ करने के लिये पश्चिम बंगाल के विशाल मुसलमान समुदाय का मत संग्रह किया था मगर संयुक्त मोर्चे के सत्तारूढ़ होते ही जनजीवन संत्रस्त एवं कष्टमय हो गया।

मैं श्री अजय मुकर्जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने संयुक्त मोर्चा सरकार के विरूप एवं भयानक प्रदर्शन को खतम किया। मैंने संयुक्त मोर्चा सरकार को जीवित रखने के लिये सारे संभव प्रयास किये थे। मगर देश में बढ़ती अहिंसा, तोड़-फोड़, लूट-मार, महिलाओं का शीलभंग आदि मर्मभेदी घटनाओं से व्यथित होकर मुख्यमंत्री उस सरकार का अंत करने को विवश हुए। इस महान कार्य के लिये बंगाल की जनता उन्हें बधाई दे रही है।

अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। पुराने संयुक्त मोर्चे सरकार को पुनर्जीवित करने का यत्र-तत्र प्रयत्न चल रहा है। मगर जितना अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन बना रहेगा, उतना हमारे राज्य के लिये अच्छा है। हमें एक स्वस्थ सरकार चाहिये जो जनता की आशा-आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली हो, जनता की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देनेवाली हो, उनके मनोबल को बढ़ानेवाली हो।

साम्यवाद दुनिया में अधिकाधिक शक्तिशाली बन गया है। यह दुनिया के करोड़ों गरीबों की आशा-आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मैं साम्यवाद में विश्वास नहीं रखता हूं। इसके जीवन दर्शन में मैं विश्वास नहीं रखता क्योंकि यह राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को भंग करता है। फिर भी हम इस आशा से कि शायद वे हमारा उद्धार कर सकेंगे, साम्यवादियों के साथ मिल गये। मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया कि वे चाहे भारी बेनामी सम्पत्ति लूट लें, उसके साथ कुछ भी करें, मगर बेचारे किसानों को लूटना बंद करें, जिनके पास केवल दो, तीन या चार बीघे से अधिक जमीन न हो।

अब साम्यवादी दल का जनता से सम्पर्क टूट चुका है। संयुक्त मोर्चे के नौ घटक दलों ने मोर्चे सरकार को पुनः स्थापित करने का विरोध किया। सत्तारूढ़ कांग्रेस तक ने इसके विरुद्ध रवैया अपना लिया था। 280 विधायकों वाली विधान सभा में उनकी संख्या अब 165 है। जब राज्यपाल ने मोर्चे सरकार को पुनःस्थापित करने पर विचार-विमर्श किया था, तो उन्होंने इसका विरोध किया।

वस्तुस्थिति यह है। बाईस साल में पहली बार मैं सत्तारूढ़ दल की सहायता मांगता हूं। मैंने कई बार कई मामलों में इस दल का समर्थन किया है। देश के अल्पसंख्यक समुदाय आपसे सहायता की प्रार्थना करते हैं। वे आपसे मार्गदर्शन की आशा रखते हैं।

कांग्रेस में, जनसंघ में हर दल में अच्छे लोग हैं जिन्हें हमारे प्रति पूरी सहानुभूति है। मगर दुर्भाग्य से, कुछ लोगों ने हमारे भारतीयकरण करने का नारा बुलंद किया है। हमारे बड़े-बड़े नेताओं ने इस देश के राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में अपने उच्च आदर्श, ज्वलंत देशप्रेम और महान् जीवन से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हमारा भारतीयकरण नहीं किया जा सकता। उस जनता का जिनका अपना महत्वपूर्ण इतिहास है, गरिमामयी सांस्कृतिक परम्परा है, और जिन्होंने सदियों तक भारतीय जीवन में हर क्षेत्र में, यहां की संस्कृति में, यहां के साहित्य में, कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उस महान जनता का भारतीयकरण कैसे किया जा सकता है। देश की 51 प्रतिशत

जनता जो अपने त्याग या बलिदान के बल पर नहीं, अपने ऊंचे बौद्धिक स्तर के बल पर नहीं या देश के सामाजिक या राजनैतिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण नहीं, बल्कि केवल अपने बहुमत के आधार पर शेष 49 प्रतिशत जनता पर अपने हितों को कैसे थोप सकती है ? मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि प्रशासन का स्वरूप क्या हो । प्रशासन का स्वभाव चाहे कुछ भी हो, मगर आवश्यक बात यह है कि प्रशासन की ऊंची सीढ़ी पर बैठने वाला व्यक्ति उच्च आदर्शवान हो, जिसका श्रेष्ठ जीवनदर्शन हो, जिसकी परिष्कृत एवं ऊंची कल्पना हो। जिसका दृष्टिकोण उदार हो महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, अशोक, शेरशाह सूरी जैसे श्रेष्ठ आदर्शवान, उन्नत जीवनदर्शन वाले लोग ही संसार को मुक्त कर सकते हैं ।

हमारी अल्पसंख्यक जनता की रक्षा के लिये मैं आपके दल से सहायता मांगता हूं । आपके दल के महान नेता श्री महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं शांति चाहता हूं, मगर मरघट की शांति नहीं । मैं ऐसी शान्ति चाहता हूं जो मनुष्य के हृदय की गहराई में रहती है.....

श्री चह्वाण को प्रतिक्रियावादी, समाज-विरोधी, राष्ट्र-विरोधी और धर्मनिरपेक्षता-विरोधी तत्वों के विरुद्ध संघर्ष करके उन्हें समाप्त करना होगा ।

1964 के दंगों के दौरान लाखों मुसलमानों को जेल में ठूंस दिया गया । यही कारण था कि बंगाल, मद्रास और केरल में कांग्रेस की दुर्दशा हुई ।

वर्गहीन समाज में विश्वास रखने वाले साम्यवादी मित्रों से मैं सहमत नहीं हूं । हम निश्चित रूप से एक ऐसे वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं, जिसने सभ्यता और संस्कृति के विकास में योग दिया है और महानतम अध्यापक, दार्शनिक, विचारक, राजनीतिज्ञ, राष्ट्रनिर्माता और प्रशासक देश को दिये हैं । हमें कोई भी समाप्त नहीं कर सकता । मजदूर वर्ग को सभी सुविधायें और अवसर आपको प्रदान करने होंगे ।

प्रजातन्त्र में बहुमत का शासन होता है । हम केवल उस बहुमत के साथ सहयोग करेंगे, जो गहन बिपत्ति में हमारे साथ सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करेगा ।

पिछले बाईस वर्षों में भारतीय मुसलमानों की उपेक्षा की गई है और यही कारण है कि राजपत्रित और अराजपत्रित 70 लाख पदों में मुसलमानों की संख्या केवल 1% है । भारतीय मुसलमान भी राष्ट्र का अभिन्न अंग है और उनके जीवन, सम्मान और सम्पत्ति की रक्षा होनी चाहिए । विभाजन से पूर्व उ० प्र० की कुल जनसंख्या के 14% मुसलमान, बिहार में 11% और मद्रास में 7% मुसलमान अपने जान माल की रक्षा कर सके थे ।

90% हिन्दू युवकों को तो रोजगार मिलना ही चाहिए, परन्तु मुसलमानों को विशेषकर पुलिस विभाग में पुलिस अफसर और मजिस्ट्रेट जैसे पद भी मिलने चाहिए जिससे दंगों के समय वे मुस्लिमों को सुरक्षा प्रदान कर सकें ।

उर्दू भारत की एक ऐसी भाषा है जिसके साथ सभ्यता और संस्कृति का गौरव जुड़ा हुआ है । भारत सरकार को उसे क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करनी चाहिए ।

राष्ट्र और समाज के समक्ष अनेक गम्भीर समस्यायें हैं और हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध सभी को उसे अधिक सम्पन्न और वैभवपूर्ण बनाने में सहयोग करना चाहिए।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Madam Chairman, Theists and Atheists, both of them have expressed their views. My friend has criticised Home Ministry and has also expressed some fears. Another friend has made a very impressive speech and some of his views may be commended, but some points raised by him are objectionable. We are living in a democratic society, having no special regard to Hindu, Muslim, Sikh and Christian. Our Constitution has provided equal opportunities to all irrespective of their caste, creed and sex. We all should have full faith in our Constitution.

I have read the speech made by Shri Dwivedi yesterday. He said that Home Ministry has totally failed and Home Minister should resign his office. Shri Dwivedi is a senior Member of the house and leader of a party, he should take all aspects into consideration.

During 1947-48, the task of Home Minister was very ticklish, but our able Home Minister Sardar Patel solved the problem of 600 States very judiciously. Then came Nehru Era, but work went on smoothly and Home Ministry had to face no problem. But after the 1967 General Elections, a new problem came before the Home Ministry. Governments comprising 14 parties were formed in some of the States and they were dissolved later on. Situation was kept in control though there were problems like that of Telengana and Chandigarh. Home Ministry's and Home Minister's work is commendable. One should not forget the reality, while expressing his views.

A provision of 70 crores of rupees has been made under Demand No. 45. Suitable increase should be granted in the pay-range from that of sepoy to Sub-Inspector. Police personnel should be given technical and scientific training and be provided with suitable equipments so that they may be able to check criminal activities.

Under Demand No. 46, a provision of Rs. 7 crores has been made for the work relating to consus to be held in 1971. I would request that information regarding the number of persons engaged in agriculture and Government sevice and as also to the facilities of electricity and drinking water available to the people should also be collected.

One lakh non-gazetted Government employees of Himachal Pradesh have called off their strike and have now created an atmosphere wherein peaceful talks could be held. Their demand for granting Punjab Pay scales should be considered sympathetically and all cases of victimisation and suspension should be withdrawn immediately.

In the case of verdict on Chandigarh, injustice has been done to Himachal Pradesh. In addition to Una Tehsil, Kangra, Nangal, Pathankot, Mukerian Ghat and Kalka should be handed over to Himachal Pradesh. A referendum may be taken for that purpose. Statehood should also be accorded to Himachal Pradesh, for which is a long outstanding demand of H. P.

I would also like to know from the Minister the steps taken on A. R. C's. Report on Centre States Relations. Whatever be the recommendations of A. R. C., but State Governments should not be allowed to weaken the Central Government.

It is my suggestion that like Defence, Communications and Railways ; Education should also be a Central subject so that there may be uniformity in the field of Education through out the country.

We should do away with the privileges of I. C. S. and I. A. S officers like that of Princes. Direct recruitment to I. A. S. and I. P. S. should be stopped as direct recruits do not have any experience and regular service personnel should be allowed promotion to higher posts, so that they may have more interest in their work.

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) मेरा अनुरोध है कि अन्य राजनैतिक दलों के दूसरे प्रतिनिधियों को समय देने के बजाय सभी दलों के प्रतिनिधियों को एक-एक बार बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदया : स्थिति इस प्रकार है :—

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय क्रान्तिदल, कांग्रेस (संगठन), स्वतन्त्र, जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को क्रमशः 14, 16, 8, 4, 14, 9 और 16 मिनट बोलने की व्यवस्था है। पहले स्वतन्त्र पार्टी के प्रतिनिधि और तत्पश्चात् कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के प्रतिनिधि को मैं बोलने का मौका दूंगी।

Shri Prakash Vir Shastri : The convention of the House has been to complete one round of all parties first.

सभापति महोदया : सदन की परम्परा के अनुसार, अब मैं सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को पहले एक-एक बार मौका दूंगी और उसके अनुसार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि को बोलने का मौका मिलेगा।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : मेरा नाम बोलने के लिये पुकारा गया और मैं "सभापति महोदया" भी कह चुका था। कल भी इसी प्रकार विरोधी कांग्रेस के सदस्य के भाषण के पश्चात् मुझे पुकारा गया। मैं इसका विरोध करता हूं।

सभापति महोदया : आपको कुछ ही मिनट बाद बोलने का अवसर दिया जायगा।

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी) सभापति महोदया, इस मन्त्रालय द्वारा सरकारों को गिराने के अभियान की चर्चा किये बिना मैं अपना भाषण प्रारम्भ नहीं कर सकता। 1967 के आम चुनावों के पश्चात्, दो गैर-कांग्रेसी प्रगतिशील सरकारें देश के राजनैतिक जीवन में उभरीं और ये दो सरकारें शासक दल और यहां की सरकार के लिए एक सीधी चुनौती थीं। इन्होंने दो बार पश्चिम बंगाल में और एक बार केरल में गैर-कांग्रेसी सरकार गिराई। राज्य प्रमुख अर्थात् राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, परन्तु केन्द्रीय सरकार और गृह मन्त्रालय अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका उपयोग करता है। केरल में अपनाये गये सिद्धान्तों का उन्होंने पश्चिम बंगाल में अनुकरण नहीं किया।

राज्यपाल को उन्हें पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिये अवश्य आमंत्रित करना चाहिये था। श्री ज्योतिबसु सरकार बनाने के दो दिन बाद विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिये तैयार थे। लेकिन उन्हें सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया। केरल में इसके बिल्कुल विपरीत किया गया था। श्री नम्बूदरीपाद के त्याग पत्र देने के बाद श्री अच्युत

मेनन को केरल में सरकार बनाने के लिये दिल्ली से आमंत्रित किया गया था। उन्हें किस आधार पर सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया गया था ? श्री अच्युत मेनन को केरल विधान सभा में बहुमत प्राप्त नहीं था। उन्हें विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिये तीन महीने का लम्बा समय दिया गया था।

केन्द्रीय सरकार ने केरल में एक तरीका अपनाया है और पश्चिम बंगाल में इससे बिल्कुल भिन्न तरीका अपनाया है। केरल में श्री अच्युत मेनन द्वारा पराश्रयी सरकार बनाई जा सकती थी लेकिन पश्चिम बंगाल में श्री ज्योति बसु द्वारा पराश्रयी सरकार नहीं बनाई जा सकती थी, अतः केरल में सरकार बनाने की अनुमति दी गई।

देश में लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है। सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा है। यह बात विभिन्न राज्यों में राज्यपालों द्वारा की गई कार्यवाही से सिद्ध हो गई है।

सब दल लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं लेकिन उनके कार्य वास्तव में इसके विपरीत हैं। केरल में जब श्री नम्बूदरीपाद का बहुमत समाप्त हो गया तो उन्होंने तत्काल अपना त्याग पत्र दे दिया। हरयाना में विधान सभा में जब सरकार का बहुमत समाप्त हो गया तो विधान सभा का सत्रावसान कर दिया गया। इसी प्रकार जब जम्मू और काश्मीर में श्री सादिक का विधान सभा में बहुमत समाप्त हो गया था तो श्री सादिक ने विधान सभा का सत्रावसान करा दिया।

गुजरात तथा उड़ीसा राज्य में भी सरकारों को बचाने के लिये विधान सभाओं को स्थगित किया गया।

बजट पर चर्चा करने से पूर्व मुख्य मंत्री ने केरल विधान सभा को स्थगित कर दिया था। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है।

सभापति महोदया : माननीय सदस्य पीठाध्यक्ष को सम्बोधित करें। वह माननीय सदस्यों से बातों में न उलझें।

श्री प० गोपालन : अभी एक माननीया सदस्या ने मार्क्सवादियों की हिंसात्मक कार्यवाही की चर्चा की थी। उन्होंने रवीन्द्र सरोवर घटना का भी उल्लेख किया था।

पश्चिम बंगाल के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे दल की पश्चिम बंगाल में स्थिति मजबूत है।

12 मार्च, 1970 के 'इंडियन एक्सप्रेस' के एक लेख में भी मार्क्सवादी साम्यवादी दल के शक्तिशाली होने का उल्लेख किया गया है। उसमें कहा गया है कि मार्क्सवादी साम्यवादी दल ने अपनी स्थिति पहले की तुलना में बहुत मजबूत कर ली है। उसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि मुख्य मंत्री श्री मुकर्जी के अनशन से उनकी वास्तविक स्थिति का बोध हो गया है।

इसी कारण अन्य दल हमारे दल को बदनाम कर रहे हैं और वहां कानून और व्यवस्था न होने का उल्लेख कर रहे हैं।

बम्बई में शिव सेना के अत्याचार करने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। महाराष्ट्र विधान सभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस के श्री ए० बी० सावन्त ने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि सरकार शिव सेना द्वारा किये जाने वाले उपद्रवों को रोकने में असफल रही है। एक सरकार जो इन प्रवृत्तियों को रोकने में असमर्थ होती है, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकर नहीं है। शिव सेना का जन्म राज्य सरकार की गलतियों के परिणामस्वरूप हुआ है। माननीय सदस्य ने यह स्वीकार किया है कि इसका प्रशासन के कुछ उच्च अधिकारियों से सम्बन्ध है। अतः मैं इन अनुदानों का विरोध करता हूं।

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishahar): There is no doubt that some unsocial elements are raising their heads in the country. They have raised Communal feelings and language controversies. There have been riots during the Gandhi Centenary year. The Government should take serious steps in this matter.

Shiv Sena is playing an important role in spreading riots in Bombay. The Government should take steps to prevent such incidents. Communal riots in Ahmedabad have disreputed the name of our country. These riots occur in cities where well educated people reside. The Government should find out its causes and try to take some measures to avoid them.

Language problem is an important one. Hindi has become the national language since 1965 and English is being used as an associate language. But in practice English is being used as a national language and Hindi is being used as an associate language. All Government Communications are first published in English and then they are translated in Hindi. Government should get them published in Hindi first and then in English. If it is not possible, they should simultaneously be published in Hindi and English.

It is praiseworthy that people of Tamil Nadu have not started any agitation on language issue. Some speeches of Shri Kamraj have a very bad effect on the people of Tamil Nadu. Leader of national importance should take into consideration the interest of the whole country before making such speech.

The circle of Tamil language is very limited. As compared to it Hindi has a very wide scope. The solution about national language was done on national level. Now there is no sense in opposing that solution.

The cases of dacoities and murders have considerably increased in Machhlishahar. As a result of it there is a great fear in the minds of the people. Frequent changes in Governments have had effects in the minds of the people and as a result of it unsocial elements got encouragement. Government should take action in this regard.

Government should try to find out the cases of dacoities and murders with the help of C. B. I.

The tendency of defections in political fields has increased after 1967 election. This feeling of defections is very dangerous for the country. Some method should be evolved to solve this problem.

Shri Ghayoor Ali Khan (Kairana): Our's is a great country. A country can be a powerful country only in case it is free from internal disturbances. Such a country in which there are disturbances cannot make progress in the field of education, trade and in other spheres.

There are so many problems facing our country. If they are not solved our democracy will be in danger.

Police have totally failed in maintaining law and order in the country. Government is not paying any attention towards communal riots and other serious incidents. In a meeting

of National integration council it was decided that the members of this council would be sent to any place of disturbances for observation, but they have never been sent so far.

People are being charged of communal mindedness if they go to the places of disturbances to pacify the effected persons. If the situation remains the same I feel there is a great danger to democracy in India. We should live like brothers. If the guilty persons are severely punished it will be greatly helpful and stopping riots.

Our administration has not been able to stop these riots. Government should find out the measures to solve this problem.

Recently an attempt was made on Shri Jyoti Basu's life. This shows that violence is increasing and appropriate steps should be taken to stop it.

Boundary disputes are increasing in the country. Government should take immediate steps in this matter so that the relations between the different states may not be spoiled.

Manipur, Himachal Pradesh and Tripura have not been given the Status of a fulfledged State. These states should be given the status of a fulfledged state.

Harijans are not being given proper treatment. Recently a harijans was burnt alive on the charges of theft.

Controversy regarding languages is going on in our country. Certain people have misgivings in their minds regading the origin of the urdu language. They feel that Urdu language belong to Pakistan and certain other muslim countries. That is a faulty approach of their thinking. In this context I may emphatically say that this language originated and prospered in Delhi and that it spread in the entire country from Delhi. Therefore, I request that this language should be given due recognition. In a memorandum submitted to the then President of India Dr. Rajendra Prasad and signed by 30 lakhs persons irrespective of caste and creed it was requested, that the Urdu language should be recognised as a second official language in the four States, Delhi Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh. I want to request the hon. Minister that the demand may kindly be met by the Government.

The hon. Minister has referred to the cases of 1500 police employees and he has given assurance to the effect that these cases would be dealt with sympathetic attitude towards the employees. I am glad to hear this statement and hope that the hon. Minister would take a trouble of reinstating these employees.

Shri Kushok Bakula (Ladakh) : Madam, I rise to support the demands submitted by the Hon. Minister. I do congratulate the Hon. Minister of Home Affairs for his foresightedness by which he could be able to maintain law and order in the country which has been facing the mounting troubles stemmed from the state of instability of the Governments in the various States since 1967.

I gladly recognise the interest taken by the Chief Minister of Jammu and Kashmir in the development of Ladakh even then there are so many other things which are yet to be done for the betterment of the people of Ladakh. The Gajendra Gadkar Commission made eleven main recommendations but I am sorry to mention that only six recommendations have partially been implemented as yet. The most important recommendations made by the Commission was to the effect that a Member belonging to Ladakh should be a Cabinet Minister and all the affairs pertaining to Ladakh should be assigned to him to be dealt with. It has been the convention for last 14-15 years a Member belonging to Ladakh has always been assigned a port folio of Dy. Minister, the Minister of State or the Cabinet Minister. Now, why this tradition has been discontinued ? It is weil known

fact that Ladakh is backward in all respects. There is no proper transportation. The standard of living of the inhabitants of that region is not as high as that of the people of other parts of the country. Therefore, if a person not belonging to Ladakh is assigned the work of looking after the interests of the people of this area he will have to face so many difficulties there. He will have to ascend on the mountains of which he might not be habitual. Besides, he can not follow the language of that region. Thus, it is highly necessary that a member belonging to Ladakh should be taken as a Cabinet Minister.

I am highly grateful to Shri Shidiq who have appointed a committee to look into the problem of Ladakh and who have also expressed a desire to include the entire Ladakh district in the backward class. But the question is whether it is merely an announcement or it is going to be implemented too. Earlier, we made a request that the whole of the district should be declared as Scheduled Tribes but this request could not be acceded by the Government with a plea that the provisions of the Constitution are not applicable to Jammu and Kashmir. My submission, in this regard, is that we will have to extend the applicability of the Constitution to Jammu and Kashmir. Mention should also be made that most of the persons of Ladakh are Budhist or Muslims. Therefore the question of including that region in the list of Scheduled Caste does not arise. It should be included in Scheduled Tribes.

The children of Ladakh are ambitious of getting higher education but they are unable to get admissions in the medical, engineering and other such technical classes mainly because of their low level of basic education. They can not compete with the students of other states. The Government should also consider their genuine problems.

I should also tell the Government of the ensuing agitations likely to be launched by the people of Ladakh because of the non-implementation of the Gajendra Gadkar Commission to the effect that the name of Jammu and Kashmir State should be changed in such a manner that it could cover the importance of Ladakh region also. It is highly regrettable that we recognise the existence of Ladakh only when China or Pakistan launches attacks on India and after that no body pay any heed towards the problems of the people of Ladakh.

No doubt, a development council for Ladakh has been appointed but it has not been provided any powers. I request that this council should be given full powers.

It would be worthwhile to invite the attention of the Hon. Minister towards the difficulties faced by the Maharaja of Ladakh. He is paid Rs. 6,000 annually from the Jammu and Kashmir State. It is a niggardly provision for him because with this amount he is not able to meet the educational expenditure of his children. He has to maintain certain religious formalities concerning with the temples and heavy amount is required to be spent by him annually at the time of **Puja** ceremonies. The Development Commissioner has recommended that this amount should be increased to Rs. 10,000 but I feel this amount, too, will not suffice. Therefore, I request that the amount of his Privy-purse should be increased much more so that he may be able to meet his all requirements.

It is a matter of concern that you have appointed a person to the post of Superintendent of Police from here though certain capable persons are available in Ladakh. In this way they are deprived of the further chances of promotions. I request that the interests of the educated persons of Ladakh should be watched properly.

I welcome the act of taking over the Stakana project by the Government. I do suggest that electric generator should be installed in Jansker Tehsil and there should be certain provisions

to generate hydro-electric in that area. In the Kargil area hydro-electric is being generated but the electric is not supplied to the civilians. I request that the civilians of that area should also be provided with the facility of electricity with a view to avoid the feeling of discrimination among the minds of the people of Kargil area as it is mostly populated with the Muslims. If it is not done it would reflect on the attitude of the Central Government.

The number of the followers of Budhism in the country is considerably low yet they are put to several atrocities. I may say with full confidence that Dr. Ambedkar never asked any person coersively to proselytize his religion. He explained the teachings of Budha and it is the sense of magnanimity and non-violence which attracted the people to adopt Budhism which is based on the same feelings. Prior to adopting Budhism most of the persons belonged to scheduled castes and scheduled tribes. Therefore, the facilities being provided to the members of the scheduled castes and tribes should be continued to be given to the Budhists. It should also be ensured by the Government that the Budhist are not threatened by other people.

Now, I would like to invite the attention of the Hon. Minister towards the Tawang monastery situated in NEFA. There are 200 students in that monastery and they should be provided with educational facilities. Research work should also be started on the old manuscripts belonging to that monastery. A road from Saila pass to Tawang is also required to be constructed.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): Madam ! the Ministry of Home Affairs is an important ministry. But I am sorry to mention that after Sardar Patel the ideals of courage, fearlessness and intelect required for a Home-Minister have decreased. At the time of Chinese attack all of us adopted a motion here on 14 November, 1962 in connection with the oath regarding the National Integration. But afterwards when we started to observe a National Integration Week the Government of India published a booklet and the original wordings of the undertaking or oath was changed in that booklet by the Government.

In this context may I know whether the Government of India are digressing from the decision taken in the House, and if not the reasons for which the language of the undertaking has been changed ? May I also know whether it has been done under Chinese pressure ? I would like to remind the Hon. Minister that he has been given an important assignment of internal security of the country. Therefore, it is his duty to find out the elements which are responsible of bringing out such booklets which shows the weakness of the Government.

Secondly, the communal tension has created a sense of concern in the minds of the people of our country. I would like to suggest that the Hon. Minister should go into the details of the communal riots perpetuated in the country since independence and should determine to take stringent actions against the majority class if it is the actual creator of the communal riots. But after examining the whole situation if the Hon. Minister finds that minorities do create such troubles he should understand that it is any third force which is interested in disturbing our social structure.

With a view to suppress the facts regarding the number of the foreigners residing in our country the Ministry of Home Affairs has discontinued the procedure of mentioning the figures of the persons of various countries residing in India. In reply to certain questions it was stated that as on 27-2-70 the number of Pakistani citizens was 27,615 and they were in India with their valid pass-ports. The number of the foreigners the time-limit of whose passports have elapsed has been stated as 11,717. In reply to a question put in the Rajya Subha it has been stated that the number of the foreigners staying in India with out pass-ports was 12,823 as on 25-2-70. It also

includes 3,773 Pakistani citizens whose whereabouts are still not known to the Government of India. If all these figures are taken together we will come to the conclusion that more than four or five lakhs Pakistani citizens have been staying in our country. May I know, in this context, whether the Ministry of Home Affairs have undertaken any study to find out whether the agents of the neighbouring countries are playing their parts to create the communal riots in our country ?

No communal tension has been seen between the Hindus and the other minority communities, such as Budhists, Parsis etc. Thus it is apparent that the problem of communal riots is mainly attributed to the anti-social activities performed by the neighbouring countries since independence.

It is a matter of great concern that the States have developed a hostile attitude towards each other. The issues of Balegaon, Chandigarh and Telangana have caused hundreds of physical casualties. Besides, the way in which the Central Government take decision on such matters as these can not be said commendable. Justice demands that Chandigarh should have been given to Haryana. It was also recommended by the Shah Commission. But the Central Government decided to give Chandigarh to Punjab because of the simplicity of the people of Haryana and because of the fact that they do not believe in violence and in passing threatenings. It is highly objectionable that certain Governors indulge themselves in arousing the feelings of the people. The Governor of Rajasthan Shri Hukam Singh, too, mentioned in his convocation address that Punjab had to pay a higher price for Chandigarh. I request that the Hon. Minister should be relentless in dealing with such cases of irresponsible activities.

With regard to the disputes pertaining to the boundaries of the various States I would like to suggest that an impartial tribunal to look into these disputes. The report of the proposed tribunal should also be given effect by the Government.

According to the Official Language (Amendment) Bill, 1967, Hindi has been given the status of official language of the country. Though the necessary orders to this effect have been issued yet I have come to know that the officials pass verbal warnings that if any body will exercise noting and drafting in Hindi language it will certainly affect his chances of promotions. Besides, most of the Universities have adopted their concerned languages as the medium of the education but it is quite strange that Union Public Service Commission is still giving the entire importance to English. I want to suggest that the Hindi knowing Ministers should start correspondence at the level of their concerned Secretaries and Joint Secretaries in order to encourage their lower staff.

I am constrained to say that we are unable to have the copy of the **synopsis** of the business of Lok-Sabha even after 15 days. We are about 150 Members here whom all the Government publications are useless because they are published in English version. Lok Sabha should be conveyed this fact. Still we are having much patience. Would it be appreciated if we launch any kind of demonstration here ? Therefore, I suggest that all the Bills and the Government notifications should be published in Hindi as well as in English versions.

A high level commission is also required to be appointed to look into the real conditions and the causes of the death of Shri Lal Bahadur Shastri who expired in Taskent. Due to certain facts divulging day by day the people of our country are forced to think otherwise. Therefore, it has become necessary to appoint an impartial commission to look into this matter. I have also got certain facts with me and I want to submit those facts before the proposed commission if appointed by the Government. If it is not done I will be forced to disclose those facts before the House.

I would like to conclude with an observation that since its appointment the Administrative Reforms Commission has submitted its 27 Reports but it is startling that no efforts have been made by the Government to implement them. At the time of its appointment the Government had announced that itwould be given great importance. But the Government have been playing in the hands of the I. C. S. and I. A. S. officers who are weaving a conspiracy to reject these reports. I request that the recommendations of such an important commission should be examined seriously by the Government and they should be implemented immediately.

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय किया गया है कि पहले प्रत्येक दल का दौर हो। पहला दौर श्री प्रकाशवीर शास्त्री के भाषण के साथ पूरा हुआ। इसके बाद दूसरा दौर शुरू होगा तो श्री इमाम को सबसे पहले अवसर मिलेगा। श्री बाकर अली मिर्जा को समय नहीं दिया गया है। श्री रणधीर सिंह।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : There are certain powers who want changes in the country. In this connection, inspite of certain draw backs, we are very much satisfied with what the Home Ministry has done during the last several years. Now the situation in Nagaland is peaceful and the powers there are now more and more interested in having deep relations with the rest of country. The anti-national element has been almost eliminated from there.

Now Sheikh Abdullah is also changing his mind and he appears to be talking in support of Hindi and Hindustan. The dispute regarding refinery in Meghalaya is also pacified. The language controversy in the South is also settled to the extent of eighty per cent. The situation in West Bengal and Himachal Pradesh is also normal. People are thinking in terms of national interests. We have set up a committee on defections.

The Home Ministry has been warned that they should bring about that situation in the country which poor people of the country have been demanding for, otherwise the condition of the country would go worse. But let us be aware that whatever I have mentioned above clearly speaks of the efforts made by the Home Ministry and our Ministers. We cannot ignore that.

As regards my own State and Fazilka, we had not agreed to still Chandigarh was taken away from us. I would never agree that Chandigarh and Kharar is 75 per cent Punjabi speaking. Let the Government set up a panel of 5 or 7 Supreme Court Judges and entrust the decision to them. Fazilka has nothing to do with Boundary Commission. We should be given the possession of Fazilka immediately otherwise the work relating to development of that area will come to a stand still. Let the disputes emanating between Haryana, Punjab and Himachal Pradesh be settled by the Chief Ministers themselves, otherwise let the panel decide them. We now have no faith in these Commissions.

My specific point is that the greatest danger to the country is from Indianisation. What do the Jansanghies mean by Indianisation. This country belongs to Sikhs, Hindus, Budhists and many others classes of people. How Jan Sangh has been made responsible for ascertaining or challenging the loyalty of the Muslims ? These Jansanghies are in fact themselves the enemies of the country's integration.

Some people in Bengal want land otherwise they are prepared to bring about a revolution. Similarly the people of Kerala also threaten to get separated if they are not given rice wheat etc. So, if the campaign for decentralisation is not curbed, it will endanger the country's integrity. It

is better if you form four of five zones—one zone being after five or seven states and attach a Commission and High Court to each zone, otherwise the disputes in the country will continue

[श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए
Shri Shri Chand Goyal in the Chair]

even after constituting 148 States. Hence the slogan of decentralisation should be put down forthwith. Similarly the Bill on over-centralisation is also not in the interest of the common people of the country. So the idea of over-centralisation should be done away with and a farmer's land upto 20 acres should not be disturbed.

Thus we have three enemies viz. the Indianisation, the decentralisation and the over Nationalisation.

After returning from Ahmedabad I had recommended that as per the circumstances that Muslims should also be included in the staff of Police Department and also that Urdu should also be given its due place in the country.

I am grateful for the time allowed to me.

श्री जे० मुहम्मद इमाम : देश में राष्ट्रीय एकता बनाये रखने के लिये गृह कार्य मंत्रालय का बड़ा ही महत्व है, विशेषतया जब कि देश में अनेक राजनैतिक दल हैं, अनेक राज्य हैं। अतः देश में राष्ट्रीय एकता तथा स्थिरता, सुरक्षा तथा अमन-चैन की स्थिति बनाये रखने का दायित्व इसी मंत्रालय पर होता है। देश के पूर्वीय भागों में कुछ विघटनकारी गतिविधियां हुई हैं। ये गतिविधियां विशेषरूप से कांग्रेसों में फूट पड़ने के बाद से अधिक हुई हैं। ये लोग समझते हैं कि उनका दल देश के हितों से भी ऊपर है और इस प्रकार वे अपने कर्तव्य भूल गये हैं।

कल ही श्री एस० के० पाटिल ने कहा था कि सरकार कानून और व्यवस्था का उत्तर-दायित्व स्वयं न लेकर राज्यों पर इसकी जिम्मेवारी थोप देती है। नक्सलवादी देश में उपद्रव मचा रखे हैं। वे अनेक लोगों की हत्या कर रहे हैं। क्या यह केन्द्र सरकार का काम नहीं है कि वह उन्हें रोके ?

आज देश भर में छात्रों के उपद्रव भी बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक कि वे उपकुलपति के कमरे में घुस जाते हैं, कार्यालय आदि को आग लगा देते हैं। इसी प्रकार बंगाल में भी हजारों लोग मरे हैं। शिव सेना तथा अन्य कई उपद्रवी दलों का प्रभाव बढ़ रहा। परन्तु केन्द्र सरकार कुछ नहीं कर रही। गृह कार्य मंत्रालय सोया पड़ा है। तो फिर यह किसकी जिम्मेदारी है ? ये लोग तो केवल अपने दल के हितों के बारे में ही सोचते रहते हैं। वे दलगत भावना से ऊपर उठकर देश के हितों को वरीयता नहीं देते। न्याय, सत्य तथा मर्यादा के साथ सभी बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। इससे अन्यथा कार्य करने से कठिनाइयां बढ़ती हैं। केन्द्र सरकार ने मैसूर-महाराष्ट्र के विवाद के हल के बारे में दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। इस विषय पर कभी गम्भीर होकर विचार नहीं किया और इस प्रकार गम्भीर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। अब गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री कहते हैं कि वह अथवा केन्द्र सरकार इसके लिये उत्तरदायी नहीं है। परन्तु मेरा दृढ़ मत है कि इस सारी स्थिति के लिये भारत सरकार ही जिम्मेवार है। यह प्रश्न आरम्भ से ही गम्भीर था और अब दोनों राज्यों के लोगों में

भारी तनाव बरपा है। होना तो यह चाहिये कि पहले यथायोग्य प्राधिकरण द्वारा किये गये फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये और दूसरे यह कि किये गये करारों तथा वायदों का सम्मान किया जाना चाहिये। तीसरे, नियुक्ति किये गये आयोग के फैसलों को सभी को शिरोधार्य करना चाहिये, विशेषतया जब कि राज्य सरकारों के कहने से ही आयोग नियुक्त किया गया था। चौथे, राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) के वर्तमान सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं करना चाहिये अन्यथा उससे कई कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। गृह कार्य मंत्रालय ने क्षेत्रवाद तथा दलगत भावना को ऊपर रखकर अपने दल को ठेस पहुंचाई है। सरकार महाजन आयोग के प्रतिवेदन को संसद के सामने रखने में असफल रही है।

यह आयोग महाराष्ट्र सरकार के बार-बार आग्रह पर नियुक्त किया गया। मैसूर सरकार ने इसका विरोध किया था तथा इस सम्बन्ध में कई जाने गईं। वे इस सीमा-विवाद को पुनः नहीं खोलना चाहते थे, अतः उन्होंने प्रदर्शन किये तो गोली चली और अनेक व्यक्ति मारे गये। फिर दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा गृह कार्य मंत्री तथा कार्य कारिणी समिति ने मिल-जुल कर तय किया कि महाजन आयोग की सिफारिशों को निर्णयात्मक माना जायेगा। कार्यकारिणी में दोनों पक्षों के सदस्य थे। उन्होंने निर्णय किया था कि सीमा सम्बन्धी विवादों को राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों के आधार पर ही निबटाया जाना चाहिये और इसके निर्णयों को अन्तिम माना जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में श्री वी०पी० नायक ने अनेक वक्तव्य दिये। परन्तु प्रतिवेदन आ जाने के बाद हुआ यह कि मैसूर के निपाणी तथा अन्य ऐसे क्षेत्र जिनसे राज्य को 4–5 हजार रुपये से अधिक की आय होती थी, महाराष्ट्र को दे दिये गये। महाराष्ट्र बैलगांव चाहता था। अब दोनों राज्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करने लगे। इस सम्बन्ध में सीमाओं का निर्धारण करने के लिये जब उच्चन्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की नियुक्ति की गई तो इन्होंने उनकी अवज्ञा की तथा उनका पुतला जलाया। क्या ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिये था। मैसूर का एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिला तथा उसने प्रतिवेदन को स्वीकार कराने का अनुरोध किया परन्तु प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि किसी आयोग के प्रतिवेदन में न्यायोचित्य आप कहां देखते हैं। हमने काफी हानि उठाते हुए भी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया था।

यह आन्दोलन तब ही आरम्भ हो गया था, जब श्री चह्वाण महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे। बाद में वह यहां केन्द्र में आ गये। उन्होंने वर्ष 1967 में प्राप्त रिपोर्ट को संसद के सामने नहीं रखा बल्कि दबाये रखा। वह तथ्यों को समाप्त करना चाहते थे। जब इस सम्बन्ध में प्रश्न उठा तो उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रीय मत प्राप्त करेंगे, उन्होंने संसदसदस्यों तथा विरोध पक्षों को बुलाया परन्तु वहां कोई समझौता नहीं हुआ। फिर उन्होंने श्रीनगर में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद में राज्यों के सीमा विवादों को निपटाने के लिये मध्यस्थता व्यवस्था का सुझाव पेश किया। मैसूर के मुख्य मंत्री ने इसका विरोध किया। फिर सरकार ने प्रधान मंत्री का एक संदेशवाहक भेजकर बैलगांव तथा अन्य क्षेत्रों का बंटवारा करने का प्रस्ताव पेश किया। वस्तुतः यह प्रधान मंत्री का प्रस्ताव नहीं था क्योंकि वह उन क्षेत्रों के बारे में कुछ नहीं जानती। गृह मंत्री ने ही इन्हें सब समझाया होगा परन्तु मैसूर के मुख्य मंत्री ने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया।

यह कहा गया कि श्री महाजन ने कोई सिद्धान्त निर्धारित किये बिना ही ये सिफारिशें की थीं। परन्तु वस्तुत: उन्होंने वही मूलभूत सिद्धान्त अपनाये थे जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने निर्धारित किये थे। वे सिद्धान्तत: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रशासनिक सुविधा आर्थिक स्थिरता तथा भाषायी साम्यता। भाषायी साम्यता के बारे में यह दृष्टिकोण रखा गया कि 70 प्रतिशत लोग जिस भाषा को बोलते हों, उसी भाषा के राज्य में वह क्षेत्र मिला दिया जाये। इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर सारे देश का पुनर्गठन हुआ था। आन्ध्र तथा तमिल नाडु के मुख्य मंत्रियों ने इसी सिद्धान्त को लेकर परस्पर समझौता किया था।

आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्य मन्त्रियों ने सीमा विवाद को हल करने के लिये गांव को इकाई मानकर समझौता किया। यह सूत्र केवल कुछ सीमावर्ती गांवों तक ही सीमित था ; परन्तु हमारे महाराष्ट्र-वासी मित्र इस सूत्र को सम्पूर्ण देश पर लागू करके देश के पुनर्गठन को भंग करना चाहते हैं।

हुबली में महाराष्ट्र प्रभाग है। तमिलनाडु क्षेत्र में होसर बंगलौर के निकट स्थित है और वहां की बहुसंख्यक जनता तमिलभाषी है और इस आधार पर वे उस पर दावा करेंगे। यही स्थिति कोलार के बारे में है। गांव को इकाई मानने से सम्पूर्ण राष्ट्र में अशान्ति और अव्यवस्था फैल जायेगी।

हमारे मित्रों में बेलगांव के बारे में बड़ा रोष है। जब कोई विवाद हो, तो एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण का अभिमत सर्वमान्य होना चाहिए। दो निष्पक्ष आयोगों के निर्णयानुसार बेलगांव मैसूर राज्य का है। निष्पक्ष न्यायाधिकरण के निर्णय का अगर सम्मान न किया गया, तो विवाद का कभी अन्त ही नहीं हो सकता।

सीमा-विवाद को क्षेत्रीय विवाद नहीं बनाया जा सकता ; परन्तु वे अपना दावा कारबार पर भी करना चाहते हैं। महाराष्ट्रवासियों के अनुसार कोंकनी मराठी है, परन्तु महाजन आयोग के अनुसार कोंकनी मराठी नहीं है। अगर कोंकनी मराठी होती, तो गोआ का महाराष्ट्र में विलय हो जाना चाहिए था। मेरे विचारानुसार कोंकनी कन्नड़ से सम्बन्धित है।

सीमा-विवाद का इतना अधिक उग्र रूप ले लेने का एक प्रमुख कारण महाराष्ट्रवासियों का दृष्टिकोण है। उन्होंने अपने वचन का पालन नहीं किया। गृह मंत्री सदैव ही एक स्पष्ट निर्णय लेने से कतराते रहे। रिपोर्ट पेश की जाने पर तुरन्त ही उसे स्वीकार क्यों नहीं किया गया ?

किसी भी समस्या का समाधान न्याय पर आधारित होने पर शीघ्र हो सकता है ; परन्तु मेरे विचार में महाराष्ट्रवासी न्याय का आश्रय लेने की बजाय, मुख्य मंत्री, गृह मंत्री और शिव-सेना की सहायता से मैसूर की जनता को धमकाना चाहते हैं।

गृह मंत्री को स्पष्टवादी होना चाहिए। क्या गृह मंत्री ने यह नहीं कहा था कि आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया जायगा ? फिर उस आश्वासन से मुकर जाने का क्या तात्पर्य है ? लोकतन्त्र की सफलता का मुख्य आधार चरित्र और अनुशासन है। रिपोर्ट को स्वीकार करने का आश्वासन देकर उसे स्वीकार न करना चरित्र और अनुशासन की हत्या है।

मेरा अनुरोध है कि महाजन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाय। मामले को अधिक कटु और गम्भीर न बनायें। मैं अपने मित्रों को यह भी सलाह देना चाहता हूं कि वे हिंसा का आश्रय न लें और धमकियां देना छोड़ें। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की अपेक्षा भारत के प्रति उनकी कहीं अधिक निष्ठा है।

Smt. Laxmi Bai (Medak) : Mr. Chairman, there are certain difficulties in supporting the demands for Home Ministry. I want to express those difficulties. All the people—young and old alike are very much agitated about Telangana, but Home Minister does not agree. You can not ignore one crore and thirty lakh agitated people. Fifty thousand teachers are on strike for last fourteen months.

You are asking for so much money for Intelligence Bureau for doing nothing. It has not been able to check gold smuggling and circulation of fake currency notes in hilly areas. Two days back an attempt was made on the life of Mr. Jyoti Basu.

You have admitted that movement for separate Telengana State is a mass movement, yet you do not try to find a way out. Sardar Patel had saved us from the atrocities of communists and Razakars, but now there is no body to listen to our demand.

During Fourth Five Year Plan period, you are going to spend 6,000 crores of Rupees. Has this plan been made for increasing Police? No development work is going on in any state. Haryana, Punjab and Chandigarh is contiguous to capital, and hence their demand is acceded to. But no body cares for Telangana.

Bhargava Committee Report is useless. Chairman of Regional Committee has claimed that he has demanded Rs. 107 crores for Telangana. Had this amount been spent on us, we would have been much better. Decisions of the Regional Committee are not binding on Chief Minister. Though we can appeal to the Governor, yet all is in vain.

Shri Lachanna has also demanded that Telangana should be separated from Andhra Pradesh. It is said that Telangana has been developed very much, but it is not so. Telangana had its own High Court, own University and 1200 miles long Railways. Now instead of development this movement is putting us to loss.

We demand Rs. 107 crores, Governor fixes Rs. 40 crores and Bhargava Committee fixes the amount at Rs. 28 crores. The Central Government assesses the requirement only to the tune of Rs. 26 crores. It is also said that Rs. 10 crores would be spent annually.

There are President's instructions that Half-yearly Report on Income and Expenditure on Telangana be placed on the Table of the Assembly ; if it is not done, Regional Committee can appeal to the Governor. But no Governor can dare to oppose the Chief Minister.

Demand for separate Telangana is not being acceded by the Central Government perhaps it is afraid of the similar demand for a separate Jharkhand State and Vidarbha State. I, however, warn the Government that it would have to agree sooner or later to the demand of separate Telengana. Andhra Government shows in its Report only one side of the picture. It shows only the loss and damage of property, but not the loss of lives as a result of police firings.

Shri Ram Gopal Shalwale (Chandni Chowk) : Mr. Dy. Speaker, In my opinion it is the duty of the Home Ministry to solve the contemporary problems, after careful examination of real situation of the country. Solution of a problem should be based on reality and not on Political groupism, Individual pressure or influence.

For Hindu population of the Country, Government have passed Hindu Code Bill, but it is wrong and unjustified. We should have an uniform code of conduct for all the citizens of the country. There should be an Indian Code Bill instead of Hindu Code Bill. It is the ill effect of this Bill that some of the Hindus and Sikhs, convert their religion for the sake of second marriage.

Nearly 100 Muslim ladies led a big procession in Nuhu Tehsil of Distt. Gurgaon and demanded that Polygamy among Muslims should be banned.

Delhi Metropolitan Council had unanimously passed a Resolution, seeking an uniform Code of Conduct for all citizens of the country. Muslim ladies should not be deprived from the protection guaranteed to Hindu ladies.

I want to say with very much regret that even after twenty-three years of Independence, Government of India has not been able to solve the problems of Harijans and every where atrocities are being committed on them. A married girl was kidnapped by a Muslim gentleman in Gurgaon Distt. The father of the daughter lodged a complaint with the Police and wrote several letters to Home Ministry, but no arrest has been made so far.

Another incident relates to Danapur (Bihar). A Harijan girl was molested and kindapped by a son of an affluent Muslim person. No action has been taken against them.

In Shahidgarh Village of Patiala Distt. Gram Panchayat erected walls in front of the houses of Harijans. About 6,500 foreign Missionaries exploit the poor situation—of Harijans and convert their religion. Thus these communities lose their loyalty towards India.

Ministry of Home Affairs appointed 170 Section Officers in 1963, but there was not even a single person belonging to Harijan Community. Some of the M. Ps. opposed the appointment of Harijans as Section Officers.

Pay and allowances of Judges of High Court and Supreme Court have not been revised for last 23 years. To attract talented persons to Judiciary Government should revise pay and allowances of Judges of Supreme Court and High Court.

The interests of persons belonging to Jammu and Ladakh region in Jammu and Kashmir State are always ignored in the matter of employment and availability of goods at cheaper rates.

The Government has said time and again in the House that cow slaughter has been banned in almost all the States except West Bangal and Nagaland. The Government has said in reply to a Parliament Question that 1033 tonnes and 4243 tonnes cow leather was exported in 1967 and 1968-69 respectively. According to the figures supplied for the year 1970-71, 592.5 tonnes calf-leather would be exported, whereas figures for export of cow-leather were not available. This clearly shows that Government is not interested in banning of cow-slaughter. For the welfare of the country Government should immediately ban cow-slaughter and respect the feelings of 450 millions of people of the country.

During British Rule, there were only Rai Bahadur, Rai Sahab, Sardar Bahadur and Khan Bahadurs who were supporters of Britishers, but now there are huge parties who are puppets either of China, or of Russia, Pakistan or of U. S. A. Nationalism has been completely destroyed and Home Ministry is still inactive.

Recently there was an International Film Festival in which scenes of nudity were shown. Government had appointed a Khosla Commission for improvement in Indian Films.

It is a matter of regret that Mr. Khosla has supported nudity and obscenity in the Films. This recommendation is against the tradition and conventions of our cultural life. Government should immediately ban obscenity and nudity in Films, because it adversely affects the character of the youths of the country.

Shri Sheo Narain (Basti) : Mr. Chairman, I want to state here brutal murders, occurred at Burdwan. On 17th March, 1970, Shri Malay Sain and Pranav Sain were murdered in the presence of Police and S. D. O. The face of the mother was painted with that blood. Those officers have not been suspended so far. How much injustice and disorder is there in the State. We are asked to maintain discipline but Home Minister and Prime Minister break the discipline and order.

Mr. Chairman : Hon'ble Member may continue his speech tomorrow.

जम्मू के बारे में गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशों को लागू न किये जाने के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE. NON-IMPLEMENTATION OF GAJENDRA GADKAR COMMISSION'S RECOMMENDATIONS IN REGARD TO JAMMU

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : There was a massive agitation in Jammu a few days back. About two thousand five hundred people were arrested in this connection. This agitation was organised under the leadership of Pandit Prem Nath Dogra. This agitation was not political.

Jammu and Kashmir is an integral part of India. There is an imbalance in three regions of Jammu and Kashmir in the matter of development, education facilities and employment. It is regretted that State Government has been discriminating against Jammu and Ladakh. As a result of discontent among the people against this discriminatory policy, Gajendra Gadkar Commission was appointed. Although it gave its recommendations a year back, yet all of its recommendations have not been implemented so far.

During the Third Plan, the Central Government gave Rs. 425 crores to Jammu and Kashmir State. Jammu's share in this money was 25 per cent and that of Ladakh was 5 percent.

No big industry has been established in Ladakh or Jammu after independence. Electricity is necessary for industries. It is easier to generate electricity in Jammu than in Kashmir. The potential of Hydro-electric generation in Kashmir is 1200 megawatts while it is 3100 megawatts in Jammu. But this potential has not been utilised during the last 18 years. The Salal hydro-electric project has been pending for several years. Home Minister should inform us whether this project will be included in the Fourth Plan and when the work on this project will commence. Once the work on this project is started we will have adequate supply of electricity for industrialization of the area.

Machinery have been imported for setting up cement factory is Jammu. We are not against the development of the valley but there should be a balanced development of the three regions. If it is not done there will be so much discontent that perhaps the unity of the State may be in danger.

The Gajendra Gadkar Commission has given some concrete recommendations regarding the services, but the State Government have not accepted those recommendations.

According to the Gajendra Gadkar Commission the poulation of Kashmir Valley on 1st April, 1962 was 53.3 percent but their representation in the services was 60.9 percent. The population of Jammu was 44.2 per cent, but its representation in services was 36.1 percent. The population of Ladakh in 1961-62 was 25 per cent while its representation in the services was 1.4 per cent.

It is reqretted that in Jammu and Kashmir Services there is no reservation of posts for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. Article 335 of the Constitution relating to reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribies in services has not been applied to Jammu and Kashmir so far. This Article should be applied to Jammu and Kashmir so that Scheduled Castes and Scheduled Tribes people may get more concessions in services.

The Gajendra Gadkar Commission recommended that Scheduled Castes and Scheduled Tribes people should get representation in the matter of services according to the percentage of their population.

Discrimination has been done with Jammu in the matter of distribution of food grains.

This discrimination should be abolished.

The Gajendra Gadkar Commission has recommended that there should be separate Universities for Jammu and Kashmir. But all the people for the Jammu University are being taken from Srinagar. There should not be any objections to the matter of people being taken from any part of the country but if competent persons are available in the State itself, they should be given preference.

The Government propose to start a Medical College in Jammu in 1970. If the Government really intend to do so it can start the College even in 1970.

All the Octroi posts are in Jammu and there is not a single Octroi post in the Valley. This matter should be reconsidered and a suitable policy should be adopted in this matter.

People residing within five miles of the cease fire line has been given facilities provided to backward classes and the employees in that area are given special allowances. But the people residing on the international border with Pakistan have not been given those facilities.

About 50,000 displaced persons, who have arrived from Pak-occupied Kashmir. have not been allowed to settle down in Kashmir but they have been sent to Jammu. They have not been given proprietory rights on the land they live in and the land they have cultivated although they have paid the money to the Government.

Municipal elections have not been held in Jammu and Kashmir for the last ten years. They should immediately be held.

There are places in Jammu and Kashmir which can be developed as tourist centres. The State Government have spent Rs. 6 crores on Tourism during the last 18 years. But no money has been spent out of it on Jammu region.

Proper attention should be paid for the development of tourist centres in Jammu.

There is no railway line in Jammu. Expeditious action should be taken to provide railway line there.

Justice should be done with Jammu and Ladakh regions. If the discrimination against those regions is not removed the sitiuation may go out of Control. Appropriate action should be taken by the Home Minister in this matter in consultation with the State Government.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : आयोग की सब सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

इस आयोग को नियुक्त करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के तीनों जिलों के आर्थिक विकास को रोकने वाले कारणों को समाप्त करना था । राज्य सरकार ने इसकी बहुत सी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित भी किया गया है ।

आयोग की कुछ मुख्य सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है । उन सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के लिये केन्द्रीय सरकार भी दोषी है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि राज्य सरकार उनकी क्रियान्विति में इतना विलम्ब क्यों कर रही है ।

श्री वाजपेयी का यह दावा करना गलत है कि वहां केवल जनसंघ ही एक राजनीतिक दल है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया है ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : जनसंघ के उक्त आन्दोलन के पीछे राजनीतिक उद्देश्य है । वहां विद्यमान अनाज और राशन की समस्या के सम्बन्ध में हम सब भी चिन्तित हैं ।

हम जम्मू और काश्मीर के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं । वहां की आर्थिक समस्याओं को हल करने के बारे में हम चिन्तित हैं ।

भूमि सुधार अधिनियम को सर्वप्रथम जम्मू और काश्मीर में लागू किया गया था । जम्मू और काश्मीर सरकार ने भूमि सुधार आयोग की नियुक्ति की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । यह दुर्भाग्य की बात है कि जम्मू और काश्मीर सरकार ने वहां असमानता दूर करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है ।

केन्द्रीय सरकार को उक्त रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिये, लोगों के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक सिफारिशों को क्रियान्वित करवाना चाहिये, केन्द्रीय सरकार को राज्य को आवश्यक धनराशि और तकनीकी सहायता भी देनी चाहिये ।

जम्मू और काश्मीर में दो प्रकार के शरणार्थी हैं । एक तो वे जो विभाजन के बाद पाकिस्तान से आये हैं और वे जम्मू क्षेत्र के विभिन्न भागों में बस गये हैं । उन्हें सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं है । वे वहां 20-22 वर्ष से रह रहे हैं और उनके बच्चों ने भी वहीं शिक्षा प्राप्त की है ।

यह समस्या बहुत गम्भीर है । किसी समस्या को हल करने के लिए 22 वर्ष की अवधि काफी लम्बी अवधि होती है । केन्द्रीय सरकार को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए ।

दूसरा वर्ग ऐसे व्यक्तियों का है, जो पाक-अधिकृत क्षेत्र से आये हैं । उनको भूमि और मकानों का आवंटन किया गया है, परन्तु स्वामित्व अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है । राज्य

सरकार ने समय-समय पर कुछ प्रस्तावों पर विचार किया और विधेयक भी तैयार किया, परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। राज्य सरकार अकेले ही इन समस्याओं का हल नहीं खोज सकती और न उनका कार्यान्वियन ही कर सकती है। गृह-मंत्री को चाहिए कि वह राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र समस्या का हल खोजें।

यह सच है कि पहले अधिकांश शिक्षण-संस्थायें कश्मीर घाटी में ही थीं। कश्मीर घाटी में और भी अधिक शिक्षण संस्थायें होनी चाहिए, परन्तु अफसोस तो इस बात का है कि जम्मू क्षेत्र में कोई भी तकनीकी कालेज नहीं है। आयोग का यह कहना सही है कि भविष्य में स्थापित की जाने वाली नयी शिक्षण संस्थाओं में से कुछ संस्थायें जम्मू क्षेत्र में भी स्थापित की जानी चाहिए। लद्दाख क्षेत्र में कोई भी डिग्री कालेज या अन्य संस्थायें नहीं हैं। सरकार को इस क्षेत्र की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

इन सिफारिशों के कार्यान्वित न किये जाने का राजनैतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। यह सच है कि सिफारिशों के कार्यान्वियन में राज्य सरकार ने विलम्ब किया है; परन्तु अब केन्द्रीय सरकार को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए और वह यह सुनिश्चित करे कि सभी सिफारिशें क्रियान्वित की जायें।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, हम इस विषय पर लापरवाही से चर्चा कर रहे हैं। मेरे मित्र, श्री बाजपेयी स्वयं जानते हैं कि जम्मू तथा कश्मीर का प्रश्न और उसका शेष भारत के साथ सम्बन्ध का मामला कितना नाजुक है।

गजेन्द्र गडकर आयोग ने अपने प्रतिवेदन के चौथे पैराग्राफ में कहा है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि राज्य सरकार ने जम्मू या लद्दाख के साथ जानबूझ कर भेद-भाव किया है। भारत एक संघ राष्ट्र है और उपर्युक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी राज्य सरकार के अधिकारों में दखल नहीं देना चाहिये। जैसाकि मेरे मित्र श्री मल्होत्रा ने कहा कि आयोग की लगभग सभी सिफारिशें स्वीकार की जा चुकी हैं। यदि सरकार द्वारा उनके कार्यान्वियन में कोई विलम्ब हुआ हो, तो हमें उसके लिए जम्मू तथा कश्मीर सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए।

श्री बाजपेयी ने अनुसूचित जातियों के साथ अधिक अच्छा व्यवहार करने की ओर संकेत किया है। सम्बद्ध सिफारिश को कार्यान्वित किया जा रहा है और 1970-71 के वर्ष से अनुसूचित जातियों को विशेष सुविधायें प्राप्त होंगी।

जम्मू और कश्मीर में वितरित राशन की मात्रा और कीमत में अन्तर के अनेक कारण हो सकते हैं। भौगोलिक या अन्य विशेष कारणों से यह अन्तर हो सकता है। वर्ष के कुछ महीनों में कश्मीर घाटी का शेष भारत से सम्पर्क टूट जाने की सम्भावना होती है और सप्लाई रुक जाने की सम्भावना होती है, अतः सर्दी के मौसम के लिए कुछ संग्रह करना श्रेयस्कर होता है।

श्री बलराज मधोक : जम्मू में भी उतनी ही सर्दी पड़ती है, जितनी कश्मीर में।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह सम्भव है।

आयोग की लगभग सभी सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं और आयोग ने यह भी स्पष्टरूप से कहा है कि लद्दाख और जम्मू के साथ जानबूझ कर भेदभाव नहीं किया गया है। आयोग ने अपने विषय क्षेत्र की सीमा से परे जाकर जम्मू तथा कश्मीर सरकार के विशिष्ट स्वरूप पर भी विचार व्यक्त किया है।

गजेन्द्र गडकर आयोग ने कहा है कि "जम्मू तथा कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी विचाराभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता है।" इससे भारतीय लोकतन्त्र की सुदृढ़ता का पता चलता है। जम्मू-कश्मीर एक बहुत नाजुक राज्य है और वह शेष भारत के साथ अपनी एकता को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए भारतीय संसद को उसके मार्ग में रुकावट डालना ठीक नहीं है। अगर हम बिहार, आन्ध्र प्रदेश अथवा पश्चिम बंगाल सरकार की इसलिये आलोचना करें कि उन्होंने किसी क्षेत्र विशेष की उपेक्षा की है, तो ऐसा करना उचित नहीं होगा। इसलिए श्री वाजपेयी का प्रस्ताव अनावश्यक है। मुझे आशा है कि गृह-मंत्री स्थिति को स्पष्ट करेंगे और इस बात का ध्यान रखें कि जम्मू और कश्मीर तथा शेष भारत के बीच कोई दरार न पड़े।

श्री अहमद आगा (बारामूला) : सभापति महोदय, यह प्रस्ताव विखण्डनवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देगा। जम्मू और कश्मीर की जनता बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रही है। श्री वाजपेयी वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं हैं।

कश्मीर में प्रारम्भ की जाने वाली केन्द्रीय परियोजनाओं में घड़ियां बनाने वाला हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का एक कारखाना और इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज का एक छोटा सा कारखाना शामिल है, जबकि जम्मू में रेलवे लाइन है, जिस कारण जम्मू क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से अधिक सम्पन्न हो सकेगा।

सलाल में पन-बिजली परियोजना प्रारम्भ की जाने वाली है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग जम्मू के सरुइन्सूर क्षेत्र में तेल की खुदाई प्रारम्भ कर रहा है। कश्मीर में अगर तेल है ही नहीं, तो वहां तेल की खुदाई नहीं की जा सकती। जम्मू में रासायनिक कारखाना और बसोहली के निकट सीमेंट कारखाना स्थापित किया जाने वाला है।

गजेन्द्रगडकर आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 28 के अनुसार जम्मू, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में तीसरी योजना में प्रति व्यक्ति व्यय क्रमश: 186.87 रु०, 158.91 रु० और 1,154 रु० था। फिर भेदभाव कहां है ? उसी रिपोर्ट के पृष्ठ 35 पर जम्मू और कश्मीर में खनिज और उद्योग के बारे में विवरण दिया गया है। श्री वाजपेयी से निवेदन है कि वह उसका अध्ययन करें, तो उद्योग के विकास के बारे में स्थिति स्पष्ट हो जायगी। गजेन्द्रगडकर आयोग ने जम्मू क्षेत्र में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की सिफारिश की है, परन्तु मेडिकल कालेज की स्थापना रातों रात नहीं की जा सकती। उसके लिये उपकरण जुटाने होंगे और प्रोफेसरों की नियुक्ति करनी होगी। केन्द्रीय सरकार को इस हेतु अनुदान की व्यवस्था करनी होगी। मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि जम्मू क्षेत्र के छात्र श्रीनगर के कालेज में प्रवेश पा सकते हैं और जम्मू

में कालेज की स्थापना के बाद उनको वहां स्थानान्तरित कर दिया जायगा। जम्मू क्षेत्र में ला कालेज और विश्वविद्यालय की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। अन्य सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिये विकास बोर्डों की स्थापना की जा रही है। सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह केवल भूमि सुधारों में असंगति से सम्बन्धित सिफारिश सं० 38 को कार्यान्वित नहीं कर सकी है। इसके लिये पृष्ठभूमि का जानना आवश्यक है। 1857 में कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया गया था। उस समय कोई भी कृषक जमीन का मालिक नहीं था। मिल्कियत के हक की सुरक्षा के लिए 1931 में आन्दोलन किया गया। 1938 में नेशनल कान्फ्रेंस ने "नया काश्मीर" नाम से एक आर्थिक कार्यक्रम स्वीकार किया। इस कार्यक्रम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त था। काश्मीर के भारत में विलय के पश्चात् वहां की लोकप्रिय सरकार ने 1948-49 में जो पहला कदम उठाया, वह था बड़ी-बड़ी भू-सम्पदाओं को समाप्त करना।

वजीर कमेटी को नियुक्त किया गया। मगर सरकार ने इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया। भूमि सुधार कार्य जब लागू किया जाता है, तो हमें हर प्रदेश की विशेष पृष्ठ-भूमि पर ध्यान देना होगा। कश्मीर की एक विशेष पृष्ठभूमि है।

श्री वाजपेयी ने कहा कि खाद्यान्न के मामले में कश्मीर और जम्मू में विभेद बरता जा रहा है, मेरे पास आंकड़े हैं। कश्मीर कुल आवश्यकता का 39.9 प्रतिशत स्वयं निभाता है और जम्मू 27.9 प्रतिशत खाद्यान्न का अधिग्रहण कश्मीर में 9.5 प्रतिशत और, जम्मू में 4.8 प्रतिशत है। खाद्यान्न की बिक्रीदर दोनों जगह एक ही है।

अक्सर यह कहा जाता है कि जम्मू की अपेक्षा कश्मीर में प्रति व्यक्ति अनाज अधिक मात्रा में दिया जाता है। श्रीनगर में 156 कि० ग्रा० दिया जाता है तो जम्मू में 126 कि०ग्रा० पहले भी ऐसा था। उन्हें इसीलिये अधिक मात्रा में खाद्यान्न दिया जाता है कि उन्हें खाने के लिए और कोई चीज मिलती नहीं है।

जम्मू की एक समस्या 1947 के विस्थापितों की है। इस समस्या के कई कानूनी पहलू हैं। हमारा दावा यह है कि ये लोग जहां से आये हैं, वह स्थल हमारा है और एक दिन ये लोग वहां वापस जायेंगे। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे एक उच्चाधिकार समिति को नियुक्त कर इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करें और 1947 के इन विस्थापितों की कठिनाइयों को दूर करें। 1965 के विस्थापितों का जहां तक सम्बन्ध है, उनमें 3 लाख लोगों को राज्य सरकार द्वारा बसाया गया।

काश्मीर की मुख्य समस्या आर्थिक है। यह दुर्भाग्य की बात है कि खाद्यान्न का राशन आदि-आदि मामूली चीजों के लिये हमें लड़ना पड़ता है। जम्मू और काश्मीर में वन बहुत हैं, मगर वन पर आधारित कोई भी उद्योग नहीं है। वन का भी केवल बीस प्रतिशत उपयोग किया गया है। अतः अगर इस तरह के उद्योगों की स्थापना एवं अगम्य वनस्थली तक को सुगम्य बनाकर उसका पर्याप्त उपयोग नहीं किया जाता है तो देश की उन्नति नहीं होगी। हमारे राज्य

में प्रचुर मात्रा में खनिज सम्पत्ति उपलब्ध है। यहां जिप्सं, चूने का पत्थर, तांबा, सीसा, जिंक आदि भारी मात्रा में विद्यमान हैं। मगर उनका पर्याप्त उपयोग नहीं किया जाता। कहा जाता है कि बिजली की अधिक सुविधा नहीं है। झलम, अप्पट सिरहिंद, चीनानी आदि परियोजनाओं का निर्माण कार्य जल्दी पूर्ण कर इन खनिज पदार्थों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिये। अन्यथा कश्मीर का विकास नहीं किया जा सकता है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Chairman, Sir, Mr. Aga has admitted that there is differentiation in the supply of food grains to the people of Kashmir, Jammu, Ladakh etc. If the feeling in the minds of the people of Jammu and Ladhakh is arrived againstthe Government of Kashmir, who will be responsible for that. Whether the decision of the Government or on the discussion that is going on here? According to my information, some people in Kashmir deliberately create an atmosphere of discrimination among the people, and induce a section of the people to secede from the State. They have definite motives behind it. Hence it is the duty of the Government and also the people to safeguard the country from these anti-social elements.

When the Indo-Pakistan war ended in 1965, the Government of India sent medicines, woollen blankets etc. to Jammu for refugees. But most of these items were used in Kashmir. Complaints regarding this has reached so many times in this House. These instances are clear indication of the weaknesses of the Central Government. Hence, what I want to say is that the secessionist tendency is mounting up due to their responsibility of Kashmir Government.

There was criticism in installing rail lines in Jammu. Jammu is a plain land, and therefore rail lines were installed there. It was not done out of any undue influence exerted on the Government. We have to keep ourselves aloof from such kind of trivial criticisms.

I would like to say one thing specifically regarding Ladakh. A few months ago, there was an agitation in Ladakh against the allged attempt to distract the 84 thousand People from the path of Budhism. Mr. Vakula, the representative of that place, had complained about this in the House. Then the House had unanimously decided to send a delegation there to make an inquiry into the socalled efforts.

The Gejendra Gadkar Commission also had given important suggestions regarding the improvement of this area. He had suggested that in the areas of Leh and Kargil, Degree Colleges should be opened, transportation facilities should be increased and supply of electricity should be improved in these areas. He also suggested that the same quantity of food grains should be supplied to the people of Ladakh as is supplied to the people of Kashmir. The most important of the suggestions was that under the Ministry of Kashmir, there should be a Minister of Cabinet level to look after the interests of Ladakh. Here what I find is that the Central Government puts the responsibility of all these things on the Ministry of Kashmir. The Government has to take tangible measures to safeguard the interests of this area. Also it is the prime duty of the Central Government to see that the secessionist tendencies are rooted out.

Shri Sheo Narain (Basti) : Mr. Chairman, Sir, it is a very unfortunate that in Kashmir article 335 has not come into force there. If the Government is really writing to keep Kashmir in this country, they must give effect to Section 335 in Kashmir and thereby do justice to the Harijans. Everybody says that reservation is done for Harijans. But it is only a lip-service. Really Harijans are not benefited by that. The Minister says that the Government has fully

sympathy for the cause of Harijans and Minority Muslims. But hitherto they did not give effect to Section 335 in Kashmir. Every top-political leader has played dirty game there and exploited the poor people. They will have to ultimately suffer for whatever they have done there.

I would like to extend thanks to Mr. Gajendra Gadkar for his valuable suggestions, that reservation should strictly be made for 7.5 percent Harijans. Let the reservation be stopped. Let competition be held. Let then take only those people who come out successful in the competition. But the Government is not sincere in this case. This is mere lip-service. They are not doing justice to the people.

Our population is 10 crores. I recall that honourable Panth had once said that the Government was bound to hear the grievances of the minority. When 60 members of Muslim League got elected, they negotiated with them and favoured their case. We cannot also be ignored. If one Jagjiwan Ram is elected president of the party, it is not a big thing. We want that enough justice should be done to us.

Much has been said about Indianisation. What this Indianisation means whoever lives here, toils in this land, loves this land, he is Indian. This is the meaning of Indianisation. The whole responsibility for corrupting the legislature is on this Government. Therefore, I request the honourable Home Minister to pay heed to our case and apply Section 335 in Kashmir within no time, and help boost the condition of Harijans.

I support this with these words.

Shri Kushok Bakula (Ladakh) : Mr. Chairman, the total area of Ladakh is about 29,000 sq. miles. The Government must gave special attention to the development of this area. Now only the people of Leh and Kargil get ration, the villagers are not getting. The ration should be supplied equally. In Ladakh there is discrimination in supplying ration to the local people and non-local people. The local people get only wheat, whereas non-local get both rice and wheat. This kind of discrimination is not proper. I request the Government to take adequate measures to stop this discrimination in the case of ration supply.

Secondly, I would like to appeal to the Government that seniority and juniority lists of Government employees should be made on the basis of Ladakh only.

Gajendra Gadkar Commission has made valuable recommendations regarding the improvement in transportation and roads. The road which is going from Shrinagar to Leh is Pucca one, but it is used by military. The road which starts from Leh and goes up to Khargo is incomplete. The construction of this road should be completed immediately. Similarly, Leh and Neoma should be connected with roads. Kargil tahsil should be connected to Sarkash with roads. Almost all roads in Jammu and Kashmir are Pucca roads. But in Ladakh there is not even a single Pucca road.

Finally, I request the Government to include Ladakh under backward and Scheduled Tribes area. The reason is that the students after having passed the technical examinations find it very difficult to get admission for training in Engineering Colleges. To get employment is also a difficult problem. Therefore, I make an appeal to the Government to include Ladakh under Scheduled Castes and Scheduled Tribes area, so that seats may be reserved in Engineering Colleges for the students of Ladakh.

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : Mr. Chairman, the Government of India has committed a serious mistake that they have not done reservation for Scheduled Castes in Kashmir. They

have done international reservation. When India took up the issue of Kashmir to the U. N. O., from that time onwards the international interference in Kashmir is considered to be a protection. I don't know how the Home Ministry is assessing the situation inside the country. This Government has long been neglecting the backward areas and the enormous backward people. As a result today every where there is agitation and violence. What is going on in Bengal? The news papers present only a distorted picture. Section 323 of the Penal Code is a talisman to those who resort to violence. Therefore I request the Home Minister to make immediate amendments in the Section 323 of Penal Code.

Now, one party is ruling in the Centre and in the States other parties. The Prime Minister has constitutional right to visit any State, any area or any bastee. Law and order is a State subject. If the State Government reaches to the conclusion that visit of Prime Minister may worsen the law and order situation, they will make necessary action. At the same time the Prime Minister also will use their special power. What may be the result ? The Home Ministry has not thought of any alternative to this problem, that may likely to arise in the changed circumstance.

Another important point which I have to mention is regarding the backwardness—social or economic—prevailing in various States. The National Council of Applied and Economic Research had submitted its report on development of backward areas in 1955-56. But it is kept in cold storage. The Planning Commission was set up with a view to removing regional imbalances. But they have done nothing useful. If the Government think of putting down with their organised might any mass upsurge, they are in fool's paradise.

Finally, once again I make a fervent appeal to the Minister that they might take tangible measures to remove the regional imbalances. The bureaucratic tentackles should be cut down from the Planning Commission. The whole Five Year Plan should be revised so as to meet the requirements of the country.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : सभापति महोदय, यह सच है कि गजेन्द्र गडकर आयोग को नियुक्त किया गया था । जब क्षेत्रीय असंतुलन या भेदभाव बरते जाने के आरोप लगाये गये तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने गजेन्द्र गडकर आयोग को नियुक्त कर अपने धीरज का परिचय दिया । आयोग ने कुछ ठोस सिफारिशें प्रस्तुत की थीं । मगर एक बात जरूर है कि क्षेत्रीय असंतुलन देश के हर राज्य में विद्यमान है । गजेन्द्र गडकर आयोग ने नियत रूप से एक बात कही थी कि किसी भी क्षेत्र के विरुद्ध भेदभाव बरतने का कोई जानबूझकर प्रयत्न सरकार की ओर से नहीं किया गया है ।

क्षेत्रीय असमानताएं ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से उत्पन्न होती हैं । इन असमानताओं को दूर करना आवश्यक है । गजेन्द्र गडकर आयोग ने शैक्षणिक सुविधाओं, सेवाओं, आर्थिक विकास और राशन की कठिनाइयों के बारे में लगभग 42 सिफारिशें की हैं । राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार 42 में से 35 सिफारिशें मान ली गई हैं । जो सिफारिशें राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थीं, उन्हें स्वीकार नहीं किया गया । जहां तक आर्थिक विकास से सम्बन्धित सिफारिशों का सम्बन्ध है, उनमें से कुछ सिफारिशों को न केवल सिद्धान्ततः मान ही लिया गया है बल्कि उन्हें क्रियान्वित भी किया जा चुका है । इसी प्रकार

लद्दाख में आर्ट्स कालिज स्थापित करने का प्रश्न स्वीकार कर लिया गया है और इस वर्ष के बजट में 90,000 रुपयों की व्यवस्था की गई है ।

यह ठीक है कि आर्थिक विकास की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है परन्तु उसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। जहां तक वित्तीय पहलुओं एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने चार मंत्रियों की समिति नियुक्त की है। यह समिति वित्तीय कठिनाइयों एवं अन्य कठिनाइयों का पता लगाती है और भारत सरकार के समक्ष अपनी सिफारिशें रखती है ।

जहां तक राशन सम्बन्धी कठिनाइयों का प्रश्न है, राशन की मात्रा और मूल्यों में काफी अन्तर था । सुझाव प्राप्त होने के शीघ्र बाद कश्मीर सरकार ने इस सम्बन्ध में कार्रवाई की। लद्दाख सरकार ने भी राशन के मूल्य व्यक्ति की आय के अनुसार निर्धारित कर दिए। यह अवश्य है कि जम्मू एवं कश्मीर में राशन की मात्रा अलग-अलग थी। लेकिन हाल ही जम्मू में दी जाने वाली राशन की मात्रा में वृद्धि की गई है ।

श्री बाजपेयी ने पूछा है कि सलाल पन-बिजली परियोजना के निर्माण में अनुमानित लागत क्या होगी ? इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि इस पर लगभग 55 करोड़ रुपये व्यय होंगे और इस परियोजना का निर्माण-कार्य केन्द्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है ।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि लद्दाख के लोगों को आदिम जातियों में शामिल कर लिया जाय। पर इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । लद्दाख के लोगों को पिछड़ी जातियों में शामिल करने की सिफारिश की गई है। सरकार ने सामान्य कोटे में ऐसे लोगों की नियुक्ति की प्रतिशतता नियत कर दी है ।

जहां तक क्षेत्रीय असमानता का प्रश्न है, इसे सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया है। जब सरकार ने आयोग को मान लिया है तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि सरकार उनकी सिफारिशों को भी क्रियान्वित करेगी। इस मामले में राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के सहयोग एवं सहायता की आवश्यकता पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि सरकार सहायता देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, शुक्रवार, 3 अप्रैल, 1970/13 चैत्र, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Friday, April 3, 1970/ Chaitra 13, 1892 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow.—9-9-70—340